खण्ड-386, अंक-9
बुधवार, 17 चैत्र, शक संवत् 1910
(6 अप्रैल, 1988 ई0)

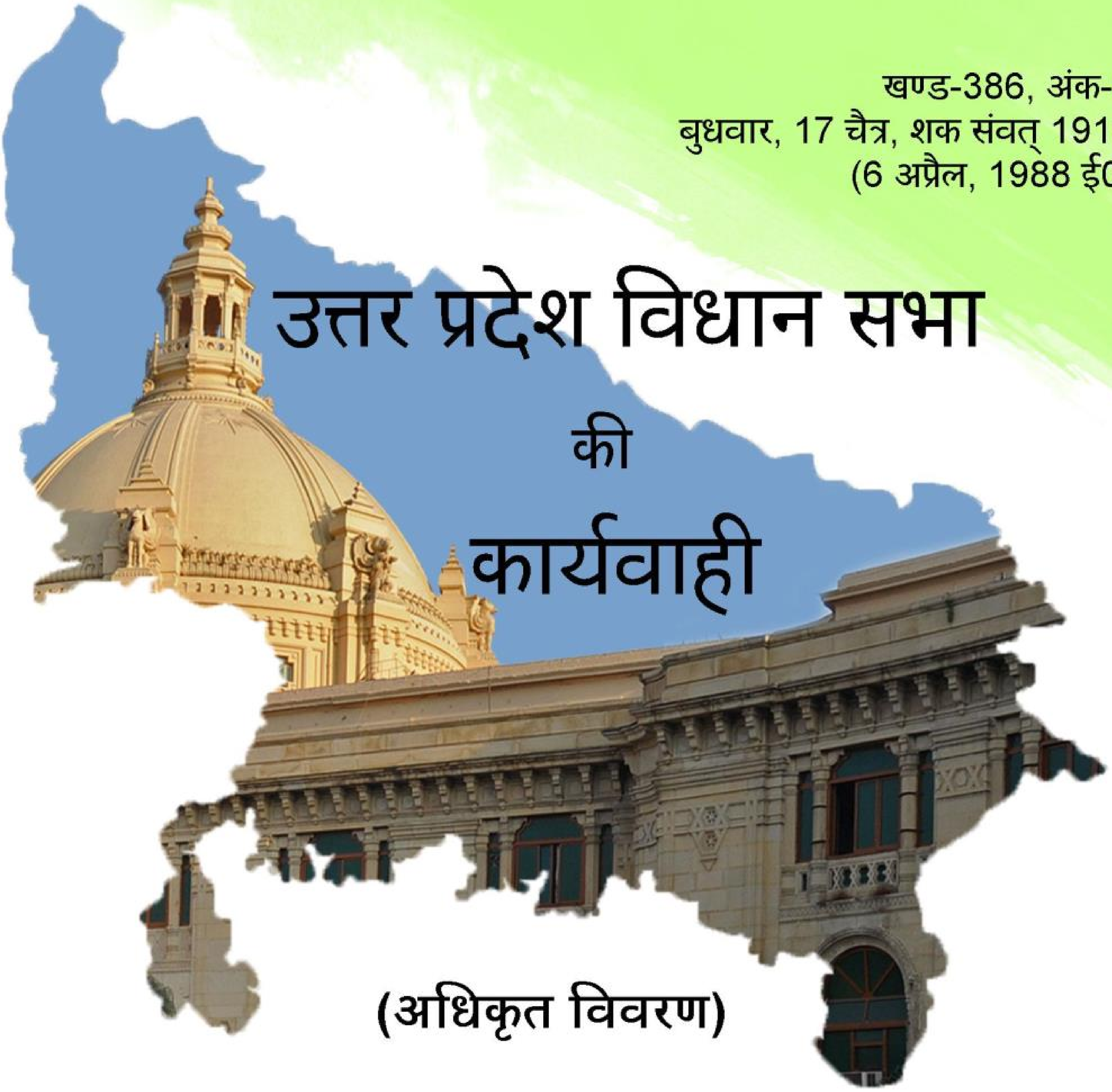

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 386 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–41
श्री विलायती राम कत्याल की निर्मम हत्या के सम्बन्ध में चर्चा कराने हेतु नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव	41–42
वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री विलायती राम कत्याल तथा भूतपूर्व सदस्य श्री बलदेव जी व बैजनाथ सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	42–50
अधीक्षण अभियन्ता नवम् मण्डल, सिचाई कार्य, बहराइच द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	50–51
शारदा सहायक खण्ड–39 जिला जौनपुर में नाली–गूल के निर्माण में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
उ0प्र0 कृषि विभाग के छटनी-शुदा कर्मचारियों के पुनः अन्यत्र सेवा में लिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को पारिवारिक पेंशन दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51–52
जिला फैजाबाद की तहसील सदर की ग्राम सभा मदरसा की भूमि के अवैध पट्टे कर दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	52
सार्वजनिक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड–1 जिला बहराइच के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52–53
सीतापुर जनपद में वाणिज्य विषय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं को खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	53–54
सम्बन्धित मन्त्री/सदस्यों द्वारा समय से विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना का स्पष्टीकरण न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	54–56
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	56
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	56
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	56
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	57
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	57
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	57
उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (1987–88) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	57

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव	57–61
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	61–102
प्रदेश में खारे पानी के बढ़ते हुए क्षेत्र को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत) ..	102–113
पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी, पिछड़ेपन, अशिक्षा और बेरोजगारी को देखते हुए पूर्वांचल विकास परिषद् के गठन के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	13–121
जिला आगरा की फिरोजाबाद तहसील को जिला घोषित किए जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी)	121–126
उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 (पारित)	126–157
मुख्य मन्त्री द्वारा सदन के बाहर की गयी कतिपय घोषणाओं के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	157
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	157–158
आगरा जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी की लापरवाही के कारण 6 सीनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को विगत 6 माह से वेतन न मिलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	158–163
जनपद पिथौरागढ़ के नरभक्षी शेरों एवं बाघों के आन्तक के सम्बन्ध में वक्तव्य	163–166
इलाहाबाद जनपद में हत्या और लूट का दौर चलने तथा श्री हरीश सिंह विष्ट एडवोकेट की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	166–170
आज की कार्यसूची की मद संख्या 22, 23 व 24 को स्थगित किए जाने की सूचना	170
नत्थियां	171–174

अ.प्र.वि.सं.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे---

अकबर अहमद (डम्पी)	नैनीताल	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	राम लक्षन, श्री	गोरखपुर
अलमेलू अम्माल, कुमारी	बस्ती	रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
औसान सिंह, श्री	इटावा	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	शिवानन्द नौटियाल, डा0	चमोली
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
बालेश्वर, श्री	देवरिया	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
बैजनाथ, श्री	देवरिया	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
मंगलदेव, श्री	गोण्डा	सिकन्दर अली खां, नवाब	शाहजहांपुर
महमूदुल हसन अन्सारी, श्री	बिजनौर	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
राजा मोहम्मद, अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर	सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी	स्वरूप कुमारी बख्शी, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई	हरिश्चन्द्र, हरीशजी, श्री	बस्ती

संसद टीवी

बिहार विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल, 1988

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

देवरिया जनपद में प्रस्तावित साइट्रिक एसिड का कारखाना प्रारम्भ करने में विलम्ब का कारण

**1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में 25 करोड़ रुपए की लागत से साइट्रिक एसिड का कारखाना पिकअप या औद्योगिक विकास निगम के सौजन्य से लगाए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका आशय-पत्र कब दिया गया है ? और निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब का कारण क्या है ? क्या सरकार देवरिया जनपद के औद्योगिक पिछड़ेपन को देखते हुए इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

मुख्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

देवरिया जनपद में पिकअप द्वारा संयुक्त क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से साइट्रिक एसिड का कारखाना लगाया जाना प्रस्तावित है। इस उद्योग को लगाए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 9 अक्तूबर, 1986 को आशय-पत्र दिया गया था। परियोजना के क्रियान्वयन के कार्य-क्रमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार के विलम्ब की सम्भावना नहीं है। परियोजना को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने हेतु प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी की जा रही है।

प्रदेश में पशु पैठों एवं पशु मेलों के प्रान्तीयकरण की मांग

**2—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समाजवाद एवं क्षेत्रीय विकास के हित में पशुपैठ एवं पशु-मेलों का प्रान्तीयकरण करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

पशु पैठों एवं पशु मेलों के प्रान्तीयकरण का प्रश्न विचाराधीन है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में कतिपय सामानों के मूल्य में वृद्धि का औचित्य

*1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या उद्योग मन्त्री जी को जानकारी है कि प्रदेश में रेशमी वस्त्रों बनारसी साड़ियों और भदोही में निर्मित कालीनों के मूल्यों में आकस्मिक ढंग से 25 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? इनके मूल्यों पर नियन्त्रण के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

टांडा ताप विद्युत परियोजना में उत्पादन कार्य तथा योजना में व्यय धनराशि

*2—श्री मित्रसेन—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा ताप विद्युत परियोजना में उत्पादन कब तक शुरू हो जायगा और इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टांडा ताप विद्युत परियोजना (4×110 मे0वा0) की प्रथम इकाई मार्च, 1988 तक चालू हो जाने की आशा है। इसकी शेष तीन इकाइयों को क्रमशः 9/88, 3/89 एवं 9/89 तक चालू करने का लक्ष्य है। इस परियोजना पर जनवरी, 1988 तक लगभग 292 करोड रुपए की धन-राशि व्यय की जा चुकी है।

गंगा की धारा बदलने से कानपुर शहर पर प्रभाव

*3—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मन्त्री इस तथ्य से अवगत हैं कि गंगा की धारा बदलने में उन्नाव-कानपुर के मध्य शुक्लागंज स्थित दोनों पुल बेकार हो जाने की आशंका है क्योंकि गंगा की धारा का रुख मगरवारा की तरफ से बहने का है? क्या यह सही है कि गंगा का रुख बदलने से अब तक 16 गांव गायब हो चुके हैं? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उन्नाव-कानपुर के मध्य शुक्लागंज स्थित गंगा के दोनों पुलों में से एक रेलवे विभाग एवं दूसरा सार्वजनिक निर्माण विभाग का है, और इनकी सुरक्षा एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व उन्हीं विभागों का है। वर्ष 1945 से पूर्व गंगा नदी शुक्ला गंज स्थित रेल एवं सड़क पुल के ऊपर की ओर (कानपुर की ओर) दायें किनारे पर बहती थी, परन्तु इसके पश्चात नदी शनैः शनैः धारा बदल कर बायीं ओर अर्थात् शुक्लागंज की ओर बहने लगी। गंगा की धारा दायें किनारे से बायें किनारे पर बदलने के फलस्वरूप रेलवे विभाग ने सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की को सुझाव हेतु सन्दर्भ किया। सिंचाई अनुसन्धान संस्थान, रुड़की ने माडल अध्ययन के आधार पर रेलवे विभाग को रेलवे पुल के बायें गाइड-बन्द को 470 मीटर बढ़ाने की संस्तुति मार्च, 1978 में की। 19 जनवरी, 1984 की गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की बैठक में जब पुनः सिंचाई विभाग द्वारा रेलवे विभाग को ध्यान दिलाया गया, तब उनके प्रतिनिधि ने सूचित किया कि रेलवे विभाग इस समस्या से पूर्णतया अवगत है, तथा पुल की सुरक्षा हेतु आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त कार्यवाही करेगा। गंगा का रुख बदलने से तहसील उन्नाव के सात गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं।

गंगा नदी पर बैराज बनाने की योजना विचाराधीन है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उच्च न्यायालय में विचाराधीन राष्ट्रीयकृत मार्ग से उ0प्र0परिवहन निगम की बसों की वापसी

*1—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, राज्य सड़क परिवहन निगम, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 4042 आर0/डब्लू/87—1109 आर0डब्लू0/87, दिनांक 10 अगस्त, 87 के द्वारा 14 राष्ट्रीयकृत मार्गों के मुकदमें जो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं जिस पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें चल रही थीं, को वापस ले लिया है? यदि हां, तो तथ्य क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

राष्ट्रीयकृत मार्गों की अधिसूचनाएं नहीं अपितु मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 68—सी के अन्तर्गत प्रकाशित राष्ट्रीयकरण हेतु प्रस्तावित 14 योजनायें वापस ली गयी हैं।

उक्त योजनायें लगभग 10 से 20 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थीं और उनके विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई शासन द्वारा नियुक्त श्रवणाधिकारी (संयुक्त विधि परामर्शी) के सम्मुख उक्त अधिनियम की धारा 68-डी(2) के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित स्थगन आदेशों के कारण लम्बित थीं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी 5-6 योजनायें लम्बी अवधि से अधिनियम की धारा 68-डी(2) के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण न हो पाने और इस मध्य योजना से सम्बन्धित मार्गों में हुए परिवर्तन/विस्तार आदि भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विखंडित कर दी गयीं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त 14 योजनाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभीनवीकृत कर प्रकाशित किए जाने के उद्देश्य से वापस लिया गया है।

फैजाबाद जनपद के कतिपय ग्रामों में जल प्लावन की समस्या

*2--- श्री मित्रसेन---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद का विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर झीली नालों तथा तालाबों की बाहुल्यता के कारण जल-भराव से बुरी तरह प्रभावित रहता है तथा प्रति वर्ष जन-धन की क्षति का प्रकोप रहता है? यदि हां, तो जल-भराव की स्थिति को समाप्त करने के लिए जल निकासी की कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी और उसे शीघ्र लागू कर कृषि क्षेत्र में होने वाली भारी क्षति के बचाव की भारी प्रभावी कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह---

प्रश्नगत क्षेत्र में केवल अधिक वर्षा या क्षेत्र की नदियों में बाढ़ आ जाने की दशा में ही जल-प्लावन की समस्या होती है। जल-प्लावन की समस्या के निदान हेतु इस क्षेत्र में 139कि0मी0 लम्बाई में नालों का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें से 61 कि0मी0 नालों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 78 कि0मी0 लम्बाई में नालों के निर्माण की योजना राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना 'सेक्टोरियल' तथा जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

हिण्डलको प्रतिष्ठान रेनूकोट, मिर्जापुर पर राज्य विद्युत परिषद् का बकाया धन तथा वसूली की मांग

*3---श्री गौरी शंकर भइया तथा डा0 शिवानन्द नौटियाल---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 'हिन्डालको' प्रतिष्ठान रेनूकोट पर राज्य सरकार का कितना बिजली खर्च होता है? 'हिन्डालको' प्रतिष्ठान पर 10 फरवरी, 88 तक राज्य विद्युत परिषद् का कितना धन बकाया है? क्या सरकार हिन्डालको पर बकाए धन को वसूल करेगी, यदि हां, तो यह वसूली कब तक की जायगी?

श्री वीर बहादुर सिंह---

हिन्डालको प्रतिष्ठान रेनूकोट को प्रतिमाह 20,000 किलोवाट (सामान्य आपूर्ति) एवं 60,000 किलोबाट (स्टैंडबाई एवं आपातकालीन आपूर्ति) विद्युत् भार स्वीकृत है किन्तु 20,000 किलोवाट के स्थान पर पावर-कट के कारण इस समय मात्र 5,000 किलोवाट ही बिजली दी जाती है। इस स्वीकृति के तहत हिन्डालको अपनी आवश्यकता के अनुसार औसतन 3.3 मिलियन यूनिट बिजली खर्च कर सकता है। वर्ष 1986-87 में सामान्य विद्यत आपूर्ति 37.43 मिलियन यूनिट की गयी। यदि प्रतिमास विद्युत उपभोग इससे अधिक हो अथवा जब रेनुसागर पावर कम्पनी के विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप हिन्डालको विद्युत आपूर्ति परिषद् से लेता है तो 60,000 किलोवाट के स्टेन्डबाई एवं आपाताकालीन स्वीकृत भार से उनकी आपूर्ति की जाती है और इसके अनुबन्ध के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में परिषद् ने 100.8 मिलियन यूनिट विद्युत् आपूर्ति की। इनका कम्प्यूटिंग वर्ष 30 जून से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 29 जून तक है।

हिन्डालको प्रतिष्ठान पर 10 फरवरी, 1988 तक राज्य विद्युत् परिषद् का रु0 893.67 लाख बकाया है जो विवादास्पद है जिसमें से रु0 274.29 लाख परिषद् के तथा रु0 619.38 लाख पंच निर्णय के विचाराधीन हैं। विवाद के निर्णयोपरान्त ही बकाए धन की वसूली नियमानुसार की जायगी।

ग्राम खोटा, तहसील दादरी, गाजियाबाद में ग्रामवासियों पर चलाई गयी गोली तथा मकान गिराने की घटना की क्षतिपूर्ति की मांग

*4--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 जलाई, 87 को ग्राम खोड़ा, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद में थाना सेक्टर 24 तथा अन्य थानों की पुलिस ने नोएडा के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वहां के निहत्थे निवासियों पर गोली चलाई थी तथा उनके सैकड़ों मकानों को बिना कोई नोटिस दिए गिरा दिया था ? क्या यह सही है कि नोएडा ने ग्राम खोड़ की भूमि का कोई अधिग्रहण अभी नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या गोली चलाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई मुकदमा किसी थाने में कायम हुआ ? क्या शासन अवैधानिक रूप से गिराए गए मकानों की क्षतिपूर्ति करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। दिनांक 26 जलाई, 1987 को प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारियों तथा नोएडा में कार्यरत कुछ पुलिसकर्मी ग्राम खोड़ा गए थे जिनके द्वारा ग्राम की हरित पट्टी में किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण को रोकने का प्रयास किया गया था। किसी भी व्यक्ति पर अधिकारियों ने कोई गोली नहीं चलाई और न ही बिना कोई नोटिस दिए मकानों को गिराया गया। केवल अनाधिकृत व अस्थायी निर्माण को रोका व हटाया गया।

ग्राम खोड़ा की भूमि के अर्जन की कार्यवाही विधि के अनुसार की जा रही है।

किसी अधिकारी ने कोई गोली नहीं चलाई। कुछ ग्रामवासियों द्वार नोएडा के अधिकारीगण तथा पुलिस के विरुद्ध थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया जो विवेचना के बाद जुर्म के प्रमाणित न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

अस्थायी व अनाधिकृत निर्माण को हटवाया गया। अतः क्षतिपूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

[बुधवार दिनाक 6 अप्रैल, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री हृदय नरायन दीक्षित--
(8वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

*2--श्री रघुवर दयाल वर्मा--
(6वें बुधवार में ता0प्र0सं0 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*3--श्री सरदार सिंह--
(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय एवं जलीय परियोजनाएं

*4--कुवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कौन सी तापीय एवं जलीय-परियोजनायें निर्माणाधीन हैं और इनके कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस समय प्रदेश में टांडा (4×110 मे0वा0) तथा ऊंचाहार (2×210 मे0वा0) की तापीय परियोजनायें एवं खारा, श्रीनगर, मनेरी भाली द्वितीय चरण, लखवार व्यासी, विष्णुप्रयाग, टिहरी बांध क्रमशः 3×24 मे0वा0, 6×55, 4×76, 3×100, 2×60, 3×120, 4×250 मेगावाट जल विद्युत परियोजनायें निर्माणाधीन हैं।

टांडा तापीय परियोजना की प्रथम इकाई मार्च, 1988 में चालू हो चुकी है तथा द्वितीय एवं तृतीय इकाई 1988-89 में एवं चतुर्थ इकाई 1989-90 एवं ऊंचाहार की दोनों इकाइयां 1988-89 में एवं खारा 1989-90, श्रीनगर, मनेरीभाली (द्वितीय चरण), लखवार व्यासी 1994-95 तथा विष्णुप्रयाग, टिहरी बांध (प्रथम चरण) 1996-97 में पूरी होने की सम्भावना है।

फैजाबाद में वाहनों में अधिक सवारियों के बैठने से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि

*5--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में और विशेषकर फैजाबाद शहर तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में सड़कों पर वाहनों में निर्धारित मात्रा से कई गुना अधिक सवारियों के बैठाने के प्ररिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है और जनवरी, 88 में केवल फैजाबाद में दो दर्जन से अधिक लोगों की मृत्य सड़क दुर्घटनाओं में हुई है? यदि हां, तो इसके लिए-कौन दोषी है और इन दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बलिया जनपद में ठोकरें बनाने की मांग

*6--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या सकार बलिया जनपद में गंगा कटान को रोकने के लिए ग्राम चयन छपरा पर प्रयोग के तौर पर जो ठोकर बना रही थी उनकी सफलता को देखकर शेष ठोकरों को तुरन्त पूरा करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। जिस क्षेत्र को बचाने के लिए ठोकरों को बनाने का प्रस्ताव था वहां कटान नहीं है और नदी की धारा वहां से दूर हो गयी है।

*7--श्री सूर्य प्रताप शाही--

[दिनांक 2-3-88 को ता0प्र0सं0- 20 द्वारा उत्तरित]

बांदा नगरपालिका द्वारा पावर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त वसूली की नोटिस

*8--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगरपालिका के पावर उपभोक्ताओं से 10 रुपए प्रति हार्स-पावर वार्षिक दर से 1952 से अब तक की वसूली की नोटिस वर्ष 1985 में जारी की गयी है? यदि हां, तो इसका आधार क्या है? क्या मन्त्रीजी यह भी बतायेंगे कि इस प्रकार की वसूली की नोटिस प्रदेश की ओर से किन-किन नगरपालिकाओं ने जारी की है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रस्तावित पयस्वनी नहर परियोजना करवी, बांदा की स्वीकृति

*9--श्री राम सजीवन--

क्या मुख्य मन्त्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील में प्रस्तावित पयस्वनी नहर परियोजना पर मध्य प्रदेश और केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मिल गयी है? यदि नहीं, तो स्वीकृति प्राप्त करने और योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई? क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच सहमति प्राप्त करने के लिए सतना जिले और बांदा जिले के लोक सभा सदस्यों तथा सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र एवं बांदा जिले के करवी और मानिकपुर क्षेत्र में विधान सभा सदस्यों की संयुक्त बैठक शीघ्र आयोजित करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह--
जी नहीं।

पयस्वनी नदी के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मध्य 1977 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार मिलने वाले पानी के आधार पर योजना बनाकर केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गयी। केन्द्रीय जल आयोग ने जल के उपलब्धता के आंकड़ों से सहमति व्यक्त नहीं की। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आंकलित जल उपलब्धता के आधार पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच पानी का बंटवारा पुनः होना है, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है, परन्तु वे 1977 के अन्तर्गत हुए समझौते के अनुसार ही बामबिया स्थल पर अपना प्रतिभाग लेने पर अडिग है और 1977 के समझौते को पुनरीक्षित करने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रयास जारी है।

उत्तर प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश के माननीय सदस्यों व विधायकों के साथ बैठक कराना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता। विकल्प स्वरूप इस प्रकरण को मध्य क्षेत्रीय परिषद्, जिसके अध्यक्ष गृह मन्त्री, भारत सरकार हैं तथा दोनों प्रदेशों के मुख्य मन्त्री इसके सदस्य हैं, के समक्ष लाया जाना प्रस्तावित है।

तापीय विद्युत् गृह कासिमपुर, अलीगढ़ की इकाइयों में निर्धारित उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन का कारण

*10--श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तापीय विद्युत गृह कासिमपुर (अलीगढ़) की विभिन्न इकाइयों में निर्धारित क्षमता से कितना कम विद्युत उत्पादन हो रहा है? इस कम उत्पादन का क्या कारण है? अधिकतम सम्भव उत्पादन क्षमता क्या है और इसे कब तक पूरा कर लिया जावेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कासिमपुर (अलीगढ़) में हरदुआगंज ताप विद्युत गृह के अन्तर्गत अ, ब एवं स तीन विद्युत गृह आते हैं। उक्त तीनों विद्युत गृहों की निर्धारित उत्पादन क्षमता में से अप्रैल, 87 से मार्च, 88 तक 9.9 प्रतिशत उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है। यह लक्ष्य 'अ' एवं 'ब' विद्युत गृहों में प्राप्त नहीं किया जा सका जबकि 'स' विद्युत गृह में लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ। उक्त दोनों 'अ' एवं 'ब' विद्युत गृहों में कम उत्पादन के कारण तथा अधिकतम सम्भव उत्पादन क्षमता व उसको पूरा करने हेतु स्थिति निम्न प्रकार है--

<u>कम उत्पादन के कारण</u>

'अ' विद्युत गृह :--

1--सही गुणवत्ता का कोयला आपूर्ति न हो सकने के कारण।

2--जान थामसन बायलर की क्षमता क्षय हो जाने के कारण।

'ब' विद्युत गृह :--

1--दोनों रशियन इकाइयां एवं दोनों बी0एच0ई0एल0 इकाइयों के दाब संयन्त्रों के क्षयग्रस्त होने के कारण।

2--इकाई 3 एवं 4 के 3/3ए टरबाइन एल0पी0 स्टेज के ब्लेड शेड्ड आफ होने से।

3--इकाई नं0 4 जून, 87 से मेजर ओवर होइलिंग एवं नवीनीकरण के कार्य के लिए बन्द होने के कारण।

उत्पादन क्षमता

'अ' विद्युत गृह:--

1--वर्तमान में अधिकतम सम्भव उत्पादन क्षमता 30 मेगावाट है। यह इंगलैन्ड और जापान से मिले स्पेयर्स की आपूर्ति और रख-रखाव के बाद एवं उचित कोयला क्वालिटी आपूर्ति के बाद लक्ष्य संभवत: पूरा किया जा सकता है।

2--पुराने चार जे0ई0 वाष्पकों के स्थान पर नए वाष्पकों को लगाने का प्रस्ताव योजना आयोग में स्वीकृति हेतु प्रेषित है और उनको अधिष्ठापित करने के पश्चात उत्पादन क्षमता 3×30 मेगावाट बढ़ जायेगी।

'ब' विद्यत गृह:--

1--इकाई नं0 1 एवं 2 की अधिकतम संभावित क्षमता 50--50 मेगावाट है। बायलर के दाब भागों के प्रेशर पार्ट्स पूरी तरह नवीनीकरण तथा क्षयग्रस्त दाब संयन्त्रों के बदलने के बाद प्राप्त की जा सकेगी।

2--इकाई नं0 3 की अधिकतम संभावित क्षमता 55 मेगावाट है जो मेजर ओवरहालिंग एवं क्षयग्रस्त दाब संयन्त्रों के बदलने पर एवं टरबाइन के 3/3 ए0के0 बलेड्स लगाने के बाद प्राप्त की जा सकेगी।

3--इकाई नं0 4 की अधिकतम संभावित क्षमता 55 मेगावाट है जो मेजर ओवरहालिंग एवं नवीनीकरण के बाद संभवत: अप्रैल, 88 के अन्तिम सप्ताह में चालू होने पर प्राप्त की जा सकेगी।

नए उद्योगों को बिजली कनेक्शन देने की मांग

*11--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नए उद्योगों को बिजली कनेक्शन दिए जाने पर लगी रोक को कब से हटाया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

100 हार्स-पावर तक के समस्त नए उद्योग, समस्त कोल्ड स्टोरेज, आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिन्कस की फैक्ट्रीज को विद्युत अधिभार अवमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शेष नए उद्योगों को अधिभार अवमुक्त करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

पी0एम0डी0 वर्कशाप, उ0प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मांग

*12--श्री हर्ष वर्धन--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पी0एम0डी0 वर्कशाप, गोरखपुर में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार वेतन देने की मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पी0एम0डी0 वर्कशाप, गोरखपुर में कार्यरत किसी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार वेतन देने की मांग नहीं की है। उन्हें दिनांक 22-10-86 से रु0 16.90 पैसे प्रतिदिन की दर से वेतन दिया जा रहा है।

लाटरी द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने का औचित्य

*13--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि स्वत: शिक्षित रोजगार योजना के अन्तर्गत लाटरी द्वारा ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या बेरोजगारी दूर करने के लिए आवश्यकता और योग्यता के आधार पर ही ऋण स्वीकृत कराने की नीति निर्धारित की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। आवश्यकता से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों का केवल साक्षात्कार हेतु चयन, लाटरी द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी दूर करने के लिए योग्यता और आवश्यकता के आधार पर ही ऋण स्वीकृत करने की नीति पूर्ववत: निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

*14--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

आजमगढ़ में घाघरा कैनाल द्वारा पानी आपूर्ति न होने से क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति

*15--श्री विष्णु देव--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में घाघरा कैनाल द्वारा इस वर्ष सिंचाई के समय पानी न मिलने के कारण घाघरा कैनाल तथा उसकी शाखाओं उप शाखाओं के किनारे सैकड़ों ग्रामों की हजारों एकड़ फसल सूख गयी है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी सिंचाई के अभाव में सूखे से नष्ट होने वाली फसल सम्बन्धी खेती की सिंचाई माफ करने तथा क्षति का मुआवजा देने का कष्ट करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद आजमगढ़ में दोहरीघाट पम्प नहर है, जो घाघरा नदी से पानी उठाकर निकाली गयी है। घाघरा कैनाल नाम से कोई नहर नहीं है।

दोहरीघाट पम्प नहर व उसकी शाखाओं में खरीफ व रबी 1395 में पानी की कमी नहीं रही। नहरों के किनारे नहरी क्षेत्र में कहीं भी फसल नहीं सूखी है। इस वर्ष दोनों फसलों में गत वर्षों से अधिक सींच हुई।

अत: लगान माफ करने एव क्षति का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग द्वारा किसानों को नए कनेक्शन में छूट

*16--श्री राज किशोर सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वेसू (वाराणसी इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण अंचलों के किसानों को पम्पिंग सेट के लिए बिजली कनेक्शन देने के लिए किसी प्रकार की कोई छूट का प्राविधान है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्रामीण अंचलों के किसानों के निजी पम्पिंग सेट के कनेक्शनों पर सामान्यत: कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अत: छूट का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मानपुर, हरदोई में विद्युत दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अहेतुक आर्थिक सहायता की मांग

*17--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि 2 अक्तूबर, 86 को विद्युत दुर्घटना में ग्राम मानपुर, जनपद हरदोई के 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो इन मृतकों के आश्रितों को अब तक आर्थिक सहायता न दिए जाने के क्या कारण है? क्या ऊर्जा मन्त्री जी ने गत सत्र में आश्वासन दिया था कि इन मृतकों को आर्थिक सहायता मुआवजा शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायगा? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक हो जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह---
जी हां।

मृतकों के आश्रितों को 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति मुआवजा दिए जाने हेतु आवश्यक आदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा किए जा चुके हैं।

सिंचाई विभाग में विभागीय प्रोन्नति के अभाव में मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ताओं के रिक्त पद

*18---डा0 दिनेश जौहरी--
क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश भर में सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ताओं व अधीक्षण अभियन्ताओं के कितने पद विभागीय पदोन्नतियां न होने के कारण कितने समय से रिक्त हैं? पदोन्नतियां न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह---
इस समय सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक) स्तर-1 तथा मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) स्तर-2 के समस्त पद भरे हुए हैं। सम्प्रति मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-2 के 10 पद, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 9 पद तथा अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के 16 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण संलग्न है।

मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-2 तथा अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों की रिक्तियां चयन वर्ष 1987-88 की हैं। ज्येष्ठता सम्बन्धी विवाद तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए इन पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) की रिक्तियां चयन वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 व 1987-88 की हैं, अप्रैल/मई, 1986 में अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) की 1984-85 तथा 1985-86 की 6 रिक्तियों के लिए चयन किया गया लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1740/83 इस चयन के आधार पर रिक्तियों को नहीं भरा जा सका। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 7-8-87 को पूर्व पारित अन्तरिम आदेश संशोधित कर दिया है। अतः प्रश्नगत पदों पर तदनुसार प्रोन्नतियां करने की कार्यवाही की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 171 पर)

*19---श्री नरेन्द्र सिंह यादव---
[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

कतिपय वर्षों में सरकार द्वारा खोले गये रबी क्रय केन्द्रों की संख्या तथा क्रय केन्द्र स्थापित करने की नीति

*20---श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी---
क्या खाद्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रबी वर्ष 86-87 की तुलना में रबी वर्ष 87-88 में गेहूं के क्रय केन्द्र कितने और बढ़ाये गये हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार की यह नीति है कि किसी भी किसान को गेहूं विक्रय करने के लिए दस किलो मीटर से अधिक नहीं जाना पड़ेगा, व्यवहृत हो रही है?

श्री हुकुम सिंह---
रबी वर्ष 1986-87 में खोले गए कुल 5,714 क्रय केन्द्रों की तुलना में रबी वर्ष 87-88 में कुल 5,929 क्रय केन्द्र खोले गए, इस प्रकार रबी वर्ष 87-88 में 215 क्रय केन्द्र और खोले गए।

क्रय केन्द्र स्थापित करते समय यह ध्यान रखा गया है कि कृषकों को गेहूं विक्रय करने के लिए यथासम्भव 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--
(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

2--श्री चन्द्र भान मौर्य--
(8वें सोमवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

3-4--श्री चन्द्र भान मौर्य--
(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

श्री अंग बहादुर सिंह बुकिंग क्लर्क, उ0 प्र0 रा0 सं0 परिवहन निगम भानपुर, बस्ती के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

5--श्री राम शरण दास--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुकिंग क्लर्क, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (श्री अंग बहादुर सिंह) भानपुर, जनपद बस्ती में गत 15 वर्षों से अपने ग्राम में ही नियुक्त है? क्या सरकार को इसकी भी जानकारी है कि इस कर्मचारी के विरुद्ध थाना सानेहा जनपद बस्ती में गत 3 वर्ष से कितने अपराधिक मुकदमें दर्ज हुए हैं और कितने न्यायालय में विचाराधीन हैं? क्या मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि श्री सूर्य नरायण पाण्डेय निवासी भानपुर बाबू के शिकायती-पत्र दिनांक 24-4-87 तथा 17-11-87 प्राप्त हुआ है जिनमें कर्मचारी के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाए गए हैं? यदि हां, तो इस बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध विभागीय क्या कार्यवाही हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ओ0 पी0 गुप्ता चतुर्थ अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही तथा की गयी अनियमितताओं का विवरण

*6--श्री फूल कुंवर--

क्या सिंचाई मन्त्री, श्री वी0के0 सिंह, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, सिंचाई अनुभाग-10 के अ0शा0प0सं0 7046/87-23 सि-10-300/87, दिनांक 8-12-87 के पत्र के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड मुरादाबाद के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता श्री ओ0पी0 गुप्ता चतुर्थ द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विषय में प्रश्नकर्ता द्वारा सिंचाई सचिव, उ0प्र0 शासन को लिखे गए शिकायती पत्रों क्रमशः 30-7-87, 31-8-87 तथा 11-11-87 के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने अपना स्पष्टीकरण और अधीक्षण अभियन्ता (श्री जगत राम राणा) ने इस सम्बन्ध में अपनी कोई आख्या/संस्तुति शासन को भेजी है? यदि हां, तो क्या?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

जी नहीं। शासन में प्रश्नगत स्पष्टीकरण व अधीक्षण अभियन्ता की आख्या तथा संस्तुति सम्बन्धित अधिकारियों से व उचित माध्यम द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

7--श्री फूल कुंवर--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह भी जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड मुरादाबाद के अधिशासी अभियन्ता, श्री ओ0पी0 गुप्ता (चतुर्थ) द्वारा सरकारी वाहन संख्या यू0टी0आई0 463 का निजी कार्यों में दुरुपयोग इस वाहन की लाग-बुक स्वयं न भरकर अपने

स्टेनो से हस्ताक्षर कराने और आवासीय टेलीफोन नम्बर 23412 पर की गयी निजी काल्स का माह नवम्बर, 86 में लगभग 4000 रु0 का बिल भी सरकारी खजाने से भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में वर्तमान जिलाधिकारी, मुरादाबाद को भी शिकायती-पत्र दिनांक 15-9-87 तथा 19-11-87 को व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किए हैं ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

शासन में माननीय सदस्य के दोनों प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुए हैं परन्तु जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने इन पत्रों की प्राप्ति के बारे में अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रश्नगत मामले की जांच करके आख्या व संस्तुति शासन को प्रेषित करने का आदेश दिया जा चुका है।

8---श्री फूल कुंवर---

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बतायेंगे कि अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता, श्री ओ0पी0 गुप्ता ने इस खण्ड में अपनी तैनाती की तिथि से 29 फरवरी, 88 तक की अवधि में कहां-कहां दौरा कब-कब किया तथा कब-कब रात्रिवास (नाइट-हाल्ट) किया तथा अब तक टी0ए0 एवं डी0ए0 के रूप में कितना धन प्राप्त किया है ? क्या अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल मुरादाबाद ने उक्त अधिशासी अभियन्ता के टूर प्रोग्रामों और सरकारी वाहन संख्या यू0 टी0 आई0 463 की लाग बुक का परस्पर मिलान करके श्री ओ0 पी0 गुप्त के यात्रा भत्ता बीजक पारित किये है ? यदि हां, तो क्या कोई अन्तर मिला और इस भिन्नता के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

प्रश्नगत मामले की जांच कराई जा रही है ?

9---श्री अमिताभ अनिल दुबे---

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

गाजीपुर में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की स्थिति

10---श्री अमिताभ अनिल दूबे---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में अब तक कितनी औद्योगिक इकाइयों का स्थायी पंजीकरण हो चुका है ? इन स्थायी पंजीकृत इकाइयों में से कितनी ठीक चल रही ह।कितनी बन्द हो चुकी हैं ? कितने की स्थिति ठीक नहीं है ? सरकार बीमार अथवा बन्द हो चुकी इकाइयों के सम्बन्ध में क्या प्रभावी कदम उठाने जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जनपद गाजीपुर में अब तक 1776 औद्योगिक इकाइयों का स्थायी पंजीकरण किया जा चुका है।

इनमें से 1707 औद्योगिक इकाइयां ठीक से चल रही हैं।

45 औद्योगिक इकाइयां बन्द हो चुकी हैं।

24 औद्योगिक इकाइयों की स्थिति ठीक नहीं है।

बीमार अथवा बन्द इकाइयों के पुनर्वासन हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में यह पता लगाया जायगा कि इकाइयां किन कारणों से बीमार हैं और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास किया जायगा। यदि इकाई वित्तीय कारणों से बीमार हैं और पुनर्जीवित हो सकती है, तो उनके मामलों पर सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं तथा शासन द्वारा चलाई जा रही बीमार इकाइयों की मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान कराये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

पन्हाई बांध, ब्लाक मानिकपुर जनपद बांदा का निर्माण कार्य

11—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के मानिकपुर ब्लाक में पन्हाई बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था और अब तक इस पर कितना धन व्यय किया जा चुका है तथा उसका कार्य कब से किन कारणों से बन्द बड़ा हैं ? क्या वर्तमान सूखे की स्थिति को देखते हुए मन्त्री जी इसका निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ करने के आदेश करेंगे तथा यह भी बतायेंगे कि इसका निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बांदा जनपद के मानिकपुर ब्लाक के अन्तर्गत पन्हाई टैंक का निर्माण कार्य वर्ष 1979 में डी0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत आरम्भ किया गया था। इस बांध के निर्माण कार्य पर वर्ष 84-85 तक डी0पी0ए0पी0 में उपलब्ध धन 33.25 लाख रुपए का उपयोग किया गया, तदोपरान्त डी0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इस योजना को बन्द कर देना पड़ा।

अब इस योजना को राज्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कराने की कार्यवाही की जा रही है। तथा योजना की स्वीकृति एवं धन उपलब्ध हो जाने पर यह कार्य लगभग दो वर्ष में पूर्ण किया जा सकेगा।

12—श्री सरदार सिंह—

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

13—श्री राज किशोर सिंह—

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के क्रय केन्द्र लालूखेड़ा, शामली जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध थाने में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट

14—श्री राज किशोर सिंह—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 2 व 4 जून, 86 को क्रमशः एस0एफ0सी0 के मुजफ्फरनगर जनपद अन्तर्गत झिझाना रोड, शामली एवं लालू खेड़ा स्थित गेहूं क्रय केन्द्र पर कर्मचारियों द्वारा की जा रही बोरी की चोरी, गेहूं की चोरी व धांधली के खिलाफ किसान सभा के कार्यकर्ताओं सर्वश्री धर्मवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह, इन्द्र सिंह, निरंजन सिंह, चन्द्रपाल सिंह ने कार्यवाही हेतु सी0ओ0, शामली को सूचित किया था और बाबरी में अन्तर्गत धारा 420/467 आई0पी0सी0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई और फलतः क्रय केन्द्र सहायक निरीक्षक कुंवरपाल रंगे हाथों पकड़ा गया और 24 घंटे के अन्तर्गत थाने से छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने और क्रय केन्द्रों पर चोरी, धांधली व भ्रष्टाचार रोकने के लिए शासन की ओर से कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के मुजफ्फरनगर जनपद के क्रय केन्द्र झिझाना रोड, शामली के किसी कर्मचारी के विरुद्ध सी0ओ0, शामली को दिनांक 2 जून, 86 को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। बल्कि लालू खेड़ा क्रय केन्द्र पर एस0एफ0सी0 के कर्मचारियों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी के सम्बन्ध में सर्वश्री धर्मवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह आदि ने थाना बाबरी में अन्तर्गत धारा 420/467 आई0पी0सी0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 4 जून, 86 को अंकित कराई जिसके सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 30 पंजीकृत किया गया। इस केन्द्र पर कुंवर पाल नाम का कोई सहायक निरीक्षक कार्यरत नहीं था और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम अंकित था। अतः उसे रंगे हाथों पकड़ कर 24 घंटे के अन्तर्गत थाने से छोड़ दिए जाने का प्रश्न

नहीं उठता। प्रश्नगत मामले में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई परन्तु न्यायालय ने इस अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। बल्कि अन्तिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेकर न्यायालय ने अभियुक्तगण को तलब किया है। न्यायालय में अभियुक्तगण उपस्थित हो चुके हैं। लालू खेड़ा क्रय केन्द्र पर नियुक्त एस0एफ0सी0 स्टाफ की सेवाय सीजनल थीं, अतः उनकी सेवायें पहले ही समाप्त कर दी गयी थीं। क्रय केन्द्रों पर प्रभावी नियन्त्रण रखने तथा नियमित निरीक्षण करने के लिए निगम द्वारा समय-समय पर आदेश निर्गत किए गए हैं। चूंकि प्रश्नगत मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय ग्रा0 निदिउरा, पो0 काशीपुर, वाराणसी की विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु का मुआवजा

15--श्री राज किशोर सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र श्री प्रभुनरायन उपाध्याय नि0 ग्राम निदिउरा, पो0 काशीपुर, वाराणसी जिनकी बिजली कर्मचारियों की लापरवाही से विद्युत स्पर्शाघात से दिनांक 21 जून, 84 को मृत्यु हो गयी थी, के मुआवजे के लिए वाराणसी मंडल के चीफ अधिशासी अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद्, वाराणसी ने कार्यवाही करके 2 जुलाई, 86 को राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ या शासन को भेजा था और 24-3-87 को स्मरण पत्र भेजा गया था? यदि हां, तो मृतक के परिवार को कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। उक्त सन्दर्भित पत्र राज्य विद्युत परिषद में प्राप्त हो गया था। मृतक के आश्रितों को रु0 10,000 अनुग्रह क्षतिपूर्ति की स्वीकृति परिषदाज्ञा संख्या-40 इ0ए0/एस0ई0बी0, दिनांक 5 जनवरी, 1988 के द्वारा कर दी गयी है।

विद्युतीकृत ग्राम देवखेरा जमुनिहा, बांदा में टूटे खम्भे तथा तार को ठीक कराने की मांग

16--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा, तहसील नरैनी के ग्राम देवखेरा जमुनिहा चौहार में विद्युतीकृत होने के बावजूद भी खम्भों तथा तारों के टूट जाने से विद्युत व्यवस्था गड़बड़ हो गई है? यदि हां, तो यह कब तक ठीक करा दी जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बांदा जनपद के अतर्रा ब्रांच में कबौली ग्राम के निकट झाल निर्माण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

17--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 28-8-87 का पत्रांक संख्या ए/2/सिंचाई/87, बांदा जनपद के केन नहर अतर्रा ब्रांच में कबौली ग्राम के पास झाल निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? क्या किसानों की सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखकर उपरोक्त स्थान पर झाल के निर्माण हेतु सर्वे कराकर तथा विस्तृत डिजाइन एवं प्राक्कलन तैयार करके झाल का निर्माण कराया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

प्रार्थना-पत्र पर जांच कराई गयी। इस क्षेत्र में सींच अतर्रा ब्रांच के कुलाबा नं0 21, 22, 23 व 24 से होती है। इन चारों कुलाबों का कृषि योग्य क्षेत्र 581 एकड़ है तथा सिंचाई

हेतु प्रस्तावित क्षेत्र क्रमशः खरीफ में 239 एकड़ तथा रबी में 171 एकड़ कुल 410 एकड़ है। इसके विरुद्ध पिछले पांच वर्षों में औसत सींच क्रमशः खरीफ में 468 एकड़ तथा रबी में 259 एकड़ है, जोकि प्रस्तावित सींच से अधिक है। अतः झाल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बांदा जनपद में पनगरा स्केप निर्माण का कार्य

18--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की केन नहर में पनगरा स्केप बनाने के लिए शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो कब और कितनी ? अभी तक पनगरा स्केप बनाने का कार्य प्रारम्भ न करने की किस अधिकारी की जिम्मेदारी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पनगरा स्केप का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कर दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बांदा जनपद की केन नहर में पनगरा स्केप बनाने के लिए पृथक से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं है। इस स्केप पर निर्माण केन नहर पुनरोद्धार परियोजना के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 87-88 में इस स्केप के निर्माण हेतु केन नहर पुनरोद्धार परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी धनराशि में से 1.62 लाख की धनराशि का उपयोग करना प्रस्तावित था ?

इस स्केप के निर्माण हेतु जिस भूमि की आवश्यकता है उसके भूमि अध्यापन हेतु प्रकरण सम्बन्धित अधिकारी को माह मार्च, 1987 में प्रेषित किया जा चुका है एवं 1.62 लाख रु0 की धनराशि में से 0.80 लाख रुपए का भुगतान अग्रिम के रूप में भूमि अध्याप्ति कार्य के लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बांदा को किया जा चुका है। अभी भूमि का अध्यापन नहीं हो पाया है अतः जब तक भूमि अध्याप्त नहीं हो जाती है कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। भूमि अध्यापन होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो पायेगा।

ग्राम कालिंजर, जनपद बांदा में देशी शराब की एक दूकान के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

19--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 26-8-87 के पत्रांक संख्या ग-013473 के पत्र के साथ बांदा जनपद के थाना कालिंजर के ग्राम कालिंजर निवासी श्री सुखलाल का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें कालिंजर के देशी शराब के ठेके में नशीली दवायें तथा पानी मिलाकर शराब बेचने का उल्लेख है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी तथा श्री सुखलाल के उपरोक्त के सम्बन्ध में क्या बयान है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। इसकी ई0आई0बी0 से जांच कराई गयी। कालिंजर देशी शराब के ठेकों की शराब में जल मिश्रण के अलाव कोई अन्य नशीली दवा का अपमिश्रण नहीं पाया गया। जलमिश्रण के अपराध को 1000 रु0 में प्रशमित किया गया।

श्री सुखलाल ने बयान दिया है कि उसने अपने भतीजे से एक बोतल शराब मंगवायी थी, जिसमें उसमें से कुछ शराब निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया, जिससे शराब हल्की हो गयी और गुस्से तथा नशे की झोंक में उसने माननीय विधायक से शिकायत कर दी। श्री सुखलाल के अनुसार शिकायत से पहले और बाद में दुकान से अच्छी शराब मिलती रही है।

निर्माणाधीन पर्यटक आवास गृह तथा सूर्य कुण्ड सीतापुर की निर्माण कार्य की प्रगति

20--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या पर्यटन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरगांव जिला सीतापुर में निर्माणाधीन पर्यटक आवास गृह तथा सूर्य कुण्ड जीर्णोद्धार का कार्य कब प्रारम्भ हुआ ? कब तक पूरा होना प्रस्तावित था ? अब तक के निर्माण की प्रगति क्या है ? अब तक कुल कितना धन निर्माण में व्यय हो चुका है ? कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मार्गीय सुविधा (पर्यटक आवास गृह) हरगांव (सीतापुर) के निर्माण की योजना वर्ष 1979-80 में स्वीकृत हुई थी जिसका निर्माण कार्य मार्च, 1982 में प्रारम्भ किया गया तथा कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च, 1987 निर्धारित था ? भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना पर अब तक 9.00 लाख रुपए व्यय हो चुके हैं। अवशेष कार्य, पहुंच मार्ग एवं विद्युत कार्य, निकट भविष्य में पूर्ण होने की सम्भावना है।

सूर्य कुण्ड (हरगांव), सीतापुर के जीर्णोद्धार की योजना रुपये 9.53 लाख की स्वीकृत की गयी थी जिसका निर्माण कार्य मार्च, 1982 में प्रारम्भ किया गया था। इसके पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 1986 निर्धारित था। अब तक उक्त योजना पर रु0 7.06 लाख व्यय किया जा चुका है। योजना की अवशेष धनराशि रुपए 2,47,000 दिनांक 25-2-1988 को जिलाधिकारी, सीतापुर को उपलब्ध कराई जा चुकी है और आशा की जाती है कि कार्य शीघ्र पूरा किया जायगा।

होटलों को एक उद्योग घोषित करने की योजना तथा ऋण न देने का कारण

21--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या सरकार ने होटलों के व्यवसाय को एक उद्योग घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो अन्य उद्योगों की भांति इस उद्योग के लिए अभी तक ऋण व सबसिडी न देने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

जी हां।

उद्योग की भांति सुविधा दिए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

22--डाक्टर दिनेश जौहरी--

[5वें शुक्रवार में अता0प्र0सं0-63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

23--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

(दिनांक 16-3-88 को अता0प्र0सं0-9 द्वारा उत्तरित)

श्रीमती ज्योत्सना बैनर्जी कम्पाउन्डर, महिला चिकित्सालय बस्ती के अपने पुत्र की मृत्यु पर आर्थिक सहायता हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

24--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-6-86 जो कि श्रीमती ज्योत्सना बैनर्जी, कम्पाउन्डर महिला चिकित्सालय, बस्ती के पुत्र श्री प्रदीप कुमार बनर्जी के दुर्घटना में मृत्यु तथा आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में है, मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बांसी-इटवा मार्ग जनपद बस्ती में बसों का किराया कम करने की मांग

25—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में बांसी इटवा मार्ग की सड़क जो कि 'सी' टाइप से 'बी' टाइप की हो गयी है, पर क्या राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का किराया कम करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जिले में बांसी-इटवा मार्ग 'सी' श्रेणी का किराया 14.58 पैसे प्रति कि0मी0 प्रति यात्री के स्थान पर दिनांक 24-3-1988 से 'बी' श्रेणी का किराया 11.47 पैसे प्रति कि0मी0 प्रति यात्री की दर से चार्ज किया जा रहा है।

राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की गति सीमा

26—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चलाई जाने वाली यात्री बसों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो कितनी ? बसें निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से न चल सके इसके लिए क्या कोई यांत्रिक प्रबन्ध लागू है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

परिवहन निगम द्वारा चलायी जाने वाली बसों की गति सीमा 60 कि0 मीटर प्रति घंटा निर्धारित है। इस सीमा से अधिक न चलने के लिए स्पीड-कन्ट्रोल-डिवाइसयन्त्र परिवहन निगम की बसों में लगाया गया है।

तपोवन लघु विद्युत परियोजना चमोली का निर्माण कार्य

27—श्री बलराम यादव—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में तपोवन लघु विद्युत परियोजना का निर्माण कब तक पूर्ण किया जाना था ? क्या यह योजना पूर्व निर्धारित समय पर पूर्ण हो जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वार्षिक योजना 1987-88 के अनुसार जनपद चमोली में तपोवन लघु विद्युत परियोजना का निर्माण माह जुलाई, 1987 तक पूर्ण किया जाना था। इसकी एक काई द्वारा विद्युत उत्पादन परीक्षण के तौर पर प्रारम्भ किया गया। साथ ही दूसरी इकाई पर ही कार्य पूर्ण कर लिया गया और परीक्षण किए जा रहे थे कि अचानक 25-26 जुलाई, 1987 की भीषण बाढ़ ने परियोजना के फीडर और हेडवर्क्स को अति क्षतिग्रस्त कर दिया। क्षतिग्रस्त फीडर और हेडवर्क्स की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

जमुनापार, इलाहाबाद में शासन द्वारा स्वीकृत नलकूपों का निर्माण

28—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जमुना पार, इलाहाबाद में 50 नलकूप राजकीय एवं विश्व बैंक परियोजना के लगने थे एवं इनकी शासन से स्वीकृति भी हो गयी थी। यदि हां, तो यह नलकूप कब तक लगा दिए जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1987-88 में जमुना पार इलाहाबाद में 25 राजकीय नलकूप लगाए जाने के लिए स्वीकृत हैं। वर्ष 87-88 में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कोई नलकूप स्वीकृत नहीं है। 1-3-88 तक 12 राजकीय नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है। शेष 13 नलकूपों पर कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश में खोले गये गेहूं के क्रय केन्द्रों की संख्या

29—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 में कुल कितना गेहूं क्रय केन्द्रों से खरीदा गया और क्या यह भी सही है कि उस वर्ष प्रदेश में सभी जगहों पर क्रय केन्द्र नहीं खोले गए, जिससे कि किसानों को सही कीमत नहीं मिल सकी और बिचौलियों ने उनका शोषण भारी पैमाने पर किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

प्रदेश में 1986-87 में कुल 15,98,379 मी0 टन गेहूं मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीदा गया।

जी नहीं। क्रय केन्द्र यथा सम्भव इस प्रकार स्थापित किए गए कि किसानों को अपना गेहूं बेचने हेतु 10 किमी0 से अधिक दूर न जाना पड़े।

प्रश्न नहीं उठता।

ब्रह्मपुर, गोरखपुर के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

30—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम भवरही, भटियारा (विशुनपुरा) व डुमरी गांवों का विद्युतीकरण अब तक न करने के क्या कारण हैं ? क्या इसमें विद्युतीकरण शीघ्र करा दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम डुमरी का विद्युतीकरण वर्ष 1986-87 में कर दिया गया है। ग्राम भवरही एवं भटियारा (विशुनपुरा) का विद्युतीकरण जनपद विद्युत सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1987-88 के लिए चयन न किए जाने के कारण सम्भव नहीं हो सका है। यदि वर्ष 1988-89 के लिए समिति द्वारा उनका चयन कर लिया जाता है तो 1988-89 में इन ग्रामों के विद्युतीकरण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

उप निदेशक पशुपालन प्रक्षेत्र महानगर लखनऊ में वर्षवार विज्ञापित पदों में आरक्षित अभ्यर्थियों की संख्या

31—श्री राज किशोर सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के प्रथम गुरुवार के अता0प्र0सं0-146 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, पशुपालन प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ के यहां 1983, 84, 85 में क्रमशः विज्ञापित पदों के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के वर्षवार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने नियुक्त किए गए ? रिक्त आरक्षित पदों पर नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी ?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां। उप निदेशक, पशुपालन (प्रक्षेत्र) महानगर, लखनऊ के यहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन-पत्र का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है—

	अनु0 जाति	अनु0जनजति
1983	3	शून्य
1984	297	शून्य
1985	31	शून्य

उपरोक्त प्राप्त आवेदन-पत्रों के विपरीत वर्षवार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-

जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निम्न प्रकार की गयी----

	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति
1983	शून्य	शून्य
1984	5	शून्य
1985	5	शून्य

रिक्त 7 आरक्षित पदों के समक्ष निम्नांकित 6 पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं जो निम्न प्रकार हैं :--

1--ग्रुप तीन सहायक	2
2--कनिष्ठ लिपिक	2
3--चतुर्थ श्रेणी	1
4--ट्रैक्टर चालक	1
योग . .	6

आरक्षित शेष एक ट्रैक्टर चालक के पद पर नियुक्ति उपयुक्त अभ्यर्थी मिलने पर की जायगी ।

बैलन बकहर नहर, मिर्जापुर के प्लाट नं0-10 की पैमाइश

32--श्री राज किशोर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बैलन बकहर नहर, मिर्जापुर के लाट नं0 10 की नहर की चौड़ाई 6 मीटर कितनी ऊंचाई पर आती है ? इसकी पैमाइश क्या सिंचाई निर्माण खण्ड, मिर्जापुर द्वारा छोड़ दी गयी है ? क्या नहर की नाली से वायुड सहित मक 485 घ0मी0 निकलना दर्शाया गया है ? यदि हां, तो राक ब्लास्टिग की मात्रा 485 घ0मी0 क्यों नहीं दर्शायी गयी ? तली साफ कराए बगैर ही बिना लेबिल की इस अधूरी एवं अनियमित मापी के आधार पर पूर्व की सही मापी को प्रभावित करने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

परिकल्प के अनुसार बेलन बकहर नहर, मिर्जापुर के लाट सं0-10 (चैनेल 3560 से 3900 मीटर) में पूरी गहराई में तली की चौड़ाई 6 मीटर तथा साइड खड़ी (वरटिकल) रखी गयी थी ? अनुबन्ध की कंडिका 2-04 के प्राविधान के अनुसार मापी की गयी है। अतः परिकल्प के विपरीत खोदी गयी किसी मात्रा के मापों में समावेश करने का प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, चूंकि 19-1-80 को नहर के राक ब्लास्टिग की मापी पट्टी में सेक्शन से मक साफ कराकर ली गयी थी एवं इसके बाद यही 485 घ0मी0 (484.37 घ0मी0) ग्रास मक बाहर निकाला गया। इसकी पुनः राक ब्लास्टिग में गणना करने का प्रश्न नहीं उठता।

मापी के लिए प्रत्येक निर्धारित सेक्शनों पर एक पट्टी साफ करा ली गयी थी। इस पर जो लेबिल आई थी उस आधार पर मात्रा की गणना की गयी थी। वह पद्धति प्रचलित प्रथा एवं नियमानुसार है। सम्बन्धित मापी पूर्व के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा स्वीकार किए जाने एवं स्वीकृति देते समय माप पुस्तिका पर कोई आपत्ति न किए जाने पर यह माप विश्वसनीय मानी गई है।

श्री ए0 एन0 गुप्ता अधिशासी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 आगरा के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की रिपोर्ट

33--श्री विजय सिंह राणा--

द्वितीय सत्र 1987 के तीसरे शुक्रवार को निर्धारित अता0प्र0सं0--80 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए0एन0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता के कतिपय अनियमितताओं के सन्दर्भ में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर राज्य विद्युत परिषद द्वारा उन्हें निन्दा की प्रविष्टि कब दी गयी ? इस प्रविष्टि से उनकी सेवा व नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? श्री गुप्ता की कुल सेवा क्या है और उनकी नियुक्ति कब-कब कहां रही ? क्या यह सत्य है कि वह वास्तव में आगरा के ही रहने वाले हैं तथा उन्होंने गलत ढंग से अपना जन्म स्थान मध्य प्रदेश दिखाकर प्रारम्भ से ही आगरा में कार्यशील रहे हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री ए0एन0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता को निन्दा प्रविष्टि 22 जनवरी, 1986 के परिषदादेश द्वारा दी गयी। निन्दा प्रविष्टि की एक प्रति उनकी चरित्र-पंजिका में रख दी गयी है। जब कभी श्री गुप्ता की प्रोन्नति नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में विचार करने का समय आएगा, इनकी चरित्र पंजिका, सम्बन्धित विषय की विभागीय चयन समिति/सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जायगी जो श्री गुप्ता की चरित्र पंजिका के साथ-साथ उसमें रखी निन्दा प्रविष्टि का भी अवलोकन कर, गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेंगे।

श्री गुप्ता मार्टिन बर्न कम्पनी, आगरा के कर्मचारी थे। परिषद द्वारा उक्त कम्पनी को 18-12-73 को अधिगृहीत कर लिया गया। कम्पनी के अधिग्रहण के फलस्वरूप श्री गुप्ता सहायक अभियन्ता के पद पर परिषद की सेवा में संविलीन हुए।

इस प्रकार श्री गुप्ता परिषद की सेवा में गत 24 वर्षों से हैं। परिषद में इनकी नियुक्ति निम्न प्रकार से रही--

1--19-12-73 से 1-10-80 तक आगरा विद्युत प्रदेय उपक्रम में सहायक अभियन्ता सहायक अधिशासी अभियन्ता के पद पर।

2--1-10-80 से 18-6-82 तक आगरा विद्युत प्रदेय उपक्रम में अधिशासी अभियन्ता के पद पर रहे।

3--24-6-82 से 22-6-84 तक विद्युत वितरण खण्ड प्रथम मथुरा में अधिशासी अभियन्ता पद पर रहे।

4--20-6-84 से 12-6-86 तक विद्युत वितरण खण्ड, आगरा में तथा

5--12-6-86 से अब तक आगरा विद्युत प्रदेय उपक्रम में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं।

परिषद के अभिलेखानुसार श्री ए0एन0 गुप्ता का गृह जनपद पन्ना (म0प्र0) है। उन्होंने अपना गृह जनपद मध्य प्रदेश गलत दिखाया है इसकी कोई जानकारी परिषद को नहीं है। श्री गुप्ता की परिषद द्वारा आगरा में तैनाती परिषदीय कार्य-हित ध्यान में रखते हुए की गयी है। इस प्रकार श्री गुप्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम चिलौंडा, तह0 फूलपुर, इलाहाबाद के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

34—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चिलौड़ा, तह0 फूलपुर, जिला इलाहाबाद के किसानों की भूमि 20-1-78 में शारदा सहायक खण्ड 30 की नहरों के निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गयी थीं और सन् 1978 में ही खुदाई का कार्य भी पूरा हो गया था ? यदि हां, तो किसानों की भूमि का मुआवजा अभी तक न दिए जाने के क्या कारण हैं और उसके लिए कौन दोषी है ? क्या भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद ने मुआवजे का प्रस्ताव विशेष कार्याधिकारी, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के कार्यालय में 1-8-86 को ही भेज दिया था ? मुआवजा अदा करने में इतना अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ? मुआवजा कब तक दिलाया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

भूमि अध्यापित की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण प्रतिकर का वितरण नहीं हो सका है । इसके लिए कोई दोषी नहीं है ।

जी हां ।

धारा 4(1) की विज्ञप्ति का प्रकाशन हो चुका है तथा धारा 6 की अधिसूचना भूमि अध्याप्ति निदेशालय, सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 24-6-87 को निर्गत की गयी है। राजकीय गजट में प्रकाशन के बाद प्रतिकर प्रपत्र तैयार कर के भूमि प्रतिकर के वितरण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा की जायेगी ।

ग्राम गोपालीपट्टी, तह0 फूलपुर, आजमगढ़ में विद्युत बिलों में घोटाले विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

35—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम गोपाली पट्टी में विद्युत बिल के घोटाले से सम्बन्धित उन्हें कोई पत्र तथा प्रार्थना-पत्र पंजीकृत डाक सं0 3885 दिनांक 26-10-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के ग्राम गोपाली पट्टी के ग्रामीणों की ओर से पंजीकृत डाक सं0 3885 दिनांक 26-10-85 इस कार्यालय में दिनांक 31-10-85 को प्राप्त हुआ था जिसमें श्री रमाशंकर सिंह ग्राम गोपाली पट्टी के 10 आश्व शक्ति के कृषि औद्योगिक कनेक्शन के विद्युत बिल को अवैध रूप से माफ करने की शिकायत की गयी थी । परन्तु दिनांक 31-10-85 तक उक्त उपभोक्ता के किसी बिल को माफ नहीं किया गया था । श्री रमाशंकर सिंह के औद्योगिक कनेक्शन का विद्युत विच्छेदन बकाए के कारण दिनांक 14-12-80 को कर दिया गया था । श्री रमाशंकर सिंह ने दिनांक 27-6-84 को स्थायी सम्बन्ध विच्छेदन हेतु प्रार्थना पत्र ही दिया था, जिसपर छानबीन करने के पश्चात दिनांक 27-2-86 को स्थायी सम्बन्ध विच्छेदन था अन्तिम निस्तारण किया गया । विच्छेदन तिथि तक रु0 2862.56 पैसे देय पाया गया था, जिसका उपभोक्ता ने अभी तक भुगतान नहीं किया है तथा जिसकी वसूली हेतु धारा-3 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दी गयी है ।

यमुनोत्री धाम तक विद्युत विस्तार विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

36—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-10-87 उन्हें मिला है जिसमें कि यमुनोत्री धाम तक विद्युत विस्तार के लिए लिखा गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यमुनोत्री धाम तक विद्युत विस्तार के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है--

वर्तमान में यमुना घाटी में बड़कोट से यमुनोत्री धाम की दिशा में स्थानाचट्टी तक एक 11 के0वी0 लाइन बनी हुई है। विकास खण्ड नौगांव की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्थानाचट्टी से जानकी चट्टी तक उक्त 11 के0वी0 लाइन के 14 कि0मी0 विस्तार का प्रस्ताव है। इस कार्य में लगभग दो वर्ष लगने की सम्भावना है।

जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक विद्युत पहुंचाने के लिए लगभग 6 कि0मी0 लाइन का निर्माण करना होगा किन्तु इस लाइन के रास्ते में बड़े घने जंगल हैं और यह क्षेत्र सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। इन परिस्थितियों में तथा वर्तमान लागू वन नियमों के अनुसार इस लाइन का बनाना अत्यन्त कठिन है। वन विभाग द्वारा विद्युत विभाग को वन विभाग की भूमि उक्त कार्य के लिए प्रयोग करने की अनुमति भी आवश्यक होगी। मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग को यमुनोत्री धाम में सोलर ट्यूब लाइट लगाने हेतु सुझाव भी दिया गया है।

37--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

38--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

[7वें बुधवार में अता0प्र0सं0-47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

39--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

ग्राम कुई बाजार ब्लाक गोराबार, गोरखपुर का विद्युतीकरण

40--श्रीमती शारदा देवी--

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम व पो0कुई बाजार विकास खंड गोराबार, तहसील सदर, जिला गोरखपुर का ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है? यदि हां, तो उक्त गांव सभा में कितने विद्युत पोल लगाए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों और विद्युतीकरण कब तक पूर्ण होगा?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

उक्त गांव सभा में 9 (नौ) पोल लगाए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

41--श्रीमती शारदा देवी--

(दिनांक 4-3-87 को अता0प्र0सं0-71 द्वारा उत्तरित)

लखनऊ जनपद में पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु स्वीकृत धनराशि

42--श्री शारदा प्रताप--

क्या पशुधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए वर्ष 1987-88 में जिला योजना द्वारा स्वीकृत धनराशि रु0 8,12,000 निर्धारित कार्यों पर व्यय न करके पशु चिकित्सालयों के निर्माण में व्यय किया गया? यदि हां, तो जिन पांच पशु चिकित्सालयों को खोलने तथा एक चिकित्सालय को उच्चीकृत किए जाने का प्रस्ताव था उन्हें कब तक खोल/उच्चीकृत कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं। लखनऊ जनपद में पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए वर्ष 1987-88 में जिला योजना द्वारा स्वीकृत परिव्यय की 9,18,500 रु0 की धनराशि निर्धारित कार्यों पर ही व्यय की गयी। जिला योजना में पांच पशु चिकित्सालय के खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं था। एक पशु सेवा केन्द्र का उच्चीकरण करके 'द' श्रेणी पशु चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव था, जो कुम्हरावां में कर दिया गया।

43—श्री राम सागर राव—

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

पशुचिकित्सालय धानी, गोरखपुर चिकित्सक की मांग

44—श्री हर्ष वर्धन—

क्या पशुधन विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में विकास खण्ड धानी स्थित पशु चिकित्सालय पर कब से पशु चिकित्सक नहीं है? उक्त चिकित्सालय में कब तक पशु चिकित्सक नियुक्त कर दिया जायगा?

श्री हुकुम सिंह—

विभाग में पशुधन विकास अधिकारियों की कमी के कारण गोरखपुर जनपद में विकास खण्ड धानी स्थित पशु चिकित्सालय में दिनांक 16-7-85 से पशुधन विकास अधिकारी की पद-स्थापना नहीं की जा सकी थी। दिनांक 30-6-87 को उक्त चिकित्सालय में पशुधन विकास अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है जहां पर उन्होंने दिनांक 22-7-87 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

45—श्री हर्ष वर्धन—

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

46—श्री हर्ष वर्धन—

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

राजकीय परदाहा सूती मिल आजमगढ़ में कर्मचारियों की नियुक्ति

47—श्री विष्णु देव—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 99 के उत्तर के सन्दर्भ में उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1982 के पश्चात राजकीय परदाहा सूती मिल में जिस योग्यता के आधार पर 478 कर्मचारियों की भर्ती दूसरे जिलों के लोगों से की गयी क्या उस योग्यता के अभ्यर्थी आजमगढ़ जनपद में उपलब्ध नहीं थे? यदि हां, तो दूसरे जिले के लोगों की भर्ती का क्या औचित्य है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद के जिन अभ्यर्थियों ने नौकरी हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए थे उनमें से उपयुक्तता के आधार पर जो अभ्यर्थी साक्षात्कार/ट्रायल में चयन समिति द्वारा तुलनात्मक आधार पर उपयुक्त पाए गये उनकी नियुक्तियां मिल में की गयी थीं।

48-49—श्री बालेश्वर—

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

50—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

(दिनांक 30-12-87 को अता0प्र0सं0-134 द्वारा उत्तरित)

फैजाबाद में विद्युत आपूर्ति विषयक नागरिकों व अधिकारियों की बैठक

51--श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 28--8--87 को परगना अधिकारी, टांडा, जिला फैजाबाद की अध्यक्षता में नगर में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में नागरिकों व अधिकारियों की कोई बैठक हुई थी जिसमें उक्त सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पारित कर उसकी प्रतियां जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या प्रस्ताव पारित हुए थे ? क्या मन्त्री जी सम्बन्धित प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर में टिकट एवं केबिल घोटाला विषयक नेता विरोधी दल के पत्र पर कृत कार्यवाही

52--श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय नेता, विरोधी दल विधान सभा का पत्र संख्या 3758/नेविद/विस/87, दिनांक 31-12-1987 जो परिवहन निगम के अन्तर्गत नगर बस आजादनगर, कानपुर के टिकट एवं केबिल घोटाला काण्ड में दोषी पाए गये अधिकारियों को निलम्बित किए जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

53--श्री शारदानन्द अंचल--

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

बलिया जनपद के ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

54--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के कितने गांवों को अब तक विद्युतीकृत कर दिया गया है तथा कुल कितने गांव ऐसे शेष बचे हैं जहां लोगों के निवेदन के बाद भी ग्रामीण विद्युतीकरण की सुविधा नहीं दी जा सकी है ? क्या सरकार बलिया जनपद के सीयर और नगरा विकास खंडों के ग्रामीण विद्युतीकरण सुविधा न पाने वाले गांव की सूची बताते हुए उन्हें अविलम्ब विद्युतीकृत करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बलिया जनपद के फरवरी, 1988 तक 1403 ग्रामों का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार किया जा चुका है और 517 ग्रामों में विद्युतीकरण की सुविधा नहीं दी जा सकी है।

बलिया जनपद के सीयर और नगरा विकास खण्डों के ग्रामीण विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित ग्रामों की सूची संलग्न है। इनका विद्युतीकरण वार्षिक लक्ष्यों के अन्तर्गत जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयन एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना सम्भव हो सकेगा।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 172-173 पर)

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ के केन्द्रीयित सेवा के शब्द 'अमेलित' का तात्पर्य

55—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डेरी फेडरेशन में लागू केन्द्रीयित सेवा में शब्द 'अन्तिम रूप से अमेलित' और 'अनन्तिम रूप से अमेलित' का क्या तात्पर्य है ? अमेलित सदस्यों के चयन व पदोन्नति का क्या नियम है ? इसके सदस्यों पर कोई नियमावली भी लागू की गयी है ? यदि, हां तो कब से ?

श्री हुकुम सिंह—

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ और आपरेशन फ्लड द्वितीय परियोजना के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सहकारी दुग्ध संघों और सहकारी दुग्ध बोर्डों के प्रबन्धकीय पद पर कार्यरत अधिकारी "उ0प्र0 कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन और दुग्ध संघ केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1984" के प्रवर्तन के दिनांक अर्थात् 29 अगस्त, 1984 को उक्त नियमावली में अनन्तिम रूप से अमेलित सदस्य मान लिए गए तथा नियमावली के नियम संख्या 120(111) के अन्तर्गत दिनांक 15-9-84 को उक्त नियमावली के अन्तर्गत गठित प्रशासनिक कमेटी द्वारा अनन्तिम रूप से आमेलित सदस्यों को अनुवीक्षण के उपरान्त अन्तिम रूप से आमेलित किया गया है। केन्द्रीयित सेवा में अमेलित सदस्यों का उसी पद पर दुबारा चयन का प्रश्न ही नहीं उठता है। अमेलित सदस्यों की पदोन्नति उ0प्र0 सहकरी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 के विनियम संख्या-27 (III) के अन्तर्गत रिक्तता, वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर कम से कम किसी पद पर 3 वर्ष की निरन्तर सेवा के उपरान्त ही किए जाने का प्राविधान है।

"उ0प्र0 कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन और दुग्ध संघ केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1984" स्वयं में ही एक नियमावली है जिसको दिनांक 29-8-84 से लागू किया गया है।

56-57—श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

घरेलू, व्यापारिक व कृषि कार्यों हेतु बिजली की दरें

58—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि घरेलू व्यापारिक व कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाली बिजली की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम विरेची, ब्लाक घुघली, गोरखपुर के हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

59—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा विरेची, ब्लाक घुघली तहसील महाराजगंज, जनपद गोरखपुर के हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

चूंकि ग्राम विरेची का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है, इस कारण इसकी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है।

60-61—श्री यदुनाथ सिंह—

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

परिवहन निगम में बसों की संख्या तथा आय-व्यय का विवरण

62—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिवहन निगम के पास कुल कितनी बसों का बेड़ा है तथा प्रतिदिन कितने कि0मी0 औसत दूरी तय करती हैं तथा प्रति कि0मी0 उनकी आय तथा व्यय क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्तमान में परिवहन निगम के पास कुल 7175 बसों का बेड़ा है ?

परिवहन निगम की एक बस एक दिन में औसतन 207 कि0मी0 की दूरी तय करती है।

परिवहन निगम की आय प्रति कि0मी0 403 पैसे है तथा व्यय प्रति कि0मी0 397 पैसे है। उपरोक्त सूचना फरवरी, 1988 के प्रतिफलों पर आधारित है।

पशु चिकित्सालय, मेरठ तथा गोरखपुर में वर्तमान समय में रिक्त चिकित्सकों का तुलनात्मक विवरण

63—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या पशुधन विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मंडल में कुल कितने पशु चिकित्सालय ऐसे हैं जिनमें पशु चिकित्सक वर्तमान समय में नियुक्त व उपलब्ध नहीं हैं तथा गोरखपुर में मंडल में कुल कितने पशु चिकित्सालय है जिनमें (डाक्टर) चिकित्सक की नियुक्ति व उपलब्धता नहीं है ? क्या तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

श्री हुकुम सिंह—

सम्प्रति मेरठ मण्डल में 2 पशु चिकित्सालयों पर तथा गोरखपुर में मण्डल 87 पशु-चिकित्सालयों पर पशुधन विकास अधिकारी उपलब्ध नहीं है। तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है—

	मण्डल का नाम	
	मेरठ	गोरखपुर
कुल पशुचिकित्सालय	120	211
रिक्त पशुचिकित्सालय	2	87

64—श्री राम सजीवन—

(8वें बुधवार के लिए स्थगित।)

65—श्री सूर्य प्रताप शाही—

(दिनांक 23-3-88 को अता0प्र0सं0-15 द्वारा उत्तरित)

66—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

महराजगंज, गोरखपुर में माह के प्रतिबन्धित दिन भी शराब बेचने विषय पत्र पर कृत कार्यवाही

67—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद की महराजगंज तहसील में प्रतिबन्धित दिन प्रत्येक माह की पहली एवं सातवीं तारीख तथा सार्वजनिक अवकाश के दिन भी शराब बेचने की शिकायत प्रश्नकर्ता सहित अनेक जन उपलब्धियों ने किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तत्काली कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह---
सूचना एकत्रित की जा रही है।

68--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय---
(दिनांक 16--3--88 को अता0प्र0सं0 119 द्वारा उत्तरित)

सुवास चौक, पडरौना, देवरिया से शराब की दुकान हटाने की मांग विषयक पत्र

69---श्री बालेश्वर---
क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के पडरौना स्थित सुवास चौक के पूरब तरफ देशी शराब की दुकान हटाने के लिए तमाम प्रार्थना पत्र दिए गए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुकान को हटाने का कार्य करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह---
सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री एस0 के0 शर्मा, विद्युत अभियंता, इटावा के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

70---श्री औसान सिंह---
क्या विद्युत राज्य मन्त्री को श्री एस0के0 शर्मा विद्युत अभियन्ता, इटावा के विरुद्ध करोड़ों रुपए की घपले सम्बन्धी शिकायती-पत्र दिनांक 6 जनवरी, 1988 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, इटावा के विरुद्ध की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह---
जी हां।

शिकायती-पत्र पर विभागीय जांच की जा रही है। विभागीय जांच के परिणाम के आधार पर ही अधिशासी अभियन्ता, इटावा के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय उपखण्ड, सिंचाई विभाग, बहराइच में हो रही अनियमितताओं विषयक पत्र पर जांच रिपोर्ट

71---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---
क्या मुख्य मन्त्री को प्रश्नकर्ता का सिंचाई विभाग के बहराइच स्थित सिंचाई खण्ड के द्वितीय उपखण्ड में हो रही अनियमितताओं विषयक पत्र दिनांक 22 फरवरी, 1988 जो जनरेटरों, पम्पिग सेटों व मोटरों की फर्जी मरम्मत, फर्जी मस्टर-रोल बनाने युक्लिप्टस के पेड़ व घास लगवाने में घांधली, गाड़ियों पर अत्यधिक व्यय तथा श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण में अनियमितता आदि से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उस पत्र पर जांच कराई गयी? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह---
जी हां।

शासनादेश संख्या 28 मार्च, 1988 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जांच हेतु आदेश दिए गए हैं।

अभी जांच आख्या प्राप्त नहीं हैं अतः फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।

श्री ब्रज किशोर गुप्ता, विधूना, इटावा के अवैध तेल आपूर्ति विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

72—श्री औसान सिंह—

क्या विद्युत मन्त्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-7-87 श्री ब्रज किशोर गुप्ता विधुना, इटावा को अवैध तेल आपूर्ति सम्बन्धी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री गुप्ता को अवैध तेल आपूर्ति बन्द कर दी गयी है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां ।

श्री गुप्ता की तेल आपूर्ति बन्द नहीं की गयी बल्कि जनवरी, 1986 से अब तक उन्होंने मिट्टी तेल नहीं उठाया । इसके कारण उनका लाइसेन्स निलम्बित कर दिया गया है ।

करवी, चित्रकूट में परिवहन निगम का एक बस स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव

73—श्री राम सजीवन—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में चित्रकूट (करवी) में परिवहन निगम का एक बस डिपो स्थापित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? क्या उस सम्बन्ध में बांदा बस डिपो के मैनेजर की कोई रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? सब डिपो कब तक स्थापित कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक बांदा का एक पत्र उ0प्र0 परिवहन निगम को प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र में चित्रकूट (करवी) में बस स्टेशन एवं कार्यशाला भवन के निर्माण कराए जाने हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही के बारे में जानकारी चाही गयी है । बांदा में पूर्व से ही एक डिपो कार्यरत है जोकि जनपद के अन्तर्गत करवी एवं सम्बद्ध स्थानीय मार्गों पर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बसों को संचालित कर रहा है । अतः करवी में नये डिपो की स्थापना का औचित्य नहीं रह जाता है और जिसके कारण भूमि अर्जन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी ।

क्षेत्रीय खाद्य प्रबन्धक, गोरखपुर का क्षेत्राधिकारी फरेन्दा के विरुद्ध शिकायती पत्र

74—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या आपूर्ति मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि पूर्व क्षेत्रीय खाद्य प्रबन्धक गोरखपुर (श्री आर0 एस0 सक्सेना) ने गोरखपुर के कार्यकाल में ऐसी गोपनीय सूचना शासन को भेजी है कि क्षेत्राधिकारी फरेंदा, ज्ञानेन्द्र सिंह तस्करी में लिप्त हैं । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं ।

पूर्व क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, गोरखपुर श्री आर0एस0 सक्सेना ने क्षेत्राधिकारी फरेंदा श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के विरुद्ध तस्करी में लिप्त होने की कोई गोपनीय रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी है । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सरयू मुख्य नहर, बहराइच पर लगाये मूंजा का भुगतान

75—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच में सरयू मुख्य नहर के कि0मी0 38.5 से 39.8 कि0मी0 के बीच कितने वर्ग मीटर में मूंजा लगाने का भुगतान 15 अक्तूबर, 87 तक किया गया है ? क्या यह सही है कि बगैर मूंजा लगाए ही कुछ भाग में भुगतान किया गया है अथवा जितनी मात्रा में मूंजा लगाया गया है उसमें अधिक का भुगतान किया गया है ? क्या सम्बन्धित भुगतान का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा और फर्जी भुगतान हेतु उत्तरदायी कर्मचारियों को दंडित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सरयू मुख्य नहर के कि0मी0 38.500 से 39.800 के बीच 78831.43 वर्गमीटर में मूंजा लगाने का भुगतान किया गया है। जितना मूंजा लगाया गया है उसी का भुगतान किया गया है।

सम्बन्धित भुगतान का विवरण संलग्न है। अनियमित भुगतान नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में किसी कर्मचारी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 174 पर)

सरयू नहर खण्ड-3 कल्पीपारा, बहराइच के अधीनस्थ लेगड़ी स्केप चैनेल निर्माण में अनियमितता विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री हर्ष वर्धन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर खण्ड-3, कल्पीपारा, बहराइच के अधीनस्थ लेगड़ी स्केप चैनेल के कि0मी0 2.500 पर निर्माणाधीन पी0आर0बी0 कम-फाल पर डिवाटरिंग हेतु कराई गई बोरिंग के सम्बन्ध में हुई अनियमितताओं के सन्बंधित अवर अभियन्त के विरुद्ध नगर कोतवाली, बहराइच में मुकदमा लिखाया गया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अवर अभियन्ता के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लेंगड़ी स्केप चैनेल के कि0मी0 2.500 पर पी0आर0बी0 कमफाल से सम्बन्धित एक अवर अभियन्ता श्री ताहिर अली खां के विरुद्ध श्री वीरेन्द्र सिंह नामक ठेकेदार ने सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराने, उसे उन कागजों के आधार पर नुकसान पहुंचाने और सरकारी धन का दुरुपयोग करना चाहने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच में लिखित तहरीर दी जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।

विभागीय कार्यवही करने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मूल अभिलेख पुलिस से प्राप्त करना अपेक्षित है जिससे विभागीय कार्यवाही की जा सके।

77--श्री यदुनाथ सिंह--

(दिनांक 5-4-88 को अता0प्र0सं0-118 द्वारा उत्तरित)

कूड़ा तथा घोघी नदी, बस्ती पर स्वीकृत सिंचाई हेतु योजनाओं के निर्माणार्थ धन

78--श्री धनराज यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की कूड़ा नदी से नहर निकाल कर ककरहवा से पूरब-कुड़ा घोघी के दोआबा तथा गोरखपुर के कोल्हई के आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई करने हेतु सन् 1979-80 में ड्रेनेज खण्ड प्रथम द्वारा एक परियोजना बनाई गयी थी, जिसे स्वीकृति मिल चुकी थी? यदि हां, तो इस परियोजना को धन देकर कब तक प्रारम्भ कराया जायगा? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, माह नवम्बर, 1979 में कूड़ा एवं घोघी नदियों पर रबी की सिंचाई हेतु दो योजनायें अलग-अलग बनाई गयी थीं। परन्तु इन योजनाओं की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति नहीं हुई। इन योजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय बिन्दु भी निहित है तथा इनके विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता है, जिसके उपरान्त ही निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया जा सकेगा।

परिवहन विभाग में चालकों तथा कर्मचारियों के अवकाश विषयक आदेश

79—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या परिवहन चालकों तथा अन्य कर्मचारियों को मौखिक अथवा लिखित रूप से कोई ऐसा आदेश दिया गया है कि वे स्वेच्छा में अवकाश प्राप्त कर लें ? यदि हां, तो किनको और किन परिस्थितियों में ? इस प्रकार समय से पूर्व अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को होने वाली हानि से बचाने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है। यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अफजाल अहमद दैनिक लिपिक, ऊर्जा विभाग की वरिष्ठता के सम्बन्ध में औपचारिकता पूर्ण करने के सम्बन्ध में आदेश

80—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री अफजाल अहमद, दैनिक श्रेणी लिपिक, मुख्य अभियन्ता संवर्ग, लखनऊ का वरिष्ठता निर्धारण परिषद और श्री अफजाल अहमद, आर0 सी0 के बीच हुए 1985 के श्रम न्यायालय, लखनऊ के संविदा के आधार पर कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो अब तक न निर्धारित करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभी नहीं।

श्री अफजाल अहमद, दैनिक श्रेणी लिपिक के वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ औपचारिकतायें पूरी करनी शेष थीं, वह पूर्ण हो गयी हैं। अतः प्रश्नगत मामले के आदेश अप्रैल, 1988 में निर्गमित कर दिए जायेंगे।

परिवहन विभाग में आर0 टी0 ए0 की बैठक

81—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आर0टी0ए0 की बैठक गोरखपुर से स्थानान्तरित कर वाराणसी कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? इसे पुनः गोरखपुर कब तक कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता है।

बहराइच जनपद के कतिपय ग्रामों के अन्तर्गत निर्माणाधीन नहर पर पुलिया निर्माण की मांग

82—श्री राम सागर राव—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि बहराइच जनपद विकास खण्ड पयागपुर के गांव चैसार, कुसमोना राजापुर खुर्द, विकास खण्ड विशेश्वरगंज के गांव शेखापुर विकास खण्ड गिलौला के गांव मुहम्मदापुर विकास खण्ड इकौना के गांव तिलाकपुर के पास सरजू नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य चल रहा है परन्तु इन गांवों के पास नहर पर पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामवासियों की आवागमन की कठिनाइयों को देखते हुए इन गांवों के लिए पुलियों के निर्माण करानें का कष्ट करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी हां।

विकास खण्ड पयागपुर के गांव चैसार को छोड़कर जहां मांग स्थल से ऊपर केवल 750 मीटर की दूरी पर पुल निर्माणाधीन है, बाकी सभी स्थलों पर पुलों का निर्माण विचाराधीन है।

छोटी पम्प नहर परियोजना को पुनः चालू करने का प्रस्ताव

83—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–80 के मध्य में जो छोटी पम्प नहरों को बनाने की योजना सरकार द्वारा समाप्त की गयी थी उसे पुनः लागू करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रस्ताव उच्च स्तर पर विचाराधीन है। जिस पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रस्ताव स्वीकृति का निश्चित समय बता पाना सम्भव नहीं है।

84–85—श्री विजय सिंह राणा—

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

जनपद गोण्डा में उतरौला चुंगी नाके के पास 11 के0 वी0 विद्युत लाइन की शिफटिंग पर अनुमानित खर्च

86—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला चुंगी नाके के पास शहर जनपद गोण्डा की 11 के0वी0 नं0–9 की विद्युत लाइन शिफटिंग की योजना है ? यदि हां, तो कब तक और इस लाइन का हटाने में कुल कितना खर्च आयेगा तथा हटाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रूपई डीह में ग्राम सभा के कोचवां के डीहा गांव व हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण की मांग

87—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रूपई डीह में ग्राम सभा कोचवां के डीहा गांव व हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण शासनादेश के मुताबिक न होने का क्या कारण है ? यह विद्युतीकरण कब तक कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

डीहा गांव ग्राम सभा कोचवा का एक पुरवा है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत ग्राम सभा कोचवा के एक अन्य पुरवे एवं उससे सम्बद्ध एक हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण मई, 1985 में किया जा चुका है। योजना में प्राविधान न होने के कारण अन्य पुरवों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं था। अतः किसी शासनादेश का उल्लंघन नहीं किया गया।

डीहा गांव एवं उसकी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अब वार्षिक प्रतिलाभ के आधार पर ही सम्भव है जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में 25 प्रतिशत अग्रिम धनराशि के साथ प्रार्थना पत्र आवश्यक है।

जनपद हरदोई के बिलग्राम रजवहा से निकले सदरपुर माइनर में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति न होने से नलकूपों के निर्माण पर विचार

88---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के बिलग्राम रजवहा से निकले सदरपुर माइनर में नियमित रूप से पानी न दिए जाने के क्या कारण है ? इन कारणों को दूर कर हेड से टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था न कर पाने पर क्या मन्त्री जी इस माइनर को समाप्त कर सम्बन्धित क्षेत्र में सिंचाई हेतु नलकूप की व्यवस्था कराने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जनपद हरदोई के बिलग्राम रजबहा की लम्बाई 26.0 कि0मी0 है जिसके टेल भाग, अर्थात 20.4 कि0मी0 से सदरपुर माइनर निकलती है। इस माइनर की लम्बाई 8.25 कि0मी0 है तथा इसका हेड डिस्चार्ज 6.5 क्युसिक है। इस वर्ष सूखे से शारदा नदी में पानी की कमी रही जिसके कारण शारदा नहर प्रणाली की नहरों में जल उपलब्धि कम रही। फिर भी सदरपुर माइनर को लगभग रोस्टर के अनुसार चलाया गया है। कृषकों द्वारा नहरों की प्रस्तावित सींच से अधिक सिंचाई करने के कारण, नहरों की टेल पर प्रायः पानी की कमी हो जाती है। सूखे की स्थिति में नहरों के टेल अधिक प्रभावित होती है। ऐसी समस्त नहरों के टेल को समाप्त कर के नलकूपों की व्यवस्था करना व्यवहारिक नहीं होगा।

89-91---श्री महाराज सिंह---

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

92---श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी---

(8वें बुधवार के लिये स्थगित)

93---श्री शारदानन्द अंचल---

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

स्व0 श्री दयाराम सिंह, वरिष्ठ हाट निरीक्षक, बरेली मण्डल को सेवा निवृत्त होने के उपरान्त भी उनकी विधवा को सरकारी देयों का भुगतान न किया जाना

94---श्री किरन पाल सिंह---

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दयाराम सिंह, वरिष्ठ हाट निरीक्षक, बरेली मण्डल 26-9-74 को सेवानिवृत्त हुए थे ? क्या आज तक श्री दयाराम सिंह की मौत के बाद भी उनकी विधवा को पेंशन तथा अन्य देयों का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? देरी करने वाले दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह---

जी हां।

स्व0 श्री दयाराम सिंह ने अपने अनिवार्य सेवा निवृत्ति तथा प्रत्यावर्तन के विरुद्ध वाद दायर किए है जो अब भी विचाराधीन है। उन्होंने पेंशन प्रपत्र भरकर प्रस्तुत नहीं किए थे। वर्ष 1987 में संभागीय खाद्य नियन्त्रक बरेली द्वारा श्री दयाराम सिंह की विधवा श्रीमती सरदार कौर को पेंशन प्रपत्र भरने का आग्रह किया गया था परन्तु उन्होंने अभी तक उक्त प्रपत्र विभाग में वापस नहीं किए हैं। विभाग में प्रपत्र प्राप्त होने के बाद ही पेंशन व अन्य देयों के भुगतान की कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

95---श्री किरन पाल सिंह---

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

जनपद सीतापुर में खैराबाद रेलवे क्रासिंग पर उ0 प्र0 प0 निगम के चालक श्री एस0 पी0 मिश्र एवं फोरमैन की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सहायता तथा पेंशन आदि का भुगतान

96—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 88 में खैराबाद जनपद सीतापुर में रात्रि लगभग 4 बजे रेलवे क्रासिंग पार करते समय उत्तर प्रदेश रा0स0पर0 निगम के चालक श्री एस0पी0 मिश्र एवंउसमें बैठे एक फोरमैन की रेल गाड़ी से टक्कर हो जाने के फलस्वरूप दुःखद मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी ? यदि हां, तो शासन ने पीड़ित परिवारों के सहायतार्थ अब तक कौन-कौन से कदम उठाए है ? क्या सरकार मृतकों के परिवारों के भरण-पोषण हेतु परिवार के सदस्य को निगम की सेवा प्रदान करने का कष्ट करेगी एवं विधवाओं को पारिवारिक पेंशन, बीमा, ग्रेच्युटी आदि का रिफण्ड तत्काल रिलीज कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

परिवहन निगम की ओर से तत्काल मृतक चालक की पत्नी तथा फोरमैन के उत्तराधिकारी में प्रत्येक को 2,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की गयी तथा मृतकों के परिवारजनों को उतनीआर्थिक सहायता रेलवे द्वारा प्रदान की गयी ।

स्व0 श्री मिश्र, चालक के पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्र ने नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 14—3—88 को निगम को दिया था। कुछ प्रमाण-पत्र उनसे मांगे गए हैं। उनके प्राप्त होते ही नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुकूल कार्यवाही की जायगी। स्व0 श्री सेठ के आश्रितों की ओर से कोई नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र अभी तक निगम को प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने पर उस पर नियमानुसार विचार किया जायगा।

मृतक कर्मचारियों के वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा फण्ड, बीमा, ग्रेच्युटी के लिए दावा प्रपत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम सीतापुर को मृतकों के आश्रितों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर दावा प्रपत्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। दावा प्रपत्र प्राप्त होहें ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायगी।

जनपद मथुरा में मथुरा से हसनपुर (त0 माट) में चलने वाली रात्रि बस सेवा की व्यवस्था

96(अ)—श्री जगवीर सिंह तथा श्री कुशल पाल सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में मथुरा से हसनपु (त0 माट) में कितनी बसें वर्ष 1984, 84—85 तथा 85—86 में नाइट सर्विस करती थीं और अब कितनी बसें नाइट सर्विस कर रही हैं ? क्या यह सही है कि लम्बे समय से, नाइट सर्विस करने वाली बसों को बन्द करने से इस क्षेत्र की जनता को भारी असुविधा हो गयी है ? बड़ी बसों के स्थान पर छोटी बसें भी चल रही हैं ? यदि हां, तो यह मथुरा हसनपुर मार्ग पर जनता की सुविधा हेतु पुरानी व्यवस्था लागू करने तथा दोपहर के समय बसें चलाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री भारत सिंह यादव, पशुधन विकास सहायक, पशु चिकित्सालय, सीतापुर के पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र प्राप्त होने के बाद जिला पशुधन अधिकारी द्वारा देय अवशेषों का भुगतान

97---श्री देव कुमार यादव---

क्या पशुधन विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पशुधन विकास सहायक (श्री भारत सिंह यादव) पशु चिकित्सालय, अटरिया, जनपद सीतापुर के पावनों का भुगतान जिला पशुधन अधिकारी, सीतापुर द्वारा कई वर्षों से नहीं किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 11-5-87 एवं दिनांक 26-5-87 को माननीय राज्य मन्त्री, पशुधन विकास, उ0प्र0 शासन को पत्र दिए गए हैं ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के देय पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह---

श्री भारत सिंह यादव, पशुधन विकास सहायक पशु चिकित्सालय, अटरिया जनपद सीतापुर के पवनों के भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-5-87 तथा 29-8-87 प्राप्त हुआ है। श्री यादव के अधिकांश पावनों का भुगतान जिला पशुधन अधिकारी, सीतापुर द्वारा कर दिया गया है। केवल जुलाई, 79 से जून, 82 तक वेतन निर्धारण सम्बन्धी एरियर बिल तथा दिसम्बर, 1984 के नकदीकरण का अन्तर सम्बन्धी बिल का भुगतान होना शेष है। काल-बाधित होने के कारण इन बिलों का भुगतान नहीं किया जा सका है। इन अवशेष बिलों से भुगतान हेतु प्री-आडिट की कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन निगम के मुख्यालय से सम्बद्ध स्टाफ कार एवं टैक्सियों की लाग बुकों को न भरने की लापरवाही में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

98---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 में मुख्यालय से सम्बद्ध स्टाफ कार एवं टैक्सियां करीब 80 हजार कि0मी0 चलाई गयीं जिसका लाग बुक नहीं भरा गया। यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय हुआ तथा इसका दायित्व जिन-जिन अधिकारियों पर है; उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद हमीरपुर की तहसील राठ के हरिजन बाहुल्य ग्राम का विद्युतीकरण

99---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के तहसील राठ के ग्राम पुरैनी, मुहल्ला बाजार थोक में हरिजनों के निवास की बाहुल्यता को देखते हुए विद्युतीकरण कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जनपद हमीरपुर की तहसील राठ के ग्राम पुरैनी मोहल्ला बाजार थोक की हरिजन बस्ती की विद्युतीकरण परिषदीय नियमानुसार अभी सम्भव नहीं है क्योंकि इसकी निकटतम एल0टी0 लाईन से दूरी 500 मीटर है, जो निर्धारित 200 मीटर की सीमा से अधिक है और परिवारों की संख्या 30 से कम है।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी के निवासियों के पत्र पर हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की योजना

100---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 227 दिनांक 16-6-87 बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम सभा घुगरी के मजरा बंजारा श्री भइयादीन आदि के संलग्न पत्र के साथ बंजारा हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो बंजारा हरिजन बस्ती को कब तक विद्युतीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मा0 सदस्य का सन्दर्भित पत्र शासन में उपलब्ध नहीं है। जहां तक उक्त हरिजन बस्ती बंजारा के विद्युतीकरण का प्रश्न है, स्थिति निम्न प्रकार है--

वर्ष 1982-83 में ग्राम घुंगरी के विद्युतीकरण के साथ एक हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया गया था। मजरा बंजारा उक्त ग्राम की दूसरी हरिजन बस्ती है, जिसकी निकटतम एल0टी0 लाइन दूरी 1.23 कि0मी0 है और परिवारों की संख्या 30 से कम है। अतः परिषद के नियमानुसार इस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं है।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में ककरहवा से बरदहवा तक की क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन का पुनः मरम्मत करके ऊर्जीकृत किया जाना

101---श्री धनराज यादव--

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में ककरहवा से बरदहवा, बूढ़ा होकर बिजली के खम्भे 3 वर्ष पूर्व गाड़कर तार खींच दिए गए थे किन्तु विद्युतीकरण पूर्ण न होने से अधिकांश तार काटकर लोग उठा ले गए ? क्या मन्त्रीजी ने पिछले बजट सत्र में आश्वासन दिए थे कि जहां भी खम्भे गाड़े गए हैं उन लाइन का पूरा निर्माण करके विद्युतीकरण कर दिया जायगा ? यदि हां, तो प्रश्नगत लाइन के खम्भों में फिर से तार खींच कर ग्राम पिपरहवा, बूढ़ा, बरदहवा का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो वर्षों से लाखों रुपए के लगे विद्युत के खम्भों का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। इस लाइन से कोई ग्राम ऊर्जीकृत नहीं था। गत वर्षों में बाढ़ आने से इस क्षेत्र में पानी का जमाव हो गया है और तार खम्भे गिर गए। अधिकांश तार ग्रामीण लोग उठा कर ले गए। यह लाइन तब से क्षतिग्रस्त है।

वर्ष 1988-89 में लाइन का पुनर्निमाण करके उर्जीकरण करना प्रस्तावित है। यदि जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पिपरहवा, बूढ़ा एवं बरदहवा का, वर्ष 1988-89 में निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत विद्युतीरण हेतु चयन कर लिया जाता है तो वर्ष 1988-89 में इनके विद्युतीकरण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन चैक पोस्ट सिकन्दरा, जनपद आगरा को खोले जाने का औचित्य

102---श्री विजय सिंह राणा---

क्या परिवहन मन्त्री प्रश्नकर्ता के द्वितीय सत्र 1987 के चौथे सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 73 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद सिकन्दरा स्थित परिवहन चेकपोस्ट हटा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यह चेक पोस्ट कब स्थापित की गयी थी। चेक पोस्ट खोले जाने के कारण क्या थे और हटाए जाने के कारण क्या थे ? क्या यह सही है कि चेक पोस्ट अनाधिकृत रूप से कार्यरत था ? यदि हां, तो चेकपोस्ट किसके आदेश से स्थापित की गयी और नहीं तो चेक पोस्ट हटाई क्यों गयी ? उक्त पोस्ट कितने दिन वहां चली तथा कुल कितनी आय हुई और वह आय किस खाते में जमा हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आगरा के ग्राम अकोला पर बस स्टैण्ड का बनाया जाना

103---श्री विजय सिंह राणा---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्राम अकोला पर बस स्टैण्ड खोले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन परिवहन मन्त्री ने अपने पत्र दिनांक 13 फरवरी, 1987 के द्वारा सूचित किया है कि आवश्यक कार्यवाही हो रही है, के सम्बन्ध में कोई निर्णय अभी तक हुआ अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-2-87 व अन्य पत्र प्राप्त हुए। निगम बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 14-5-87 में यह निर्णय लिया गया कि डिपो स्टेशनों को छोड़कर अन्य जगहों पर निगम द्वारा फिलहाल बस स्टेशन/बस स्टैंड स्वयं नहीं बनाए जायेंगे।

अकोला पर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वहां पर आवश्यकतानुसार निगम बसों को रुकवाने तथा यात्रियों को चढ़ाने व उतारने की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं।

बस्ती जिले में चेतिया से बस्ती तथा चेतिया से गोरखपुर को चलने वाली रोडवेज की बसों का संचालन तथा प्रति व्यक्ति किराया वसूल किया जाना

104---श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में चेतिया से बस्ती तथा चेतिया से गोरखपुर चलने वाली रोडवेज की बसें क्यों बन्द कर दी गयी हैं और चेतिया से बांसी जिसकी दूरी मात्र 11 किलोमीटर है, का प्रति व्यक्ति किराया 2 रुपया 50 पैसे लेने का क्या औचित्य है जबकि नौगढ़ से बासी जिसकी दूरी 22 किलोमीटर है का प्रति व्यक्ति किराया 3 रुपए 50 पैसे है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं। चेतिया से बस्ती तथा चेतिया से गोरखपुर बस सेवाएं संचालित हो रही है। चेतिया से बासीं की दूरी 14 कि0मी0 है जिसमें 9 कि0मी0 'बी' श्रेणी तथा 5 कि0मी0 'सी' श्रेणी का मार्ग शासनादेश संख्या 1211 टी/30-4-2 के0एम0/86 दिनांक 19-3-87 के अनुसार 'बी' श्रेणी तथा 'सी' श्रेणी मैदानी मार्गों का किराया क्रमशः 12.52 तथा 14.58 पैसे की दर से चेतिया से बांसी तक रु0 2.50 प्रति यात्री (अन्य कर सहित) किराया लिया जाता है।

नौगढ़ से बांसी की दूरी 22 कि0मी0 है। यह 'ए' श्रेणी का मार्ग है। उक्त शासनादेश के अनुसार 'ए' श्रेणी मैदानी मार्ग का 11.47 पैसे की दर से इसका किराया रु0 3.00 (अन्य कर सहित) तथा 0.50 पैसे ब्रिज टैक्स कुल रु0 3.50 पैसे प्रति यात्री किराया लिया जाता है।

श्री देवशरन राम मुकाम व पोस्ट सिंधोरा, तहसील व जनपद वाराणसी को पांच हार्स पावर के लिए कनेक्शन देने के सम्बन्ध में फर्जी कार्यवाही के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

105---श्री राम सजीवन---

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवशरन राम मुकाम व पोस्ट सिंधोरा तहसील वाराणसी जिला वाराणसी नं0 3-6-86 व 20-6-86 को जिलाधिकारी, वाराणसी को तथा 30-6-87

को अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महुवाडीह, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि उनको पांच हार्स पावर के पम्पिंग सेट हेतु विद्युत का कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया जबकि सरकारी रिकार्ड में कनेक्शन देना दिखा दिया गया है ? विद्युत कनेक्शन न देने और फर्जी कर्यवाही के लिए कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और उन्हें कनेक्शन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

106---श्री शारदा प्रताप---

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद बरेली नगर में आवासीय कालोनी सिन्धुनगर ट्रेनिंग ग्राउण्ड व एकता नगर का स्थाई विद्युतीकरण

107---डाक्टर दिनेश जौहरी---

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि बरेली नगर में नई आवासीय कालोनी सिन्धु नगर, ट्रेनिंग ग्राउन्ड व एकता नगर का स्थायी विद्युतीकरण, अधिकारियों की लापरवाही के कारण वर्षों से रुका हुआ है जिसमें वहां के नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उक्त कालोनियों के तुरन्त विद्युतीकरण के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं। सिन्धु नगर कालोनी का विद्युतीकरण फरवरी, 1988 में तथा ट्रेनिंग ग्राउन्ड व एकता नगर का विद्युतीकरण, सिवाय बी0डी0ए0 कालोनी के, जनवरी, 1988 में कर दिया गया है ट्रेनिंग ग्राउन्ड के निकट बी0डी0ए0 कालोनी का विद्युतीकरण बी0डी0ए0 द्वारा अनुमानित धनराशि जमा न करने के कारण नहीं किया जा सका है।

लखनऊ की भांति बरेली में सिटी बस चलाने की मांग

108---डाक्टर दिनेश जौहरी---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की भांति बरेली के चारों ओर 20 वर्ग मील में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सिटी बस सेवा प्रारम्भ कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या शीघ्र प्रारम्भ करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली नगर में उप नगरीय मार्गों पर जनता की सुविधा के लिए शटल सेवायें संचालित की जा रही हैं जो यात्रियों को सिटी सेवा जैसी सुविधा उपलब्ध कराती हैं। नियमानुसार नगर बसों का किराया केवल 20 कि0मी0 की परिधि में ही चार्ज किया जा सकता है। 20 कि0मी0 से अधिक दूरी की सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्र का किराया लिया जाना है।

सिटी बस संचालन में ग्रामीण संचालन को अपेक्षा अवैध अधिक व्यय भार आता है और निगम की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि सिटी बस जिन शहरों में पहले से चल रही है उनके अतिरिक्त नई सिटी सेवायें शुरु कर सके।

बरेली में सिटी बस चलाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बस चालक श्री कल्लू की ड्यूटी तथा बस द्वारा हुई दुर्घटना में मृत व्यक्ति का नाम

109---श्री मूल चन्द---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतरांकित प्रश्न सं0 69 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस चालक श्री कल्लू

दिनांक 17-2-86 को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित था ? यदि हां, तो उसकी ड्यूटी किस नम्बर की बस पर लगाई गयी थी क्या बस चालक कल्लू की असावधानी के कारण हुई बस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो मृत व्यक्ति का नाम व पता क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह----

जी हां।

उसकी ड्यूटी बस नम्बर यू0पी0एक्स0 6527 पर लगाई गयी थी।

जी नहीं। दिनांक 17-2-86 को परिवहन निगम की बस सं0 यू0पी0एक्स0 6527 से कोई दुर्घटना नहीं हुई। अतः चालक की असावधानी का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु किसी व्यक्ति द्वारा थाना इनायत नगर, फैजाबाद में इसकी रिपोर्ट अवश्य दर्ज कराई गयी कि बस चालक कल्लू ने एक सायकिल वाले को कुचल कर मार डाला। थाना इनायत नगर, फैजाबाद में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर चालक के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। जो विचाराधीन है।

दुर्घटना की परिवहन निगम द्वारा विभागीय जांच कराई गयी, जिसमें कथित बस से दुर्घटना का होना नहीं पाया गया।

एफ0आई0आर0 में मृतक व्यक्ति का नाम श्री झगरू हरिजन, निवासी ग्राम घटोली थाना खन्डासा, जिला फैजाबाद लिखा पाया गया।

110---कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

(दिनांक 7-3-88 को अता0प्र0सं0-135 द्वारा उत्तरित)

अच्छे लाल मालिक चौरसिया पेट्रोल पम्प, जगदीशपुर, जौनपुर के विरुद्ध दर्ज एफ0 आई0 आर0

111---श्री अर्जुन सिंह यादव---

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, जौनपुर ने जिला पूर्ति अधिकारी, जौनपुर को दिनांक 20 मई, 87 को लिखित आदेश दिया था कि चौरसिया पेट्रोल पम्प जगदीशपुर जौनपुर के मालिक अच्छे लाल चौरसिया के विरुद्ध भा0द0वि0 धारा 3/7 ई0सी0 ऐक्ट के तहत थाना लाईन बाजार, जौनपुर में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जाय ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त एफ0आई0आर0 जिला पूर्ति अधिकरी द्वारा दर्ज कराई गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह----

जिलाधिकारी जौनपुर ने जिला पूर्ति अधिकरी, जौनपुर को दिनांक 20-5-87 को चौरसिया पेट्रोल पम्प जौनपुर के मालिक श्री अच्छे लाल चौरसिया के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत थाना लाइन बाजार, जौनपुर में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का कोई आदेश नहीं दिया था।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

उ0 प्र0 पर्यटन विभाग में नियुक्ति हेतु एक बोर्ड बनाने की मांग

112---श्री मुस्तमन्द अली खां----

क्या मुख्य मन्त्री की जानकारी में है कि वर्ष 1985-86 तथा 86-87 में उ0प्र0 पर्यटन विभाग में अभ्यर्थियों के चयन करने के लिए कोई सेलेक्शन बोर्ड बना था ? यदि हां, तो उक्त बोर्ड की माइनोरिटी का भी कोई सदस्य था ? यदि हां, तो उसका नाम और पता क्या है ?

श्री प्रमोद कुमार---

वर्ष 1985-86 में पर्यटन निदेशालय में अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन समितियां गठित हुई थीं किन्तु इन चयन समितियों में माइनारिटी समुदाय का कोई सदस्य नहीं था।

1986-87 में कोई चयन नहीं किया गया।

श्री गंगा सरन निवासी नगला कटक, बुलन्दशहर की मृत्यु परिवार को आर्थिक सहायता

113--श्री किरन पाल सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गंगा सरन पुत्र नत्थू सिंह (हरिजन) निवासी नगला कटक, थाना बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर की विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण 28-3-86 को दर्दनाक मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो दोषी विद्युत अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गरीब हरिजन मृतक के परिवार को सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जांच से विदित हुआ है कि श्री गंगा सरन पुत्र श्री नत्थू सिंह, निवासी नगला कटक, जनपद बुलन्दशहर, दिनांक 28-3-86 को राज्य विद्युत परिषद के एक डबल पोल पर अनाधिकृत रूप से चढ़कर बिजली की खराबी को ठीक कर रहे थे। कि सजीव तार से सम्पर्क में आकर विद्युत स्पर्शाघात से उनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार श्री गंगा सरन की दुर्घटना, उनकी स्वयं की लापरवाही के कारण घटित हुई।

चूंकि गंगा सरन की दुर्घटना उनकी स्वयं की लापरवाही के कारण घटित हुई, अतः मृतक की परिवार की क्षतिपूर्ति करने हेतु संस्तुति नहीं की गयी।

गाजीपुर में औद्योगिक इकाइयों को चलाने हेतु कदम

114--श्री अमिताभ अनिल दुबे--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के कितनी औद्योगिक इकाइयों का वित्त निगम ने वित्त पोषण किया है एवं कितना धन सरकार का लगा है ? क्या सभी इकाइयां चल रही हैं ? यदि नहीं, तो उनके उपचार के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा गाजीपुर जनपद की कुल 55 औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण किया गया है। इसमें सरकार का कुल धन रु0 337.09 लाख लगा है।

जी नहीं।

बन्द इकाइयों को पुनः चलाने के लिए उ0प्र0 वित्तीय निगम नियमानुसार उपचार हेतु पुर्नजीवीकरण की कार्यवाही कर रहा है।

115--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

राजकीय नलकूप दौलतपुर, बलिया को ठीक करने की मांग

116--श्री गौरी शंकर भइया--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद बलिया के ब्लाक सोहांव के ग्राम दौलतपुर में एक राजकीय नलकूप पिछले दो वर्ष से बनकर तैयार है, परन्तु उससे किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी इस नलकूप को शीघ्र ठीक कराकर किसानों को पानी देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

नलकूप के ट्रांसफार्मर की खराबी के कारण नहीं चालू हो पाया है।

इस नलकूप से सिंचाई ट्रांसफार्मर बदले जाने के बाद ही सम्भव हो सकेगी।

अधिशासी अभियन्ता, अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर में हुए घोटाले की सतर्कता जांच की मांग

117--श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह---

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता, अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर अलीगढ़ ने आर0एल0ई0जी0पी0 योजनान्तर्गत 1984-85 में बिना पूर्वानुमति के 6 लाख रुपए का कार्य कराकर उसमें घोटाला किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी तथा इनके द्वारा इस योजनाओं में कराए गए कार्यों की सतर्कता जांच कराकर इनके घोटाले को प्रकाश में लाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद मुरादाबाद में और राजकीय नलकूप लगाने की मांग

118--श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर तथा मूढ़पाड़ा प्रत्येक में 25 से भी कम राजकीय नलकूप कार्यरत है ? जबकि अन्य प्रत्येक वि0 खण्ड में 50 से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार वार्षिक जिला योजना तथा वर्ल्ड बैंक योजना में वरीयता के आधार पर राजकीय नलकूप स्वीकृति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर में 19 तथा मूढ़ापाड़ा में 32 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं। जबकि शेष विकास खण्डों में से 9 विकास खण्डों में ही 50 से अधिक राजकीय नलकूप कार्यरत हैं। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार जिला योजना के प्राविधानानुसार राजकीय नलकूपों को जिला सिंचाई सलाहकार समिति की संस्तुति के अनुसार लगाया जाता है। वर्ल्ड बैंक योजना के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद में नवीन कलस्टर की स्वीकृति नहीं दी गयी है।

जौनपुर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड हेतु सबसिडी

119--धनराज यादव---

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित इकाइयों को अब कब तक कैपिटल सबसिडी स्टैम्प सबसिडी तथा इलेक्ट्रिसिटी सबसिडी नहीं दी गयी ? यदि हां, तो भविष्य में उपरोक्त सबसिडी कब प्रदान की जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद जौनपुर में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित 6 इकाइयों को उनकी मांग पर जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से कैपिटल सबसिडी प्रदान कराई जा चुकी है, स्टैम्प सब्सिडी लागू नहीं है तथा इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हेतु इकाइयों द्वारा मांग ही नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

120--श्री राजीव कुमार सिंह--

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

आजमगढ़ के ग्राम गोपाली पट्टी में तोड़े गये पुल की सामग्री की नीलामी

121--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम गोपाली पट्टी में ताण्डा पुरानी नहर पर दो पुल थे जो तान्डा समानान्तर नहर बनने के बाद तोड़ दिए गए ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल की सामग्री नीलाम की गयी ? यदि हां, तो इससे सिंचाई विभाग को क्या मिला ? यदि नहीं, तो वह सामग्री क्या हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--
जी हां ।
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

पुलों को तोड़ने के फलस्वरूप प्राप्त पुराना लोहा विभाग के स्टाक में ले लिया गया तथा तथा शेष मलवे से प्राप्त टूटी हुई ईटों को उन्हीं स्थलों के निकट सबग्रेड बनाने में प्रयोग किया गया ।

श्री मेवाराम सेवा प्राप्त अवर अभियन्ता का वेतन, ग्रेच्युटी तथा पेंशन का भुगतान

122--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड सीत पुर से वर्ष 1982 में अवकाश प्राप्त किए हुए एक अवर अभियन्त (मेवाराम शुक्ल) को अभी तक पेंशन, ग्रेच्युटी, जी0 पी0एफ0 एक माह का वेतन तथा अवशेष वार्षिक वेतन वृद्धि न देने का क्या कारण है ? उपरोक्त का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप खण्ड सीतापुर के अवकाश प्राप्त अवर अभियन्ता श्री मेवाराम शुक्ल के विरुद्ध. भण्डार सामग्री एवं अन्य शासकीय सामानों की कमी एवं भारी अनियमितताओं के कारण पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का प्रकरण महालेखाकार को भेजा जना सम्भव नहीं हो सका । कालान्तर में इनके विरुद्ध कमी के प्रकरण को अन्तिम रूप दिए जाने के उपरान्त तथा अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी का प्रकरण महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 20-1-88 को भेजा जा चुका है । एक माह का वेतन तथा अवशेष वार्षिक वेतन वृद्धि भी नियमानसार इनके विरुद्ध कमी के समक्ष समायोजित की जा रही है ।

श्री शुक्ल को भविष्य निर्वाह निधि एवं सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान दिनाक 20-2-88 को किया जा चुका है ।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा कपड़ा की दुकानों पर लगाई गयी लाइसेन्स

123-श्री अमिताभ अनिल दुबे

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कपड़े की दुकानों पर उत्तर प्रदेश में जो लाइसेंस लगाया है उसमें शासन को कितना लाभ मिल रहा है तथा तथा कर्मचारियों तथा आफिस पर कितना परिव्यय है ?

श्री हुकुम सिंह-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कपड़ा तथा सूत वितरण प्रणाली को विनियमित करना है, लाभ अर्जित करना नहीं ।

निदेशक हथकरघा उत्तर प्रदेश तथा प्रदेश के 48 जनपदों (इलाहाबाद, एटा, इटावा, फरुखाबाद, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर (देहात), मिर्जापुर तथा रायबरेली को छोड़कर जिनसे प्राप्त नहीं हुई है) से प्राप्त सूचना के आधार पर 1986-87 तथा 1987-88 (दिसम्बर, 1987 तक) लाइसेंस शुल्क के रूप में क्रमशः लगभग रुपया 4.27 लाख तथा रुपया 3.46 लाख की धनराशि प्राप्त हुई ।

निदेशक हथकरघा से प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना में कर्मचारियों तथा आफिस पर वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 का परिव्यय क्रमशः रु0 2.29 लाख तथा रुपया 2.78 लाख है ।

नलकूप निगम में नलकूप चालकों की नियुक्ति

124—श्री अफजाल अन्सारी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 97 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कब तक नये आपरेटरों की नियुक्तियां करके प्रत्येक ट्यूबवेल पर एक-एक आपरेटरों से कार्य लेना प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न सं0-97 के क्रम में नये अंशकालीन नलकूप चालकों की नियुक्ति सम्बन्धी नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम पीपलसाना, टांडा मुरादाबाद के बुनकरों के मीटरों पर लगाया गया कर

125—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद की वि0 खण्ड भगतपुर टांडा के ग्राम पीपलसाना तथा टाउन भोजपुर के बुनकरों पर उनके एक हा0 पा0 के मोटर पर दो हा0 पा0 का कर लगा दिया गया है जबकि शासन द्वारा एक हा0 पा0 पर कर लिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है? यदि हां, तो 2 हा0 पा0 का कर लगाने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत चार्ज एवं विद्युत शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) एक ही बिल में चार्ज किया जाता है। विद्युत शुल्क उपभुक्त यूनिट के आधार पर चार्ज किया जाता है न कि मोटर के हार्स पावर पर। वर्तमान में ऊर्जा उपभोग के लिए विद्युत शुल्क की दर 4 पैसा प्रति यूनिट है।

श्री विलायती राम कत्याल की निर्मम हत्या के सम्बन्ध में चर्चा कराने हेतु नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(श्री अध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही कुछ सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जांय ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस समय हमारे प्रदेश के अंदर कानून और शांति व्यवस्था निहायत जर्जर हो गयी है । वर्तमान शासन जिस तरह आपने देखा कि कल माननीय विलायती राम कत्याल की किस तरह हत्या कर दी गयी, इसलिये सभी नेताओं ने नियमावली के नियम 311 के तहत प्रश्नोत्तर काल को निलम्बित करने का आपसे अनुरोध किया है और श्री कत्याल की हत्या पर पहले चर्चा करायें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री विलायती राम कत्याल के निधन पर कल मैंने सदन की कार्यवाही को पूरे दिन के लिये स्थगित कर दिया था जिसमें प्रश्न थे और पूरी कार्यवाही थी, इसलिये अब कोई औचित्य नहीं है कि नियमों का निलम्बन किया जाये ।

(घंटि व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

आज नियम 311 के तहत प्रश्नोत्तर काल को स्थगित करके श्री विलायती राम कत्याल की हत्या पर चर्चा करायें . . .

(घंटि व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कुछ माननीय सदस्यों ने इसी संबंध में नियम 56 में दिया है और कुछ माननीय सदस्यों ने नियम 311 में दिया है, तो नियम 311 में जिन्होंने दिया है उसको मैं अस्वीकार करता हूं । (व्यवधान)

श्री आर0 एन0 पाठक–

मेरा अनुरोध है कि शोक प्रस्ताव के बाद में व्यवधान पैदा करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जांय । नियम 311 को मैं अस्वीकार करता हूं । नियम 56 में मैं सुनूंगा और जो भी उचित निर्णय होगा वह दूंगा ।

(घंटि व्यवधान)

(श्री भोपाल सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री विजय सिंह राणा आदि कई सदस्य सदन की वेल में आकर अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इसलिये अब मैं सदन की कार्यवाही 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बज कर 3 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री विलायती राम कत्याल तथा भूतपूर्व सदस्य श्री बलदेव जी व बैजनाथ सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि विधान सभा के वर्तमान सदस्य श्री विलायती राम कत्याल की 5 अप्रैल, 1988 को कानपुर में हत्या कर दी गई । उनकी आयु लगभग 53 वर्ष थी । श्री कत्याल का जन्म 19 जुलाई, 1935 को गुजरानवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। श्री कत्याल सर्व प्रथम 1980 में विधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और उसके बाद 1985 में पुनः निर्वाचित हुए थे। वह कांग्रेस के टिकट से चुने गये थे और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्त्ता थे । उन्होंने समाज की सेवा में बहुत रूचि ली और कानपुर की जो बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं थीं, उनमें भी उन्होंने रुचि लेकर काम किया । मान्यवर, उनके निधन से कानपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की क्षति पहुंची है, उसे शीघ्र भरा नहीं जा सकता है । आपसे अनुरोध है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक आप मेरी, मेरे दल की और सदन की ओर से शोक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री मैनेजर सिंह–

आपका माइक ठीक नहीं है, हम सुन नहीं पा रहे हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मुझे खेद के साथ सूचित करना पड़ता है कि श्री बलदेव जी का निधन 15/16 मार्च, 88 की रात्रि में हो गया । श्री बलदेव जी का जन्म 1907 में ग्राम हरसास, जनपद वाराणसी में हुआ था। श्री बलदेव 1974 के सामान्य निर्वाचन में सर्वप्रथम निर्वाचन क्षेत्र गंगापुर, वाराणसी से बी0 के0 डी0 के टिकट पर इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । तत्पश्चात्, 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । उन्होंने 1942 के स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अंग्रेजी शासकों की मूर्तियां हटाओ तथा दाम बांधो आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप 1957 और 1960 में उन्हें जेल जाना पड़ा था । उनके निधन से जनपद वाराणसी ने एक स्वतन्त्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरी, मेरे दल की और सदन की ओर से शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्री बैजनाथ सिंह जी का निधन 26 मार्च, 1988 को हो गया है। वह लगभग 79 वर्ष के थे। उनके जन्म 1 जुलाई, 1909 को ग्राम बांसडीह, जनपद बलिया में हुआ था । उन्होंने बी0 एस-सी0, एल0 एल0 बी0 तक की शिक्षा प्राप्त की थी । श्री बैजनाथ सिंह वर्ष 1952 के सामान्य निर्वाचन में सर्वप्रथम बलिया से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । तत्पश्चात् 1967 में जनसंघ के टिकट पर उ0 प्र0 विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । श्री सिंह चेयरमैन टाउन एरिया बांसडीह तथा मेम्बर जिला बोर्ड बलिया वर्षों तक रहे । वह पालिटिकल सेक्रेटरी विन्ध्य प्रदेश वर्ष 1949-50 में रहे । वह शिक्षा संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे । श्री सिंह के निधन से जनपद बलिया ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल और सदन की ओर से शोक संवेदना आप उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा देने का कष्ट करें ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो संवेदना के विचार माननीय सदस्य विलायती राम कत्याल के विषय में रखे हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, कल उनकी निर्मम हत्या से सारा सदन और सारा प्रदेश दुखी है और साथ ही साथ चिन्तित भी है । माननीय कत्याल साहब हमारे इस सदन में इसी सत्र में नहीं, बल्कि इससे पहले वर्ष 1980 में भी चुनकर आए थे । दो बार हमारे सदन के वह सदस्य

रहे । वह बहुत ही जुझारू प्रकृति के व्यक्ति थे और अनेकानेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे और कई के वह अध्यक्ष भी थे । पाकिस्तान में, तत्कालीन हिन्दुस्तान में वह जन्मे थे । यहां कानपुर में गोविन्दनगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनकर सदस्य बने । श्री विलायती राम कत्याल के विषय में विशेषकर कहा जा सकता है कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी, तत्कालीन प्रधान मंत्री की हत्या हुई थी, उनकी हत्या के बाद उनके मोहल्ले में 4 लोग सिख समुदाय के मारे गये थे . .

मान्यवर, जब यह उस दिन कानपुर में मौजूद नहीं थे इन पर आरोप लगाया गया, कुछ स्वार्थी लोगों ने कहा कि उन चार लोगों की हत्या में विलायती राम जी का हाथ है फिर जब दुबारा घटना हुई मुक्तसर की, उसमें कई लोग मारे गये इन्होंने कानपुर क्षेत्र में बन्द कराया उसमें यह कहा गया, यह आरोप लगाया गया कि यह सिक्ख समुदाय की खिलाफत कर रहे हैं, उसके बाद 84 से लेकर कम से कम आधे दर्जन धमकी भरे पत्र इनको मिले जिसमें इनको बार-बार चेतावनी दी गयी आपके जो कृत्य हैं इसके लिए आपको गोली से उड़ा दिया जायेगा। माननीय सदस्य जो इस सदन के सदस्य थे, उनकी यह सरकार सुरक्षा नहीं कर सकी । कल दिन दहाड़े सड़क पर जब वह अपने अंगरक्षक के साथ जा रहे थे उस समय जिस निर्ममता के साथ दर्जनों गोलियों से उनका शरीर छलनी किया गया जिस तरह से उनकी हत्या की गयी यह एक घटना नहीं बल्कि यह आतंकवादियों की तथाकथित चुनौती है। मान्यवर, कानपुर के अधिकारियों ने एक-एक बन्दूक धारी पुलिस कर्मचारी को अपने घर नियुक्त कर लिया है बन्दूकधारी पुलिस कर्मचारी हर अधिकारी के घर पर तैनात है। लेकिन हमारे अनेक विधायक जिनको धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं, मुझे मिला, राम नरेश यादव जी को मिला, गोपाल दास जी को मिला, मनोहर लाल जी को मिला, बर्क साहब जी को मिला, अन्य विधायकों को भी धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं उनकी सुरक्षा का कोई भी प्रबन्ध नहीं किया गया है। अधिकारी वर्ग जिनको कि कोई खतरा नहीं है उनके यहां बन्दूक धारी पुलिस कर्मी तैनात कर दिया गया है लेकिन जन प्रतिनिधियों की कोई चिन्ता नहीं है।

कल के कृत्य से सारा प्रदेश चिन्तित है । अगर हम राजनीति में रहने वाले लोग समय-समय पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए गलत कामों का विरोध करते हैं तो हमें धमकी भरे पत्र मिलते हैं और इन तरीके से कृत्य होते हैं । हमारी सुरक्षा नहीं नहीं हो पाती है । फिर किस तरह से हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें । आप सभी विधायकों को अंग रक्षक नहीं दे सकते हैं लेकिन विलायती राम जी को अंग रक्षक हुआ था उनको भी गोली से उड़ा दिया गया और उनके अंग रक्षक को भी गोली से उड़ा दिया उनकी कोई सुरक्षा यह सरकार नहीं कर पायी इसमें मान्यवर, माननीय विधायकों ने 30 कारबाइन की मांग की है। मेरा कहना है कि जिस तरह से हत्या की गयी उससे हम लोग बहुत दुःखी हैं। इसमें सारे लोगों को दुःख होना स्वाभाविक है जिस तरह से धमकी भरे पत्र मिलते हैं और जिस तरह से हत्या की गयी है उससे सारे प्रदेश में शोक व्याप्त है। कल जब उनकी हत्या हुयी तो मैं उनके गोविन्द नगर आवास पर गया जहां हजारों लोगों की बिलखती हुई भीड़ थी। क्योंकि वह जनप्रिय विधायक थे कोई समस्या ऐसी नहीं थी जब उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया हो ऐसे

लोक प्रिय नेता की हत्या पर हम सब दुखी हैं। हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ माननीय नेता सदन ने जो बल्देव जी के निधन के संबंध में सदन को सूचना दी है उससे मैं तथा मेरा दल दुखी है। श्री बल्देव जी दो बार-विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह हमारे साथ रहे। वह भारतीय परिवेश के पुजारी थे। वह हमेशा जनता से जुड़े रहे। वह देहाती वातावरण से जुड़े रहे और देहात की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने की हमेशा कोशिश करते रहते थे इसीलिये वहां की जनता ने दो-दो बार उनको चुनकर भेजा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने का कृपा करें। मान्यवर, इसी तरीके से श्री बैजनाथ जी का निधन हो गया। वह बलिया के निवासी थे वह हमसे बहुत पहले सदस्य रहे हैं। जो बलिया के निवासी हैं उनसे सुनने में आता है कि वह बहुत कुशल, बहुत कर्मठ व्यक्ति थे और विधायक न रहने के बाद भी वह जनता की कठिनाइयों को नजदीक से देखा करते थे और उन कठि-नाइयों को दूर करने के लिये हमेशा तत्पर रहा करते थे। ऐसे महान व्यक्ति के निधन से आज बलिया जनपद ने एक बहुत ही अच्छा राजनीतिज्ञ, समाज सेवी खो दिया है। मेरा अनुरोध है कि मेरी और मेरे दल की संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचा देने की कृपा करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, सदन में जो संवेदना के प्रस्ताव पेश हुये हैं उनमें सबसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण प्रस्ताव विलायती राम जी का है, जिन परिस्थितियों में उनकी हत्या हुयी है, कैसी हुयी, क्या हुआ इस संबंध में अभी हम अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर सकते इसलिये कि सरकार की तरफ से थोड़े समय में उसको आना ही है, सरकार बतायेगी कि उनकी हत्या का कारण क्या था। इससे पहले किसी समुदाय या किसी के प्रति अपनी आशंका हम व्यक्त करें यह देश के लिये सबसे दुर्भागयपूर्ण बात होगी। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समय-समय पर हमने और हमारे साथियों ने यह जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुयी है इसकी तरफ संकेत किया है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि परसों राम सरण दास जी ने यह सवाल उठाया था। जनप्रतिनिधियों के प्रति अकेले यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुयी है, पुलिस के लोगों ने भी जन प्रतिनिधियों के सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनपर थोड़े समय बाद हम विचार करेंगे। इस वक्त इतना ही कहना चाहूंगा कि जन प्रतिनि-धियों की इस तरह से हत्या करना और आतंकित करना लोकतंत्र के लिये सबसे बड़ा खतरा है। इसी का परिणाम यह है कि आज हमारे विधायक लोग और जनप्रतिनिधि सुरक्षा की मांग सरकार से कर रहे हैं आज गम्भीर स्थिति शांति व्यवस्था की है। इसलिये इस सरकार को और हमारे साथी लोगों को गंभीरता से विचार करना है यह किसी दल का सवाल नहीं है देश का सवाल है। हम समझते हैं कि हमारे सुझावों और हमारे गुस्से का सरकार पर कोई असर नहीं होता है अगर होता तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें बचायी जा सकती थीं। कभी सरकार ने राय मश्विरा लेना उचित नहीं समझा जो सरकार को लेना चाहिये। अभी 4-5 दिन पहले हमारी उनसे 2 मिनट

के लिए बातचीत हुई थी उन्होंने हंसते हुये कमेन्ट किया था कि समय बतायेगा उसके बाद वह मुस्कुराते हुये चले गये और मैं अपनी तरफ चला गया । लेकिन दु:ख की बात है कि हमारी वर्तमान विधान सभा का सम्मानित सदस्य, एक समाज सेवी और महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच से चला गया । हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी संवेदनायें उनके परिवार, उनके मित्रों और उनके दल तक पहुंचाने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय बलदेव जी का हमारा सम्पर्क बहुत पुराना था, जब हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में थे, उस समय भी हमारी उनकी निकटता थी। मान्यवर, वह वर्ष 1974 के सामान्य निर्वाचन में सर्वप्रथम निर्वाचन क्षेत्र गंगापुर वाराणसी से बी0 के0 डी0 के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । तत्पश्चात् 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। लेकिन देखने से बलदेव जी को आप कहेंगे कि बे-पढ़े किसान मजदूर लगते थे, परन्तु जिस समय वह पार्टी में, सभाओं में अपने विचार रखते थे, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। वह अपने जीवन भर, अपने ग्रामीण जीवन और देश की जो हालत है, उससे सदैव चिंतित रहे और किसान मजदूरों के प्रति उनकी सेवा सदैव समर्पित रही। आज मान्यवर वह हमारे बीच से चले गये, इससे हमारे दल की क्षति हुई है साथ ही इस तरह के व्यक्ति मान्यवर बहुत कम मिलते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारी संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, स्वर्गीय बैजनाथ सिंह जी वर्ष 1952 के सामान्य निर्वाचन में सर्वप्रथम बलिया से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात् 1967 में जनसंघ के टिकट पर उ0 प्र0 विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। मान्यवर, वह बहुत ही लगनशील और अपने विचारों को ठीक प्रकार से सरकार के समक्ष रखने वाले व्यक्ति थे। मान्यवर, आज उनके निधन से हम सब दु:खी हैं आपसे प्रार्थना है कि हमारी संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय विलायती राम कत्याल जी की मृत्यु के संबंध में जो संवेदनायें माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और नेता लोक दल (ब) ने प्रकट की हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और अपने दल को संबद्ध करता हूं। श्रीमन् यह दु:खद स्थिति है। जिस तरीके से माननीय कत्याल जी की हत्या हुई है, सारा प्रदेश स्तब्ध है, यह सदन शोकाकुल है। ऐसे समय में किसी राजनैतिक प्रश्न को उठाना औचित्य नहीं रखता है, हमको, आपको इस अवसर पर गम्भीरता से सोचना चाहिए और मान्यवर, माननीय कत्याल जी हमारे बीच से चले गये, यह बड़े दु:ख की बात है चिन्ता का विषय हम सबके लिए और क्या हो सकता है? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी और हमारे दल की संवेदना शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। मान्यवर, हमारे दूसरे साथी स्वर्गीय बलदेव जी वर्ष 1974 के सामान्य निर्वाचन में सर्वप्रथम निर्वाचन क्षेत्र गंगापुर वाराणसी से बी0 के0 डी0 के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात् 1977 में जनता पार्टी

के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। मान्यवर, वह सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में मिल कर काम करते थे, उनका भी निधन हो गया, उनके निधन से खासकर हमारे वाराणसी मंडल को अपूर्णीय क्षति हुई है और हम सब दुःखी हैं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि हमारी और हमारे दल की संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। मान्यवर, स्वर्गीय बैजनाथ सिंह हमारे जनपद बलिया के एक वयोवृद्ध राजनैतिक पुरुष थे। उनका सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। मान्यवर, हम लोग जब युवक थे, उस जमाने में बलिया के राजनैतिक और सामाजिक कार्यों में वह अग्रणीय स्थान रखते थे। वह हाजिर जवाब थे और मरने के एक-दो महीने पहले तक बराबर हंसते रहते थे और बराबर हंसी-मजाक में अपना समय गुजारा करते थे। मान्यवर, उनके निधन से हमारे जनपद की अपूर्णनीय क्षति हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारी और हमारे दल की संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की आप मान्यवर कृपा करेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कत्याल जी, श्री बल्देव जी और श्री बैजनाथ सिंह जी के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने और अपने दल को उसके साथ सम्बद्ध करता हूं। माननीय कत्याल जी की हत्या का समाचार सुनकर कल पूरा प्रदेश स्तब्ध रह गया। मान्यवर, शरीर नश्वर है और जो इस संसार में आया है, उसको जाना ही है, लेकिन जिन परिस्थितियों में और जिस ढंग से श्री कत्याल को हमारे बीच से उठा लिया गया वह अत्यन्त शोकपूर्ण और दुखद ही कहा जायेगा। मान्यवर, श्री कत्याल जी के और हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन इसमें कोई मतभेद नहीं है कि श्री कत्याल जी कानपुर के सामाजिक जीवन में एक प्रमुख स्थान रखते थे और जुझारू तथा संघर्षशील स्वभाव के व्यक्ति थे। एक परिस्थिति बनी, संघर्ष का बदला जिस ढंग से उनके साथ लिया गया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, केवल इतना कहना चाहता हूं कि शासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर एक प्रश्नचिन्ह लग गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों या उधर के बैठने वाले लोग हों, हम सब लोगों ने सामाजिक जीवन में सेवा का व्रत लिया है। मान्यवर, अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हम किसी कार्य से किसी को दुश्मन बना लेते हैं और वह बनाना अपने लिए अनिवार्य हो जाता है। मान्यवर, वह बड़े ही लोकप्रिय थे और अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा निवेदन है कि हमारे और हमारे दल की भावना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, माननीय बल्देव जी के साथ मुझे यहां बैठने का अवसर मिला है। उन्होंने 1942 के स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद भी वह अनेक बार आन्दोलन करके जेल गये। वह उत्तर प्रदेश में सामाजिक जीवन में एक विशेष स्थान रखते थे। उनके न रहने से एक बड़ी भारी क्षति पैदा हुई है। मान्यवर, श्री बैजनाथ सिंह जी बलिया जिले के विधायक रहे हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अनेक शिक्षा संस्थाओं से स्थानीय निकाय से उनके संबंध थे, वह स्वभाव से समाजसेवी थे । उनके न रहने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी भारी रिक्तता पैदा हुई है । इन दोनों दिवंगत नेताओं के प्रति मैं अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए निवेदन करता हूं कि तीनों महानुभावों के शोक-संतप्त परिवार तक हमारी शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय विलायती राम जी, बल्देव जी, और बैजनाथ सिंह जी के निधन से मुझे और मेरे दल को हार्दिक दुख है, उनके बारे में जो शोक संवेदनाएं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय मैनेजर सिंह जी और राजेन्द्र गुप्त जी ने प्रकट की हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, कत्याल जी की जिस तरह से नृशंस हत्या की गयी, यह पूरे प्रदेश की जनता के लिए बड़े दुख का समाचार था और सब स्तब्ध रह गये। मान्यवर, इससे ज्यादा कुछ कहना उचित न होगा, मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार के लिए यह बड़ी भारी चुनौती है। मान्यवर, कत्याल जी ने यह आशंका जाहिर की थी कि कुछ लोग उनको मारने के पीछे पड़े हुए हैं लेकिन उस हालत में भी सरकार उनकी कोई सुरक्षा नहीं कर पाई यह बड़ी भारी खेद की बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को संजदगी से इस बारे में सोचना चाहिए। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने श्री विलायती राम कत्याल, श्री बलदेव जी और श्री बैजनाथ सिंह जी के बारे में जो शोक के संदेश दिये हैं, मैं अपने को उससे जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय विलायती राम की हत्या एक सवालिया निशान बन गया है इस मुल्क की जम्हूरियत पर और जब राजनीतिक लोग, समाज सेवा में जुटे लोग इस तरह से सड़कों पर कल कर दिये जाएंगे और गोलियों का जहर फैल जायगा तो जम्हूरियत खतम हो जायगी । इसको बचाने के लिए सरकार को संजीदगी से गौर करना चाहिये कि किस तरह से इन भावनाओं को दबाकर कुचला जा सके । मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन गमजदा खानदानों तक हमारी ये संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री अकबर हुसैन बावर–

श्रीमन्, कत्याल साहब, बल्देव जी और बैजनाथ सिंह जी के प्रति जो भावनाएं माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने प्रकट की हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, माननीय कत्याल जी की हत्या उन सारी शक्तियों के लिए चुनौती है जिनका इस देश की अखण्डता और एकता में हिस्सा है । सारी सेकुलर फोर्स के लिए चुनौती है और सरकार के लिये चुनौती है । आतंकवादी शक्तियां इस देश के विभाजन के लिए इस प्रदेश में भी सक्रिय हो गयी हैं । यह खतरा हमारे सरों पर मण्डरा रहा है । यह चुनौती सिर्फ सत्ता दल के लिये नहीं है, इस प्रदेश की सारी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेकुलर जनता के लिये, हम सब के लिए है । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय कल्याल जी के शोक संतप्त परिवार और माननीय बैजनाथ सिंह और मा0 बल्देव जी के गमजदा परिवारों तक मेरी और मेरे दल की ये संवेदनाएं पहुंचा दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मा0 कत्याल जी की निर्मल हत्या पर जो शोकोद्गार मा0 नेता सदन ने, माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करता हूं । कल जैसे ही कत्याल जी की हत्या की खबर सुनने को मिली, सारा प्रदेश स्तब्ध रह गया । कात्याल जी की हत्या इस शासन के लिए चुनौती है और हमारा विश्वास है कि जन-प्रतिनिधियों की सुरक्षा के प्रति शासन इस घटना के बाद दायित्व का बोध करेगा । अपने इन शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अपेक्षा करूंगा कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे ये शोक श्रद्धाजलि के पुष्प पहुंचाने का कष्ट करेंगे ।

*श्री आर0 एन पाठक–

मान्यवर, मा0 नेता सदन ने श्री विलायती राम कत्याल, श्री बल्देव जी और श्री बैजनाथ सिंह के निधन के संबंध में जो विचार रखे हैं और जिसका समर्थन मा0 नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने किया है, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, माननीय विलायती राम कत्याल जी गुजरांवाला (पाकिस्तान) के रहने वाले थे और कानपुर में आने के बाद से वह तमाम जन सेवा संस्थाओं से सम्बन्ध रहे । वह एक अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता थे और जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है, कानपुर में तनाव का वातावरण पैदा हो गया है । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कानपुर के विधायकों की जान-माल को खतरा उत्पन्न हो गया है । मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार विशेष ध्यान दे । मैं तो आपके माध्यम से अपने तमाम साथियों और तमाम राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो संविधान में 59वां संशोधन हुआ है उसके तहत तत्काल इमरजेंसी की मांग करें और जो हमारे देश का बार्डर पाकिस्तान की ओर है उसे सील कर दिया जाय जिससे कि कोई हथियार इस देश में न आने पाए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनके परिवारों तक हमारी ये संवेदनाएं भेजने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

वर्तमान माननीय सदस्य श्री विलायती राम कल्याल की 53 वर्ष की उम्र में 5 अप्रैल, 1988 को कानपुर में हत्या कर दी गयी । कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे इस तरीके से हमारे बीच से छिन जायेंगे । श्री कत्याल गुजरानवाला (पाकिस्तान) में 29 जुलाई, 1935 को पैदा हुए थे । पहली मर्तबा सन् 1980 में चुने गये और इधर सन् 1985 में दोबारा चुने गये थे । समाज के कमजोर लोगों के लिए वे हमेशा लड़ते रहे ।

भूतपूर्व सदस्य माननीय बल्देव जी का निधन 15/16 मार्च, 1988 की रात्रि में हो गया । श्री बल्देव जी सन् 1907 में बाराणसी में पैदा हुए थे । सन् 1974 के जनरल इलेक्शन में पहली मर्तबा वाराणसी से बी0 के0 डी0 के टिकट पर चुने गये । दोबारा सन्, 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुने गये । सन 1942 में आजादी की लड़ाई में हिसा लिया । वे खेती और गांव की तरक्की में बहुत दिलचस्पी रखते थे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भूतपूर्व सदस्य माननीय बैजनाथ सिंह जी का निधन 26 मार्च 1988 को हो गया । जिला बलिया में पहली जुलाई 1909 को पैदा हुए । 1952 में पहली मर्तबा बलिया से चुने गये । दोबारा 1967 में जनसंघ के टिकट पर चुने गये । बैजनाथ जी हमेशा समाज सेवा में लगे रहे ।

इस संबंध में आप सभी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । आप सबकी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचायी जायेंगी । आइये हम सब उठकर दो मिनट मौन धारण कर इनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये)

अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मंडल, सिंचाई कार्य बहराइच द्वारा की जा रही अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अंतर्गत आज 31 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं, जिसमें शलाका द्वारा 7 सूचनायें स्वीकार हुई हैं । पहली सूचना श्री मयंकर सिंह की है, दूसरी सूचना श्री पारस नाथ यादव की, तीसरी सूचना श्री शफीकुर्रहमान बर्क की है, चौथी सूचना श्री कुशल पाल सिंह की है, पांचवीं सूचना श्री मित्रसेन यादव की है, छठी सूचना श्री सुखपाल पाण्डे की है तथा सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है । यदि सदन की सहमति हो तो इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से निम्न सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री मयंकर सिंह–

[महोदय, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने स्तर के अनुबन्धों में, ठेकेदारों से मोटी रकम वसूल की जा रही है । सरयू मुख्य नहर के कि0 मी0 38.100 पर निर्माणाधीन सुपरपेसेज के अनुबन्ध के लिए ठेकेदार से ढाई लाख रुपया मांगा जा रहा है । पैसा न देने की दशा में निविदा निरस्त करने की भी धमकी दी जा रही है । अभी-अभी अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने अधीनस्थ खण्ड–7 के माध्यम से सूखा राहत के अंतर्गत लगभग 25 लाख रुपये का फर्जी मस्टर रोल बनवाया है । वर्तमान में भी इस महत्वपूर्ण धन की लूट मची हुई है । डिवाटरिंग के नाम पर भी सरकारी धन की लूट की जा रही है । उदाहरणार्थ निविदा सूचना संख्या 006/83-84 दिनांक 23-3-83 के द्वारा कुछ पक्के कार्यों की इनके अधीनस्थ खण्ड–4 के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गयी । डिवाटरिंग के मदों पर ठेकेदारों द्वारा क्रमशः 55 हजार, 75 हजार तथा एक लाख रुपया रेट दिया गया, परन्तु ठेकेदारों से डिवाटरिंग न कराकर इन्हीं मदों पर विभाग द्वारा क्रमशः 5 लाख, 5 लाख तथा 10 लाख रुपये खर्च किये गये हैं । उक्त अधीक्षण अभियन्ता जब खारा प्रोजेक्ट देहरादून में अधिशासी अभियंता थे, तब इनकी अनियमितताओं के विरुद्ध विजिलेंस जांच हुई । विजिलेन्स ने इन्हें निलम्बित करके 75 लाख रुपया वसूल करने की सिफारिश की थी । जांच रिपोर्ट कहीं दबी पड़ी हुई है । अधीक्षण अभियन्ता के भ्रष्ट कारनामों एवं साम्प्रदायिक भावनाओं से जन असंतोष व्याप्त है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतएवं इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर प्रभावी कार्यवाही हेतु माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।]

शारदा सहायक खण्ड 39 जिला जौनपुर में नाली गूल के निर्माण में धांधली के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री पारस नाथ यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर दिलाना चाहता हूं । जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खण्ड 39, नरायनपुर रजवहा नहर के किनारे सिंचाई के लिए बनाई जा रही नालियों में घटिया किस्म की ईंटें, सीमेंट व बालू लगाई जा रही है । किसानों की भूमि बगैर अधिग्रहीत किये एवं बगैर सूचना के ले ली जाती है, उनको उसका मुआवजा भी नहीं दिया जाता है । नालियां गलत ढंग से बन रही हैं । ग्राम कटवार, गारोपुर, बाजीदपुर, खेमापुर एवं कोंति गांव में बनाई गई नालियां टूट कर गिर गयी हैं । इस बात से किसानों एवं जनता में असंतोष व रोष व्याप्त है । किसान कायदे से अपनी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं । एक तरफ धन का दुरुपयोग किया जा रहा है दूसरी तरफ सिंचाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है ।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जांच कराके फर्जी कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।]

उ0 प्र0 कृषि विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों के पुनः अन्यत्र सेवा में लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

[महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

उ0 प्र0 के छटनी शुदा कृषि अमीनों तथा चपरासियों की आपात स्थिति में दिनांक 31-8-75 को छटनी कर दी गई उस समय से अभी तक इन कर्मचारियों को किसी भी सेवा में नहीं लिया गया है । जिसके फलस्वरूप इन सभी छटनीशुदा कर्मचारियों की रोजी-रोटी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है।

मैं शासन से मांग करता हूं कि इन कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी की समस्या है । अतः इन कर्मचारियों को अविलम्ब सेवाओं में खपाया जावें ।]

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुशल पाल सिंह–

[माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ले जाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक सेवा निवृत्त शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है और उन्हें 8 मार्च, सन् 1978 के शासनादेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों की भांति पेन्शन मिलनी चाहिए । परन्तु 28 जुलाई, सन् 87 के शासना-

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

देशानुसार प्राथमिक शिक्षकों को अब तक नहीं दी जा रही है तथा पारिवारिक पेन्शन भी आजन्म नहीं पा रहे हैं । पेंशन एक बचनबद्ध व्यय है परन्तु प्राथमिक पेंशन पर अनुदान की प्रथा में रखा गया है। जिससे पेंशनरों को आर्थिक हानि हो रही है। जिससे प्राथमिक शिक्षकों में क्षोभ व्याप्त है।

आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देश देने की कृपा करें कि प्राथमिक शिक्षक पेंशनरों को राज्य कर्मचारियों की भान्ति पेंशन दिया जाय ।]

जिला फैजाबाद की तहसील सदर की ग्राम सभा भदरसा की भूमि के अवैध पट्टे कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन–

[मान्यवर, ग्राम सभा भदरसा, प0 हवेली व अवध, फैजाबाद में लाखों रुपये की ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि का तहसील अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कस्बे के बड़े लोगों के नाम जो पात्र नहीं हैं उनके नाम से अवैध पट्टे कर दिये गये हैं। इतना ही नहीं सार्वजनिक सुरक्षित भूमि व खान तालाब शमशान का भी आवंटन करके भूमि चोरी का बहुत बड़ा घोटाला किया गया है । इसकी जानकारी गांव वालों को तब हुई जब चकबन्दी कर्मियों ने मौके पर निशानदेही और पैमाईश करना शुरू कर दिया इससे गांव के और पास पड़ोस के लोगों में भारी असन्तोष और तनाव पैदा हो गया है गांव समाज की कृषि योग्य और सुरक्षित भूमि का नामधारी कुपात्रों के नाम अवैध पट्टे हो जाने के कारण गांव के भूमिहीन गरीब पात्र व्यक्तियों को पट्टा न मिलने से पात्रता के लाभ से वंचित रह गये हैं। इस प्रकार सैकड़ों बीघे जमीन जो लाखों रुपये की सम्पत्ति है कुपात्रों और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से हड़प लिया गया है।

अतएव मैं उक्त महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाकर उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड–1 जिला बहराइच के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डे–

[मान्यवर, ज्ञातव्य है कि जनपद बहराइच के अन्तर्गत सा0 नि0 वि0 के अस्थाई खण्ड नं0–1 (निर्माण खण्ड) में सूखा राहत के नाम पर वहां के अधिशासी अभियन्ता तथा कुछ कर्मचारी अपने चहेते ठेकेदारों के नाम फर्जी धन लाखों रुपया निकालकर हड़प कर गये हैं। इसकी शिकायत बहुत पहले से शासन एवं उच्च अधिकारियों को लिखित और प्रमाण पत्रों सहित किया गया परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया बल्कि लाखों रुपयों का बन्दरबांट करके अधिशासी अभियन्ता, कर्मचारी एवं राजनैतिक ठेकेदारों ने हड़प कर लिया है। गम्भीर शिकायतें जिलाधिकारी को भी मिली उन्होंने परगनाधिकारी सदर को 31 मार्च, 88 को समस्त कागजात सील करने का आदेश दिया । अधिशासी अभियन्ता अपने को फंसते देखकर परगना-

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

धिकारी से सांठ-गांठ करके अपने सील समस्त कागजातों को वापस कर लिया । उक्त विभाग के एकाउन्टेन्ट ने अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों को अधिशासी अभियन्ता द्वारा कागजात बदलने को लिखित सूचना भेजी परन्तु इस उक्त भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध लाखों रुपये का भ्रष्टाचार है, उसे छिपाना चाहते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि लाखों रुपये के घोटाले के सारे कागजात सील किये जायें और अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर निलम्बित करने की मांग करता हूं ।]

सीतापुर जनपद में वाणिज्य विषय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं को खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[महोदय, शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि सीतापुर में वाणिज्य विषय के लिए स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे पूरे क्षेत्र में सरकार के विरुद्ध व्यापक जन असन्तोष है। आजकल छात्रों में वाणिज्य विषय पढ़ने की रुचि बढ़ रही है । सीतापुर के वाणिज्य पढ़ने वाले छात्र लखीमपुर 50 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं। इससे मध्य वर्ग तथा सीमित आय वाले अभिभावकों को बड़ी असुविधा होती है। छात्र आन्दोलन करते रहे हैं। मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने विगत वर्ष सीतापुर की सार्वजनिक सभा में बी0 काम0 कक्षायें राजकीय स्रोत से खुलवाने की घोषणा भी की थी । परन्तु उसे पूरा न किए जाने से जनता में उत्तेजना निरन्तर बढ़ रही है।

अतः सरकार से मांग है कि वह तुरन्त बी0 काम0 तथा एम0 काम0 की पढ़ाई के लिए राजकीय कालेज खोलने का प्रबन्ध करें ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज सात सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री फजलुल बारी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की, –माननीय सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर माननीय मंत्रियों द्वारा समय के अन्दर उत्तर न दिए जाने के संबंध में । दूसरी सूचना माननीय कुंवर मानवेन्द्र सिंह और सूर्य प्रताप शाही जी की, ललितपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला जज को धमकाने–कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप किये जाने के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री राम सागर जी की, जनपद बाराबंकी के ग्राम चिसार में भीषण अग्निकांड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । चौथी सूचना श्री मैनेजर सिंह जी की, बलिया के जिलाधिकारी द्वारा पार्क का शिलान्यास करने के सम्बन्ध में । पांचवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह व गोपाल दास यादव की, नियम 56 में आतंकवाद की समस्या पर माननीय गृह मंत्री द्वारा चर्चा का विरोध किये जाने के सम्बन्ध में । छठी सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की, बलिया के जिलाधिकारी द्वारा शिला-

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

न्यास व उद्घाटन किये जाने के सम्बन्ध में । सातवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की, नियम 56 में दिनांक 4-4-88 को माननीय गृह मंत्री द्वारा आतंकवाद की स्थिति पर चर्चा किये जाने के विरोध के सम्बन्ध में है।

सम्बन्धित मंत्री/सदस्यों द्वारा समय से विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना का स्पष्टीकरण न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा जो औचित्य का प्रश्न है, विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं के संबंध में है। जब हम नियम 63 की विशेषाधिकार अवहेलना की कोई लिखित सूचना 64 के अंतर्गत देते हैं, अगर वह सूचना सदन के किसी सदस्य से सम्बन्धित होती है, तो उसकी दो प्रतियां इसलिए देनी पड़ती हैं क्योंकि नियम 65 में उसकी एक प्रति आप सम्बन्धित सदस्य के पास भेजते हैं । इधर देखने में यह आया है कि विशेषाधिकार अवहेलना की जितनी भी सूचनायें आयीं हैं, आपकी पीठ से जो निर्देश होते हैं कि सम्बन्धित सदस्य अमुक पीरियड में अपना जवाब दें मान्यवर, चाहे वह मंत्री हों या सदस्यगण हों, वह उसका जवाब निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं देते । मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । आपकी पीठ सम्पूर्ण सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा की प्रतीक होती है और अगर आप द्वारा जारी निर्देशों का पालन हम नहीं करेंगे तो यह सदन कैसे चलेगा सदन की गरिमा कैसे रहेगी ? मान्यवर, मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज स्पष्ट निर्देश दें कि जिन सदस्यों से संबंधित विशेषाधिकार अवहेलना की सूचनायें होंगी, अगर वह निर्धारित समय के अन्दर अपनी टिप्पणी नहीं भेज देते, तो आप द्वारा उसे विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया जायेगा । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जैसा कि माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने औचित्य का प्रश्न उपस्थित करते हुए अपने तर्क को आपके समक्ष प्रस्तुत किया कि माननीय मंत्रीगणों को जो आप निर्देश देते हैं, उसकी निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए । मान्यवर, यह सूचनायें मंत्रीगणों से ही संबंधित नहीं हुआ करती हैं, बल्कि कभी-कभी यह विशेषाधिकार की सूचनाएं अधिकारियों के विरुद्ध भी हुआ करती हैं। मान्यवर, यहां पर मंत्रीगण हमारे आपके बीच में बैठते हैं। उन्हें आप स्पष्ट निर्देश जारी कर दें। मान्यवर, अधिकारीगण एक-एक वर्ष तक जवाब नहीं देते हैं। मैंने विशेषाधिकार की एक सूचना दी थी । सरकार की तरफ से उसका एक वर्ष तक कोई जवाब नहीं आया और एक वर्ष के बाद वह सूचना सन्दर्भित हो सकी थी । मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें विलम्ब होता है और विलम्ब होने के कारण जो तात्कालिक कार्यवाही होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है। उसके न होने से जो विशेषाधिकार का मूल अधिकार है, उस पर सीधा प्रहार हो जाता है। आप अपने निर्देश के द्वारा एक निश्चित अवधि बना दें और अगर तब तक सूचना न आवें तो आप विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी और माता प्रसाद जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है। जहां तक रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के प्रश्न का संबंध है। मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि जब कोई निर्देश मंत्रि परिषद् या मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को जाता है, अगर उसमें सूचना मंगाने में विलम्ब होता है, तो हम उसके लिए आपसे निवेदन करते हैं कि इसमें समय बढ़ा दिया जाये। इस तरह का पत्र भी आपके पास भेजा जाता है। हम समय के अन्दर आपके आदेशों का पालन करने की कोशिश करते हैं। माननीय माता प्रसाद जी ने जो कहा कि अधिकारी जवाब नहीं देते। उनको जवाब देना चाहिए। जो समय आपके द्वारा निर्धारित हो, उसके अन्दर ही जवाब आना चाहिए। जो नियम हैं, हम उनका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और जो आपका आदेश होगा, वह शिरोधार्य होगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इसके लिए एक निश्चित तिथि कर दें और इसके लिए आप संसदीय कार्य मंत्री से सलाह कर लें। जो आप अधिकतम अवधि दें, उसके अन्दर जवाब आ जाना चाहिए।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय अध्यक्ष जी, आप कुछ अपना फैसला दें। मैं एक बात कहना चाहूंगा और माननीय मैनेजर सिंह ने जो बात कही है तिथि या टाइम के बारे में, तो उससे मुझे कोई बात नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसी परिस्थिति होती है कि सूचना मंगानी पड़ती है और जब सूचना बाहर से मंगाने में समय लगता है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि समय बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस मामले पर विचार करके फिर निर्णय दूंगा।

सूचना नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7 अस्वीकार की जाती हैं। यह नियम–300 में नहीं आती हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं एक महत्वपूर्ण विषय ले रहा हूं। मैं खड़ा हुआ हूं, कृपा करके आप लोग बैठ जायें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था सुनूंगा, पहले आप लोग बैठ जायें।

निर्णय के बाद अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो वह मुनासिब नहीं होगा।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्य ने नियम 300 व 311 में सूचना दी है और वो आतंकवाद पर बोलना चाहते हैं, इसलिए आप उसे नियम–56 में सम्मिलित कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम-56 में शामिल कर लिया जायेगा ।

(मद संख्या–4 पुकारे जाने पर)

श्री रामशरण दास–

मान्यवर, ठीक है आपने उन्हें नियम-56 में एटैच कर दिया नियमानुसार हाउस चलना चाहिए । चैम्बर में एक बात तय हो गई थी। नियम–56 में नहीं सुना गया तो सदन कैसे चलेगा ?

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1988 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 30 मार्च, 1988 को ही विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1988 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1988 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 मार्च, 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 30 मार्च, 1988 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1988 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 17 मार्च, 1988 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मार्च, 1988 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1988 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 मार्च, 1988 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मार्च, 1988 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1988 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (1987-88) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (1987-88) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–10 पर कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें हैं, यदि आपकी इजाजत हो तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(पढ़ी हुयी मानी गयी ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 5 अप्रैल, 1988 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 6 अप्रैल से 28 अप्रैल, 1988 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

अप्रैल, 1988

6 बुधवार

1–असरकारी संकल्प ।

2–जिला आगरा की फिरोजाबाद तहसील को जिला घोषित किए जाने के संबंध में एक घण्टे की चर्चा ।

3–उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 पर विचार एवं उसका पारण ।

7 गुरुवार
8 शुक्रवार
9 शनिवार

बैठक नहीं होगी ।

10 रविवार
11 सोमवार

1–असरकारी संकल्प ।

2–अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन पर विचार–आधा घण्टा ।

12 अप्रैल से

बैठक नहीं होगी ।

24 अप्रैल, 1988
25 सोमवार

1–असरकारी विधेयक ।

2–प्रदेश में चीनी मिलों में प्रति क्विंटल चीनी के उत्पादन लागत एवं गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य में विसंगति के संबंध में चर्चा–एक घण्टा ।

26 मंगलवार

1–विधायी कार्य।

2–श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा—

"इस सदन की संस्तुति है कि प्रदेश में काश्तकारों की निजी नलकूपों को वर्षाकाल के माहों के बिजली के न्यूनतम चार्ज से मुक्त किया जाय।"

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3—श्री लाल प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा—

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि ऐसे साम्प्रदायिक संगठनों एवं दलों को, जिनसे सामाजिक सद्भावना तथा राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हुआ है, प्रतिबन्धित किया जाय।"

अप्रैल, 1988

27 बुधवार — 1—असरकारी विधेयक।

2—अवध विश्वविद्यालय जांच आयोग का प्रतिवेदन, 1979 पर एक घण्टे की चर्चा।

28 गुरूवार — 1—असरकारी दिवस।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा—

"यह सदन संस्तुति करता है कि प्रदेश में अक्सर पड़ने वाले सूखा और घाघरा सरयू गोमती और उनकी सहायक नदियों एवं उनमें मिलने वाले नालों से हर वर्ष उत्पन्न होने वाली बाढ़ की विषम स्थिति में स्थायी समाधान हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो गठित होने के 6 माह के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को दे दे।"

3—श्री राम सजीवन, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा—

"यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करता है कि पर्वतीय क्षेत्र की भांति बुन्देलखण्ड के पांच जिलों-बांदा हमीरपुर झांसी, ललितपुर एवं जालौन के विकास हेतु विशेष अनुदान की भारी धनराशि स्वीकृत करके बढ़ रहे क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाये जायं।"

4—प्रदेश में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या पर एक घण्टे की चर्चा।]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा आज इस सदन में दी गई है, उससे सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे यह जानने की जिज्ञासा रखता हूं कि कई ऐसे मामले आते हैं, जिनको हम आपको देते हैं और आप बिना ग्राह्यता पर सुने हुए व्यवस्था दे देते हैं कि नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है। कार्यपालिका अगर न्यायपालिका के कामों में इस तरह से हस्तक्षेप करेगी। ललितपुर की जिला जज ने लिखकर हाईकोर्ट को भेजा है और शासन को भेजा है कि पुलिस अधीक्षक ललितपुर ने उनको एक मामले में थाने बुलाकर निपटने की धमकी टेलीफोन पर दी है। (व्यवधान)

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री उपाध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है। यह नियम 300 में दी गई आपकी सूचना है, जो कि अस्वीकार हो गई है। इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठेगा।

(श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा पुनः बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठें।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा "मद संख्या-12" पुकारे जाने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

फिर यह किस नियम के अन्तर्गत आयेगा, आप बता दें?

श्री उपाध्यक्ष–

आपको शाम तक पता चल जायेगा, आप बैठें, विचार हो रहा है।

(श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री शारदानन्द अंचल द्वारा खड़े होकर बिना अनुमति के बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री शारदानंद अंचल–

बलिया के जिलाधिकारी वहां के धन को बुरी तरह से खर्च कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, आप बैठें, कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री शारदानंद अंचल–

आप कुछ न लिखवायें लेकिन सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष–

फिर आप बोलते रहिये, कुछ नहीं लिखा जा रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अंचल जी बोल रहे थे, कार्यवाही में लिखायें या नहीं यह आपका अधिकार है लेकिन इसी सदन में तय हो चुका है और सवाल आया तथा सरकार ने आश्वासन दिया कि इस प्रकार से सरकारी अधिकारी शिलान्यास इत्यादि करके फिजूलखर्ची नहीं करेंगे, यह महत्वपूर्ण सवाल था। जब सदन में तय हुआ है, सरकार ने आश्वासन दिया है . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जिस पर निर्णय हो चुका है, उसे दुबारा तो नहीं सुना जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष–

(मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सम्बोधित करते हुए) इस मामले को दिखलवा लीजियेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, शायद मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी समझ नहीं पाये हैं, मैं समझा देता हूं। माननीय अंचल जी ने सवाल उठाया कि बलिया के कलेक्टर शिलान्यास कर रहे हैं। सदन में सरकार ने आश्वासन दिया था कि सरकारी अधिकारी शिलान्यास या उद्घाटन नहीं करेंगे। वही सवाल उठाया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय यदि आप इसे पूरा सुन लेते तो आप भी इसे गम्भीरता से लेते। आपने तो कह दिया कि नहीं सुनेंगे। यहां सदन में सरकार ने आश्वासन दिया था, आप उसका पालन कराइये और यदि सरकार के आश्वासन का पालन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? सरकार इसका उत्तर दे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय रिछारिया जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि यदि ऐसी घटना हुई है तो इसे आप लिखित रूप से दे दें, हम इसे दिखवा लेंगे। यद्यपि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी बातों का पता लगाये लेकिन जब इसके संज्ञान में यह बात लाई जाती है तो सरकार आश्वासन दे देती है और उस आश्वासन का पालन होता है या नहीं, यह देखने वाला कोई नहीं है। यदि उसका पालन नहीं कराया गया है तो फिर यहां पर सदन में मा0 रिछारिया जी ने गलत बयानी की है जो कि निश्चित रूप से विशेषाधिकार के हनन का मामला बनता है। मा0 सदस्य बतला रहे हैं कि 26 अक्तूबर को वहां के जिलाधिकारी ने शिलान्यास किया था और अब फिर 2 अप्रैल को वहां के जिलाधिकारी के नाम से पत्थर लगाया गया है। यह मामला विशेषाधिकार हनन का है, इसे आप औचित्य के रूप में कैसे सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

इसे तो आपको लाना चाहिये, मैं थोड़े ही आपको बतलाऊंगा कि किस नियम में लाइये।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय अंचल जी ने और माननीय मुलायम सिंह जी ने जो बात उठायी है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसे दिखवा लेंगे और अब फिर कह रहा हूं कि इसे दिखवा लूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 में कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुई हैं :–

1–श्री जयदीप सिंह बरार, श्री विलायती राम कत्याल, सदस्य, विधान सभा की कानपुर में हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2–श्री कल्यान सिंह, –तदंग–
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त,
श्री सूर्य प्रताप शाही,
कुंवर मानवेन्द्र सिंह,
डाक्टर दिनेश जौहरी तथा
श्री श्याम बिहारी सिंह

3—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री विलायती राम कत्याल, सदस्य, विधान सभा, की कानपुर में हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तथा

श्री फजलुल बारी

4—श्री राम सागर, —तदैव—

श्री पारस नाथ यादव तथा

श्री जगमोहन सिंह यादव

5—श्री राम शरण दास —तदैव—

6—श्री अकबर हुसैन बाबर, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ताओं की हड़-

श्री दीप चन्द्र सोनकर ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

तथा

श्री पारस नाथ यादव

7—श्री शफीकुर्रहमान बर्क ग्राम जिन्दरपुर तहसील गजरौला जिला बिजनौर में हरिजनों व मुसलमानों के घर जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8—श्री मनोहर लाल उन्नाव जनपद में हुए भीषण अग्निकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय बलिया में हुए भीषण अग्निकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10—श्री कामेश्वर उपाध्याय प्रतापपुर, देवरिया चीनी मिल के मजदूरों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11—श्री मिश्रसेन पाकिस्तान प्रवास के दौरान रहते हुए फैजाबाद जनपद के हजहार नामक व्यक्ति को फर्जी मुकदमें में फंसाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12—श्री शारदा प्रताप बेकमन्स ब्रेड फैक्ट्री नादरगंज लखनऊ के कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा किये गये हमले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

13—श्री रघुबर दयाल वर्मा फिरोजाबाद एवं उसके ग्रामीण अंचलों में छूत की बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14—श्री चन्द्रभान मौर्य एतमादपुर तहसील जिला आगरा में कही आबपासी तथा तावान की वसूली किये जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

15—श्री महेन्द्र भाटी गाजियाबाद की दादरी एवं हापुड़ तहसीलों में बहने वाली नहरों का नियंत्रण बुलन्दशहर के नहर विभाग द्वारा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

16—कैप्टन बल्देव सिंह तथा श्री किशन लाल दिलेर अलीगढ़ जनपद में अराजकतत्वों द्वारा हरिजनों की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

17—श्रीमती शारदा देवी — नियोजन विभाग लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।

18—श्री अनुग्रह नारायण सिंह
श्री गोपाल दास यादव
तथा
श्री राकेश धर त्रिपाठी — इलाहाबाद के जमुना नगर क्षेत्र में कांग्रेस (आई) पार्टी द्वारा की जा रही फिजूलखर्ची से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

19—श्री बदन सिंह — आगरा स्थित पुरातत्व विभाग की ऐतिहासिकता को नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

20—श्री हृदय नरायन दीक्षित — डी0 एस0 एन0 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज उन्नाव के परिसर में पी0 ए0 सी0 का प्रवेश।

21वीं सूचना श्री राम सजीवन की टाइगर हार्ड वेयर एण्ड टूल्स लि0 अलीगढ़ के मजदूरों को वेतन न दिए जाने के संबंध में है।

22वीं सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की जिला विकास कार्यालय, बलिया में कर्मचारियों की नियुक्तियों में की जा रही अनियमितता के संबंध में है।

23वीं सूचना सर्वश्री सैयद अली अशरफी, श्री नरेन्द्र पाल सिंह तथा त्रिभुवन प्रसाद की पूरनपुर, पीलीभीत में आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

24वीं सूचना श्री अचल सिंह की फतेहपुर जनपद में ट्रांसफारमरों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

25वीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा नेताओं के पोस्टरों को वितरित किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

26वीं सूचना श्री बाबूराम यादव की प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों में मतभेद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

27वीं सूचना श्री देवता दीन की नानपारा जनपद बहराइच में गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति के संबंध में।

28वीं सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की बांदा जनपद की तहसील भरेनी में अर्ध निर्मित मलौनी पम्प कैनाल में अधिग्रहीत सैकड़ों एकड़ भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

29वीं सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्पन्न पेयजल समस्या के संबंध में है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैंने इसी से सम्बन्धित सूचना नियम 311 में दी है इसे भी इसी में जोड़ दीजिए. . . . (व्यवधान)

मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मा0 अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा कि इस सूचनाओं को भी उसी में जोड़ दिया जायेगा। तो मान्यवर, इसे आप जोड़ दीजिए. . . .

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 311 वाली समस्त सूचनाएं तो समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन उनमें जिन लोगों के नाम हैं, मैं दिखवा लूंगा और उन सभी को इसमें बुलवा दूंगा। कृपया शांति बनायें।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, नियम 311 का किस तरह से मान्यवर उपयोग हो रहा है, जिन लोगों ने इस विषय पर नियम 56 के तहत अपनी सूचनाएं दी थीं और नियम 311 में भी दिया था उनकी सूचनाओं को मान्यवर, अवश्य सुना जाना चाहिए था और जिन्होंने केवल नियमों के निलम्बन के प्रस्ताव की सूचना दी थीं उनको इसमें नहीं लिया जाना चाहिए। मान्यवर, यह कितना गम्भीर मामला बनता जा रहा है, वैसे तो श्रीमन्, आप नियमों के बाध्य नहीं हैं, यदि कोई मामला आपकी नोटिस में आ जाता है तो उस मामले की महत्ता को देखते हुए आप जिसका भी सुन सकते हैं. . . . (व्यवधान) इसलिए मान्यवर, कृपया यह निर्देश दें दें कि भविष्य में नियम 311 का उपयोग सही प्रकार से किया जाए. . . (व्यवधान)

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, नियमों के संचालन के संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है. . . (व्यवधान)

*श्री राम शरण दास–

मैं मान्यवर, आपसे केवल एक मिनट में निवेदन करूंगा और फिर मेरा जब वक्त आएगा तभी बोलूंगा जैसा कि सभी को विदित है कि माननीय कत्याल साहब की निर्मम हत्या हुयी आतंकवादियों द्वारा, जो बहुत ही दुखद समाचार है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मैं परसों ही अर्थात 4 तारीख को ही माननीय गृह मंत्री जी से इसी सदन में आतंकवादियों के संबंध में सचेत किया था जिस पर माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हम आतंकवादियों की गतिविधियों से सचेत हैं और हम निपटने के लिए तैयार हैं तो मान्यवर, मैं यह कहूंगा कि यदि आपमें जरा भी हया और कुछ भी ईमानदार है. . . (व्यवधान)

तो आपको कम से कम इस हाउस में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। आपको इस्तीफा देकर आना चाहिए था, आपके यहां पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। आपने उस दिन गारन्टी दिया था कि इस तरह की घटनायें होने नहीं पायेंगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, नियमों के बारे में. . .

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये । (व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

311 की सूचना को आवश्यकता पड़ने पर कार्य स्थागन के समय कुछ लोगों को सुना जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

जो नियमावली बनी है, उसके अन्तर्गत मैं आपसे प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं। आप बैठिये । मैं आपको नहीं सुन सकता, इस समय ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

आप क्यों नहीं सुनेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 की सूचनायें रिजेक्ट हो चुकी हैं । जब आप कैसे उठा सकते हैं । आप समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[x x x]

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो अनुग्रह नारायण सिंह बोल रहे हैं, उसको नहीं लिखा जायेगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपसे सीख लूंगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

हम कोई आपके टीचर नहीं हैं । अगर नियम है तो उसी के अनुसार होना चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

जो आचरण अनुग्रह नारायण सिंह ने किया है, वह दुरस्त नहीं है । इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको शान्त रहना चाहिए, नियम यह भी है और जो चेयर के आदेश हों उनको मानें ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

अगर चेयर न समझे तो इसका क्या इलाज है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना मैंने दी है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, इस सदन में सरकार का हमेशा यह दावा रहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । नेता सदन अभी यहां सदन में उपस्थित थे और जैसे ही कानून और व्यवस्था पर चर्चा प्रारम्भ हुई मुख्य मंत्री जी चले गये, यह बड़ा दुखद प्रकरण है और बड़े अफसोस की बात है । यह आज प्रदेश के सामने बहुत बड़ी समस्या है, आतंकवाद को रोकने में सरकार विफल रही है और ऐसे मौके पर जब चर्चा प्रारम्भ हुई तो वह चले गये ।

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

आप मुख्य मंत्री जी को बुलावें । यह चर्चा उनकी उपस्थिति में होनी चाहिये । आप कह देंगे कि सामूहिक उत्तरदायित्व है । अम्मार रिजवी जी विद्यमान हैं । इस चर्चा में चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के हों सभी लोग इन्टरेस्ट हैं, यह किसी दल का मामला नहीं है । यह सवाल किसी परिस्थिति का नहीं है बल्कि विधायकों पर आये हुए संकट का सवाल है। मैं चाहूंगा कि माननीय वीर बहादुर सिंह को यहां पर बुलाया जाय । मान्यवर, आपको अधिकार है, आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं. . .

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी अभी आयेंगे । एक आवश्यक कार्य से माननीय अध्यक्ष जी ने उन्हें बुलाया है। गुप्ता जी की शंका बिल्कुल निराधार है। वे अभी आ रहे हैं ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और विशेष रूप से गम्भीर इसलिये भी है कि इसका सम्बन्ध एक विधायक से है और वह भी सत्ता पक्ष का विधायक है । आज आतंकवाद जो अपना सिर उठा रहा है उससे पूरे प्रदेश में चिन्ता व्याप्त हो गई है और ऐसा लगता है कि अब तक तो नेता सदन बैठे रहे लेकिन जैसे ही यह प्रश्न सदन में आया वैसे ही वह उठकर चले गये. . . (व्यवधान) । मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि ऐसे नेता सदन को नेता पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, माननीय सदस्य क्या फेयर-वेल प्वाइन्ट आफ आडर उठा रहे हैं । यह क्या उनकी फेयर-वेल स्पीच है ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं अपनी बात कह रहा था और नेता सदन उठकर चले गये। अम्मार रिजवी जी ने इसके लिए तर्क दिया कि उन्हें एक आवश्यक काम था, इसलिए वे चले गये, इससे स्पष्ट हो गया . . .

श्री अम्मार रिजवी–

उन्हें माननीय अध्यक्ष ने बुलाया था। वे स्वयं नहीं गये।

श्री उपाध्यक्ष–

वह मैंने कह दिया।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, उनके इस आचरण से स्पष्ट हो गया कि वे इस प्रदेश को किस निगाह से देखते हैं। दिन दहाड़े एक सत्ता पक्ष के विधायक की हत्या कर दी गई, इससे अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्य उनके लिये आ गया, यह सारा सदन के संज्ञान में आ गया है कि कौन सा कार्य उनके लिए महत्वपूर्ण है। वे इस बात को नहीं समझते हैं। परन्तु हम लोग जो इस सदन के सदस्य हैं, जन प्रतिनिधि हैं, इसे आवश्यक समझते हैं कि इस विषय को कार्य-स्थगन की माध्यम से इस प्रस्ताव को रख रहे हैं। मान्यवर, यह बार-बार कहते हैं कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहां पर गृह मंत्री विराजमान हैं। यह सर्टिफिकेट तो वह बाद में देंगे कि यह आतंकवाद में या किसी निजी दुश्मनी में किसी ने उनकी हत्या की है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति में जिस व्यक्ति को सरकार यह समझती है कि उसके जीवन को भारी खतरा है और जिस व्यक्ति के लिये इतनी भारी सुरक्षा की व्यवस्था की हुई हो और जिसके लिये कानपुर में आपने बयान दिया हो कि उनके लिये सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था थी तो मान्यवर, आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस नागरिक के लिये सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की थी उसकी दिन दहाड़े कानपुर महानगर में उनके सुरक्षागार्ड सहित हत्या कर दी जाय तो बाकी प्रदेश के नागरिकों में कितना भय और आक्रोश का वातावरण व्याप्त होगा। उस माननीय सदस्य की हत्या के बाद गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि उनके लिये पर्याप्त सुरक्षा-व्यवस्था थी तब वे यहां पर यह कहेंगे कि यह कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं बनता है, मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। मान्यवर, यह हत्या किसने की है, यह तो बाद की स्थिति है, इस समय तो केवल इसकी ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है। यह आतंकवाद कहां और क्यों पनप रहा है मान्यवर, इस सारे देश में कई कानों से सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज आतंकवाद पनप रहा है। उत्तर प्रदेश इससे अछूता नहीं रह गया है। इससे यह साफ हो गया है। गृह मंत्री जी कानपुर में रहते हैं, उनकी वहां पर घोषणा के बाद डी0 जी0 की घोषणा के बाद हमने 20 जिलों में नाके-बन्दी कर दी उन्हें सील कर दिया।

मुझे यह नहीं मालूम कि वह क्या कहेंगे लेकिन गृह मंत्री जी हमेशा ऐसे मामलों में कहते रहे हैं कि मैं जांच करवा लूंगा जो इस सदन में कहा जाता है। मान्यवर, मैं खुद कानपुर कल पहुंचा था कत्याल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं वहां से 6 बजे की बस में बैठ कर चला था और साढ़े 8 बजे यहां पहुंचा था लेकिन सरकार यह दावा करती है कि हमने रेड एलर्ट कर दिया है और 20 जिलों की नाकेबन्दी कर दी है तो उस बस की कानपुर से लेकर लखनऊ तक पहुंचाने में एक भी आदमी ने चेकिंग नहीं की अगर चेकिंग की हो तो

वह बता दें मैं विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा अन्यथा यह सरकार स्वीकार करे कि इनकी पुलिस व्यवस्था, इनकी कानून व्यवस्था अपंगु हो गयी है। रोज अखबारों में बयान देते हैं और परसों मुस्तैदी से सदन में बयान दिया। इसलिये हमारा कहना है कि कम से कम यह स्वीकार कर लें कि इनकी पुलिस व्यवस्था भ्रष्ट हो गयी है, निकम्मी हो गयी है। इनका एक सब-इंसपेक्टर दो हजार की कमाई रोज कर लेता है, इनका पुलिस का भ्रष्ट आदमी 20-20 रुपया सुनह गाड़ियों से वसूल कर लेता है। उनकी हिम्मत नहीं है कि वह किसी बस की चैकिंग करे। अगर उन्हें पता है कि यहां से आतंकवादी जा रहा है तो वह लोग विपरीत दिशा में भाग जाते हैं तो ऐसी स्थिति इनकी हो गयी है। जिन लोगों के लिए यह सरकार दावा करती है कि उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर दी गयी है उनकी इस तरह निर्मम हत्या कर दी जाती है तो इससे और ज्यादा क्या हालत बिगड़ सकती है।

गांवों में जहां लोग बैठे हैं जहां इनकी पुलिस चौकियां नहीं बन सकती हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था यह किस प्रकार कर सकेंगे। इनका आधार मुझे मालूम हो गया जब इनके एक माननीय सदस्य का तर्क मैंने सुना हालांकि निधन के निर्देश के अवसर पर वह बात नहीं कहनी चाहिये थी उसमें यह कहना कि हमें और अधिकार चाहिये, इस बहाने यह और शक्ति लेना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार ने एक गुण्डा विरोधी अधिनियम बनाया था लेकिन उसमें एक भी गुण्डा इन्होंने बन्द किया हो, यह बता दें। इन्होंने इसी की आड़ में केन्द्र में इमरजेंसी का प्राविधान पास कराया जो यहां पर भी आयेगा उसके समर्थन में वह कहेंगे। वह कहते हैं कि पुलिस को और अधिक अधिकार दो, मैं पूछता हूं कि वह किस बात के लिये, इस बात के लिये कि निरीह नागरिकों को जगह-जगह नाकाबन्दी करके पुलिस उनको परेशान करे और उनको लूट सके। अगर कहीं पर आतंकवादी हत्या करते हैं तो इनकी पुलिस को आवाज सुनाई पड़ती है तो वह विपरीत दिशा में भागती है। मुझे मालूम है कि इमरजेन्सी की पावर का इस्तेमाल यह क्या करते हैं उसका इस्तेमाल अपने राजनैतिक विरोधियों की हत्या करने, उन्हें जेल में बन्द करने के लिये करते हैं। यह आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, किसी विरोधी पक्ष के सदस्य की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। इनकी पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था बिलकुल चरमरा गयी है। वह आतंकवादियों से निपट नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी वर्तमान व्यवस्था साधारण ला-एण्ड आर्डर की स्थिति को भी नहीं संभाल सकती है। इसलिये इस पर बाकी काम रोक कर चर्चा कराइये और उसमें गृह मंत्री जी पूरी स्थिति बतायें ताकि इस सदन में ला-एण्ड आर्डर की स्थिति पर चर्चा हो सके और बढ़ती हुई आतंकवाद की समस्या पर चर्चा हो सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कल की हृदय विदारक घटना पर कोई विवरण नहीं देना है क्योंकि वह घटना इतनी गंभीर है कि कानपुर जैसे महानगरी में, चलती हुई सड़क में इस

तरह से हत्या कर दी जाय उससे जो चिन्ता का पहलू जुड़ा हुआ है वह यह है कि हत्या करने के बाद 40 मिनट तक पुलिस का कोई कानिस्टेबुल घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। इससे कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं हमें उन प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। कल जो कानपुर में घटना हुई यह साधारण घटना नहीं है यह चुनौती भी है। चुनौती इसलिए है कि आतंकवाद के कदम कितने आगे बढ़ गये हैं कि इस आदरणीय सदन के एक सदस्य जो सत्तारूढ़ दल विशिष्ट व्यक्ति हैं उनको अगर आतंकवाद हमसे छीन लें और उनको हमारी पुलिस पकड़ न पाये, छुटपुट घटनायें रोज होती रहती हैं कभी किसी गार्ड को मार दिया या किसी पुलिस के सिपाही को मार दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यह आतंकवादी इस तरह से हत्या करके भाग जाय यह एक चुनौती है और चेतावनी भी है। मैं चेतावनी इसलिए कहता हूं कि पंजाब का बार्डर हमसे बहुत दूर है। तो वह आतंकवादी वहां से दिल्ली आये और वहां से आज उत्तर प्रदेश में आ गये हैं। कल कानपुर में यह हुआ परसों और जगह होगा उत्तर प्रदेश के नगर में आतंकवादी पहुंचेंगे। आतंकवादियों की जो साजिश है उसे वह पूरा करेंगे।

अभी तक आतंकवादियों के बारे में कहा जाता था कि वे कुंठा के शिकार हैं चूंकि उनके नेता जेल में बंद हैं और उन्हें छोड़ दिया जायेगा तो शायद उनकी कुंठा कम हो जायेगी, हिंसा कम हो जायेगी, लेकिन इस सरकार के गलत फैसलों के कारण, एक चमत्कार था कि फैसला करके, उन्हें छोड़ दिया गया और आज वे योजनाबद्ध तरीके से आम नागरिकों की नृशंस हत्यायें कर रहे हैं।

मान्यवर, उस दिन चर्चा हो रही थी और मैनेजर सिंह जी ने कुछ बातें कहीं थीं, शायद उन्होंने मजाक में ही कहा हो लेकिन बात सच निकली कि उन्होंने कहा था कि तेजी से न बोलें, जितनी तेजी है उतनी ही उसमें दुर्बलता छिपी है, इसलिए उनको हमारे बीच से छीन लिया गया।

मान्यवर, जैसा जयदीप सिंह बरार जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज प्रशासन व्यवस्था पंगु हो गयी है, मैं उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, जैसा कि मुझे बताया गया कि जब कल कुछ माननीय सदस्य कार से आ रहे थे तो सीमा कैसे सील की गयी है कि दो-तीन टेढ़े मेढ़े ड्रम खड़े कर दिये गये हैं लेकिन पुलिस और सी0 आई0 डी0 वालों ने उनको रोक कर चेक तक नहीं किया क्योंकि वह लोग तो मंत्री जी को घेरे खड़े थे कि कहीं कोई उन्हें चूड़ियां न पहना दे। इसलिए गृह मंत्री जी आपकी सुरक्षा ज्यादा थी। मान्यवर, आज पूरा प्रदेश स्तब्ध है कि आपकी प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो गयी है। मान्यवर, खून से खून नहीं धोया जा सकता है। आतंकवादी चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में खालिस्तान की मांग को बल मिले लेकिन सरकार से शिकायत है कि हमें मानकर चलना होगा कि खून से खून को नहीं धोया जायेगा बल्कि खून को धोने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश की बारी अब आ गयी है और यदि शर्मदार गृह मंत्री होते तो उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। आम आदमी को कल चर्चा करते सुना जा सकता था कि शायद आज गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाये लेकिन यह मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता है।

मान्यवर, मैं इस पर चर्चा के लिए मांग नहीं कर रहा हूं, इसमें तो आप स्वयं निर्देश देंगे कि दो घंटे की चर्चा होगी आतंकवाद की बातों पर लेकिन संसदीय परम्पराओं में कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाकर ऐसे हत्या के मामले पर चर्चा कर सकते हैं। कौल और शकधर ने विस्तार से सेंसर मोशन और कार्य स्थगन प्रस्ताव के बारे में वर्णन किया है और कहा है कि सेंसर मोशन का, अविश्वास का सरकार के खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन आज कार्य स्थगन के रूप में ही आप चर्चा कराने की व्यवस्था करें यह मेरी मांग है और यह सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है। इन शब्दों के साथ, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 4 मार्च को इस सदन में गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार सक्षम है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं और ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि यह कल की घटना है और गृह मंत्री ने 4 मार्च को बयान दिया है और 5 मार्च को इस सरकार के दावे का खोखलापन इस हत्या से उजागर हो जाता है, इसलिए कार्य स्थगन प्रस्ताव का मामला बनता है और इसलिए भी यह आवश्यक है चूंकि मान्यवर, यह घटना एक चेतावनी हम सबके लिए है जो साबित करती है कि सरकार की कोई पकड़ प्रशासन पर नहीं है। सुरक्षा गार्ड गनर और अंगरक्षक होते हुए भी अपने (कांग्रेस) विधायक के प्राणों की रक्षा करने में आप अक्षम साबित हुए हैं। दूसरी बात यह घटना चेतावनी के रूप में हम सबके लिए है। जो रास्ता भटक गये हैं महात्मा गांधी डा0 राम मनोहर लोहिया और श्री जय प्रकाश नारायन ने जो अहिंसा का रास्ता दिखाया था आज हम हिंसा के हथियार के जरिये, लोगों के अन्दर जो आक्रोश है, असन्तोष है उसका दमन करना चाहते हैं। आज की इस घटना से स्पष्ट हो गया है कि हिंसा के जरिये इसे नहीं दबाया जा सकता है। यह आज हम उन विधायकों के लिए भी चेतावनी है जो बड़े फख्र के साथ अंगरक्षक अपने लिए मांगते हैं। वह समझते हैं कि संगीनों की छाया तले उनके जीवन की रक्षा हो जाएगी, तो इस घटना के जरिये अब उनका भी मोह भंग हो जाना चाहिए। इस घटना ने इस विचार को झकझोर दिया है और हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो शैडो के जरिये जनता में जाने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने चुनकर हमें अपने सिर पर बिठाया है। इसलिए मैं अपने विधायकों से उस कंडक्ट के बारे में नये सिरे से सोचने के लिए कहूंगा। आखिरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह घटना पुलिस के लिए भी एक चुनौती और चेतावनी है, जो यह समझते हैं कि संगीन की नोंक पर हम कुछ भी कर सकते हैं। उत्तम हथियारों से लैस रहते हुए भी जब पुलिसवाला अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है तो पुलिस वाले के लिए भी यह गम्भीर चेतावनी है और उसे भी इस पर सोचना चाहिए। शासन और पुलिस दोनों के लिए इस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन का सारा कार्य रोककर आप कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस पर चर्चा करावें।

श्री राम शरण दास–

श्री विलायती राम कत्याल की निर्मम हत्या कर दी गयी और जभी परसों जब यह मामला हमने उठाया था यहां, यही समय था और कल प्रातः कत्याल साहब की हत्या कर दी गई। मान्यवर, 24 घंटे नहीं पूरे कर सके। जो हमारे गृहमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि "ला एण्ड आर्डर हम बड़ी चौकसी से देख रहे हैं, हम बहुत विश्वास से कहना चाहते हैं कि कोई घटना नहीं घटेगी।" यह इन्होंने पूरे विश्वास से कहा था । मान्यवर, उस समय आप और हम सभी थे, लेकिन 24 घंटे भी नहीं पूरे करने दिए गए और प्रदेश के सबसे बड़ी आबादी वाले शहर, इससे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर की नहीं है, वहां यह घटना घटी और ऐसे बाजार में घटी जो चौबीसों घंटे चलता रहता है, तो प्रदेश के दूसरे इलाकों की क्या हालत होगी, जहां छोटी-छोटी चौकियां हैं, छोटे-छोटे गांव हैं । मेरा जैसा व्यक्ति सबसे कम आबादी वाले गांव में रहता है, जहां डेढ़ सौ की केवल आबादी है । यह एक चिन्ता का विषय है, हमारे ही लिए नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की 13 करोड़ जनता के लिए चिन्ता का विषय है और जन प्रतिनिधियों के लिए और भी चिन्ता का विषय है। क्योंकि इस घटना से जन प्रतिनिधि बनने वालों के लिए खतरे की घंटी हो गयी है कि चुन चुनकर हम लोगों को मार दो और काम तमाम। इनको तो बस एक ही बात याद है–हमने देख लिया है, देख रहे हैं, देखेंगे और आप रो रहे हो, रोओ, रोते रहो, कल मर जाना । इससे ज्यादा यह कुछ जानते नहीं हैं । दीक्षित जी, बड़ी ईमानदारी से मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं, मैं यदि प्रदेश का गृहमंत्री होता तो काला मुंह लेकर गंगा में या तो डूब जाता या अपना इस्तीफा देकर घर बैठता। लेकिन आप हंसते हैं, 13 करोड़ जनता आज आपकी ओर देख रही है और आप मौज मस्ती में लिप्त हो। कैसे चलेगा यह देश और प्रदेश। मान्यवर, आप कहेंगे कि ग्राह्यता पर ही बोलें, लेकिन आप जरा अपने पुलिस कप्तान, एस0 एस0 पी0 और एस0 पी0 की लिस्ट हमें दे दो, एक-एक नम्बरी बदमाश और गुण्डा आपका पुलिस कप्तान है, वे व्याभिचारी हैं। ऐसे ऐसों को जानता हूं जो ला एण्ड आर्डर नहीं देखते हैं दरोगा को ड्यूटी देते हैं कि फलां डाक बंगले में पहुंचेंगे, अच्छी सी छोरी लाकर देना। मैं नाम बता सकता हूं। मान्यवर, मैंने एक मामला नियम–56 में उठाया था, कोई सब-इंसपेक्टर मुझसे पूछने नहीं आया। इनको कोई हया-शर्म नहीं है, दो साल पहले कार्यस्थगन आतंकवादियों के लिए इस सदन में दिया था। मैंने कहा था कि जीप में सहारनपुर में एलान हुआ है कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, लेकिन आज तक एक सिपाही ने आकर यह नहीं पूछा कि तुम्हारी जानकारी क्या थी, क्यों कार्यस्थगन पेश किया । आज के पुलिस वाले लाखों रुपये रिश्वत लेते हैं। जमीनों पर अवैध मकान बनवाते हैं और रात के अंधेरे में सीधा सम्पर्क जिले के अधिकारियों से होता है, थैली भरकर रुपया दिया जाता है। इनको शर्म नहीं आती है। पुलिस कप्तान और सब लोग इनको पैसा रात में देते हैं। कत्याल साहब की मौत नहीं हुई है पूरे सूबे की मौत हुई है । इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया । यह नहीं चाहते कि अच्छे पुलिस कप्तान शहरों में लगाए जाएं और गुण्डों को हटाया जाए। यह पूरे प्रदेश के बाप नहीं हैं इसमें मेरा भी हिस्सा है। मान्यवर, जो हमारे महेन्द्र भाटी एम0 एल0 ए0 हैं, 19 जनवरी की रिपोर्ट दर्ज है दो बार इन पर

हमला हुआ, लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं हुई। जो 307 के मुलजिम हैं उनको गनर दे देते हैं। भाटी जी का शैडो हटवा दिया। एम0 एल0 ए0 का शैडो छीन लिया, यह वीरबहादुर की सरकार है, एम0 एल0 ए0 का शैडो छीन लिया। यह खुद तो ताला लगाकर बैठते हैं, इन्हें एम0 एल0 ए0 की सुरक्षा की कोई चिन्ता नहीं है। यह इस प्रदेश को ठीक नहीं करना चाहते हैं, अरे, थोड़ा रहम करो इस प्रदेश पर।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम शरण दास–

इस पर चर्चा तो आप कराओगे नहीं, ग्राह्यता के नाम पर ही मुझे कह लेने दो। अगर इधर से थोड़ा सा हल्ला-गुल्ला हो जाएगा तो आप कह दोगे कि हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं। हम क्या आपका अंगूठा पकड़ लेंगे। यह वीरबहादुर जी तो एसेंबली में जाकर बैठ जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें।

श्री राम शरण दास–

हम इनको कहां ढूंढ़ेंगे। इनको तो अपनी सुरक्षा की पड़ी रहती है यह जनता की सुरक्षा क्या करेंगे। इन्होंने एक से एक गुण्डे एस0 पी0 पाल रखे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, कार्यस्थगन के सिलसिले में आप सुन रहे हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय वीर बहादुर के नेतृत्व में चल रही है। इनके निकम्मेपन का नाअहली का और कोई सबूत हो नहीं सकता है। अगर जरा सी हया शर्म इस सरकार में होती तो आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया होता, लेकिन इस सरकार को जनता की फिक्र तो छोड़िये, इनको अपने दल के विधायक की फिक्र नहीं रही है।

मान्यवर, एक दिक्कत पैदा हो गयी है, इस प्रदेश में जिनसे माननीय वीर बहादुर सिंह की खुद जाती दुश्मनी है उनको खत्म कराने, उनकी प्रताड़ना करके तंग कराने के वास्ते तमाम सरकारी जराय को यह इस्तेमाल करते हैं। एक दो मिसालें मैं देना चाहता हूं। इसी सदन के सदस्य हरिशंकर तिवारी जी के लाइसेंस, इनके खानदान के लोगों के लाइसेंस इनके बच्चों के लाइसेंस को इन्क्वारी कराकर जब्त करने के सिलसिले में पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को एक सर्कुलर भेजा गया है। मान्यवर, यह क्या हो रहा है, लोगों की जानें कैसे जा रही हैं इससे सरकार को वास्ता नहीं है। यह पुलिस के जरिए अपने दुश्मनों का सफाया करने में लगे हैं। साथ ही साथ गरीब जनता को, कमजोर जनता को पुलिस के जरिए कत्ल कराने का काम किया है हाशिमपुर के नौजवान इस बात का सबूत हैं। यह अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए यहां के पैसे को, अपनी सत्ता की ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। यह आतंकवाद को नहीं रोक पायेंगे उसको रोकने के लिए हमें गौर से सोचना पड़ेगा और इंसाफ

को इस प्रदेश में चलाना पड़ेगा जो गलतियां हुई हैं उनकी पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए । सन् 1984 में खुद इनके नेतृत्व में चल रही सरकार ने गरीब सिक्खों को प्रदेश में लुटवाया था तो सोचना चाहिए था कि वह गुस्से को अख्तियार करेंगे । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप सदन की नियमित कार्यवाही को रोककर इस अहम मुद्दा पर चर्चा करायें ताकि यह जो देश की एकता तथा अखंडता को खतरा पैदा हो गया है और लोगों में जो आक्रोश है उसको दूर किया जा सके । आज ला-एण्ड-आर्डर की जो हालत है उस पर गौर करना चाहिए । हमको देखना है कि जम्हूरियत को बचाये रखना है इसके लिए माननीय वीर बहादुर सिंह को गौर करना चाहिए ।

(श्री मनोहर लाल को पुकारे जाने पर)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मुझे बोलने का मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने मनोहर लाल जी को समय दिया है ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री के निर्देश पर प्रत्येक जिले को एक आदेश भेजा गया है उसे मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको बाद में मौका मिल जायगा ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, 24 मार्च को प्रत्येक जिलाधिकारी को जो आदेश भेजा गया है उसमें लिखा है कि श्री हरिशंकर तिवारी पुत्र भोला नाथ तिवारी, गांव टांडा, थाना बड़हलगंज, भीष्मशंकर तिवारी पुत्र हरिशंकर तिवारी, गांव सोनौली, थाना नौतनवां, गनेश शंकर पांडे पुत्र जगदीश पांडे, गांव देवपुर, थाना नौतनवां, परमानन्द तिवारी पुत्र केदारनाथ तिवारी, अमरमणि त्रिपाठी पुत्र कृष्णमणि त्रिपाठी आदि तमाम लोग जो मेरे रिश्तेदार हैं इन लोगों के लाइसेंसी असलहों को सीज करने के लिए आदेश भेजा है । मुख्य मंत्री जी मेरी हत्या बदमाशों से मिलकर, गोरखपुर के डी0 आई0 जी0 वी0 पी0 सिंह से मिलकर करवाना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको आरोप लगाने से पहले मुझे देना चाहिए था ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

(शोर)

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जब यहां पर कोई दूसरी बात हो रही है तो व्यक्तिगत आक्षेप लगाये जाते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है ।

यहां पर एक बहुत बड़ी घटना घट गयी कत्याल जी की, यह घटना जिस तरह से घटी उस पर सभी को खेद है और उसकी हम सभी लोगों को भर्त्सना करनी चाहिए। ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए हमें सुझाव देना चाहिए, यह देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। यहां पर बैठकर केवल गवर्नमेंट की आलोचना करें, गवर्नमेंट को चार्ज करें इससे अच्छा असर नहीं पड़ता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष–

बरार साहब बैठे हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

कल से मैं सुन रहा हूं, माननीय कत्याल साहब हमारी पार्टी के विधायक थे और उधर के माननीय सदस्यों से ज्यादा हमको चिन्ता है। जनमोर्चा के जो सदस्य बोल रहे हैं उनसे ज्यादा हमें चिन्ता है।

आज ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इनसे हमको ज्यादा चिन्ता है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि ऐसी घटनाएं न होने पावें (घोर व्यवधान) और हमें यह देखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दुबारा न होने पावें, यह घटना कैसे घटी, ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, उसके लिए क्या-क्या प्रिकाशन लिए जाने चाहिए, ऐसे-ऐसे सुझाव, ऐसे मौके पर देने चाहिए। लेकिन यह क्या है कि हमारी बन्दूक का लाइसेंस जात करवाया जा रहा है, हमारी बन्दूक जमा करवाई जा रही है, इससे इस घटना का क्या सम्बन्ध है ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, 200 से अधिक माननीय विधायकों ने मेरी सुरक्षा की मांग हेतु अपने हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र दे करके माननीय मुख्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री से निवेदन किया है कि इनकी सुरक्षा के लिए इनको अंगरक्षक दिया जाय, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री चूंकि मेरी हत्या कराना चाहते हैं, इसलिए मुझे अंगरक्षक आज तक नहीं दिया गया और इन्होंने मेरी हत्या कराने की साजिश में हमारे, हमारे परिवार के तथा हमारे रिश्तेदारों एवं सहयोगियों के लाइसेंस को जब्त करने हेतु पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को 24 मार्च को एक आदेश शासन के द्वारा भेजवाया है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री के इस षड़यंत्र के विरुद्ध अपनी सुरक्षा की मांग करता हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, नियमों में यह प्राविधान है कि किसी सदस्य की नियत पर शंका नहीं की जायगी। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने अभी यह कहा कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मान्यवर, घड़ियाली आंसू शब्द कहना संसदीय नहीं है, यह मान्यवर, असंसदीय है। इन शब्दों को मान्यवर, कार्यवाही से निकाल दें।

(घोर व्यवधान)

(श्री मनोहर लाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिए, मैंने माननीय मनोहर लाल को बुला लिया है ।

श्री नरेन्द्र देव–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायगा । आप बैठिए ।

(घोर व्यवधान)

*श्री मनोहर लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, "खाता न बही, गृह मंत्री जो कहें, वह सही", यही नीति गृह मंत्री की है और उन पर यह बिल्कुल चरितार्थ होती है । माननीय गृह मंत्री ने रामायण के दोहे को अपने गृह मंत्रालय के बजट के समय सुनाया था, जो हमारे संत तुलसीदास जी ने कहा था । मैं एक ही दोहा संत तुलसीदास जी का कहना चाहता हूं। "जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नर्क अधिकारी ।" यानि हमारे गृह मंत्री नर्क के अधिकारी हैं । यह मैंने नहीं कहा, यह संत तुलसीदास जी ने कहा । मान्यवर, मैं तो यह समझकर आया था कि आज माननीय गृह मंत्री जी अपनी बहुत बड़ी विद्वता और बहुत बड़े आदर्श का परिचय देंगे और जब विधान सभा में पहुंचेंगे, तो यह घोषणा करेंगे कि माननीय गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है । मान्यवर, कानपुर के अन्दर जो माहौल था, उस माहौल को देखने माननीय नेता विरोधी दल और हम लोग गए थे । मान्यवर, जिस तरह से नृशंस हत्या कत्याल जी की की गयी है, मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ जनता के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती की बात है । मान्यवर, जो भी वहां पर गया, उसका दिल दहल गया होगा ।

मान्यवर, इसके पहले कत्याल साहब के पास आतंकवादियों के 6 लेटर आए थे आखिरी लेटर आया था दिवाली के समय पर, उसमें यह कहा गया था कि कत्याल साहब 13 अप्रैल तक अगर गुरुद्वारा में माथा नहीं टेकेंगे तो 13 अप्रैल नहीं मिल पायेगा। भाई राम सरन दास जी ने 4 अप्रैल को यहां पर यह मामला उठाया था, उस पर गृह मंत्री ने कहा था कि किसी जगह पर आतंकवादी की घुसपैठ नहीं है । लेकिन मान्यवर, एक आदमी जो सत्तादल का विधायक था जिसके पास आतंकवादियों के 6-6 लेटर आ गए थे और जो बराबर प्रधान मंत्री, गृहमंत्री और जिले के अधिकारियों से मांग कर रहा था कि सुरक्षा करी जाय, यह बात सही है कि गार्ड दिया गया था, लेकिन माननीय राम सरन दास जी ने यहां मामला उठाया, उनके पास 6-6 लेटर आ गए थे उसके बावजूद भी उनकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई जिससे उनकी जान चली गयी । आज पूरा कानपुर इस हत्या के विरोध में बन्द है । मान्यवर, जिस दिन यहां राज्य सभा

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का चुनाव था, उस दिन वह यहां पर लखनऊ में आए थे । जब हम लोग कानपुर उनके घर गए तो उनके लड़के ने बताया कि पिता जी घर से निकलते ही नहीं थे । परसों वह 11 बजे रात को लौटे थे और कल देशराज मलिक के घर पर एक समझौता के लिए वह 9 बजे प्रातः जा रहे थे, रास्ते में आतंकवादियों ने उनको रोका ।

मान्यवर, कानपुर में तो एक दिन में कोई आतंकवादी नहीं आ सकता है और न मार कर जा सकता है। मान्यवर, पुलिस, सी0 आई0 डी0 और इन्टेलिजेन्स कोई भी पता नहीं लगा पाई कि कानपुर में कोई आतंकवादियों का जाल बिछा रहा है और आतंकवादी आकर श्री कत्याल की हत्या करके चले गए । मान्यवर, कल केवल एक दिन के अन्दर जो कानपुर के अधिकारी हैं सबको एक-एक स्टेनगनधारी दे दिया गया विधायकों की सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं की गयी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैं अपने और गृह मंत्री जी के व्यक्तिगत मामले के बारे में कुछ नहीं कहूंगा जबकि मुझे गृहमंत्री जी से खतरा है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कत्याल जी का मामला है, मैं कत्याल जी के बारे में कह रहा हूं । गृह मंत्री का जनपद उन्नाव है और मैं भी उन्नाव जनपद का हूं ।

उन्नाव की धरती क्रान्तिकारियों की धरती है, उन्नाव में श्री चन्द्रशेखर आजाद, श्री राव राम बख्श सिंह और श्री उमाशंकर दीक्षित जैसे लोगों ने जन्म लिया है । मैं गृहमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पूरे उन्नाव जनपद की जनता की तरफ से कि माननीय गृहमंत्री जी आज इस्तीफा दे दीजिए, जिससे आपका नाम ऊंचा हो जाय, उन्नाव के लोग आपका नाम लें । इन शब्दों के साथ जो कामरोको प्रस्ताव आया है मैं उस पर बल देता हूं ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं ताकि आपको सुझाव देने में आसानी होगी। मान्यवर, जो माननीय कत्याल जी की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी थी उसमें उनको एक गार्ड दिया गया था जिसमें एक हेड कांसटेबिल, 4 सिपाही, एक और भी, एक स्टेन-गन का और एक रिवाल्वर सहित 2 और आदमियों का उन्हें रक्षक दिया गया था । तो मान्यवर, जितनी भी उनके लिए जो भी मैक्सिमम व्यवस्था एक विधायक के लिए हो सकती है, वह की गयी, स्टेनगन और रिवाल्वर भी दिया गया, गारद भी दिया गया, यह सब व्यवस्था उनके लिए किया गया था और उस पर भी उनको वार्निंग दी जाती थी कि आप हर समय ठीक-ठाक निकलें और हमेशा कार पर गार्ड के साथ निकलें और अकेले न निकलें यह सब चीजें थीं । यह भी कहा गया था कि स्कूटर से न चलें, सुरक्षा गार्ड आपने साथ चला करें। यह सब बताया गया था, अब बताइये इसके बावजूद क्या होना चाहिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं बाद में अपनी बात कहूंगा । ये एक बात और बता दें । आप इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि कत्याल साहब की हत्या किसने की यह और बता दें जिससे बहस में हमको मदद मिलेगी । जो भी आपकी सरकार के पास रिपोर्ट आई

है कि किसने हत्या की है, उससे बहस में, आपकी सरकार को और हम लोगों को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में मदद मिलेगी । इससे आपको बता देना चाहिए । हम एक तरफ बोलते चले जायं आतंकवादियों ने मारा, आतंकवादियों ने मारा । तो अब यह साफ हो जाना चाहिए कि उनको आतंकवादियों ने मारा है या किसी दूसरे ने मारा है । यह बात साफ हो जाय ताकि सही रूप से बहस हो सके ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, अभी तक जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, वह अभी पूरी नहीं है । अभी जांच हो रही है । वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की देखरेख में इसकी जांच चल रही है और साथ ही सी0 आई0 डी0 की एक स्पेशल टीम गयी है । आतंकवाद विरोधी जो हमारा प्रकोष्ठ है, उसके द्वारा भी जांच कराई जा रही है और कई सोर्सेज से पता किया जा रहा है और जब रिपोर्ट आ जायगी, तभी बताया जा सकेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने. . .

श्री उपाध्यक्ष–

आपको बाद में समय मिलेगा, मौका मिलेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं दूसरी बात कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको बाद में समय मिलेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आज जिस विषय पर कामरोको प्रस्ताव लाया गया है यह एक बहुत ही हृदय विदारक और गम्भीर घटना है । इस विधान सभा के सदस्य श्री विलायती राम कत्याल जी और उनके अंगरक्षक की प्रातःकाल 8 बजे कल कानपुर में गोविन्दनगर चौराहे के पास हत्या कर दी गयी । सरे आम सबके सामने हत्या होती है । राइफल से हत्या होती है । एस0 एल0 आर0 चलती है और पुलिस जिस बहादुरी के साथ जांच कर रही है, वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हत्या के एक घंटे के बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं । कल मैं 3 बजे वहां गया था, सड़कें सूनी हो गयी थीं ऐसा लगता था जैसे सब कुछ रौंद कर रख दिया गया हो । वहां 32-35 फायर के बाद भी पुलिस का सिपाही न जाय, आप कहते हैं कि तारीफ की जाय, तो कैसे आपकी तारीफ की जाय। क्या इस बात के लिए तारीफ की जाय कि वहां पर सरे-आम एक विधायक की हत्या कर दी गयी, क्या इसलिए तारीफ की जाय कि प्रधान मंत्री के निवास के पास कांग्रेस के दिल्ली से चुने सांसद श्री ललित माकन की हत्या कर दी जाती है, क्या इस बात के लिए तारीफ की जाय कि सरकारी खजाने से खरीदी गयी राइफल से श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री की सरकारी बंगले में हत्या कर दी जाती है, क्या इस बात के लिए तारीफ की जाय कि पुलिस महानिदेशक पर राइफल से पुलिस विभाग के लोग गोलियां चलाते हैं ।

आपके डी0 जी0 पुलिस कहते हैं कि 10 जिले आतंकवाद से ग्रस्त हैं । विधान सभा में परसों चर्चा हो रही थी तो गृह मंत्री ने आश्वस्त किया कि सारी व्यवस्था कर दी गई है और उत्तर प्रदेश में आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है । सबको सतर्क कर दिया गया है और आम आदमी की जान माल की रक्षा की जायगी । यहां पर आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है, राम सरन दास जी कामरोको प्रस्ताव द्वारा इस विषय को गम्भीर रूप से उठा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ रही हैं । सरकार ने इन्कार किया । सरकार ने उसी दिन कह दिया होता कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि श्री कत्याल की हत्या नहीं हुई होती । वह सतर्क हो गए होते । अन्य सदस्य भी सतर्क हो गये होते । मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री से और मुख्य मंत्री जी से, आपने कहा कि तारीफ करें, हम तारीफ करना चाहते हैं, किस बात की तारीफ करें । पुलिस महानिदेशक का अखबारों में बयान होता है कि 10 जिलों में आतंकवादी गतिविधियां हैं, गृह मंत्री ने कहा इसकी जानकारी हमें नहीं है, पुलिस महानिदेशक ने कैसे बयान दे दिया क्या सरकार को उन्होंने बताया था ? क्या सरकार को आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी नहीं है, तो आपकी सरकार चल रही है या पुलिस महानिदेशक की सरकार चल रही है । यह घटना क्यों हुई ? हमारे मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि आरोप लगा रहा हूं । जसपाल सिंह, एस0 एस0 पी0 जो इनका रिश्तेदार है उसने गोण्डा में डिप्टी एस0 पी0 की हत्या करवाई थी । उसको मरवाया था । सी0 बी0 आई0 ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दी । उसके बावजूद भी कह दिया कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता और उसको वहां पर भेज दिया ।

मैं आखिर में एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा सवाल है कि जब विधान सभा के सदस्य की हत्या हुई है । सरकार इसलिए बनाई जाती है कि वह जनता की जानमाल की रक्षा करे, जनप्रतिनिधियों की रक्षा करे । आज सरकार जनता की प्रतिनिधियों की जान माल की रक्षा करने में पूरी तरह से फेल हो गयी है। यदि आज काम रोककर चर्चा नहीं होगी तो कब होगी?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें । माननीय शाही जी समाप्त करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, वह दुर्भाग्य का दिन न आवे, जब किसी और की हत्या हो जाय, किसी माननीय मंत्री की हत्या हो जाये । इसलिए यह बहुत ही गम्भीर मसला है, सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर अविलम्ब चर्चा करायी जाय । यह बहुत ही गम्भीर मसला है। इससे गम्भीर कोई और विषय नहीं हो सकता है। इसीलिये इस पर चर्चा करायी जाय, इस पर चर्चा कराये जाने पर बल देता हूं।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जो पर्सनल रिमार्क्स किये हैं, उनको कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्यों कोई शब्द कार्यवाही से निकाला जाय । मान्यवर, उस एस0 एस0 पी0 के संबंध में यहां सदन में भी बात उठायी गयी थी। मान्यवर, माननीय वीर बहादुर सिंह जी के मुख्य मंत्री की हैसियत से, उनके द्वारा किये गये प्रशासनिक कार्यों पर, कोई आरोप लगता है, तो वह अनुचित नहीं है। इसलिए कोई भी शब्द इरीलिवेन्ट नहीं है, कोई भी शब्द अनुचित नहीं है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जब भी कोई बात यहां पर उठायी जाती है, मैंने पहले भी कहा था, व्यक्ति पर यह चले जाते हैं, पुलिस कैसी है, एस0 एस0 पी0 कैसा है, सारा विवाद एस0 एस0 पी0 पर चला जाता है, पुलिस पर चला जाता है, उस घटना पर नहीं जाता है । अगर आपको किसी दरोगा, एस0 एस0 पी0 या अन्य किसी के संबंध में कोई बात कहनी है, तो अलग से कर लीजिये, अगर आपकी किसी से व्यक्तिगत नाराजगी है तो । जब घटना की बात करते हैं, तो उस घटना पर जाइये । पूरी घटना पर कोई बात करेंगे, तब ही फायदा होगा ।

मान्यवर, एक बात यह भी कहना चाहता है कि मेरा कोई भी रिश्तेदार कहीं पुलिस का एस0 एस0 पी0 या दरोगा नहीं है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, जब हमारे साथी किसी विषय पर ग्राह्यता पर बोल रहे हैं, तो उधर से कुछ सदस्य उत्तेजित हैं। मान्यवर, इन पेट्रोल पम्पों को यहां बन्द करा-इये । यह अपना पेट्रोल बेचते रहें, लेकिन यहां उत्तेजित न हों ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय विलायती राम कत्याल जी की कल हुई हत्या के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता । मैं उन बिन्दुओं पर, जो अधूरे पड़े हैं, उन्हीं का जिक्र करना चाहता हूं । मान्यवर, अभी पिछले दिन इस पर यहां पर बात उठी, आतंकवादी गतिविधियों के सम्बन्ध में यहां पर सवाल उठा, उस बात को गुजरे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उसके बाद यह हत्या कर दी गयी ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, एक चीज मैंने कही था, जो माननीय सदस्य के बारे में आशंका थी, उनको जब वार्निंग मिली, तो उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गयी । मान्यवर, एक विधायक के लिए इतनी व्यवस्था की थी । गार्ड की व्यवस्था की थी, एक स्टेनगनधारी, एक रिवाल्वर धारी जिसमें था । मान्यवर, इतनी बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था एक माननीय विधायक के लिए की गयी थी, यह कम व्यवस्था नहीं थी । मैं तो आप लोगों से राय लेना चाहता हूं कि क्या होना चाहिए । सरकार की ओर

से व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी । जितनी व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा हो सकती थी, पूरी व्यवस्था सुरक्षा की की गयी थी । सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कि जनता और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा रहे । हम जनता की, जनप्रतिनिधियों की हर तरह से सुरक्षा करते रहे हैं, करेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने सामान्य रूप से यह आशंका व्यक्त की थी कि पंजाब में इमरजेंसी लगने के बाद आतंकवादी गतिविधियां पंजाब से बाहर आयेंगी । लोगों को यह आशंका थी कि आतंकवादी गतिविधियां, पंजाब में इमरजेंसी लगने के बाद, आस पड़ोस के क्षेत्रों में उभरेंगी, आतंकवादी, जो अपना आतंकवाद जारी रखना चाहते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी खबरें जाती रहती हैं, वह यह चाहेंगे कि पंजाब में इमरजेंसी लगने के बाद वहां घटनायें रुक जायेंगी, वहां अखबारों में उनकी खबरें प्रकाशित नहीं होंगी, अखबार में अपनी खबरें प्रकाशित करने के लिए वह जरूर आस-पड़ोस की जगहों पर अपनी कार्यवाही करेंगे । वही आशंका के तहत यह हुआ । मान्यवर, सबसे बड़ी बात जो कत्याल साहब की हत्या के लिए है, वह यह कि मुख्य मंत्री, गृह मंत्री जी और सारा राज्य प्रशासन यहां होने के बावजूद उनकी कोई रक्षा नहीं कर सका । मैं कहना चाहता हूं कि उनकी हत्या कोई अनायास तरीके से नहीं हुई । उनको तमाम पत्र मिल रहे थे जो अखबारों में भी छपे थे और 28 फरवरी को उन्होंने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर बताया कि 19 फरवरी को मुझे खालिस्तानियों का एक पत्र मिला है, जिसमें मेरी हत्या के बारे में कहा गया है । आप मेरी सुरक्षा की व्यवस्था कर दें । आपने उनको गार्ड, दो सिपाही दिलवा दिये, लेकिन उसके बाद भी उनकी हत्या हो गयी और मुख्य मंत्री जी पूछ रहे हैं कि आप बताइये कि हम क्या करें ? पहली बात जो है, वह यह कि उन्हें स्कूटर पर चलने की आवश्यकता क्यों हुई ? इस सदन में जो लोग बैठे हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने विधायक हैं, जिनकी हैसियत कार से चलने की है। एक-एक आदमी से पूछ लें, जो स्कूटर को छोड़कर कार से चल सकते हों । जब हम कार से नहीं चल सकते और आप कहते हैं कि हम गार्ड दे देंगे । हमारे 75 प्रतिशत विधायक ऐसे हैं जो कार से चलने की हैसियत में नहीं हैं। तो मैं यह कह रहा हूं कि हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है, और तब गार्ड का उपयोग क्या होगा ? वह घर ही देख सकता है, उसको लेकर हम साथ में तो चल नहीं सकते और ऐसा भी नहीं है कि घर पर ही कोई आदमी हमको मारने आयेगा, सड़क पर तो हमको निकलना ही पड़ेगा, रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, तब आप सोचें कि ऐसी स्थिति में क्या होगा ?

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिस कार से हत्या की गयी है, वह कार बिना नम्बर प्लेट की थी। आज कोई ट्रक पुलिस को माहवारी दिये बिना निकल नहीं सकता, उसका पुलिस वालों

के पास पूरा हिसाब रहता है लेकिन एक मारुति कार बिना नम्बर प्लेट के सुबह से लेकर शाम तक कानपुर की सड़कों पर घूमती रही, उसकी किसी सिपाही ने चेकिंग नहीं की, न ही उसको रोका, न थाने में बन्द किया ? यह सब कैसे हो गया ? उस कार का हिसाब पुलिस वालों के पास नहीं था । सुबह से इस बात की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ? मान्यवर, मुझे यह भी सूचना मिली है कि यह मारुति कार श्री कत्याल साहब के घर के भी सुबह से 4–5 चक्कर लगा चुकी थी और पुलिस बेसहारा होकर यह सब देखती रही । मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से, अपने आप में निर्दोष है । केवल गार्ड देने से व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती । मान्यवर, यह बात सही है कि जब तक कानून व्यवस्था के अन्तर्गत सख्ती नहीं लायी जायेगी, तब तक इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी । मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और उन्होंने सुझाव चाहा है, मैं वहीं तक अपने को सीमित रखूंगा । मान्यवर, जब कत्याल साहब को पत्र मिला और वह बात शासन की जानकारी में आयी, तब शासन की तरफ से जो व्यवस्था हो सकती थी, वह की गयी । लेकिन शासन उनकी हत्या को रोक नहीं सका । यह बात अपने आप में निर्विवाद सत्य है कि इसके बाद हमें और कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे हम इन चीजों को रोक सकें । श्रीमन्, आप महसूस करेंगे उस पर शासन का कोई भय नहीं है। आज आतंकवादियों के पास नई टैक्नोलोजी है और आधुनिकतम हथियार हैं और आपकी पुलिस के पास 100 साल पुराने लुंज-पुंज हथियार हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे सुरक्षा हो पायेगी । आज तक इस ओर शासन का ध्यान तक नहीं गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस को आधुनिक टैक्नोलोजी नवीन प्रशिक्षण और आधुनिकतम हथियार दिये जायं । आज चाहे मुख्य मंत्री जी जाकेट पहन लें, प्रधान मंत्री जी जाकेट पहन लें या फिर मैं ही जाकेट पहन लूं लेकिन उस जाकेट को भेदने व तोड़ने के लिए आतंकवादियों के पास पहले ही गोली आ गई है। इतने आगे यह है आज आतंकवाद को गोली से ठीक नहीं किया जा सकता, व्यवस्था से ठीक नहीं किया जा सकता है बल्कि यह देखना है कि इसके मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं। सामाजिक समस्या का हल ढूंढना है।

(डाक्टर रजनीकान्त दत्त के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपा करके आप बैठ जायं । श्री वर्मा जी को अपनी बात कहने दें ।

डाक्टर रजनीकान्त दत्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री कत्याल जी की हत्या के संबंध में यहां पर बिल्कुल भी चर्चा न की जाय, इससे आतंकवादियों के मंसूबे बढ़ेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इस घटना में किसका हाथ है, अभी तक शासन किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है । आतंकवादियों ने इस तरह की घटना कर दी । इससे दो तरह की चीजें होती हैं, पहली, यह कि साधारण आदमियों में आतंक व भय व्याप्त होता है, दूसरी तरफ एक विशेष वर्ग के प्रति उनके दिलों में घृणा पैदा होती है। इसलिए आज यह जरूरी है कि इस विषय पर खुले दिल से बहस की जाय और सरकार को सारे तथ्यों को सदन के पटल पर रखना चाहिए, जिससे प्रदेश के अन्दर आज जो भय का वातावरण बना हुआ है, उसका कोई निदान निकाला जा सके ।

मान्यवर, तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूं वह यह है कि आप अपने अधिकारियों पर प्रतिबन्ध लगायें कि वह रोज अनाप-सनाप बयान अखबारों व रेडियो के माध्यम से न दें । कभी वह कहते हैं कि हमारी व्यवस्था सुदृढ़ है और हम आतंकवादियों के मन्सूबों को चकनाचूर कर देंगे । यह भी आप जानते हैं कि आपके पास उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं है। इसलिए अपने अधिकारियों पर इस तरह की गलत बयान-बाजी करने पर आप प्रतिबन्ध लगायें ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की एक लोमहर्षक घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

यह बात बाद में आयेगी ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मैंने तो नियम 311 में सूचना दी थी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद । कल तक माननीय विलायती राम जी इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य थे, आज वह हमारे बीच नहीं हैं, जिसके लिए चाहे उधर के माननीय सदस्य हों या इधर के माननीय सदस्य हों, सभी दुखी हैं। यह घटना ऐसी घटना नहीं है जिस पर कि अनसुने रूप से कोई कार्यवाही की जाय । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विलायती राम जी ने लगातार दो साल से यहां के गृह मंत्री, मुख्य मंत्री और यहां तक कि इस देश के प्रधान मंत्री तक को अपनी जान के खतरे के बारे में आगाह कराया था और यह कहा था कि उनके परिवार को जान और माल का खतरा है लेकिन आज यह सरकार जो कानून व्यवस्था का दम भरती है, आज उचित व्यवस्था न करने के कारण माननीय विलायती राम जी हमारे बीच में नहीं हैं। इस विषय स्थिति में इस सरकार को एक पल भी शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और यह कहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने अच्छी व्यवस्था की थी ।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपकी इसी व्यवस्था के कारण आज प्रदेश की 12 करोड़ जनता के मन में भय और रोष का वातावरण व्याप्त हो गया है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इससे बड़ा सवाल दूसरा नहीं हो सकता है। इसके साथ ही मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं।

*श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, कल जिस प्रकार से कानपुर में इस सदन के सम्मानित सदस्य कत्याल जी की निर्मम हत्या हुई, वह सदन के लिए जहां चिन्ता का विषय है वहीं पर प्रदेश की सारी जनता के लिए भी चिन्ता का विषय बन चुका है। यह मामला बहुत ही गम्भीर है। आपने नियम 56 में ग्राह्यता पर सारे सम्मानित सदस्यों के विचार भी सुने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके पीछे अब सदन को भी गम्भीरता के साथ और उधर बैठे हुए लोगों को भी गम्भीरता के साथ विचार करना होगा। इस सदन के सदस्य डा0 दत्ता जी भी रहे हैं, उनके साथ भी घटना घटी थी। अभी कुछ दिन पहले मा0 राम0 गोविन्द चौधरी जी, जो, सम्मानित सदस्य हैं, उनकी अनुपस्थिति में उनके कमरे में घुसकर जैसी घटना घटी थी, उस पर भी विचार करना होगा। यह जो एक तांता चल रहा है यह सबूत है इस बात का कि उधर बैठे हुए लोग जब निश्चित समय पर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों का मन बढ़ेगा।

अब आतंकवाद की जड़ें इतनी मजबूत होती जा रही हैं कि वह बढ़ते-बढ़ते कानपुर तक पहुंच गयी हैं। गृहमंत्री जी ने दो दिन पहले आश्वासन भी दिया था। इस सरकार के सी0आई0डी0 के लोग, इन्टेलीजेन्स के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, मंत्रिमण्डल में बैठे हुए लोग आखिर क्या करते हैं, उनको तो फुरसत है नहीं कि प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवाद की जड़ को समाप्त करने की बात करें। इससे उधर के लोगों को भी खतरा है और इधर के लोगों को भी खतरा है तथा आपकी पीठ को भी खतरा है। जब इतने बड़े-बड़े लोग इससे बचे हुए नहीं हैं तो आम और साधारण नागरिक के जीवन की सुरक्षा कैसे होगी। माननीय नेता, सदन कहते हैं कि वे जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। वह सच्चाई तभी पता चलेगी जब आप इस पर चर्चा की अनुमति दे देंगे। उसमें उस समय सारे सम्मानित सदस्य अपने विचार रखेंगे, आज तो केवल ग्राह्यता पर ही सबको कहना है। यह घटना बहुत गम्भीर है मैं इस पर माननीय गृह मंत्री जी से त्यागपत्र की मांग नहीं करता बल्कि इसमें नेता सदन की जिम्मेदारी है, मैं उनसे त्याग पत्र की मांग करता हूं। आपको भी आतंकवाद बक्शेगा नहीं, आने वाले समय में आतंकवाद अपना काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिये समय दिया और मैं सम्मानित सदस्यों का भी आभारी हूं कि इतने दिनों तक मेरा आप सबके साथ, साथ रहा। इसके अलावा मैं विधान सभा के अधिकारियों व कर्मचारियों का भी आभारी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज ही मैं अपना विधान सभा की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे रहा हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सागर–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कत्याल साहेब की निर्मम हत्या न केवल कानपुर के ही लिये बल्कि समूचे प्रदेश के लिये इसके कारण भय का वातावरण बना हुआ है। कल से इस दुर्घटना के बाद आज यह सदन बैठा है और इस पर आज इस पक्ष के सदस्य और उस पक्ष के सदस्य बराबर विचार कर रहे हैं लेकिन शासन की ओर से अभी तक हत्यारे का पता नहीं लगाया गया है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस पर आप चर्चा स्वीकार कर लें जिससे कि इस पक्ष के और उस पक्ष के माननीय सदस्यगणों के विचार इस संबंध में आ सकें और इसका कोई समाधान निकाला जा सके।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने स्वयं ही कहा है कि इस पर माननीय सदस्य गण सुझाव दें। उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था माननीय कत्याल जी की सुरक्षा के लिये की गयी थी और उसके बाद भी उनकी हत्या हो गयी, अब क्या किया जाय ? इसी का कारण है कि उन्होंने कहा है कि इस पर माननीय सदस्यगण सुझाव दें। मान्यवर, सबसे बड़ी चिन्ता की बात तो यही है कि सारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी उनकी हत्या हो गयी, निर्मम हत्या हो गयी, इस पर सुझाव आने चाहिये। यह सुझाव तभी आ सकते हैं जब आप इस पर चर्चा स्वीकार करेंगे।

मैं मानता हूं कि नेता सदन चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो जाय ताकि इस पर खुल कर विचार हो और माननीय सदस्यों के विचार आवें। हमारे माननीय सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं, वे नियम 56 के अन्तर्गत बोल नहीं सकते हैं। जब आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लेंगे तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण भी उस समय इस पर अपने विचार रख सकेंगे और सुझाव दे सकेंगे। इसमें शासन को चाहिये कि जल्दी से जल्दी ऐसा निणय ले कि हत्यायें आतंकवादियों के द्वारा हो रही हैं या यह हत्यायें किसी अपराधिक गिरोह द्वारा की गई हैं यह मामला गम्भीर है। इसके बारे में यहां पर 4 तारीख को ही विचार हुआ था उस समय भी मैंने कोई मजाक के रूप में नहीं कहा था बल्कि गम्भीरता के साथ कहा था माननीय गृह मंत्री जी से और अनुरोध किया था कि आप आतंकवादियों को धमकी न दें। आपको ध्यान होगा कि जब-जब पुलिस निदेशक रिबेरो और पंजाब के राज्यपालों ने वहां धमकी दी उसी के बाद पंजाब में धमाका होता है। इसीलिये मैंने कहा था कि आप उनको धमकी न दें बल्कि उनका नमन करें ताकि हमारे प्रदेश में शान्ति बनी रहे।

यदि श्री कत्याल जी की आतंकवाद के कारण हत्या हुई है तो यह चिन्तनीय है, पूरे विधायक इस पर विचार कर सकेंगे यदि इसे आप चर्चा के लिये स्वीकार कर लेंगे। माननीय नेता सदन ने भी कहा है तो इसको आप चर्चा के लिए स्वीकार कर लें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो मा0 मैनेजर सिंह जी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं ही सुझाव चाहते हैं, तो ग्राह्यता के संबंध में मेरा पहला सुझाव यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाव मांगे हैं, तब चर्चा तो होगी ही और होनी भी चाहिये।

अलग से कोई दिन निश्चित करें जिससे विस्तार से सभी मा0 सदस्यों के सुझाव आ सकें और दूसरी बात मान्यवर जो सबसे बड़ी ग्राह्यता की बात बनती है, वह यह कि . . (व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैंने तो सिर्फ यही निवेदन किया था कि जो सुरक्षा व्यवस्था मा0 कत्याल साहब के लिए की गयी थी, वह पर्याप्त थी या नहीं और इसमें यदि कोई कमी थी तो उसकी जानकारी आप हमें दे दें . . . (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा0 मुख्य मंत्री जी आखिर इतना कतराते क्यों हैं और इस पर चर्चा अगर आज नहीं होगी तब कब होगी और कार्य-स्थगन यदि आज भी स्वीकार नहीं होगा तो कब होगा 6 माह बाद . . . (व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

जांच करवा रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं कह रहा था मान्यवर कि इस पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि आपकी खुफिया पुलिस बिल्कुल असफल हो गयी है, क्योंकि कत्याल साहब ने इस उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं अपितु प्रधान मंत्री को भी अपने मारे जाने की आशंका का पत्र लिखा था, लेकिन आपकी खुफिया पुलिस क्या करती रही कि इन सब के बावजूद उनकी हत्या हो गयी और यही नहीं हत्या हुए 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गया लेकिन आप अभी तक यही पता नहीं लगा सके कि यह हत्या किनके द्वारा हुयी है, आतंकवादियों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा, दूसरे सारे उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील्ड हैं और कानपुर की सारी सीमाएं सील्ड हैं फिर भी वह लोग गिरफ्तार नहीं हो सके न उनकी कार का पता चल सका, इससे ज्यादा निकम्मेपन की और क्या बात हो सकती है इस सरकार की और इससे ज्यादा कमजोरी की और क्या बात हो सकती है, इसलिए इस पर चर्चा का होना तो बहुत ही आवश्यक हो गया है दूसरी बात जब सारी सीमाएं सील्ड हैं और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार कहती है कि हथियार फ्रांस से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं और सचमुच आ रहे हैं आप ही इसे स्वीकार कर रहे हैं तो फिर इन सीमाओं के बंद होते हुए कैसे आ रहे हैं, इससे यह साबित हो गया है कि आप कुछ करने में असफल हो चुके हैं जब यह स्थिति आपकी है तो आप देश और प्रदेश को किस स्थिति में ले जाना चाहते हैं, अभी तक जिन-जिन मा0 सदस्यों ने इस संबंध में अपने अपने विचार रखे उनसे तो यही पता चलता है कि यह मामला आतंकवादियों द्वारा ही किया गया है, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी अभी तक यही नहीं तय कर पाये हैं कि यह हत्या किनके द्वारा हुयी है . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य–

जांच हो रही है इससे पहले . . . (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

जांच क्या कर रहे हैं, लगता है जांच करके मामले को दबाना चाहते हैं क्योंकि अभी तक आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सके न उनकी कार का ही पता चला सके इस बीच न मालूम आप और कितने जन-प्रतिनिधियों को मरवाना चाहते हैं, इसलिए इस पर चर्चा तो स्वीकार होनी ही चाहिए, बराबर इस प्रकार की घटनाओं में बढ़ोत्तरी होती जा रही है, इसलिए अब इस तरह से काम नहीं चलेगा, आज ही विधान सभा को भंग करके दुबारा चुनाव कराएं तो उसी समय आपको जनता की भावनाओं का पता चल सकेगा दूसरी तरफ आप मा0 सदस्यों के सुझाव भी चाहते हैं, लेकिन जिन सुझावों को मा0 सदस्यों ने अब तक दिया, क्या उनमें से किसी एक पर भी आपने अब तक पालन किया, इसलिए हम लोगों को बहुत दुख है और दुख उस समय भी बहुत हुआ था जब श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की हत्या हुयी थी, उस समय हम लोगों ने ही ज्यादा आंसू बहाए थे, और सत्ता पक्ष के लोग लूट करने में, और कत्ले आम करने में लगे हुए थे और कत्याल की हत्या हुई। अगर आपने सुझाव मांगे हैं तो नेताओं की बैठक को बुलावें। विधायक उसी तरह से पिटते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। आपने क्या किया, मैंने कई सुझाव दिये। नवम्बर के महीने में कमलेश पाठक पर गोली चलायी गयी, कितनी बार कहा गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। औरैया के एक प्रिंसिपल की आंखें फोड़ दी गयीं, कुछ हुआ? आप कुछ कर सके? उसके बाद आपने क्या कार्यवाही की।

श्री वीर बहादुर सिंह–

आपस में तो आप लोग लड़ते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हम आपस में लड़ेंगे, लेकिन आपका क्या कर्तव्य है। भाटी साहेब के ऊपर 19 जनवरी को हमला हुआ, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी और जिन लोगों ने हमला किया है, उन्हीं की सुरक्षा का प्रबन्ध किया है। जब आप गुण्डों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, आप पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपके सामने अक्षयवर मल की हत्या हो गयी, आपने पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की। अपराधी को जब तक सजा नहीं मिलेगी, अपराध कम नहीं होंगे, गुंडों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक गुन्डई कम नहीं होगी। जब तक आप सजा नहीं देंगे, अपराध बढ़ते जायेंगे। जन प्रतिनिधियों की हत्या होना शुरू हो गयी है, यह बहुत गम्भीर मसला है। राम शरण दास जी ने कहा और शाही जी ने कहा, जिसने एस0 पी0 ललितपुर के खिलाफ कहा, उसको जेल भेज दिया गया। ललितपुर का एस0 पी0 एक जज को धमकी दे रहा है और उससे कहा जा रहा है कि ठीक कर दिया जायेगा। तो ऐसी हालत में आप क्या सुझाव चाहते हैं। हमारा इतना आरोप हो सकता है, कि वह एस0पी0 आपका रिश्तेदार है। आपका रिश्तेदार क्या एस0 पी0 नहीं हो सकता है, हो सकता है। अगर हम एम0 एल0 ए0 हो गये, तो क्या हमारा रिश्तेदार एस0 पी0 नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि आप गलत कार्यों में उसकी कितनी मदद करते हैं। श्री राम शरण दास जी ने कहा कि एस0 पी0 गुण्डई कर रहा है, और भी कई लोगों ने इसी तरह की बातें की हैं, आपको उनके

खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन नहीं की । कत्याल जी की हत्या हो गयी । लाल बत्ती होने पर दो मिनट और दे दीजिए, एक विधायक की हत्या का मामला है। तो मैं कह रहा था यह बहुत बड़ा गम्भीर मामला है और लोक तंत्र को एक गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। जन प्रतिनिधियों की हत्या होनी शुरू हो गयी है। इसलिए इस पर आप एक दिन की चर्चा करायें और चर्चा कराने के पहले आप नेताओं को बुलायें। आपने कभी बुलाया है। एक बार 18 फरवरी, 1986 को बुलाया था और फिर नहीं बुलाया। सरकार इसको बपौती समझती है। हमारी भी जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। आप इस प्रदेश को कहां से कहां ले जाना चाहते हो। साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, बाबरी मस्जिद को लेकर, आप बतायें कि यह हत्या आतंकवादियों ने की है तो उस तरह से चर्चा होगी और इससे उत्तर प्रदेश के सामने और खतरा पैदा हो गया है। अभी तक सरकार इसके बारे में भ्रम में है। इसका पता नहीं लगा पायी है। मेरा साफ तौर पर आरोप है और सरकार जानती है कि किसने हत्या की है। आप उसे क्यों छिपाना चाहते हैं। आप पता नहीं लगा पाये तो इससे ज्यादा आपकी सरकार के निकम्मेपन और शर्म की बात नहीं हो सकती है। इसलिए मान्यवर, आप इस पर चर्चा कराइये। हमारे कानपुर के माननीय सदस्य इधर भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हुए हैं उनको भी थोड़ा बहुत पता होगा। मैं माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि बंधुवा मजदूर की तरह से मत बने रहिए । मुख्य मंत्री जी, आपको वैचारिक स्वतंत्रता अपनी पार्टी में रखनी चाहिए। आप सुझाव आने दीजिये, चर्चा की मांग कीजिये। कानपुर के कुछ लोगों को पता होगा कि यह हत्या किस तरह से हुई है। उसमें खुल-कर चर्चा हो जायेगी। आप नहीं बता सकते तो माननीय सदस्य बतायेंगे। इसलिए इस पर चर्चा करनी ही चाहिए।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप छोड़ दीजिये।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय विलायती राम कत्याल की हत्या के विषय में विपक्ष के लग-भग सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे और उस पर उन्होंने काफी चिन्ता भी व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग भी इस घटना से चिन्तित होने चाहिए यद्यपि उनके हाव-भाव से गृह मंत्री से लेकर माननीय सदस्यों तक, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि उनके मन में इस विषय में कोई चिन्ता हो लेकिन मान्यवर, माननीय कत्याल की हत्या से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जरूर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लग गया है। कत्याल जी की जो हत्या हुई है उसमें थोड़ा सा यह देखना पड़ेगा कि उसमें हमारे इस सदन के सम्मानित सदस्यों का अपमान, उनके परिवार का अपमान और विधायकों की हत्याओं की श्रृंखला शामिल है। लेकिन हमारे मान-नीय गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी अभी तक कोई भी ऐसा ठोस सुझाव या कदम उठा नहीं पाये हैं जिससे समस्या का निदान होता और मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा अभी कहा कि हमने उनके लिये गनर भी

दे रखा था, एक शैडो भी दे रखा था और गार्ड भी घर में लगा रखा था, इसके अलावा और क्या किया जा सकता था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जैसा माननीय राणा जी कह रहे थे कि जो गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल की थी वह बगैर नम्बर के किसी जंगल में या बीरान शहर में नहीं थी, कानपुर शहर में घूम रही थी जहां कदम-कदम पर पुलिस का पहरा होता है। उस गाड़ी को चेक नहीं किया गया।

इसके अलावा जब कि उत्तर प्रदेश के डी0 जी0 (पी) ने फैजाबाद में साफ तौर से इस बात की घोषणा कर दी थी कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर आतंकवादी आ चुके हैं। माननीय कत्याल जी के लिए भी पिछले तीन वर्षों से आधे दर्जन से ज्यादा धमकी भरे पत्र आते रहे किन्तु आपने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर उनकी हत्या आतंकवादियों ने की है तो मुझे खास तौर से यह कहना है कि जब डी0 जी0 (पी) ने घोषणा कर दी थी, उनको जानकारी मिल चुकी थी कि हमारे प्रदेश के अन्दर आतंकवादी प्रवेश कर चुके हैं तो कम से कम उन लोगों के लिए उन माननीय सदस्यों के लिए जिनके लिए आतंकवादियों द्वारा धमकी भरे पत्र प्राप्त हो रहे हैं या होते चले जा रहे हैं तो उन लोगों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी मुख्य मंत्री जी, कि आतंकवादी प्रदेश में आ चुके हैं और जिन विधायकों के लिए खतरे की बात कही गई है उनको सूचना भेज दी गई होती, उनको आगाह कर दिया गया होता तो वे स्कूटर से शैडो को लेकर न गए होते। माननीय कत्याल जी अपनी पूरी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर लिए होते, वह समझ जाते कि अब हमारी हत्या हो सकती है। लेकिन आपने कोई सूचना नहीं दी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अगर वर्तमान शासन यह महसूस करता है कि हम और क्या कर सकते हैं। तो मुझे खास कर माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना है कि यह इस बात का परिचायक है कि आपकी कानून व्यवस्था बिलकुल लचर है। आपकी सरकार का कोई डर अपराधियों को नहीं है। मैं साफ तौर पर आरोप लगाता हूं कि हमारे गृह मंत्री बहुत शिथिलता और ढिलाई से काम कर रहे हैं। जब जब इन्होंने कोई चेतावनी अपराधियों को दी उस चेतावनी का जवाब उन्होंने चेतावनी के रूप में दिया और आपने मुंह की उसमें खाई। जैसा माननीय मैनेजर सिंह जी ने परसों कहा था और आपने खड़े होकर कह दिया कि हमने पूरी तैयारी उनसे निपटने के लिए कर ली है केवल वाकयुद्ध से या सदन में कह देने से काम नहीं बनता है। अपराधी उसे गम्भीरता से नहीं लेते हैं। मैं खास-तौर से कहना चाहता हूं कि अस्पताल के अंदर जब कोई मरीज भर्ती होता है तो डाक्टर जब धीरे धीरे काम करते हैं तो घर वाले समझ लेते हैं कि कोई खास गंभीर बात नहीं है और अगर डाक्टर तेजी से काम करते हैं और आक्सीजन आदि लगाते हैं तो समझते हैं कि मामला गंभीर है। तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप वहां तसरीफ ले गये, मैं भी आपके वहां से आने के बाद थोड़ी देर में गया और वहां सरकिट हाउस में 5 मिनट ठहरा तो अधिकारियों ने केवल इतना कहा कि गृह मंत्री जी आये थे चाय पी, नाश्ता किया और घटना स्थल पर गये और फिर खाया और चले गये।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

यह 100 प्रतिशत झूठ है मैंने वहां पानी तक नहीं पिया।

श्री सत्यपाल सिंह–

हो सकता है आपकी बात 100 प्रतिशत सही हो। मैंने जो बताया वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने कहा। हमारा कहना है कि आपने पानी तक न पिया हो अच्छा किया यह होना चाहिए। अगर मेरी बात सही है तो आप निन्दा के पात्र हैं। अगर इस तरह से नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे तो इसका आपके अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब आप सख्ती से कार्यवाही नहीं करेंगे तो यही होगा। जो आपके हैं या आपके साथियों के हिमायती हैं उन दरोगाओं और अधिकारियों को या बड़े बड़े अफसरों को संवेदनशील जगहों में भेजेंगे तो यही होगा और अत्याचार बढ़ेंगे। आप कानपुर में पता लगा लें वहां पर थाने बिकते हैं आपके पड़ोस का जिला है, आपके उन्नाव में थाने बिकते हैं आपको इसकी जानकारी होगी, उसकी आपको शिकायतें मिलती हैं तो उस पर आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो आप अपराधियों और आतंकवादियों पर कब्जा नहीं कर सकते हैं।

मुझे खास कर यह बात कहनी है मुख्य मंत्री जी से आपके गृह मंत्री सीधे हो सकते हैं लेकिन उनकी ढिलाई का असर पूरे प्रदेश में पड़ चुका है। ऐसी स्थिति में अपराधियों और आतंकवादियों पर कन्ट्रोल नहीं हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि गृह मंत्री जी को आप बरखास्त कर दें लेकिन मेरा साफ तौर से कहना है कि कम से कम गृह मंत्री जी को चाहिए कि मुख्य मंत्री जी कुछ करें या न करें, लेकिन नैतिकता का तकाजा है और प्रदेश की मांग है कि आप स्वयं इस्तीफा दे दें और उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ जनता को बचायें, यह नितान्त आवश्यक है। जैसा पिछले तीन सालों का रिकार्ड बता रहा है कि अपराध कहीं पर रुके नहीं हैं। मैंने आंकड़े देकर बताया था लेकिन आपने कह दिया कि डकैतियां कम हुई हैं, मैंने अपने साढ़े तीन घंटे की स्पीच में इस बात को साबित किया था लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ी विनम्रता से 15 मिनट में तुलसी के दोहे पढ़ कर उसे साफ कर दिया। मेरे तथ्यों की तथ्यों से बात होती तो हमारी तसल्ली होती और जनता भी समझती कि हमने जो आरोप लगाये थे वह निराधार थे। आपका तीन साल का रिकार्ड बता रहा है कि अपराध बड़े हैं, कत्ल, बलात्कार, दहेज के मामलों में हत्यायें सब बढ़ी हैं। इसके साथ ही इनके जमाने में एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी जा रही हैं, दरोगा लोग विधायकों को धमकियां दे रहे हैं। मान्यवर, मेरा कहना है कि यदि मुख्य मंत्री जी सुधार चाहते हैं तो आपको चाहिए कि हमारे कोई भी माननीय सदस्य अपनी जिंदगी के खतरे की सूचना आपको देते हैं, उनको धमकी भरा पत्र मिला है और आपको सूचना देते हैं तो उसको आप गम्भीरता से लें और जब तक डर नहीं पैदा होगा, नौकरशाही के लिए तो वैसा ही होगा जैसे कि घोड़े पर सवारी करना है और यदि सवार कमजोर होगा, पंडित जी के समान होगा, तो घोड़ा ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए इस पर मजबूती से काम करें तभी सुधार होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी अपनी तरफ से नैतिकता का परिचय नहीं दे रहे हैं तो मुख्य मंत्री जी आप स्वयं गृह मंत्री जी को हटाकर जन जीवन को सुरक्षित करें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, कई बातें कहीं गयीं। एक तो कहा गया कि पुलिस समय से वहां नहीं पहुंची। तो यह घटना 8.30 प्रातः हुई और पुलिस को सूचना 8.52 पर मिला और पुलिस ने तुरन्त इसकी सूचना हर जगह वायरलेस से दे दिया और 9.58 पर पुलिस वहां पहुंच गयी।

मान्यवर, यह घटना जो घटी इसके संबंध में यह कहा जाता है कि श्री कत्याल जी को पहले से आगाह नहीं किया गया, तो उनको कई बार आगाह किया गया और उन्होंने स्वयं कहा था कि हमें डर है, यह देखते हुए जितनी उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यकता थी, पूरा एक गार्द नियुक्त किया गया, बिल्कुल शस्त्र पुलिस का, दो अंगरक्षक एक स्टेनगन और एक रिवाल्वर के साथ और यह कहा गया कि इनको आप साथ रखें। इनके पास मारुति कार है, जब आप चलें तो इनको साथ लेकर चलें, अकेले नहीं। यह घटना जिस दिन घटी तो एक अंगरक्षक यह ले गये थे जिनके पास रिवाल्वर था और जो स्टेगन रखता था उसको नहीं ले गये थे।

मान्यवर, जो यह घटना घटी उसके विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूं चूंकि इसकी विवेचना चल रही है तो ज्यादा बात कही जाती है तो उसका विवेचना पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से लिया जाये, इसलिये इसकी विवेचना कई तरह से कराई जा रही है, यहां से स्पेशल सी0 आई0 डी0 की टीम भेजा है और जो आतंकवादी प्रकोष्ठ है उसको इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ वरिष्ठ पुलिस के साथ इसकी विवेचना चल रही है ताकि हर तरह से इसको देखा जा सके कि घटना किस तरह घटी।

मान्यवर, श्री मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे तो कह रहे थे कि कैसे यह घटना हो गई, इसको बताया जाये, तो मान्यवर, जब तक जांच चल रही है, सारी बातें सामने न आ जायं और जो हम चाहते हैं कि विवेचना पर बुरा असर न पड़े तथा प्रदेश में आतंकवाद न बढ़े, इसलिये जांच से जबतक किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंचते हैं तब तक कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। मान्यवर, माननीय सदस्यों को चिंता होना स्वाभाविक है, नेता विरोधी दल की चिंता को हम समझ रहे हैं जो वाजिब है, यह सभी के लिये चिंता का विषय है कि इस तरह की घटना प्रदेश में न घटने पायें इसके लिये काफी प्रिकाशन लेना है।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि श्री रघुबर दयाल शर्मा जी ने अच्छा सुझाव दिया, जिसको मैं स्वयं कर रहा हूं पहले से, कि आज हमारी जो पुलिस है वह पुरानी ट्रेनिंग पायी है उसे जबतक आज के क्राइम के अनुसार माडल ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं करते हैं, प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो सही माने में आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो उसके लिये हम कर रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस का मार्डनाइजेशन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर . . . ।

और यही कारण है कि पिछले वर्ष आपने देखा है जब हमने आपके सामने यहां पर बजट में व्यवस्था किया था तो पुलिस पर ज्यादा पैसा खर्च किया है। हम पुलिस पर और ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि जब तक हम लॉ एण्ड आर्डर को ठीक नहीं करेंगे, हमारे सारे विकास कार्य और दूसरे कार्य रह जाएंगे, उन्हें ठीक से नहीं कर पायेंगे। हमें खुद इसकी चिन्ता है और हम कर रहे हैं, हम पुलिस ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण केन्द्र कई जगह खोल रहा हैं और जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो काफी पुराना हो गया है, उसको काफी बदला है और भी ज्यादा हम उसे बदलने जा रहे हैं।

आर्म्स और एम्युनेशनस को भी आज की आवश्यकता को देखते हुए नए-नए और आधुनिक से आधुनिक करने की कोशिश कर रहे हैं और मंगाए भी हैं। इस क्षेत्र में हम कर रहे हैं और यह भी कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में जो प्रवृत्ति आ गई है, पास के दूसरे प्रदेश से जो आ रही है, जो यहां बढ़ रही है, हमारा प्रयास है कि वह उत्तर प्रदेश में बढ़ने न पाए। जब गृह मंत्री ने कहा था कि आतंकवाद की प्रवृत्ति हम कोशिश करेंगे न बढ़ने पाए और कहीं बढ़ी है तो उसे ठीक करें और उसको प्रभावी तरह से दबायें और बढ़ने न दें, बहुत ठीक ही कहा है। सरकार की यह जिम्मेदारी है और हम इसको वास्तव में करना भी चाहते हैं और माननीय कत्याल जी के निधन से, हत्या से जो कष्ट हुआ है वह हमारे सबके लिए काफी दुख: की बात है। हम लोग प्रयास करेंगे कि यह जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सब लोग हैं, उनकी सबकी सुरक्षा का ध्यान हम रखें। यह भी देखना है कि जब तक सब लोग मिलकर नहीं देखेंगे कि कैसे सुरक्षा हो, कैसे ठीक कर सकते हैं, तबतक हमारी मुश्किल होगी। हमने यह भी कहा है कि जगह-जगह पर सिटीजन कमेटियां बनाई जाएं और गलत काम करने वालों की जानकारी रखी जाए और उनके बारे में समय-समय पर पुलिस को जानकारी दी जाए। कोई गलत आदमी आ गया गया है तो उसकी जानकारी करनी चाहिए, तो यह सब करना है।

रमा नरेश यादव जी जब बोल रहे थे, उन्होंने कई बातें कहीं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वह हमारे पुराने और बुजुर्ग साथी हैं। वह जब मुख्य मंत्री थे, देख रहे थे, पुलिस क्या-क्या काम करती थी और आज क्या काम करती है। लेकिन विरोधी दल में बैठे हैं, इसलिए कुछ बोलना है सो उन्होंने कह दिया ... (व्यवधान) जो कुछ हुआ है, दोनों माननीय पक्षों के लोगों को उस पर रोष आना स्वाभाविक था, दुखी होना स्वाभाविक था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण पर ज्यादा से ज्यादा गम्भीरता से जांच पड़ताल करकर कार्यवाही की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर न घटने पायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियमावली का नियम 60 देखने का कष्ट करें ....

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो हो गया। अब इस पर निर्णय देना है ....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यही तो मैं कह रहा हूं कि निर्णय देने से पहले आप हमें सुन लें. . . (व्यवधान) आपकी अनुमति ही तो मैं बोलूं । नियम 56 में हमने सूचना दी थी और नियम 58 में आपने हमें सुना . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी भाषण ही हो रहे थे, व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक सुझाव देना चाहता हूं, चाहें तो सुन लें ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कोई सुझाव इस समय नहीं सुनना चाहता हूं . . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा निवेदन है आप नियम-60 देख लें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग सब बैठें । अभी मैं सुन रहा हूं । एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली है ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, एक घंटे की चर्चा नहीं, कम से कम दो घंटे की चर्चा स्वीकार करें !

(व्यवधान)

विषय की गम्भीरता को देखकर दो घंटे की चर्चा स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष–

अच्छा चलिए, दो घंटे की चर्चा स्वीकार ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, गृहमंत्री जी इस्तीफा देंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

यह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं सदन से, अपने दल के साथ बहिष्कार करता हूं ।

(श्री सत्यपाल सिंह ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

पहले गुप्ता जी कल व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम सदा आपके आभारी हैं कि आपने हमारी नियम-56 की सूचना में नियम-57 को सुना । मान्यवर, नियम-60 को देखने की कृपा करें । नियम-60 में लिखा है कि-"कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कार्यस्थगन अस्वीकार कर दिया है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था के बाद, आपके निर्णय पर कैसे आपत्ति कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सरकार हृदयहीनता का व्यवहार कर रही है, इसलिए मैं अपने समुदाय के साथ इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने भी अपने समुदाय के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

आपने व्यवस्था दी । आपने ग्राह्यता के लिए स्वीकार किया, चर्चा के लिए स्वीकार किया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने अस्वीकार किया है : स्वीकार नहीं किया है । आपको बहुत दूर का सुनाई पड़ रहा है ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आप चर्चा के लिए स्वीकार करते हैं, तो उससे पहले औपचारिक प्रस्ताव आना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति में समय निश्चित हो जाएगा ।

(व्यवधान)

आपको नियम-57 भी पढ़ लेना चाहिए । ग्राह्यता पर सुन रहा हूं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपने इसे कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार नहीं किया है । आपने चर्चा स्वीकार की है । यह आपका विवेक है इसके लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अकबर हुसैन बावर–

मान्यवर, इस प्रदेश के कई जिलों में एक महीने से वकीलों की हड़ताल चल रही है । फैजाबाद, जौनपुर, बनारस में हड़ताल है जिससे पूरी न्यायपालिका का कार्य ठप पड़ गया है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई-कई महीनों से लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनकी जमानत नहीं हो पा रही है । फैजाबाद, मिर्जापुर, बनारस, आजमगढ़ आदि जिलों में वकीलों के अदालतों में न जाने के कारण पूरी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है मैं चाहता हूं कि इस पर सदन का काम रोक कर चर्चा करवायें ।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, अभी नियम 56 के अन्तर्गत बावर जी ने जो बातें कही हैं उस पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । वकीलों की हड़ताल एक महीने से चल रही है जिससे वादकारियों को बहुत परेशानी हो रही है । लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया है उनकी जमानतें नहीं हो पा रही हैं । वकील गेट पर खड़े रहते हैं और वादकारियों को अन्दर नहीं जानें दे रहे हैं। जनता में इससे बड़ा असंतोष है। इसलिए मेरी मांग है कि आज की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करवायें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इसकी जांच करा ली जायगी और जो वस्तुस्थिति होगी वह मैं आपके समक्ष रखूंगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत गम्भीर मसले के सिलसिले में नियम 56 के अन्दर आज नोटिस दिया है। वह यह है कि ग्राम जिंदरपुर गजरौला तहसील व जिला बिजनौर के अन्दर एक अहम घटना 2-4-88 को घटी है । पुलिस की साजिश से सारा काम हुआ है जिसमें हरिजनों और मुसलमानों के 17 घर जला दिए गए हैं और 3 आदमियों का कत्ल कर दिया गया है जिसमें एक आदमी है एक बच्चा है और एक औरत है । पूरा बिजनौर इस सिलसिले में 3 अप्रैल, 1988 को बन्द रहा । लोगों में अब भी बड़ा रोष व्याप्त है । वहां की हालत बहुत खराब है । मैं मांग करता हूं कि जो तीन आदमी मारे गए हैं उनको मुआवजा दिलवाया जाय। संसदीय कार्य मंत्री ने अप्रैल की 4 तारीख को एलान किया था कि जिन गरीब आदमियों की झोपड़ियां जली हैं उनको टीन वगैरह की व्यवस्था की जायगी । लिहाजा उनके जान-माल की सुरक्षा का इन्तजाम किया जाय अब भी उनकी जान को खतरा बना हुआ है । पुलिस आतंक मचा रही है । यह सारा षडयंत्र पुलिस के जरिये रचा गया है और पुलिस की गोलियों से लोग मरे हैं । इस देश के अन्दर सारे आवाम की जान को खतरा पैदा हो गया है । विधायकों और जनप्रतिनिधियों की जानों को भी खतरा हो गया है । अभी कात्याल जी की घटना के बारे में सदन में चर्चा हुई जिसका सबको अफसोस है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि मैंने जो सूचना दी है उस पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करवायी जावे ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, ग्राम जिंदरपुर गजरौला की जिस घटना के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है तो वहां के रहने वालों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जायगी । जो ज्यादतियां हुई हैं उसकी जांच डिवीजनल कमिश्नर द्वारा करायेंगे और जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा देने के बारे में बता दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मुआवजे के सिलसिले में जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वह की जायगी । जो राहत पहुंचानी है नियमों के अन्दर, वह सारी पहुंचायी जायगी ।

श्री विक्रमादित्य पांडेय–

मान्यवर, बलिया जनपद में भीषण अग्निकांड से 700 घर जल गए हैं। वहां पर विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

मान्यवर, बलिया विधान सभा क्षेत्र में हुई भीषण अग्निकांड, जिससे हजारों घर जल गए उससे उत्पन्न विषय स्थिति पर नियम 56 के अन्तर्गत मैं बोलना चाहता हूं। श्रीमन्, 24 मार्च, को कृपाराम का डेरा, 156 घर, 30 मार्च को जबही दीपा 20 घर, 1 अप्रैल को देवीराय का डेरा 143 घर, 2 अप्रैल को गजरी, 30, और 2 अप्रैल को मनियारी जसांव 26 और 3 अप्रैल को जनाड़ी 150 घर भीषण अग्निकांड से जल गये, खलिहान भी इन गांवों के जल गए । ये सारे गांव गंगा नदी के किनारे कटान के बाद बसे हुए हैं। गत वर्ष भी इन्हीं गांवों में आग लगी थी, और ये अभी सम्भल भी नहीं पाए थे और पुनः आग लग गयी । इन गांवों के हजारों लोग इस भीषण गर्मी में खुले आकाश में रह रहे हैं, बच्चे, बूढ़े और औरतों की स्थिति बहुत दयनीय है। इनकी करुण क्रन्दन से कोई भी रो देता है। लोग भूखों मर रहे हैं । पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है । इनके पास वस्त्र नहीं हैं, चारे की समस्या उत्पन्न हो गयी है । जनपद प्रशासन ने इन गांवों में समय के साथ राहत नहीं पहुंचाई, स्थिति बड़ी ही भयावह एवं दयनीय तथा निराशाजनक है, गरीब लोगों की हालत विशेष रूप से खराब है, वे भोजन, आवास, वस्त्र की व्यवस्था नहीं कर सकते । अतः आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें और राहत को समय के साथ न पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, अग्निकाण्ड का एक माननीय मनोहर लाल जी का भी है। मान्यवर दोनों अग्निकाण्डों के बारे में पहले सुन लें, तब उसके बाद अगले विषय को सुन लें।

(घोर व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दें कि जिन लोगों के मकान जल गए हैं, उनके लिए पैसे के लिए व्यवस्था करें । मान्यवर, देवरिया जिले में मेरे क्षेत्र के भीतर महुवां बजराटा, घोड़ीपुर कलां आदि में सैकड़ों मकान तथा पूरे

जिले में हजारों से अधिक मकान जल गए हैं, लेकिन वहां पर पैसा नहीं है, जिससे अग्नि पीड़ितों की सहायता किसी भी प्रकार से नहीं की गयी । मान्यवर, वहां पर अविलम्ब पैसा भेजने की व्यवस्था की जाय ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय शाही जी ने जो निर्देश दिए हैं, उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा, अभी मान्यवर, माननीय मनोहर लाल जी को सुन लें ।

श्री मनोहर लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसे-जैसे गर्मी का मौसम आता है, प्रदेश के अन्दर अग्निकाण्ड बढ़ते जाते हैं । मान्यवर, इन अग्निकाण्डों से पूरे प्रदेश के अन्दर जन और धन की हानि इतनी अधिक मात्रा में हो जाती है कि उसको पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है । मान्यवर, मैं उन्नाव जनपद की बात करना चाहता हूं, जहां पर दिनांक 25-3-88 से लेकर 2-4-88 तक लगभग 1 दर्जन गांवों में भीषण आग लगी तथा 7 से ज्यादा आदमियों के जलकर मौतें हो गयीं और लगभग 1 दर्जन जानवर जल गए । उन्नाव तहसील के गांव हाजीपुर, जमालनगर व गढ़ेना फतेहपुर चौरासी के गांव धन्नापुरवा व मौरावां के गांव बसहा और मुरैता गांवों में तथा खलिहानों में भीषण आग लगी, गढ़ेवा में गंगाराम नामक आदमी जल कर मर गया, हाजीपुर में रामकिशन, रामावती, श्यामा, कुसुमा जलकर मर गयी । मान्यवर पूरे गांव में सब मिला कर लगभग 200 घर आग में स्वाहा हो गए और एक भी दाना तथा कपड़ा-लत्ता कुछ भी नहीं बचे । जब मैंने इन गांवों के अग्निकाण्ड के बारे में उन्नाव के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि उन्नाव में अनुदान के लिए एक भी पैसा नहीं है । गांव के कुएं तथा तालाब सूखे पड़े हैं । ऐसी स्थिति में पूरे जनपद में इन अग्निकाण्डों से भीषण आतंक व रोष व्याप्त है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त अनुदान की व्यवस्था के साथ-साथ खाना-कपड़ा तथा पानी पीने के लिए हैण्ड पाइपों की व्यवस्था कराई जाय और सूखे पड़े हुए तालाबों को भरवाया जाय । जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने तीन दिन पहले घोषणा की थी कि फूस के बजाय खपरैल के मकान बनाने के लिए सरकार अनुदान देगी, तो मैं उसकी भी मांग करता हूं और यह भी मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर आज की सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था नहीं है, आप बैठें, कुछ नहीं लिया जायेगा ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय विक्रमादित्य पाण्डेय और माननीय मनोहर लाल जी ने अग्निकांड के बारे में बताया और माननीय शाही जी ने देवरिया में पैसा न होने के बारे में बताया । यह बात परसों भी आ चुकी थी उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि यह वक्त ऐसा होता है जहां पर फसलों में घरों में आग लग जाया करती है। इसके बावजूद हम पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हैं । कहीं-कहीं पर यह काफी बड़ी आग लगी है । मैं सीतापुर से आता हूं, सीतापुर में भी आग लगी है, उन्नाव में माननीय मनोहर लाल जी ने कहा, वहां तो आग लगनी स्वभाविक है । मान्यवर, जहां तक आग बुझाने का ताल्लुक है उसमें पूरा प्रयास है । जो दमकल है या और तमाम चीजें जो हैं वह उतनी संख्या में नहीं हैं कि गांवों में भी उन्हें भिजवाया जा सके लेकिन वहां तालाब और कुएं और ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तालाब में पानी के लिए आदेश दिये गये हैं और ट्यूबवेल को ठीक करने के आदेश दिये गये हैं । जहां-जहां जिक्र किया है सम्मानित सदस्यों ने वहां हम राहत के लिए पैसा पहुंचा रहे हैं । पैसा जहां नहीं बंटा है वहां इसी हफ्ते में बटवाया जायेगा। देवरिया में पैसा के बारे में कहा है वहां पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और आज आदेश देंगे रिलीफ कमिशनर को, जिन गांवों का जिक्र किया है उन गांवों की व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कहीं और सूचना मिलती है तो उन गांवों की भी सूचना देने की कृपा करें ताकि वहां भी व्यवस्था करा सके ।

*श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(कई सदस्यों के एक साथ व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर व्यवधान)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, अग्निकांड से हजारों घर जल गये हैं । ऐसे गरीबों के घर जले हैं जो अपना घर नहीं बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी भी घोषणा करें कि जो लोग खुले आकाश में रह रहे हैं उनके लिए कौन सी व्यवस्था करने जा रहे हैं।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सरवनखेड़ा लखनऊ में 140 मकान जल गये थे। उसमें से लखनऊ तहसील केवल 80 लोगों को राहत पहुंचाने की बात कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने अग्निकाण्ड पर तो दिया नहीं है कामरोको में मैं इजाजत नहीं देता हूं। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था अग्निकाण्ड में इसलिए आपने नहीं दिया।

अंचल जी आप बैठें। मनोहर लाल जी आप बैठें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, उन्नाव के बारे में मैंने स्वयं कहा कि वहां पैसा भिजवाया जायेगा। (व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मित्रसेन–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव के जरिए अपने जिले की पुलिस के ही खोखलेपन का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे जनपद का एक आदमी 26 जून को पाकिस्तान चला गया था और 26 जून से 20 जुलाई तक वह पाकिस्तान में रहा। उसका हमारे पास पासपोर्ट और उसका नम्बर भी है वह 20 जुलाई को पाकिस्तान से लौटकर आया। वह अपनी बहिन को पाकिस्तान भेजने गया था। मान्यवर, 2 जुलाई को फैजाबाद में एक घटना घटी एक जीप को कुछ असमाजिक तत्व भगाकर ले जाते हैं सुल्तानपुर और वहां ड्राइवर की हत्या कर देते हैं और वह लखनऊ में जीप पकड़ी गयी। इस अपराध में उस व्यक्ति को जिसका नाम इजहार उर्फ छोटू है और वह फैजाबाद का रहने वाला है, का चालान कर दिया गया जब कि वह 2 जुलाई की घटना है और 2 जुलाई को वह पाकिस्तान में था। वह फैजाबाद मनोहर लाल इण्टर कालेज का छात्र था और 7 मार्च को फार्क्स इण्टर कालेज फैजाबाद में परीक्षा के लिए अपनी सीट देखने जा रहा था तो दरोगा ने पकड़कर उसका चालान कर दिया। एक इंसान जिसका राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र पाकिस्तान में होने का हो, उसको बन्द करके उस पर फर्जी मुकदमा चलाया जाय यह इनकी पुलिस का खुला और जीता-जागता दीवालियापन का प्रमाण है। इससे ज्यादा पुलिस की छीछालेदर और नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि ऐसे पुलिसकर्मी जो इस तरह के अपराध करते हों, उसके बारे में आप कम से कम वक्तव्य मंगवा लें तो स्थिति साफ हो जायगी। मैं चाहता हूं कि वक्तव्य अवश्य दिलवा लें और एक निरपराध व्यक्ति को पुलिस ने बन्द करने का जो अपराध किया है, उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मा0 मित्रसेन जी ने जो सूचना दी है, उसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्ड देंगे और जिनको तकलीफ हुई है, उसको दूर करेंगे।

श्री कामेश्वर उपाध्याय–

मान्यवर, हमारे यहां की एक प्रतापपुर चीनी मिल है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर वह चीनी मिल बिहार की सीमा पर स्थित है। वहां का महा प्रबन्धक बराबर श्रमिकों का उत्पीड़न करता रहा है जिससे वहां के श्रमिक नेता अनशन पर बैठे हुए थे और उसमें हस्तक्षेप करते हुए उपश्रमायुक्त गोरखपुर ने एक समझौता कराया। लेकिन महा प्रबन्धक ने उस समझौते को लागू नहीं किया। जिससे वहां के धार्मिक नेता आमरण अनशन पर बैठे। उसके बाद 3-4-88 को 12 बजे रात से हड़ताल शुरू हो गयी। वहां के गन्ना काश्तकारों का हजारों क्विंटल गन्ना खेतों में पड़ा है और उस गन्ना मिल के प्रबन्धक चाहते हैं कि मिल बन्द कर दी जाय। ऐसी स्थिति में गन्ना काश्तकारों के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जायगा। वहां के श्रमिक नेताओं को निलम्बित कर दिया गया है। मान्यवर, मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस मिल का महा प्रबन्धक अपराधी प्रकृति का है और पहले वह बिहार की जिस फैक्ट्री में था, वह वहां दो हत्याएं करवा चुका है। वहां उसने नर संहार करवा दिया था और मुझे पूरी उम्मीद है वहां भी नर संहार करवाया जायेगा। उसकी साजिश है कि गन्ना श्रमिकों में लड़ाई छिड़ जाय। वह बराबर शासन के आदेशों की अवहेलना करता है और जब कोई आदेश आता है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आता है। इसलिये इस विषय पर सदन का काम रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह जो कामेश्वर उपाध्याय जी की नोटिस मिली है उसकी जानकारी कराई जा रही है। उसके बाद कोई कार्यवाही की जायगी। यह सुनिश्चित किया जायगा कि मजदूरों के साथ कोई ज्यादती न हो।

श्री कामेश्वर उपाध्याय–

मान्यवर, गन्ना काश्तकारों का जो गन्ना सूख रहा है, उसके लिये भी कोई व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं श्री विलायती राम कत्याल, सदस्य विधान सभा की कानपुर में हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जयदीप सिंह बरार, श्री कल्याण सिंह, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री राम सागर, श्री राम शरण दास आदि मा0 सदस्यों की सूचना पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं और श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री मनोहर लाल, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय और श्री कामेश्वर उपाध्याय की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। और नियम 56 के अन्तर्गत शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

(मद संख्या-13 पुकारे जाने पर)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरी पीलीभीत वाली सूचना अवश्य सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब आज सब अस्वीकार हो चुकी हैं। अब नहीं सुनूंगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इतनी सूचनाएं आपने सुन लीं। अब केवल 1-2 सूचनाएं रह गयी हैं। मेरी सूचना गम्भीर प्रकृति की है।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी हाउस नहीं उठेगा, आगे आ जायगा। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं सारी सूचना अस्वीकार कर चुका हूं। मा0 बदन सिंह बोलिए।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, पहले माननीय सदस्यों को बिठवायें तभी बोलूं।

श्री शारदा प्रताप–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री शारदा प्रताप–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय शारदा प्रताप शुक्ला जी कुछ नहीं लिखा जायेगा। माननीय बदन सिंह जी आप बोलें।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित तो कराइये तभी कुछ बोलूं। सब लोग खड़े हुए हैं, उनको बिठवायें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, पीलीभीत और अलीगढ़ वाला मामला गंभीर है,

श्री शारदा प्रताप–

जिस सब इन्स्पेक्टर ने मजदूरों पर गोली चलायी है, उसको हटाया जाय।

श्री विनोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप सब लोग बैठें। मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, अगर आप मेरे इस महत्वपूर्ण विषय पर सुनना नही चाहते हैं तो मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री शारदा प्रताप सदन त्याग कर चले गये)

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अब केवल माननीय बदन सिंह जी को सुनूंगा और किसी को नहीं सुनूंगा। बरार साहब आप चाहे जितनी देर खड़े रहें मैं नहीं सुनूंगा। मैंने अस्वीकार कर दिया उस पर नहीं सुनूंगा। कुछ नहीं लिखा जायेगा। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री विनोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (घोर व्यवधान)

मान्यवर, दिनांक 18-3-88 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक आठ वर्षीय अबोध बालिका के साथ बलात्कार हुआ जब 29 तारीख को सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं और लोगों ने न्यायिक जांच की मांग की.....

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, आपने जब इजाजत नहीं दी तो कैसे सुन रहे हैं।

(श्री गोपाल दास यादव व श्री अनुग्रह नारायण सिंह के सदन के वेल पर आने से घोर व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, इस पर आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुन लें।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं किसी को। आप अपने आसन पर वापस जायें माननीय गोपाल दास जी अनुग्रह नारायण जी।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय गोपाल दास यादव व अनुग्रह नारायण जी से निवेदन है कि वे कृपया अपने स्थान पर वापस जायें ताकि समय खराब न हो।

(श्री सूर्य प्रताप शाही के प्रयास से श्री अनुग्रह नारायण सिंह व श्री गोपाल दास यादव अपने आसन पर चले गये) (व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, नियमों के साथ बलात्कार न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

आप पूरे सदन के साथ बलात्कार करते हैं, नियमों की बात छोड़ दीजिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

जो कुछ आप कह रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनाया जायेगा। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री सैय्यद अली अशर्फी–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं, लिखा जायेगा, कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप कहते रहिये। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर-व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको भी इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं पहले ही अपनी व्यवस्था दे चुका हूं। अगर एक को सुनूंगा तो सबको सुनना पड़ेगा। आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(पुनः कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर-व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको गाइडेन्स दूं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन करने का अधिकार है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये अगर इनको वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया जाये, तो ठीक रहेगा।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जिन-सूचनाओं के लिये कहा है, मैं उन पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं ।

(श्री गोपाल दास यादव, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री जयदीप सिंह बरार, श्री सैय्यद अली अशर्फी आदि माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर-घोर व्यवधान)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह यह कहते हुए कि माननीय उपाध्यक्ष जी आपके अविवेक-पूर्ण निर्णय के कारण मैं सदन का त्याग करता हूं । सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री शरदानन्द अंचल जी के खड़े होने पर)

श्री अंचल जी आप कृपा करके बैठ जायं । आप जो बोल रहे हैं, वह बिल्कुल नहीं लिखा जायेगा । एक शब्द नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री गोपाल दास यादव यह कहते हुए कि माननीय उपाध्यक्ष के निर्णय से असन्तुष्ट हूं तथा मैं भी सदन से बहिष्कार करता हूं । सदन त्याग कर चले गये)

श्री शारदा नन्द अंचल–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बोलते जायं, किन्तु आपका एक शब्द भी नहीं लिखा जायेगा ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री शारदानन्द अंचल द्वारा अपना स्थान ग्रहण कर लेने के बाद)

प्रदेश में खारे पानी के बढ़ते हुए क्षेत्र को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में संकल्प (क्रमागत) †

*श्री बदन सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने खारे पानी के संकल्प की चर्चा में सुझाव दे रहा था कि प्रदेश में खारे पानी का निदान किस प्रकार से हो सकता है । उसी क्रम में यह सुझाव देना चाह रहा हूं कि प्रदेश के अन्दर जितने जहरीले भण्डारों का रिसाव हो रहा है, यह धीरे-धीरे रिसकर भूगर्भ जल को खारा बना रहा है । उनको वाटर टाइट कर दिया जाय और पक्के सीमेण्ट के अस्तर लगा दिये जायं । अमेरिका की तरह, जैसे वहां 1980 में एक अधिनियम बनाया था उसी तरह से प्रदेश की सरकार के सामने मांग रखना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार भी ऐसा अधिनियम यहां से पास करवाये कि

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

† 13 जुलाई 1987 की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश के खारे पानी को रोकने के लिए जहरीले रिसावों को बन्द कराये और प्रदूषण करने वालों को कानून के अन्दर दण्डित करे । यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि प्रदेश में नई रिसर्च के अनुसार यह देखा गया है कि जो स्थान पहले कम खारे पानी के थे वहां का पानी ज्यादा खारा होता चला जा रहा है और जहां खारा पानी था ही वह खारा पानी उथले कुंओं के जरिये अन्य स्रोतों को भी नष्ट कर रहा है । इसके लिये बैरियर बनवा दिये जांय जिससे खारे पानी की सीमा को रोका जा सके तथा वह मीठे पानी को प्रदूषित न कर सके ।

प्रदेश में हजारों राजकीय नलकूप खराब हो रहे हैं, हैण्डपम्प खारे पानी की वजह से असफल हो गये हैं, पानी किसी प्रयोग में नहीं आ रहा है । इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार के पास भूगर्भ सर्वेक्षण संगठन है, इसके द्वारा पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण करवा दिया जाय । सघन सर्वेक्षण गांव-गांव का और खेत-खेत का इस प्रकार का हो जाय कि प्रत्येक काश्तकार को जानकारी हो जाय कि किस स्थान पर पानी खारा है और कहां का पानी मीठा है ।

मान्यवर, इस विषय में यह कहना उपयुक्त है कि हमारी सरकार खारे पानी को रोकने के लिए ध्यान नहीं दे रही है । सन् 1987 सत्र के दौरान माननीय अचल सिंह जी ने माननीय नगर विकास मंत्री जी से प्रश्न किया था कि फतेहपुर में जो हैण्ड पम्प लगवाये गये हैं, उनमें पानी खारा निकला है तो क्या वहां हैण्ड पम्प लगवाने से पहले वहा का भूगर्भ सर्वेक्षण करवा लिया गया था ? तो इस पर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि सर्वेक्षण का कार्य बहुत कीमती होता है, उसमें ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है । मैं प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि हजारों हजार नलकूप के लगवाने में करोड़ों-करोड़ रु0 खर्चा हो गये, यह कार्य क्या सर्वेक्षण कराने से ज्यादा कीमती नहीं है ? आपके सामने प्रदेश का हित होना चाहिए । प्रदेश की रक्षा के लिए पैसा और समय यदि दोनों खर्च होता है, तो दोनों को खर्च करना चाहिये और खारे पानी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए ।

यह अवश्य है कि हमारे यहां का बरसाती पानी 77 प्रतिशत के करीब समुद्र में जाकर मिल जाता है और इससे पानी खारा हो सकता है । प्रदेश में जितनी नदियां हैं, यदि बड़ी नदी रोकी नहीं जा सकती है तो जितनी छोटी-छोटी नदियां हैं, जहां खारा पानी है, छोटी नदियों को आप रुकवा दीजिए और जगह-जगह पर बान्धे बनवा दीजिए । इससे जल का स्तर ऊपर को आयेगा, दूसरे खारा पानी भी मीठा हो जायेगा, तीसरे बाढ़ की विभीषिका को रोकने में भी बांध मदद करेंगे ।

प्रदेश की सरकार के सामने मुख्य सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जहां अधिक खारे पानी के क्षेत्र हैं वहा पर आप उल्टे कुएं "रिचार्डवेल" बनवा दीजिये जिसमें बरसात का पानी संग्रहीत किया जाय और खारे पानी की जगह मीठा पानी इस तरह से पहुंचाया जा सकता है ।

यह बड़े दुख और चिन्ता का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन है, फिर भी यहां खारे पानी को रोकने के लिये इसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है । सन् 1975 में यह सर्वेक्षण संगठन बनवाया गया था, लेकिन आज तक इसका कोई अच्छा परिणाम सामने नहीं आया है । इसका मुख्य कारण है

कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के पास केवल 24 भूगर्भ शास्त्री हैं और भूगर्भ भौतिक 6 विद्व हैं । इसके पास न तो रसायन शास्त्री हैं और न ही अच्छे उपकरण हैं, न पैरा मीटर ही अच्छे हैं और संख्या में भी कम हैं । क्योंकि वह यह नहीं ठीक से बतला सकते हैं कि किस स्थान का पानी मीठा है और किस स्थान का पानी खारा है । इसलिए मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि इस ओर ध्यान देकर आप भूगर्भ शास्त्रियों की संख्या को बढ़ाइये और साथ ही साथ भूगर्भ भौतिक विद् की संख्या को भी बढ़ाइये । पैरा मीटर ऐसे उपलब्ध कराइये जो कि आधुनिक प्रणाली से स्थान का पता लगा सकें और विवेचना कर सकें । इस प्रकार के पैरा मीटर आप विभाग को खरीदवाइये ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सन 1984 में एक पुर्नगठित समिति बनी थी यहां लखनऊ के ए0 पी0 सी0 की अध्यक्षता में । 1984 में आदर्श भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन ने एक अपनी रिपोर्ट पेश की थी लेकिन यह निकम्मी सरकार है जो कि खारे पानी को रोकना ही नहीं चाहती है इसलिये उस रिपोर्ट पर शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की और अभी तक यह रिपोर्ट यहां पर पड़ी हुयी है और आपके इस भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन की दशा इतनी खराब हो रही है कि इनके यहां आज पर्याप्त मात्रा में न तो बैरामीटर्स हैं और न ही इनके पास पर्याप्त मात्रा में भौतिक भू-विद्व हैं और इनके पास आज न कोई अच्छे इन्जीनियर्स हैं और दूसरे मान्यवर पी0 डी0 एस0 के पास भी आज न कोई प्रशिक्षण देने के लिए कोई उपाय है, आज इनके पास मात्र तीन प्रयोगशालाएं हैं और इनमें प्रशिक्षित करने के लिए जो शास्त्री होते हैं, वह भी पूरी संख्या में नहीं हैं, तीन में से एक का तो निलम्बन कर दिया गया है, इस समय वहां पर केवल एक ही शास्त्री हैं, इसके अतिरिक्त आगरा, लखनऊ और रुड़की में केवल एक जगह ही यह शास्त्री काम कर रहे हैं और दो जगहों पर केवल सिविल इन्जीनियर्स ही काम कर रहे हैं । इसलिए मान्यवर, आपसे मेरी मांग है कि इस पी0 डी0 एस0 में प्रशिक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त करिये ताकि इसके द्वारा कुछ लोग प्रशिक्षित होकर इस कार्य को करने के योग्य बन सकें और इस प्रकार से इस समस्या का कुछ निदान हो सके । साथ ही यदि मैं यह कहूं तो यहां पर मेरा यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि हमारे पड़ोसी प्रदेश हरियाणा में "यूनेस्को" से कुछ विशेषज्ञ बुलवाए गए थे । जबकि वहां पर केवल 12 जिलों में से 6 जिलों में खारे पानी की बात सामने आयी थी, लेकिन इन्होंने वहां से विशेषज्ञ बुलवाए और अपनी उस व्यवस्था को सही करवाया और जबकि उनके मुकाबले में हमारे यहां अब तक 42 जनपदों में पानी, खारे पानी में बदल चुका है, तो क्या यह सरकार भी उन्हीं की भांति "यूनेस्को" संस्था से सहायता नहीं ले सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सरकार इस ओर कुछ करना ही नहीं चाहती है अगर कुछ करना चाहती तो जिस प्रकार से एक योजना आगरा कमिश्नर की अध्यक्षता में आगरा के पानी के लिए वर्ष 1982-83 में बनाई गयी थी जिसमें उन्होंने एटा में हुयी मंत्रि-परिषद् की बैठक में प्रस्तुत कर उसको पास भी करवा दिया था । इसी प्रकार से इस उत्तर प्रदेश सरकार को भी कदम इस ओर उठाने चाहिए तभी यह योजना कुछ आगे बढ़ सकती है और यदि भारत सरकार किसी प्रकार से इस योजना के लिए धन नहीं दे रहा है तो आपको चाहिए कि इस पर चाहे

कितना ही पैसा खर्च हो, और कामों को रोककर इसको प्राथमिकता देते हुए कराएं तब इस प्रदेश की खारे पानी की समस्या का हल निकल सकता है, वरना दिन पर दिन यह समस्या और बढ़ती जा रही है, वह बहुत ही चिन्ता का विषय है यदि समय रहते इस ओर विचार न किया गया तो आगे स्थिति क्या हो, कुछ कहा नहीं जा सकता है ।

जिस प्रकार से मान्यवर इजराइल जो हमारे प्रदेश से भी छोटा देश है और हमारा प्रदेश उससे काफी बड़ा है, उन्होंने इस खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के पूरे प्रयास किए और उन्हें इस ओर सफलता मिली इसी प्रकार से यदि यह सरकार भी यहां पर तेज रफतारी से इस ओर प्रयास नहीं करेगी तब तक यहां पर कोई हल निकलने वाला नहीं है और इसके साथ-साथ भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन व भौतिक भूविदों के बिना परामर्श से और बिना इनसे विचार विमर्श किये प्रदेश में एक भी राजकीय नलकूप और हैण्ड पम्प न बनाये जाने चाहिए, लेकिन आज जितने भी कार्य इस प्रकार के हो रहे हैं, वह सब इनकी राय लिए बगैर कार्य हो रहे हैं, इसलिए मेरी इस ओर मांग है कि बगैर इन लोगों के परामर्श लिए हुए कोई भी प्रदेश में कहीं पर राजकीय नलकूप और किसी भी हैण्ड पम्प का छिद्रण न कराया जाए इनकी योग्यता और इनके प्रशिक्षण का तभी पूरा फायदा पहुंच सकता है जबकि इनके परामर्श से काम किया जाए और जभी आप प्रदेश के अन्दर बढ़ रहे खारे पानी को रोकने में सक्षम हो सकेंगे । नहीं तो मान्यवर करोड़ों-करोड़ों रुपये हजारों-हजारों नलकूपों पर खर्च करते रहेंगे और इस प्रदेश के राजकीय नलकूपों को खराब होने से बचा नहीं सकेंगे और प्रदेश में जो खारा पानी है, उसके स्थान पर मीठे पानी की ही व्यवस्था कर सकेंगे । आपके राजकीय नलकूप खराब होते जा रहे हैं ।

मैनेजर सिंह जी ने कल निवेदन किया था, कि विभिन्न प्रकार के रोगों से हम ग्रसित होते चले जा रहे हैं, और जमीन ऊसर होती चली जा रही है । अभी तो इस विभीषिका से 42 जिले ही प्रभावित हैं, लेकिन अगर सरकार ने कोई ध्यान इस ओर न दिया और कोई कदम न उठाया तो प्रदेश के सारे जिलों में खारा पानी हो जायेगा । तो मान्यवर, इस संकल्प के माध्यम से मेरी आपसे यह अपील है कि खारे पानी को रोका जाये और जब तक आप इस ओर कदम न उठा पायें, तब तक आप कृषि विशेषज्ञों को निर्देश दें कि वह कोई ऐसी फसल निकालें जो खारे पानी में हो सके और किसानों को निर्देश दिये जायें कि वह उस फसल को बोयें जिससे खारे पानी का सदुपयोग हो सके । आप इसका भी सर्वेक्षण करायें कि खारा पानी कहां पर है और कितनी मात्रा में है । मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि खारे पानी में तम्बाकू की फसल होती है । तो इस प्रकार की फसलों को तब तक बोया जाये जब तक कि खारे पानी को मीठा न किया जा सके और किसानों को सूचित कर दिया जाये कि वह किस प्रकार की फसल बोयें । यह काम कृषि विशेषज्ञ ही अच्छी प्रकार से कर सकते हैं और इसमें योगदान दे सकते हैं । तो मान्यवर, यह बड़े महत्व का सवाल है, इस पर चर्चा हो, लेकिन ग्राम्य विकास विभाग मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, जिनसे यह सम्बन्धित प्रश्न है ।

श्री गौरी शंकर–

नगर विकास मंत्री जी बैठी हैं ।

श्री बदन सिंह–

तो मान्यवर भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संस्था ही एक मात्र संस्था है, जो अगर दिलचस्पी ले तो इन बातों का पता लगा सकती है और खारे पानी को समाप्त कर सकती है । मैं कहना चाहता हूं कि खारे पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है, जहां पर कम था वहां ज्यादा हो गया है और जहां पर नहीं था, वहां पर पानी खारा हो रहा है। पहले ई0 सी0 1000 से लेकर 2250 तक थी और अब 2250 से 600 हो गयी है । इसलिये मेरा संकल्प के माध्यम से निवेदन है कि खारे पानी को रोकने का प्रयास किया जाये और इस संकल्प को पास किया जाय ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बदन सिंह जी ने जिस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, उस पर मैं अपने विचार इस सदन में प्रकट करना चाहता हूं । माननीय सदन सिंह जी को मेरा सुझाव है कि वे तराई में जमीन ले लें तो उन्हें वहां पर मीठा पानी मिलेगा। . . . (व्यवधान) मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। इस समस्या को जिस गम्भीरता से लिया जाना चाहिए, जिस रूप में इसका प्रस्तुतीकरण होना चाहिए, उस तरह से इसे नहीं लिया गया है, यह बड़ी विडम्बना की बात है ।

मान्यवर, जब पृथ्वी की संरचना हुई थी वह आप जानते हैं कि सौर मंडल में महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी है और यहां पर कोई पौधा या प्राणी-मात्र या बनस्पति जीवित रह सकता है, पनप सकता है या जीवन यापन कर सकता है । यह भी सही है कि (इस समय 4 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल पीठासीन हुए) विधि ने जब ग्रह का निर्माण किया तो एक विडम्बना रह गई अन्यथा कितनी बड़ी सहायता ईश्वर ने प्राणि-मात्र पर की है। जब सूर्य से कटकर पृथ्वी उससे अलग हुई। यह सारा एक गैस थी इसके अन्दर कोई द्रव्य न था धीरे-धीरे उसका टैम्परेचर गिरता चला गया और ठंडा होकर वह पृथ्वी के रूप में आ गया। उसी से कहीं सागर हो गया, कहीं पहाड़ हो गया और कहीं गहराई हो गई। इस तरह से सारे ग्लोब का जितना पानी था वह समुद्र में इकट्ठा हुआ जो सारा नमक साथ ले गया। यही कारण है कि पृथ्वी का दो-तिहाई समुद्र है और समुद्र का पानी खारा है। समुद्र के पानी में नमक है। यों तो पंजाब में नमक देने वाले पहाड़ भी हैं किन्तु वे थोड़े से ही हैं। सारी दुनिया के 90 प्रतिशत नमक की आवश्यकता समुद्र पूरी करता है। मान्यवर, प्रकृति का हमारे लिये कितना महत्व है कि जहां नमक था वह समुद्र में चला गया फिर भी कुछ पाकेट ऐसे रह गया जहां नमक पाया जाता है और आप देखें तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर वर्षा कम होती है, रेगिस्तानी इलाके हैं, रेगिस्तान है वहां खारा पानी है और जहां खारा पानी है वहां रेगिस्तान है। यह दुनियां मिट्टी और चट्टानों से बनी है इसमें हजारों प्रकार के द्रव्य और लवण हैं। जैसा कि आप जानते हैं अम्ल और क्षार मिलकर नमक बनते हैं। जहां पानी खारा होता है वहीं प्राप्त हो पानी मीठा भी होता है। जैसा माननीय बदन सिंह ने कहा कि जहां पानी खारा है वहां पर तम्बाकू की खेती

हो सकती है। यह सही है लेकिन अगर सब जगह तम्बाकू की खेती कर दी जाय तो यह भी एक समस्या हो जायेगी जिसको रोकने के लिये हम अभियान चला रहे हैं। . . . . (व्यवधान)। इसलिये यह सत्य है कि यह समस्या गम्भीर है चूंकि बदन सिंह जी इसके भुक्तभोगी हैं, उनके आगरा और मथुरा में इसका प्रभाव ज्यादा है। वह वही भाग हमारे प्रदेश का है जो राजस्थान के रेगिस्तान से मिला हुआ है। वहां पर यह गम्भीर समस्या है। बाकी प्रदेश में ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिये सरकार को परेशान होने की आवश्यकता हो ।

जहां तक आपने पूरे प्रदेश में इसका सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया, वह हो रहा है। लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या है। यह दुनियां भर की समस्या है कितने ही रेगिस्तान हैं उनको रिक्लेम करना संभव नहीं है। क्योंकि वहां पानी बरसता है जहां बारिश कम होती है वहां नमक से संबंधित जो पदार्थ होते हैं वह नीचे चले जाते हैं और उन चट्टानों का पानी खारा हो जाता है। यह संभव नहीं है कि रेगिस्तान के सारे पानी को खारा होने से बचा लिया जाय। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा सारा पानी खारा हो जायेगा यह उचित नहीं है। हां यह जरूर है कि इसका प्रभाव मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में बढ़ रहा है और वह बढ़ता जायेगा। लेकिन उसको रोकने के लिये मेरा सुझाव है और उसे करना शासन के लिये संभव भी है जिधर रेगिस्तान हों वहां घने और छायादार वृक्ष लगाये जायं, यह यूकिलिप्टस नहीं बरगद, पीपल आदि छायादार वहां लगाये जायं । इससे वहां वर्षा ज्यादा होगी और जो नमक है वह नीचे चला जायेगा और ऊपर पानी पड़ेगा तो उससे हमारी जमीन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और खारे पानी से कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है वह नहीं पड़ेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं माननीय बदन सिंह जी ने बड़ा जोर दिया कि यह जो प्रदूषण हो रहा है इससे खारा पानी बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदूषण का खारे पानी से दूर-दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि जीव का प्रभाव क्षारीय नहीं होता वह अमलीय होता है क्योंकि आर्गेनिक मैटर आर्गेनिक एसिड पैदा करता है और वह क्षार पैदा नहीं करता है। उसका संबंध हमारी बीमारियों से हो सकता है जिससे मनुष्यों को परेशानी हो सकती है लेकिन उसका प्रभाव क्षारीय रूप में जमीन पर नहीं पड़ेगा । इसलिए मैं उनसे इस बात के लिए सुधार की अपेक्षा करता हूं। माननीय बदन सिंह जी ने नीदरलैण्ड की बात कही और कहा कि वहां सरकार ने समुद्र का पानी मीठा कर दिया है, यह बिल्कुल भ्रामक है, वहां डिग्गियां जरूर बनी हैं क्योंकि नीदरलैण्ड का स्तर समुद्र से नीचे है उन्होंने बड़े-बड़े ड्राम लगा रखे हैं जहां समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है, जो सीपेज से पानी आता है उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। लेकिन हमारे यहां यह समस्या नहीं है क्योंकि हमारी धरती की सतह समुद्र से ऊंची है। समुद्र के ज्वार भाटे का असर थोड़ी दूर तक जरूर पड़ता है तथा समुद्र में जब नदियां गिरती हैं तो चांदनी रात में समुद्र का पानी ज्वार भाटे के प्रभाव से नदियों में आता है तो उससे 10, 20 मील तक नदी का जल खारा हो जाता है। लेकिन वहां भी ऐसे पेड़ हैं जो सैलाइन भूमि में पैदा हो सकते हैं। तो वह व्यवस्था यहां भी हो सकती है जो रेगिस्तान

से लगे क्षेत्र हैं जैसे आगरा मथुरा आदि में इस तरह के घने पेड़ लगाये जायं ताकि वहां वर्षा अधिक मात्रा में हो और खारे पानी की समस्या दूर हो सके । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय बदन सिंह जी ने खारे पानी की समस्या के बारे में कहा उस पर माननीय समरपाल सिंह जी ने बड़े अच्छे ढंग से पूरी जानकारी के साथ अपनी बात कही उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कम से कम गम्भीरता से इस विषय पर अपना ध्यान केन्द्रित किया और पूरी बात सुनने के बाद समझाने का प्रयास किया । मैं समझता हूं कि खारे पानी को मीठे पानी करने के बारे में जो प्रश्न माननीय बदन सिंह जी ने उठाया है वह इस रूप में नहीं हो सकता है और न सम्भव है कि पूरे खारे पानी को बदल कर मीठा पानी कर दिया जाये । कुछ दिन पहले मैंने एक अच्छे वैज्ञानिक से बात किया था कि क्या ऐसी विधि है जिससे खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा सके, तो उन्होंने बताया कि समुद्र में जहाज में जाने पर यदि खारा पानी मिलता है, तो हाईड्रोजन गैस और आक्सीजन गैस के समिश्रण से पानी बनता है । दोनों गैसों को अलग-अलग करके और उसके क्षार अलग हटाया जाता है और फिर दोनों को मिलाकर पानी बना लेते हैं । लेकिन यह व्यवस्था महंगी है । यह व्यवस्था पूरी जमीन के अन्दर सम्भव नहीं हो सकती है, तो इसका कोई अन्य प्राविधान होना चाहिए । अब इसके बारे में सही है कि खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की स्थिति एक छोटे पैमाने पर और एक छोटे बैग में तो सम्भव हो सकता है । लेकिन अरबियन कंट्रीज में जिनके पास तमाम पैसा है, पेट्रो डालर है, उन्होंने इस व्यवस्था को चालू करने का प्रयास किया है, वह इसको कर सकते हैं। लेकिन हम और श्री बदन सिंह ने जो यह समस्या यहां रखी है खारे पानी की तो इसके सम्बन्ध में हम चाहते हैं कि हमारे यहां से माइनर इरीगेशन के कुछ अधिकारियों ने एक रिपोर्ट दिया था कि आगरा के खारे पानी को उपयोग में लाने के लिये, एक विस्तृत योजना थी जिसे आगरा के आयुक्त को सब्मिट किया था और आयुक्त ने वह पूरी रिपोर्ट इस सरकार को भेजा और इस सरकार ने उसे केन्द्र सरकार को भेज दिया ।

मान्यवर, श्री बदन सिंह का जो कहना है वह यह है कि जो रिपोर्ट आयी है माइनर इरीगेशन की खारे पानी के संबंध में, जिसे सरकार ने केन्द्र सरकार को भेज दिया है जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उस पर कार्यवाही की जाये । मान्यवर, उस रिपोर्ट को मैंने तो नहीं पढ़ा है, परन्तु वह योजना जिस रूप में है उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए चूंकि खारे पानी की समस्या प्रदेश की गम्भीर समस्या है। संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट आयी थी उसको वह निकलवायें और देखें कि खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं और वह सारी बातें प्रकाश में लायें एवं उस योजना को लागू करेंगे तो क्या कार्यवाही करेंगे, यह सारे तथ्य सामने आने चाहिए । यह निश्चित है कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा आदि जिलों के लोग खारे पानी से पीड़ित हैं जिसका निदान होना चाहिए।

दूसरी बात मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा और सुझाव देना चाहूंगा । मान्यवर, वह हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, श्री विजय सिंह राणा जी को इतना तो एटीकेट आना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला से बात कर रहे हों तो इन्हें बीच में इन्टरप्ट नहीं करना चाहिए ।

(हंसी)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जो खारे पानी की समस्या है उसका निराकरण यह है कि जितने खारे पानी के गांव हैं उनमें सब में मीठे पानी के जितने कुयें मिलेंगे वह तालाबों के किनारे मिलेंगे तालाब के किनारे पानी मीठा मिलेगा और यदि तालाब से दूर, बाहर चौरस जमीन में खोदियें तो मीठा पानी नहीं मिलता है । यह बात आपने पायी होगी और यह सही है और वह यह है कि इस सम्बन्ध में जो वैज्ञानिक परीक्षण हुए उसको हमने पढ़ा नहीं है। परन्तु उसके पीछे जो कारण है वह यही है कि जहां खारे पानी में बरसात का पानी मिलता रहता है वहां पर पानी मीठा होकर निकलता पाया जाता है। बरसात का पानी जब मिलता है खारे पानी में तो ऐसा हो जाता है कि वह मीठा हो जाता है । तो हमारी यह कुएं की ध्योरी है, अनुभव की है। इसके हिसाब से बरसात का पानी उसमें मिलना चाहिए तो वह खारापन समाप्त होकर मीठा पानी मिलेगा । इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारे यहां एक खारे पानी की नदी बहती है, उसका नाम ही इसीलिए खारी नदी है, उसकी पूरी बेल्ट खारे पानी की है। उस नदी पर 10–10, 15–15 किलोमीटर पर डैम बनाये जायें, जिसमें बरसात का पानी जगह-जगह इकट्ठा होकर उसका पूरा पानी हर जगह मीठा हो जाए । इसलिए मेरा सुझाव है कि आप उस पर डैम बनवाने के कार्य को अवश्य करायें । एक बात और है यदि वह पानी मीठा नहीं होगा तो भी आपका बरसात का पानी आगे के उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकेगा जिसकी भी आपको आवश्यकता पड़ा करती है। यह बहुत आवश्यक है।

दूसरा सुझाव यह है कि अभी हमने कहीं पढ़ा था आस्ट्रेलिया में खारे पानी की रीवर बेल्ट थी । वहां पर कृषि अनुसंधान करने वालों ने उसका परीक्षण किया और परीक्षणोपरान्त अपने निर्णय अनुसार उसको डेवलप करके उसके पास उससे उन्होंने नींबू, माल्टा, मौसमी और सन्तरा आदि फलों की फसल पैदा करना उस पर प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने देखा कि उसके पानी से इन फलों की फसलें बहुत अच्छी तरह से हो सकती हैं और उन्होंने उसका उपयोग करके इतना लाभ उठाया कि आज अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में उनकी इन फसलों का बहुत अच्छा उपयोग है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि खारे पानी की जो बेल्ट है आगरा में, उसको उक्त रीवर बेल्ट की तरह इस्तेमाल करके वहां पर नींबू, माल्टा, संतरा और मौसमी की फसलें पैदा की जायें । मंत्री जी मेरे इन दोनों सुझावों को लागू करने की कृपा करें।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, यहां खारे पानी की समस्या पर पूरे दो दिन से चर्चा हो रही है और यह वाकई बहुत गम्भीर समस्या है और इस पर चिंतन होना भी चाहिए । हम, जो सुझाव आपने दिए हैं, माननीय सदस्यों ने दिये हैं, वह बहुत अच्छे सुझाव हैं, उन पर जरूर विचार करेंगे और हम प्रयास कर रहे हैं कि जहां कहीं खारा पानी है, वहां इन्वेस्टीगेशन कराके स्रोत ढूंढें कि वहां पर मीठा पानी मिले, लेकिन जो आगरा की एरिया है, वह बहुत ही समस्याग्रस्त एरिया है । एक वाटर टेक्नोलाजी मिशन सेन्टर ने बनाया है जिसमें 4 जनपद अभी लिये गये हैं । यह भारतवर्ष के लिये है। उसमें उत्तर प्रदेश के भी चार जनपद लिये गये हैं—मिर्जापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव और आगरा में उसमें जोड़ दिया गया है।

श्री विजय सिंह राणा–

मंत्री जी उस दिन कह रहे थे आगरा के बारे में कि 1000 कुएं खोदने की बात है और संसदीय कार्य मंत्री ने उसका विश्वास भी दिलाया था, लेकिन मुख्य मंत्री ने कहा कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही । जैसा मंत्री जी कह रही हैं यदि आगरा जोड़ा गया है तो देखकर बतावें कि यह कब जोड़ा गया है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सर्वेक्षण हो रहा है कि इसके खारे पानी की समस्या को कैसे दूर किया जाय । जो समस्याग्रस्त गांव हैं उनको भी देखा जाएगा कि वहां पर अच्छा पानी खेती के लिए मिले । सस्ती और उपयुक्त टेक्नोलाजी अपनाये जाने की बात है और इसके अन्तर्गत हमें खारे पानी की समस्या का निराकरण करना है।

मान्यवर, आन्ध्र प्रदेश में, भेल में, डी0-सलानाइजेशन प्लान्ट एक्सपेरीमेंट के तौर पर लगाया गया है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि नमक निकाल कर पानी तो थोड़ा कम खारा हो जाता है, लेकिन उस नमक का क्या करें ।

श्री अधिष्ठाता–

उसको आप सीतापुर भिजवाने का कष्ट करें ।

श्रीमती पद्मा सेठ—

सीतापुर में नमक का क्या होगा । मान्यवर, एक प्लान्ट हमने मंगवाया है वह एक डेढ़ महीने में आ जाएगा । इसके अलावा मान्यवर, जो सुझाव आये हैं, वृक्ष लगाये जाने चाहिए, तो इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। पानी री-चार्ज कैसे किया जाए, खारा पानी डाइल्यूट हो सके, उसका खाराएन दूर हो सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं । इसी तरह जो पानी की और समस्याओं के बारे में बताया कि बीमारी हो जाती हैं, तो इसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं। मिर्जापुर में प्लान्ट लगाया है जो आयल रिमूवल के लिए लगाया गया है। अभी तीस प्लान्ट लगाए हैं, जो हैन्डपम्प के ऊपर लगा दिए जाते हैं, इसमें देखा जा रहा है कि हम कितना सक्सेज होते हैं। खारे पानी की समस्या दूर हो, इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं । माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लें ।

(बदन सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री अम्मार रिजवी–

बदन सिंह जी बगैर बोले नहीं रहेंगे । मैं नगर विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं बड़ी सफलतापूर्वक और बड़ी विद्वतापूर्वक आगरे के सम्मानित सदस्यों को जवाब दिया है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह सीधा आक्षेप आपकी पीठ पर हो रहा है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि भू-गर्भ जल स्रोत मीठा कैसे होगा ।

श्री अम्मार रिजवी–

स्रोत का पता यह नहीं लगा पाए हैं। अब इनके बाल सफेद हो गये हैं, अब यह इसका पता न लगायें ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण पूछना चाहूंगा । अधिष्ठाता महोदय हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े उदार हैं। जो हरेक को धन्यवाद दे देते हैं। चाहे वह धन्यवाद का काम करे या न करे । लेकिन उनकी यह उदारता है कि उन्होंने धन्यवाद दिया । धन्यवाद देने से आदमी कुछ प्रोत्साहित होता है। मैंने जब अपने विचार रखे तो उन विचारों के संबंध में माननीय सदस्य समरपाल सिंह ने एक बात कही थी कि खारे पानी और प्रदूषित पानी में कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि 1979 में अमेरिका में एक पर्यावरण सुरक्षा एजेन्सी द्वारा इस बात की जांच की गयी । वहां पर 1 लाख 80 हजार गड्ढे खोदे गये और उनमें गंदा पानी भरा गया । जब जांच की गयी तो यह पाया गया कि यह जहरीला पानी जमीन के अन्दर बड़ी तेजी से अवशोषित होता है और अवशोषित होने के पश्चात मीठे पानी से मिलकर उसको प्रदूषित करता है । एक किलोमीटर तक उस पानी की गति पायी गयी । तो मैं पहले से जानता था कि शायद कहीं से यह कहा जायगा कि खारे पानी और प्रदूषित पानी में कोई संबंध नहीं है। दोनों अलग-अलग चीजें हैं । मेरा कहना है कि निश्चित रूप से प्रदूषित पानी धीरे-धीरे जमीन में रिसता है और मीठे पानी को प्रदूषित करता है।

मुझे बड़ा खेद है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के धन्यवाद पाने के बाद भी नगर विकास मंत्री ने यह जवाब नहीं दिया कि आगरा के अन्दर जो खारे पानी का बाहुल्य है, जठा ग्राम जहां पर 40 वर्ष की आयु के स्त्री पुरुषों की कमर झुक जाती है उनके दांत पीले पड़ जाते हैं और उसके बाद काले पड़ जाते हैं और गिर जाते

हैं। उनके जोड़ों में दर्द होता है और वह कम उम्र में बूढ़े हो जाते हैं। इसी तरह से सीकरी गांव में खारे और प्रदूषित पानी से महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं और जलंधर जैसे रोग हो जाते हैं। गड़ीमा तथा सोमा में भी लोग अनेक बीमारियों से ग्रस्त हैं इसके बारे में मंत्री जी ने नहीं बताया। मंत्री जी ने यह भी जवाब नहीं दिया कि जो वहां हैण्डपाइप लगाये जायेंगे उनके लगाने के पहले भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन से सर्वेक्षण करवाया जायगा या नहीं या खारे पानी में हैण्ड पम्प लगवाये जायेंगे और वह खराब होते रहेंगे और शासन का पैसा बर्बाद होता रहेगा और कोई राहत नहीं मिलेगी। माननीय समर पाल जी ने हमारी वेदना को समझा है।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा एक निवेदन है कि आप अपना भाषण सूक्ष्म कर दें और आपने जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं जिन बीमारियों को आपने बताया है उनके बारे में कुछ आंकड़े वगैरह इकट्ठे किये हों तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें।

(हंसी)

श्री बदन सिंह–

माननीय समरपाल जी ने हमारी परेशानी को समझा है। मान्यवर, राजस्थान के रेगिस्तान से हमारा जिला मिला हुआ है और उधर का खारा पानी इधर बढ़ रहा है। हमारी सीमा राजस्थान से मिलती है वहां पर से अजान बांध का पानी गुजरता है। वहां पर दूधदार वृक्ष जैसे पीपल, बरगद, पाकर आदि लगाने चाहिये। इसके अलावा वहां पर गोंददार वृक्ष जैसे नीम और बबूल लगाये जायं। फतेहपुर सीकरी ब्रांच जो नहर थी उसकी पटरियों पर तमाम पेड़ लगे थे जिसको वन विभाग ने कटवा दिये हैं। वहां पर वृक्ष लगाये जायं जिससे पानी का प्रदूषण कम हो सके। माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विषय को गंभीर समझा तथा चर्चा में भाग लिया। मैं शासन से आशा करता हूं कि वह विषय के महत्व को समझे और हमारे संकल्प को पारित कर दे।

श्री अम्मार रिजवी–

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बदन सिंह ने जो सुझाव दिये हैं उनका स्वागत है। विशेषकर उन्होंने वृक्ष लगाने की बात कही तो संयुक्त उत्तरदायित्व है, खासकर उन्होंने कहा कि नहर के किनारे के पेड़ काट दिये गये हैं, तो दोबारा वन विभाग से कहा जायगा कि वहां पेड़ लगाये जाय। माननीय राणा जी ने कुछ और बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया तो उसका भी एक्सपेरीमेंट किया जायगा।

मान्यवर, इन्होंने और भी बहुत सी चीजों के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें चूंकि बहुत सी दवाओं की तलाश है, वह माननीय बदन सिंह जी से सम्पर्क स्थापित कर लें, जिससे उनके विभाग को काफी लाभ होगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बदन सिंह जी, आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री बदन सिंह–

नहीं मान्यवर, मैं वापस नहीं ले रहा हूं । मान्यवर, खारे पानी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदेश का अधिकांश भाग इससे प्रभावित है, इसलिए मैं खारे पानी के बढ़ते हुए क्षेत्र रोकवाने के लिए शासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही चाहता हूं । इसलिए वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह तो जनहित का और जनोपयोगी प्रस्ताव है, इसलिए सरकारी पक्ष को इसे पास करा देना चाहिए ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इसकी सरकार पहले से व्यवस्था कर रही है, इसलिए इस संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में खारे पानी के बढ़ते हुए क्षेत्र को रोकने के लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी, पिछड़ेपन, अशिक्षा और बेरोजगारी को देखते हुए पूर्वान्चल विकास परिषद् के गठन के संबंध में संकल्प (जारी)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी, पिछड़ेपन, अशिक्षा और बेरोजगारी को देखते हुए पूर्वान्चल विकास परिषद् का गठन किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आज केवल 5 बजे तक का समय है और मैं यह नहीं समझता कि ये सारे संकल्प आज पूरे हो जायेंगे ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, केवल प्रस्तुत करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा नियम नहीं है कि सब एक साथ प्रस्तुत करवा दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अगर आज्ञा हो, तो मैं चर्चा प्रारम्भ करूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप चर्चा प्रारम्भ करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, अगर आज्ञा हो, तो मैं एक संशोधन प्रस्तुत कर दूं ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, आज 5 संकल्प हैं, अगर एक पर ही चर्चा कराना प्रारम्भ करा देंगे, तो उसी पर ही चर्चा होती रहेगी और बाकी प्रस्तुत नहीं हो पायेंगे, तो वे व्यपगत हो जायेंगे, इसलिए मान्यवर, सबको प्रस्तुत करा लिया जाय और एक पर चर्चा करा दें ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, पिछली बार ऐसा हुआ था कि सारे संकल्प एक साथ प्रस्तुत करा लिये गये थे और बाद में चर्चा कराई गयी थी । तो मान्यवर, जैसा पहले हो चुका है और एक परम्परा पड़ चुकी है, तो इस बार भी सारे संकल्प एक साथ प्रस्तुत करा लिये जायं ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त उस समय उस पीठ पर आसीन थे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग इसी संकल्प के बारे में हो चुकी थी, मैं समझता हूं कि उसी रूलिंग के अनुसार आज भी सारे संकल्पों का प्रस्तुतीकरण हो जाय, और उसके बाद, बाद में चर्चा हो जायगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर. उस दिन माननीय गुप्ता जी ने कहा था कि नियमों के अधीन प्रस्तुतीकरण नहीं हो सकता, लेकिन अगर सदन सहमत हो, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव करें, तो नियमों को निलम्बित करने के बाद अगर सारे संकल्प प्रस्तुत करा लिये जायं सदन की सहमति से, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

लेकिन उस परम्परा का निर्वाह होना चाहिए गुप्ता जी रूलिंग को लागू नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा है तिवारी जी, हम शुरू करवाते हैं उसके बाद जो आपने सुझाव दिया, उसको देखा जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया है यह उत्तर प्रदेश के एक हिस्से का अपना दर्द है ।

(व्यवधान)

यह संकल्प इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की 11 करोड़ जनता का जो एक बड़ा हिस्सा है साढ़े 4 करोड़ की आबादी वाला वह गरीबी, पिछड़ेपन, बेरोजगारी और जनसंख्या के घनत्व के कारण ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, बदन सिंह जी के बाद हमारा संकल्प 26 जुलाई को पेश किया गया था । आज माननीय बदन सिंह जी के संकल्प के बाद हमारा था, वह आज एजेण्डे में तो है नहीं, उसकी चर्चा कब होगी?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, ये पूंछना चाह रहे थे कि माननीय बदन सिंह जी के साथ उस दिन 3 संकल्प प्रस्तुत किये गये थे । अभी केवल एक पर चर्चा हो पाई है, 2 शेष रह गये हैं अब उनके ऊपर चर्चा आज के एजेन्डे में भी नहीं लगायी गयी, तो उसको कब लगाया जायेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

मुझे इसका याद नहीं है । जो चर्चा है 4 तारीख की वही लिया गया है । और इस संबंध में क्या स्थिति है, वह मुझे जानकारी नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इनका बदन सिंह का क्या मुकाबला?

श्री अधिष्ठाता–

हाथी के पैर में सबका पैर ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, पूर्वान्चल का अपना एक इतिहास रहा है । देश की आजादी की लड़ाई में हमारे माननीय मैनेजर सिंह जी का बलिया बागी था । भाई अवधेश राय शास्त्री के पिता जी 10 अन्य सेनानियों के साथ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तहसील पर 18 अगस्त 1942 पर झण्डा फहराते हुए गोलियों का शिकार हुए थे । गोरखपुर के चौरीचौरा काण्ड में शहीदों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पूर्वान्चल के पूर्वी सिरे पर गोरखपुर जिले में ही जो देवरिया के भीतर आजादी की लड़ाई निरन्तर चलती रही । 1942 में झण्डा फहराते हुए हमारे क्षेत्र के राम चन्द्र विद्यार्थी देवरिया के कस्बे के भीतर कचहरी पर झण्डा फहराते हुए अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हुए थे । दो दिनों तक देवरिया तहसील से अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो गयी थी । मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वान्चल का जुझारूपन, देश की आजादी और देश की गरिमा के लिए निरन्तर वह लड़ता रहा है । वारेन हेस्टिंग की पहली लड़ाई वाराणसी के भीतर हुई थी महराजा काशी नरेश के साथ । वारेन हेस्टिंग को उस जमाने में पैर पीछे हटाने पड़े थे । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो इलाका आजादी की लड़ाई में अग्रिणी रहा आज आजादी के 40 वर्ष बाद भी वह इलाका गरीबी, बेरोजगारी से, सिंचाई के साधनों से, ऊर्जा मंत्री के बिजली के अभाव में, जो किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन पर बिजली नहीं मिल सकी इस अभाव से ग्रस्त है और आर्थिक रूप से उसका विकास ठप्प है । नियोजन में असन्तुलन है ।

परिवहन मंत्री रामनाथ मुशी जी भी वहीं के हैं, लेकिन वहां का आदमी बसों की छतों पर चलने के लिये मजबूर हो गया है और इस मजबूरी की स्थिति ने मुझे

यह प्रेरणा दी कि जहां आजकल क्षेत्रीयता और जातीयता का नारा पूरे देश में उठ रहा है, उसके पीछे भूमिका है विकास के असन्तुलन की आर्थिक नियोजन में विषमता की, इसलिये मेरी राय है कि राष्ट्रीय एकता और अखण्डता और देश की सार्वभौमिक सम्पन्नता बनाए रखने के लिये पूर्वान्चल विकास परिषद् की एक विशेष योजना बनाई जानी चाहिये और पूर्वान्चल विकास परिषद् का गठन होना चाहिये जिससे कि वहां के 4 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र के करोड़ों शिक्षित, अनपढ़े और अशिक्षित नौजवान काम मिलने के अभाव में क्षेत्रीयता और जातीयता जैसे गलत रास्ते पर न उतर जायं । इसलिये मैं यह संकल्प लाया हूं । उत्तर प्रदेश सरकार इस पर ध्यान दे ।

मैं आपका ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और क्षेत्रफल की ओर ले जाना चाहता हूं । श्रीमन्, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी 4.9 करोड़ है और श्रीमन्, इतने लोगों में आप वहां का क्षेत्रफल देखें जो बाकी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों से ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाले वहां के जनपद हैं । उनकी जनसंख्या भी अधिक है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि वाराणसी का क्षेत्रफल 5051 वर्ग कि0मी0 है, जिसमें 3662 गांव हैं और 37 लाख आबादी है । मिर्जापुर में 11 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जिसमें 3024 गांव और 20 लाख से ऊपर आबादी है । गाजीपुर में 2540 गांव हैं और 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या है । बलिया में 2 हजार से ज्यादा गांव हैं और जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है । गोरखपुर में 37 लाख की आबादी है, देवरिया में 35 लाख की आबादी है, बस्ती में 35 लाख की आबादी है, आजमगढ़ में 36 लाख की आबादी है, इलाहाबाद में 37 लाख, गोण्डा में 28 लाख और फैजाबाद में 23 लाख की आबादी है । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां का जो औसत घनत्व है, मान्यवर, प्रतापगढ़ का भी इसी में नाम है, मैं ऊर्जा राज्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि यह आपका भी दर्द है है लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि पूर्वान्चल विकास परिषद् का गठन कर दें, इसलिये हमें इस तरह का संकल्प सदन में रखना पड़ा । यह तो कुम्भकरण की नींद सोए हैं . . .

श्री अधिष्ठाता–

मा0 शाही जी आप किसी मा0 सदस्य को सम्बोधित न करें, पीठ को सम्बोधित करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, ये कुम्भकरण की नींद आपके लिये नहीं, मंत्री जी के लिये सम्बोधित कर रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी को संचेष्ट कर रहा था। मान्यवर, वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी बहुत अधिक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 400 से लेकर 800 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में 200 से लेकर 300 के बीच प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है । इस इलाके में 500 से लेकर 800 प्रति वर्ग कि0 मी0 का घनत्व यह साबित करता है कि अगर इस जनसंख्या को रोजगार के

साधन नहीं उपलब्ध कराए गए तो आने वाले दिनों में भीषण संकट पैदा होने वाला है । सरकार में बैठे हमारे ऊर्जा मंत्री के रोजगार कार्यालय और हमारे सबके जनपदों में कुल मिलाकर 60 लाख से ज्यादा हाई स्कूल से ऊपर के लोग बेरोजगार हैं जिनके नाम लिस्टेड हैं और इतने ही अनपढ़े लोग हैं । यह परिस्थिति पैदा क्यों हुई ? यह इसलिए पैदा हो गयी कि आजादी के बाद इस जनसंख्या की बहुलता और क्षेत्रफल की बहुलता का जो आर्थिक संतुलन होना चाहिए था उसमें कटौती की गयी और पूर्वी जिलों में पूरी तरह से नियोजन नहीं हो पाया है । और उस नियोजन का दुष्परिणाम यह हो गया कि वहां पर गरीबी है, अशिक्षा है, वहां पर बेरोजगारी है । शिक्षा की हालत क्या है ?जहां पर पश्चिम की तरफ 40 फीसदी से लेकर 55 फीसदी तक साक्षरता है । देवरिया, गोरखपुर, गोण्डा, बस्ती, बहराइच इन जिलों की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या हालत है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि गाजीपुर में केवल 27 फीसदी साक्षरता है, बलिया में 28 फीसदी है, गोरखपुर में 23 फीसदी, देवरिया में 23 फीसदी, बस्ती में 20 फीसदी, आजमगढ़ में 27 फीसदी और गोण्डा में 16 फीसदी, जबकि देश का मानक 37 फीसदी है । आज देश के मानक पर पूर्वांचल कहां पर खड़ा है ? इसका अंदाजा हम सब बैठकर स्वयं लगा सकते हैं । उस इलाके में उद्योगों की हालत भी बहुत खराब है । जो इस सांख्यकीय डायरी में वर्णन है, मान्यवर मैं आंकड़े देकर समय नहीं खराब करना चाहता लेकिन कहना चाहता हूं कि जहां पश्चिम की तरफ सरकारी उद्यमों द्वारा सरकारी निगमों द्वारा जो मान्यवर उद्योग लगाये गये हैं, उनके मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रीमन् 1/4 उद्योग लगे हुए हैं ।

उद्योगों के अभाव की यह हालत निजी क्षेत्र में भी है । निजी क्षेत्र में कोई उद्योग पति आये, उसको आशय पत्र केन्द्र सरकार ने दिया, लेकिन वह लगाता कहां है ? आप लोहिया मशीन्स का उदाहरण ले लीजिये । देवरिया में एक लाख टू व्हीलर्स बनाने का कारखाना लोहिया मशीन्स द्वारा लगना था, लेकिन राजनीतिक पक्षपात के कारण, आज वह स्कूटर का कारखाना वहां नहीं लग पाया, लग गया कानपुर शहर में । वहां पर वे स्कूटर का उत्पादन कर रहे हैं, उन्होंने देवरिया के नाम पर छूट ली सबसिडी ली । पूर्वांचल के कई जिले गरीबी, पिछड़ेपन, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता के रहते पिछड़े घोषित किये गये हैं । सरकार स्वयं उसका अनुभव करती है कि पिछड़े हैं लेकिन, सरकार की नीतियों ने ही सबसे ज्यादा वहां को प्रभावित किया है ।

बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने पूर्वांचल के पिछड़ेपन का लाभ उठाकर, वहां कुछ उद्योग स्थापित किये, 1928 से लेकर 1965 तक लगातार वे उस इलाके का शोषण करते रहे । सारे देश का जो उद्योग का नक्शा दिया गया, पूर्वांचल का एक अलग राज्य रहा है चीनी उद्योग के क्षेत्र में । लाला करमचन्द थापर 10 हजार रु0 लेकर, घर से भागकर आये थे, 1928 में देवरिया में एक चीनी मिल लगाई । फिर उन्होंने एक चीनी मिल बेतालपुर में लगायी फिर बगल में सिवान (बिहार) में लगायी । घर से वे 10 हजार रु0 लेकर आये थे । आज उनकी स्थिति यह है कि हिन्दुस्तान के बड़े पूंजीपतियों में तीसरे चौथे नम्बर पर वे हो गये हैं । आज उनकी पूंजी चार हजार करोड़ रु0 है। मान्यवर, जो लाभ काश्तकारों को मिलना चाहिए था वह लाभ बड़े

पूंजीपतियों को मिला । फिर उन्होंने वहां से बलार (पंजाब) में एक शुगर फैक्ट्री लगायी, बम्बई में काटन मिल लगायी । उनका औद्योगिक साम्राज्य बढ़ता ही चला गया । मान्यवर, आजमगढ़ देवरिया और पूर्वी जनपदों में छोटे छोटे लोग आकर उद्योग लगाये और कच्चे माल उत्पादकों और मजदूरों का शोषण कर वहां से बाद में बड़े-बड़े पूंजी-पतियों के रूप में उभरे लेकिन उन्होंने प्राप्त लाभ तथा अपनी पूंजी का निवेश वहां न करके, बाहर किया, अन्यत्र किया । सरकार की खामी है या उसकी नीतियों में कमी है कि देवरिया से जो 10 करोड़ रु0 राजस्व के रुप में सरकार को दिया जा रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा वहां न लगे । वहां पर उसका हिस्सा लगना चाहिए ।

इसी तरह से गोरखपुर की स्थिति है। बस्ती की स्थिति है देवरिया, गोरखपुर, बस्ती तो कुछ ठीक था, लेकिन बलिया की स्थिति नाजुक है। क्या बलिया बागी हो गया था आजादी के दिनों में बलिया की जनता ने पराधीनता की कड़ियों को तोड़ने का काम किया इसलिए कि गाजीपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिये झण्डा फहराते हुये गोलियों के शिकार हुये । आजादी के इतिहास की अन्तिम कहानी वहां की दी हुई है । आज मान्यवर, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, गौरव प्रदान किया जाना चाहिये था वहां के विकास की विशेष चिन्ता की जानी चाहिए थी । इस सरकार ने आजादी के बाद भी उनकी हालत को बेकार बनाकर छोड़ दिया है । मान्यवर, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है कि आज वहां की शिक्षण संस्थायें मात्र बेरोजगारों की सनद देने की कारखाना बन गई है । वहां के लोगों को काम देने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सेतिहर मजदूरों का सामान कहां पर बिके, इस ओर भी किसी का ध्यान नहीं है ।

आज उद्योग सहारनपुर में स्थापित हुये हैं, मेरठ में स्थापित हुये हैं, कानपुर में स्थापित हुए हैं, लेकिन हमारे पूर्वांचल में कोई ध्यान नहीं गया है। पूर्वांचल में सुल्तानपुर को छोड़कर, क्योंकि वह प्रधान मंत्री की कान्सटिटयुनसी है, बाकी किसी भी स्थान पर, जिलों के भीतर कोई उद्योग नहीं लगाये गये । मैंने अपने जिलों की जनसंख्या के बारे में आपको बताया । पूर्वांचल के उन तमाम जिलों के मुकाबले कई प्रान्तों की जनसंख्या कम है जैसे मणिपुर में 15 लाख, मेघालय में 15 लाख, नागा-लैण्ड में 14 लाख, त्रिपुरा में 22 लाख, सिक्किम में 7 लाख और अरुणांचल प्रदेश में 6 लाख । मैं कहना चाहता हूं कि इन सब के लिये अलग-अलग बजट है । इनको 200-300 करोड़ रुपये के बजट का खर्च है और श्रीमन् जो भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इवेस्टमेंट होता है, उस नक्शे में उत्तर प्रदेश की हालत बड़ी दयनीय है । उत्तर प्रदेश स्वयं में दयनीय है । पर कैपिटा परिव्यय के मामले में मैं अगर आपको आकंड़े बताऊं, तो आप शर्म से डूब जायेगें ।

मैं वर्तमान परिव्ययों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं यह त्रिपुरा में 1153 रुपये खर्च हो रहा है, सिक्किम में 2138 रुपये, पंजाब में 1156 रुपये, गुजरात में 1080 रुपये, हरियाना में 1393 रुपये, जम्मू अर काश्मीर में 1508 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 1308 रुपये, महाराष्ट्र में 984 रुपये और उत्तर प्रदेश में यह केवल 641 रुपये है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को कहां ले जाने वाले हैं ? आप उसको आसमान से सीधे पाताल के भीतर ले जा रहे

हैं । पूर्वांचल जो हमारा सबसे गरीब है, सबसे दूर है, सबसे पिछड़ा है, उसको आप जमीन के अन्दर धसा देना चाहते हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है । मान्यवर, आज वहां की हालत क्या है, यह जो इन्होंने डायरी दिया है, इसमें इन्होंने कुछ आकंड़े दिये हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, चाहे सिंचाई के साधनों की बात हो, दवाइयों की बात हो, सड़कों की बात हो, शिक्षा की बात हो ।

अपनी सांख्यकीय डायरी को यह खुद पढ़कर देखें, तो इनकी समझ में आ जायेगा कि क्या उसकी तात्कालिकता है ? पूर्वी जिलों में आज 1 लाख की जनसंख्या पर केवल 53 जूनियर बेसिक स्कूल हैं । पर्वतीय विकास निगम आपने बना रखा है, स्वायत्ता दे रखी है, बजट की व्यवस्था कर रखी है, फलतः उसके मुकाबले श्रीमन् 138 विद्या-लय 1 लाख की जनसंख्या पर चलते हैं । हमारे बुन्देलखण्ड के लोग नाराज रहा करते हैं, पिछड़ापन वहां भी है । भाई ओम प्रकाश रिछारिया जी का क्षेत्र है, लेकिन वहां भी 83 विद्यालय चलते हैं । जहां से आप चुनकर आये हैं, वहां केवल 56 विद्यालय चलते हैं । इसके आगे हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश किस धरती पर एक लाख पर मात्र 53 विद्यालय खड़ा है । यही हालत सीनियर स्कूलों व हायर सेकेन्डरी स्कूलों की स्थिति है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चे स्कूलों का नाम तक नहीं जानते हैं । 1 लाख की आबादी में केवल 9 हजार बच्चे विद्यालयों में जा पाते हैं । जब कि. . .

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, 5 बज गये हैं, अब अगला आइटम लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी संशोधन भी आना है और अन्य संकल्प भी हैं, उनका प्रस्तुतीकरण कर दिया जाय ताकि वे व्यपगत न होने पायें । आप कृपा करके 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

पहाड़ में 16 हजार बच्चे जाते हैं, बुन्देलखण्ड में 12 हजार व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9335 बच्चे जाते हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में निरक्षरता की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है । हायरसेकेन्डरी स्कूलों की भी यही हालत है । चिकित्सा के क्षेत्र में एलोपैथिक में भी यही हालत है । एक लाख की आबादी पर केवल 2 अस्पताल हैं पूरब में, पहाड़ों पर 13, बुन्देलखण्ड में 2.25 हैं । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इनके नियोजन में विकास में कितनी कमी है । पूरबी उत्तर प्रदेश में 80 फीसदी लोग खेती पर निर्भर रहते हैं । वहां पर एक एकड़ से कम जोत के सबसे ज्यादा लोग हैं । सिंचाई के क्षेत्र में जो सरकारी ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं और निजी नलकूप लगे हुए हैं, पूर्वांचल में, अन्य इलाकों की अपेक्षा, बहुत कम है । आज भी वहां का आदमी सतुवा खाता है, लोग हंसी उड़ाते हैं । कृष्णाराय जी को तत्कालीन कृषि मंत्री जी ने कुछ समझा दिया था । माननीय मंत्री जी ने उन्हें गुमराह कर दिया था और हंसी उड़ाई थी । वहां की दर्द भरी तकलीफ है । मटर को पीसकर, चने को पीसकर और जौ को पीसकर खाता है । वहां पर आदमी गोबर से गेहूं निकालकर गुबरौला का भोजन करता है ।

पूर्वांचल में 50 लाख मुस्सहरों का अनुसूचित जाति का नाम दर्ज नहीं किया गया । जमीन ही उनके मकान की छत है, छप्पर उनके पास नहीं है, खेती नहीं है। मजदूरी करके ही पूरे साल उनका जीवन चलता है । आज देश को आजाद हुए 40 वर्ष हो गये हैं, अभी भी उनका जीवन स्तर ठीक नहीं हो पाया है । देवरिया जनपद में 60 लाख क्विन्टल गन्ना खड़ा है । उसकी पिराई नहीं हो रही है । सरकार के लिए वह खतरे की घण्टी बना हुआ है । जिस दिन वह गन्ना फूंका जायेगा, उस दिन इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी । बार-बार हमने कहा है कि पूर्वांचल में पैदा होने वाले कच्चे माल को देखकर ही उद्योग की स्थापना की जाय, लेकिन इसको अनदेखा किया गया है । इस साल 60 लाख क्विटल गन्ना खड़ा है । सिंचाई के साधन इधर बढ़े हैं जबसे जनता पार्टी का राज्य आया । पहली बार उसने कोशिश की । जब राम नरेश यादव जी को पहली बार मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । जब देवरिया के गरीब किसान का बेटा, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बिजली मंत्री हुआ तो पहली बार बिड़ला जैसे बड़े उद्योगपति की बिजली काटकर गांव और देहात को 18 घंटे बिजली देने का काम किया । तब जाकर पूर्वांचल के कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, लेकिन जब इनकी सरकार आयी तो बिड़ला से दावत खाकर इन्होंने गांव और देहात को बिजली देना बन्द कर दिया । लेकिन जब से यह आये रोशनी तक के लिए बिजली नहीं है । गांवों का ऊर्जीकरण नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, न मैंने कभी दावत खाई है न खाने का इरादा है । जो कुछ खाया है इन्होंने ही खाया है और किसी ने नहीं खाया है, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं ।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, शाही जी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसको कान्टीन्यू करा दें, आगे चर्चा को बढ़ा दिया जाय ।

श्री जयदीप सिंह धरार–

मैं आपकी अनुमति से इस संकल्प में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं :–

1–उक्त संकल्प में शब्द ''पूर्वी उत्तर प्रदेश'' के पश्चात् शब्द ''तथा रुहेलखण्ड क्षेत्र'' बढ़ा दिए जायं ।

2–उक्त संकल्प में शब्द ''पूर्वान्चल विकास परिषद्'' से पूर्व शब्द ''क्रमशः'' तथा बाद में शब्द ''तथा रुहेलखण्ड विकास परिषद्'' रख दिए जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, यह चर्चाधीन रहेगा ।

(श्री मित्रसेन द्वारा अपना संकल्प प्रस्तुत करने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कार्य सूची में सम्मिलित शेष संकल्प के निलम्बन का प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के पश्चात् ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

(नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि नियमों के निलम्बन का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अब मैं अगली मद संख्या–15 लेता हूं ।

जिला आगरा की फिरोजाबाद तहसील को जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं फिरोजाबाद तहसील को जिला घोषित किये जाने के बारे में कहना चाहता हूं कि श्रीमन्, इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में जनपदवार प्रशासनिक इकाई का जो रूप था, वह कब से था इस देश में और यह कब से शुरू हुआ इसके इतिहास की जो पृष्ठ भूमि है उसके हिसाब से मौर्यकाल में राजुका के नाम से जनपद को छोटी इकाई माना जाता था, मुगल काल में इसका नाम सरकार हुआ। प्रशासनिक इकाई में प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए सबसे छोटा रूप देना उपयुक्त होगा। फिर जब बर्तानिया की हुकूमत हुई तो जनपदवार प्रशासनिक इकाई का जो रूप माना गया, उसी के हिसाब से आज तक सारी व्यवस्था इस पर चलायी जा रही है।

अब जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वह उसका समय-समय पर गठन करके उसकी प्रक्रिया को चलाते रहते हैं। जिलों में कानून की प्रक्रिया उसके कार्यकलापों की प्रक्रिया समय और कार्य के अनुरूप सत्ताधारी दल की फिलासफी और कार्यकलापों के द्वारा बदलती रहती है और उसी के परिपेक्ष में जब बर्तानिया की हुकूमत आयी और बुनियादी इकाई उसने यह जनपद बनायी कि रेवन्यू कलेक्शन करें और कानून व्यवस्था का जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर होगा। इसके साथ ही साथ छोटी इकाई जिसका काम होगा कानून की व्यवस्था करना और रेवन्यू कलेक्ट करना। उसके बाद जो काम सामने आया वह सड़कों का निर्माण कराना। इसके साथ ही साथ पेयजल की व्यवस्था के बारे में व्याख्या की गयी।

लेकिन सन् 1923 में बर्तानिया हुकूमत ने जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट नोर्ड का चयन किया गया और तब विस्तार शुरू हुआ। जब टाउन एरिया का निर्माण किया गया और जिलाधिकारी के कार्यकलापों में और प्रशासन के कार्यों में विस्तार आरम्भ हुआ। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो जो आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी थी उसने एक प्रस्ताव पास किया और उसके तहत इस इकाई को जनपदवार प्रदेश की प्रमुख इकाई के रूप में माना गया। उसमें फिर बदलाव आया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुरूप ग्राम पंचायती राज और ग्राम पंचायती राज से ग्राम्य विकास और ग्राम्य विकास से भूमि सुधार और भूमि सुधार से इसके तहत सड़कों का विस्तार और देहात को सड़कों से जोड़ने का काम शुरू करने का वादा हुआ और अनेकानेक कार्य इससे सम्बद्ध किये गये ।

महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुरूप इस सरकार ने बेसिक शिक्षा का प्रसार और ज्यादा से ज्यादा देहातों को सड़कों से जोड़ने का वादा जिसके परिणाम स्वरूप यह बढ़ते बढ़ते काफी वृहद हो गयी। प्रशासन के दक्ष विशेषज्ञों की एक समिति बनी और उसने महसूस किया कि जनपद वह इकाई है जिसे मजबूत बनाने के लिए क्या-क्या मानक होने चाहिए, इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। जिलों के पुनर्गठन के लिए 1976 में फिर एक आयोग बना जिसने कुछ आधारों पर मानक तय किये और इसके लिये प्रश्नावलियां बनायी गयीं और उसे विशेषज्ञों के पास भेजा गया उनकी राय को जानने के लिए। जब उन विशेषज्ञों की राय मिल गयी तब उसे विधि विशेषज्ञों के पास उनकी राय जानने के लिये भेजा गया। जब उनकी राय मिल गयी तब उसके बाद क्षेत्र समिति के प्रमुख सांसद व विधायकों की राय जानने के लिए भेजा गया। उसके बाद जिलाधिकारियों की राय जानी गयी । इसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि कहां-कहां जिला बनाया जाय क्योंकि निर्धारित मानकों के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सके।

तो श्रीमन् क्षेत्रफल, आबादी, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और औद्योगिक स्थिति की दृष्टि से मानक के आधार पर एक-एक जिले का वैरीफिकेशन और क्लासीफिकेशन किया गया तो मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी जो बैठे हैं यहां पर उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब उत्तरांचल में पहाड़ी इलाके पर चायना का आक्रमण हुआ तो पहली बार हमारी सरकार को यह अक्ल आयी कि उत्तरांचल और पूर्वांचल को छोटे छोटे जनपदों में इकाई के रूप में विभक्त किया जाए, तभी इस प्रकार की समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है और ऐसा करने से पंचवर्षीय योजनाओं और भूमि सुधार के कामों में तेजी से विकास हो सकेगा, तो जब इस रुझान और नजरिए के तहत इनको छोटे छोटे जनपदों में बांटा गया तो विकास कार्यों की तेजी से होने की अपेक्षा हुई और ऐसा करने से गांव-गांव की स्थिति का ज्ञान भी जिलाधिकारी को हो सका और उनकी समस्याओं के निदान में भी वे तत्परता से आगे बढ़ सके।

इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में 15 लाख से 20 लाख तक आबादी वाले जिलों को विभक्त किया गया, गुजरात में भी इसी मानक के तहत विचार हुआ और इसी प्रकार से हमारे यहां का सबसे कम आबादी वाला जिला ललितपुर जिसकी कुल आबादी 1.91 लाख है जिला बनाया गया वहां की अन्य स्थिति को देखते हुए। जबकि हमारे यहां के एटा के शहर की आबादी, मैनपुरी शहर की आबादी से फिरोजाबाद कम से कम डेढ़ गुना आबादी में अधिक है और जहां तक रही क्षेत्रफल वाली बात तो पहले इस संबंध में हमारे यहां विचार हुआ कि एक हजार गांव की संख्या वाले क्षेत्र को हम जिला मान लेंगे, फिर श्रीमन् एक गांव में 20 उपग्राम और कहीं कहीं यह उपग्रामों की संख्या 40 तक पहुंच गयी तो जब आज एक गांव का स्वरूप भी इतना बड़ा हो गया तो ऐसी स्थिति में अब एक हजार वाला मानक भी स्थिर रूप प्रदान नहीं करता क्योंकि काफी एरिया इस प्रकार बढ़ गया और आबादी का घनत्व भी काफी बढ़ गया इन सारी बातों को देखते हुए यह कहीं भी स्थिर न हो पायी कि एक हजार वाले गांव जिले नहीं बनेंगे। इसी प्रकार से आप गुजरात को देखें और पंजाब व हरियाणा को देख लें, जब यहां पर भी छोटे-छोटे जिले बना दिए गये तो वहां भी चतुर्मुखी विकास तेजी

से हुआ और इस प्रकार से साइन्स में हो रहे आये दिन तकनीकी अन्वेषण इन्हें गांव-गांव तक किसी प्रकार से पहुंचाया जाए, यह पहुंचा पाना तभी संभव हो सकेगा जब इन जिलों की दूरी कम हो, छोटी छोटी इकाईयों के रूप में हों और इस प्रकार वहां के संबंधित जिलाधिकारी का सम्पर्क गांव-गांव तक आसानी से हो सके ताकि वहां की समस्त समस्याओं का निदान उसके काबू में रह सके।

आज आप यदि देखें तो फिरोजाबाद की आबादी आप देखें जो अब तक 6 लाख तक पहुंच गयी है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी काफी बड़ा एरिया बनता जा रहा है, वर्ष 1981-82 की जनगणना के हिसाब से आगरे की आबादी 28.53 लाख थी तो श्रीमन् हमारे यहां प्रतिवर्ष की बढ़ती हुई आबादी के रेट को देखते हुए, जिस हिसाब से प्रति वर्ष आबादी रेट बढ़ रहा है, इसको यदि जोड़ लें तो आगरे की आबादी 35 लाख 40 हजार के करीब हो जाती है, तो जो मानक आपका 30 लाख वाला था, वह तो टूट गया और जहां तक रहा सामाजिक स्थिति का फिरोजाबाद में, तो इस ओर भी वहां आये दिन उपद्रव होते रहते हैं और अभी कुछ दिन ही पूर्व वहां पर एक जबर्दस्त दंगा हुआ 1972 में जिसमें न मालूम कितने लोग मारे गये और जिलाधिकारी को आगरा जैसे जनपद में जहां वी0 आई0 पीज की भीड़ रहती है, उनसे फुर्सत नहीं मिल पाती है, ज्यादातर वह उसी में फंसे रहते हैं तो जनपद में विकास कार्य हों इसके लिए सोचने विचारने का समय उनके पास कहां और फिरोजाबाद वैसे भी हमारा आगरा से लगभग 52 कि0 मी0 दूरी पर है, वहां की इतनी दूरी पर रहकर चिन्ता विकास की किस प्रकार से कर पायेंगे। इस संबंध में आप यह कहेंगे कि हमने एक अतिरिक्त ए0 डी0 एम0 आपके यहां दे रखा है, यह ठीक है, हम भी कहते हैं कि आपने एक ए0 डी0 एम0 दे रखा है, लेकिन ए0 डी0 एम0 भी बिना जिलाधिकारी के परामर्श के कोई निर्णय अपने आप लेने में सक्षम नहीं होता है, चाहे वह कानून और व्यवस्था का मसला हो, या विकास संबंधी कोई मामला हो, हर मामले में ए0 डी0 एम0 जिलाधिकारी पर ही निर्भर करता है।

कुछ दिन पूर्व अभी एक मामला हमारे यहां आपस के कारखाने वालों में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें गोली तक चल गयी, अब ए0 डी0 एम0 यह निर्णय नहीं ले पा रहे कि किनको-किनको गिरफ्तार किया जाए और स्थिति बिगड़ती रही। इसी प्रकार से जिलाधिकारी भी अपने इन दो अधिकारियों एक तो एस0 डी0 एम0 और दूसरे परगनाधिकारी तीसरे सी0 ओ0 के माध्यम से ही कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हैं और परगनाधिकारी व ए0 डी0 एम0 यह दोनों अधिकारीगण अपने आप में कानून और व्यवस्था जैसे नाजुक और गम्भीर मसलों पर निर्णय लेने में स्वयं सक्षम नहीं हैं, इन दोनों को जिलाधिकारी के निर्देशों की तरफ देखना पड़ता है और इसका नतीजा यह होता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति भयानक बन जाती है इसलिए हर समय जनपदीय स्तर के अधिकारी पर जैसे जिलाधिकारी के निर्देशों की आवश्यकता बनी रहती है। और यदि तत्समय संवेदनशीलता से इन मामलों पर विचार न किया जाए और जिलाधिकारी के निर्देश समय से प्राप्त न हो सकने की स्थिति में फिर कभी-कभी स्थिति अधिक विस्फोटक बन जाती है और यदि कहीं यह स्थिति उत्पन्न हो गयी तो फिर कानून और व्यवस्था की मंशा समाप्त हो जाती है, ऐसे स्थानों पर फिर जिलाधिकारी की परम आवश्यकता हो जाती है।

इस प्रकार से फिरोजाबाद हर तरह से जिला बनने का मानक पूरा करता है और मान्यवर, इसके बारे में पहले भी विचार हुआ है कि फिरोजाबाद और गोरखपुर में महाराजगंज को जनपद बनाया जाय क्योंकि यह हर प्रकार की दृष्टि से मानक में है। इस संबंध में मैंने पिछले साल याचिका प्रस्तुत की तो जो राजस्व विभाग के सचिव हैं श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी जी ने उन्होंने चतुर्थ प्रतिवेदन के पृष्ठ 59 पर कहा कि "अष्टम वित्त आयोग द्वारा नये जिलों के सृजन हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, अतः वित्तीय संसाधनों के अभाव में फिरोजाबाद और महाराजगंज को जनपद नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन मान्यवर साथ ही मैं इस ओर भी मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो नाम इस आयोग की रपट में जनपद बनाये जाने की सूची में नहीं थे, फिर भी उनको जिला बना दिया गया जिनका कहीं नामो-निशान भी नहीं था जिला बनने के लिए तो उन जिलों को किन संसाधनों से बना दिया गया यह मेरी आज तक समझ में नहीं आया। और कौन से आयोग की परमीशन से यह जिले बना दिये गये और जहां तक देखा जाए यदि आमदनी की दृष्टि से तो उसमें भी फिरोजाबाद किसी से पीछे नहीं है, पिछले वर्ष भी इनकम टैक्स में फिरोजाबाद से ही एक करोड़ 40 लाख रु0 जमा हुए और इस साल भी एक करोड़ 20 लाख रु0 जमा हुए। एक करोड़ 20 लाख रुपया जमा हुआ है 31 मार्च तक और तीन साढ़े तीन करोड़ रुपया अभी बकाया है। तो इस प्रकार से 5 करोड़ रुपया सेल्स टैक्स विभाग में जमा हुआ है, इतना रुपया वसूल हुआ है और इसी तरह से रजिस्ट्रेशन विभाग है, जहां पर जमीन, की खरीद फरोख्त होती है और जो वहां पर शुल्क जमा होता है वह लगभग 7 करोड़ रुपया जमा होता है। अगर आप 36 जिलों को देखें तो ज्ञात होगा कि उनकी आमदनी फिरोजाबाद से कम आती है और फिरोजाबाद की अधिक है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि लखनऊ और दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिए फिरोजाबाद का गला न घोंटें, आप फिरोजाबाद का गला घोंटकर लखनऊ और दिल्ली को सुन्दर बना रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नवम् वित्त आयोग के सामने यह बात रखी जाये कि जिस जिले की आमदनी होगी उसी जिले पर खर्च की जायेगी, जिस गांव की जितनी आमदनी होगी उसी पर खर्च की जाये। मैं कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद पर वित्तीय संकट की कोई बात नहीं है, वहां इस प्रकार का कोई संकट नहीं आने वाला है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब इसकी रिपोर्ट आयेगी और जनता को मालूम होगा कि उसकी आमदनी का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वह आपको माफ नहीं करेगी। मान्यवर, इसके अतिरिक्त उद्योग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान फिरोजाबाद का है। यहां पर कांच का सामान और चूड़ियों का उद्योग है और उसमें लाखों श्रमिक काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक संकट रहता है और वह संकट है बिजली का, बिजली का संकट वहां पर बहुत अधिक है। जब रोस्टिंग का चार्ट बनता है तो फिरोजाबाद को रूरल इकाई मानकर उसकी रोस्टिंग कर दी जाती है और वहां की बिजली काट दी जाती है और जिस यूनिट में जितनी बिजली की आवश्यकता होती है, वह नहीं मिल पाती है और इस कारण हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं जिससे जो गिलास जैसा बनकर आना चाहिए वह वैसा बनकर नहीं आता है। वहां के लिए कोयले की आवश्यकता होती

हैं, जो उद्योग के जनरल मैनेजर हैं वह आगरा में बैठते हैं और ए0 डी0 टी0 वहां पर बैठते हैं, वह केवल संस्तुति करते हैं। इण्डस्ट्रीज के प्रबन्ध निदेशक और सहायक ब्रांच मैनेजर दोनों आगरा में बैठते हैं।

जहां तक मजदूरों के मुकदमों का सवाल है, डिप्टी लेबर कमिश्नर आगरा में बैठते हैं, फिरोजाबाद के विवादों का फैसला आगरा में स्थित श्रम न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो इस तरह की कठिनाइयां हैं। जो वहां की नगरपालिका है, उससे आमदनी होती है और कोयले की सप्लाई से जो रुपया रेलवे विभाग को मिलता है। रेलवे से आमदनी होती है 8,94,91,563 रुपया। यह आंकड़े 31 मार्च, 1988 तक के हैं। इतनी आमदनी आपके यात्री भाड़े से ही खाली है और अकेले एक फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन से। इस तरह से अगर डाकतार विभाग, नगर पालिका, भू-राजस्व, बिक्रीकर आदि की आमदनी जोड़ दी जाय तो वह काफी बढ़ जायेगी। यदि आप इन सारी इनकम्स को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि केवल फिरोजाबाद अर्थ के मामले में, पूंजी देने के मामले में अनेक जिलों से बहुत आगे पहुंच गया है।

(इस समय 5 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

यह मैंने वहां की सामाजिक स्थिति के बारे में बताया। अब मैं वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं उसको देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि फिरोजाबाद का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें नारखी कोटला ब्लाक एक है एक फिरोजाबाद ब्लाक है जो कि क्षेत्रफल में उसके 1/3 है। एक ब्लाक टुण्डला विधान सभा क्षेत्र के नाम से है लेकिन एतमादपुर तहसील का ब्लाक सिर्फ टुण्डला है। बाकी डेढ़ ब्लाक हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है। इस तरह से फिरोजाबाद का एक सही दो बटा तीन हल्का हमारे विधान सभायी क्षेत्र में पड़ता है। क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से फिरोजाबाद की आबादी 6 लाख से ऊपर दोनों शहर और देहात की है। (व्यवधान)

(श्रीमती कमला साहनी के कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कमला साहनी जी, कृपया खड़े होकर बोलें।

श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूं कि माननीय राणा साहब वर्मा जी की बात सुन रहे हैं या नहीं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

वे दोनों आगरे के हैं, न सुनें।

श्रीमती कमला साहनी–

नहीं सुन रहे हैं तो क्या कह रहे हैं वह मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, श्रीमती साहनी जी परेशान थीं और इसलिए कि फिरोजाबाद न हो तो उनका सुहाग नहीं रह सकता . . (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर कुछ स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ा)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांत रहें . . (व्यवधान) वे बनाते भी हैं और बांटते भी हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, फिरोजाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब रहती है। वहां से आप एक साल का चार्ट मंगाकर देख लें कि कितनी वहां पर गोली चलने की घटनायें हुई हैं, कितने सरे बाजार में, देहात में लोग मारे गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी, इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

ठीक है मान्यवर।

श्री मैनेजर सिंह–

उपाध्यक्ष जी, आप चर्चा बढ़ावें या घटावें, आगरे से उनका पिंड छुड़ावें। वे हमारे मित्र हैं, मजाक उड़ाते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आगरे में चूड़ी और चप्पल दोनों हैं।

इस पर आधा घन्टा हो गया है, आधा घन्टा बाकी हो जायेगा।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, आधा घन्टा और हो जाता तो हम जवाब दे देते।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि आगरे से पिंड छुड़ा दें लेकिन मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि मैनपुरी इसमें न घुसेड़ दें।

उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक 1988

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह अत्यन्त जनहित और कल्याणकारी कार्यक्रम है जिसके लिए शासन इस विधेयक को लेकर आया है ताकि भविष्य में सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आज बहुत तेजी से ऊर्जा की आवश्यकता किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के लिए जरूरी है लेकिन इसी के साथ यह भी सच्चाई है आज जो ऊर्जा के स्रोत हैं चाहे कोयला हो या तेल हो उनके साधन सीमित हैं क्योंकि वह तेजी के साथ खतम होते चले जा रहे हैं और उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। आज स्थिति यह है कि प्रतिदिन लगभग 80 हजार टन कोयले की आव-

श्यकता तापीय बिजली घरों को बिजली पैदा करने के लिए जरूरत होती है। आज यह महसूस किया जा रहा है कि यदि परमाणु विद्युत गृहों को बनाया जाय तो उससे ऊर्जा सस्ती होगी और कम लागत पर अधिक विद्युत का उत्पादन भी हम कर सकेंगे।

मान्यवर, परमाणु ऊर्जा निःसन्देह एक अभिनव प्रयोग है और प्रगतिशील देशों में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग हो रहा है। परन्तु परमाणु ऊर्जा के साथ कुछ ऐसे मुद्दे भी हो सकते हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यद्यपि जब इन परमाणु घरों को लगाते हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में ऐसी त्रुटियां न हो जायं जिससे कोई दुर्घटना हो सके लेकिन वैज्ञानिक हर कदम के पीछे इस बात को मानकर चलते हैं कि यदि ऐसी दुर्घटना हो जाय तो उनसे बचने के उपाय क्या हों। खासतौर से जब भोपाल में गैस का रिसाव हुआ और दुनियां के बहुत ही प्रगतिशील राष्ट्र सोवियत रूस में जो चैरनैनको दुर्घटना हुई तो यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उससे बचने के लिए एक सुरक्षित जोन तैयार करें जहां पर यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाय तो वहां की आबादी को बचाया जा सके। यही प्रस्ताव लेकर हम आये हैं वह मात्र इसलिए कि यदि कभी कोई दुर्घटना हो तो उसका असर सामान्य जनजीवन पर न पड़े। उनकी सुरक्षा के कुछ कदम इसमें उठाने जा रहे हैं वह कदम मानवता के कल्याण के लिए है उसके विनाश के लिए नहीं हैं।

इसमें दो तरह की बातें रखी गयी हैं। एक तो वह क्षेत्र है जो पूरी तरह से इसके प्रभाव में आते हैं यानी जो परमाणु ऊर्जा केन्द्र से 1.6 कि0 मी0 का एरिया है वह पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया गया है न उसमें किसी तरह का भवन बन सकेगा और न खेती इत्यादि की जा सकेगी। दूसरा कदम यह है कि 4.8 कि0 मी0 चारों ओर कुछ रोक लगाई जा रही है। यदि कभी कोई दुर्घटना हो तो वहां के रहने वाले लोगों को बचाया जा सके। इसी तरह से दुर्भाग्य से कभी ऐसी स्थिति आई भी तो 16 कि0 मी0 के क्षेत्र में दुर्घटना का प्रभाव पड़े और उससे कैसे बचा जा सके। तो इसमें इसी बात का ध्यान रखा गया है और इस तरह से लगभग तीन जोन पहला 1.6 कि0मी0 दूसरा 4.8 कि0 मी0 और तीसरा 16 कि0 मी0 के जो क्षेत्र बनाये गये हैं ताकि इसमें कम से कम नुकसान पहुंचे और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। तो यह कदम बहुत सोच समझ कर उठा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसी तरह की कहीं संशोधन की कोई गुंजायश है क्योंकि यह कदम सरकार जो उठा रही है वह किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए उठा रही है और इसीलिए इसमें एक समिति भी बनाई गयी है जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष और कार्यपालक अधिकारी सदस्य सचिव एवं चार सदस्य नामित होंगे, यह करने का प्रस्ताव है और मुख्य रूप से यह तो समिति बनेगी जो संचालन करेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि चैरनोबिल परमाणु रिएक्टर दुर्घटना और भोपाल में गैस रिसाव के कारण हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा उससे सबक सीखकर ऐसी परिधि में निर्माण कार्यों को रोक रहे हैं, दूसरी परिधि में कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं कि ऐसे कार्य न हों और तीसरी परिधि में कुछ रोक लगा रहे हैं, यह रोक इसलिए लगा रहे हैं कि पहले तो कभी कोई दुर्घटना न हो और यदि हो तो उससे कैसे वहां के लोगों को बचा सकते हैं, इसीलिये यह कदम उठाया जा रहा है, अतः मैं अनुरोध माननीय सदस्यों

से करूंगा कि सरकार द्वारा उठाये जा रहे इस कदम का समर्थन करें और सहयोग दें जिससे यह परमाणु ऊर्जा की जो हमारी आणविक योजना है उसे हम पूरा कर सकें और इससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का जो स्रोत प्राप्त होगा उससे समृद्धि आयेगी । इसलिए आग्रह है कि जो सुरक्षा के उपाय इसमें निहित किये गये हैं उसका माननीय सदस्य समर्थन दें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 को राय जानने के लिए 15 सितम्बर, 1988 तक परिचालित किया जाय।

मान्यवर, मंत्री जी के भाषण को मैंने ध्यान से सुना, मुझे उम्मीद थी कि इस विधेयक के असली उद्देश्य और कारण पर वह प्रकाश डालेंगे लेकिन दुख हुआ देखकर कि विधेयक के उद्देश्यों और मूल जो कारण है उसमें जाने के बजाए ऊर्जा खपत और ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है इस पर वह कहते रहे और जिनको इस विधेयक के बनाने से कठिनाई होगी उनके बारे में एक भी शब्द अपने भाषण में कहना उन्होंने उचित नहीं समझा ।

मान्यवर, यह तो निर्विवाद सत्य है कि ऊर्जा की खपत बढ़ी है और नाभिकीय परमाणु बिजली घर वहां बन रहे हैं, कई वर्षों से उसका निर्माण कार्य हो रहा है और उसमें रुकावट आज तक नहीं आयी जिससे इस विधेयक को लाना पड़ा । परन्तु यह भी सत्य है कि जब परमाणु घर काम करना शुरू करेंगे तो उससे जो खतरे पैदा होंगे उनसे बचने के लिए जनता को हर उपाय होने चाहिए और वह उपाय क्या हों ? वही उपाय नहीं होने चाहिए कि जो कहीं से लिखकर चला आये तो कानून बना दें । तो वह उपाय क्या-क्या हों उसके लिए एक यहां खुली बहस होनी चाहिए कि आणविक घर से क्या खतरे हो सकते हैं और उनका क्षेत्र कितनी दूर तक हो सकता है और जनता को उससे बचने के लिए क्या-क्या व्यवस्था करनी होगी ।

इसलिये मंत्री जी भाषण के प्रारम्भ से यह चर्चा यहां प्रारम्भ होती तो मालूम होता कि आप प्रयत्नशील हैं और प्रदेश की जनता पर आने वाले खतरों को आप ध्यान में रखे हैं । भोपाल गैस काण्ड का और चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर का मंत्री जी ने उल्लेख किया लेकिन अमेरिका में भी इसके पहले ऐसा ही आणविक बिजली घर में थ्री माइल आइलैण्ड नामक बिजली घर में विस्फोट हुआ था जिसका मंत्री जी ने उल्लेख नहीं किया । मान्यवर, मंत्री जी ने दो चीजों का उल्लेख तो जरूर किया लेकिन इन दुर्घटनाओं के पीछे कारण क्या थे इसका जिक्र नहीं किया कि वहां जो जनता रह रही थी क्या उनके रहन सहन के ढंग में गलती थी या ऐसे मकान बने थे जिससे दुर्घटना हुई या उस संयंत्र को चलाने वाले जिम्मेदार लोग जिनके कहने पर एक्ट बनाकर, यहां ट्रान्सलेशन करके भेज दिया या वह लोग जिम्मेदार थे जो संयंत्र चला रहे थे । दुर्घटना को बचाने का काम उनका था या जनता का था, इस पर मंत्री जी ने प्रकाश नहीं डाला। मान्यवर, यह निर्विवाद है कि हमें ऐसे आणविक बिजली घर की आवश्यकता है और आधुनिक युग में और भी ऐसे आणविक बिजली घर लगेंगे और बेहतर यह होता कि यह इस विधेयक के विषय में यह

न कहते कि यह छोटा सा विधेयक है, बल्कि इस पर एक बृहत चर्चा करवाते और प्रदेश की जनता को चर्चा के माध्यम से अवगत कराते कि आणविक बिजली घर के खतरे क्या-क्या हो सकते हैं। क्योंकि यदि जिम्मेदार लोगों के माध्यम से वाद-विवाद होकर एक चीज जनता के सामने आती है तो वह उसे स्वीकार होती है, लेकिन यदि अफवाहों के माध्यम से, भ्रांतियों के आधार पर कोई बात उसके सामने आती है तो एक अड़चन सामने आती है कि कैसे उसको दूर किया जाय। मंत्री जी ने उस मौके का कोई फायदा नहीं उठाया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इसकी कुछ खास धाराओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री जी ने कह दिया कि हमने जनता के हित के लिए यह कर दिया है और 4.8 कि0 मी0 रेडियस के लिए कह दिया कि वह विसंक्रमित क्षेत्र होगा। किन्तु इसमें जो इन्होंने रखा है उसको देखें तो स्पष्ट होगा कि उससे वहां पर किसानों के साथ क्या-क्या अत्याचार होगा। इनकी धारा (2) में परिभाषाएं रखी गई हैं, उसमें आप देखें कि 'भवन' की पहले परिभाषा क्या है, इसमें दिया गया है कि-गृह बहिगृह, अस्तबल, पशुशाला, पशुघर, शौचालय, गोदाम, सायवान, झोपड़ी, दीवाल, छतादार आहाता और कोई ऐसी अन्य संरचना, चाहे वह पूर्णतः या अशतः पक्की चिनाई ईंट, गारा, लकड़ी, धातु या किसी अन्य पदार्थ से बनी हों। यदि अब इस विधेयक के बाद वहां के किसान अपने खेत की रखवाली के लिए कोई छोटी सी झोपड़ी भी बनवाना चाहेगा या टांड बनवाना चाहेगा तो भी उसे उसके लिए विधिवत् अनुमति लेनी पड़ेगी और वह उस अनुमति के लिए किसके पास जाएगा? आपने जो नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण का गठन इस हेतु किया है, उसके सदस्य सचिव के पास जाना होगा और वह उस नाभिकीय प्रतिष्ठापन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। वह प्रतिबन्ध क्षेत्र में तो फटक भी नहीं सकता। उसके लिए हर हालत में उसके पास जाना असम्भव सा अत्यन्त दुरूह कार्य होगा। आप वहां पर उस गरीब को कैसे भेजेंगे, कैसे वह जान पाएगा कि वह उनसे अनुमति लेने जाए।

यह सही है कि नाभिकीय संयंत्र के पास रहने वालों के लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जब वह मकान बनवाए तो आने जाने का रास्ता रखा जाए। तो जिम्मेदारी किसकी है? यदि संयंत्र लगाने से खतरा पैदा हो रहा है तो यह किसान की तो जिम्मेदारी है नहीं, यह तो आपकी जिम्मेदारी है कि जहां आप उस नाभिकीय संयंत्र के लिए इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, उससे पैदा होने वाली बिजली का लाभ 12 करोड़ जनता को होना है तो यह अधिकार हमें नहीं है कि हम उसका फायदा तो उठावें और उसका नुकसान उस 4.8 कि0 मी0 के रेडियस में रहने वाले गरीब किसान उठाएं। इसके अलावा भी इसमें अनेक तरह तरह के प्रतिबन्ध किसानों के लिए कष्टदायी रूप से लगाए गये हैं।

यह भी है मान लीजिए दो भाई किसी मकान में रहते हैं और फिर उन्होंने किसी कारण आपस में घर बांट लिया तो वह इसके बाद अब एक दीवाल भी मकान में नहीं खींच सकेंगे। ऐसी व्यवस्था करना जिसमें आम जनता को कठिनाई पैदा हो, उनका जीवन दुरूह हो जाए बिल्कुल उचित नहीं है। इन्होंने तो वहां पर आणविक बिजली घर लगवाने की आपसे मांग नहीं की थी। वह प्रतापगढ़ में अपनी कोठी के

पास लगवा लेते तो उन्हें मालूम पड़ता कि उनके लिए उन्होंने इस विधेयक के जरिये क्या क्या तमाम दिक्कतें पैदा कर दी हैं, जीवन दुरुह कर दिया है। मकान की कैसी बुनियाद होगी, यह भी दिया हुआ है। दिल्ली और लखनऊ जैसे महानगरों में बड़े-बड़े पूंजीपति लोग करोड़ों रुपया खर्च करके जो आलीशान भवन बनवाते हैं उनके लिए भी ऐसे प्रतिबन्ध नहीं हैं जो इन बेचारे गरीब किसानों पर लगा दिये गये हैं। इतना ही नहीं यदि कोई व्यक्ति अपने घर के एक हिस्से में पहले भैंसे रख रखा था और उसके घर में दो व्यक्ति और बढ़ गये और वह चाहता है कि भैंसों को बाहर बांधना शुरू कर दे, और उसके बंधन के स्थान पर आदमी रहने लग जाएं, तो यह भी सम्भव नहीं होगा। जहां पहले पशु रहते थे अब आदमी नहीं रह सकेंगे और जहां पहले आदमी रहते थे पशु नहीं रखे जा सकेंगे। जो कृषि के सम्बन्ध में पाबन्दी लगाई है कि वह वहां पर खेती नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार को उस क्षेत्र की आवश्यकता है, अगर आपके दिल में वहां की जनता के लिए दर्द है, तो आप उनके लिए उचित व्यवस्था कीजिए। आप सोचते हैं कि रेडियो धर्मिता का खतरा बढ़ रहा है, अगर कोई विस्फोट हो जाए तो आप चार किलोमीटर बता देते हैं, वहां अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो रामपुर, बरेली तथा दूर-दूर के क्षेत्र भी इसके प्रभाव में उसमें आ जायेंगे। जितनी शर्तें आप ग्रामीणों पर लगाने जा रहे हैं, अगर उनके लिए आपके दिल में जरा भी दर्द है, जो लोग मौत के साये में रह रहे हैं, आप उनके लिए किसी मास्टर प्लान के मुताबिक आप घर की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आप उनके लिए घर बनवा दें। मान्यवर, धारा 4 में लिखा है—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में तत्समय प्रवृत्त और सार्वजनिक स्वास्थ्य या स्वायत्त शासन से संबंधित किसी अधिनियमिति के उपबन्ध नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

मान्यवर, मेडिकल एड के बारे में दिया गया है कि जो चीजें लागू हैं वह वहां लागू नहीं होंगी, पता नहीं यह सरकार क्या लाभ उनको देने जा रही है, अगर आप, जो चीजें लागू हैं वह तो लागू होती ही और इसके अलावा आप उनके लिए और व्यवस्था करते तब तो ठीक था आपने कह दिया वर्जित क्षेत्र में खेती न करें, तो वहां के जो भू-स्वामी हैं या तो उनकी जमीन आप एक्वायर करें और उन्हें रोजगार दें, अगर आप उनकी जमीन एक्वायर नहीं करते हैं तो उनको आप खेती करने दें। अगर आप उनका हित चाहते हैं, उनको खेती नहीं करने देना चाहते हैं तो आपको उन्हें रोजगार देना चाहिए। आपने धारा—4 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा दिया, इसको आपको समाप्त करना चाहिए। उनको जो रेडियो धर्मिता का खतरा है यह आणविक से है, उनको घर से खतरा नहीं है, तो इसका बोझ आप वहां की निरीह जनता पर क्यों डालना चाहते हैं, इसका औचित्य समझ में नहीं आता है। इस तरह का विधेयक पहले नहीं बना, तो इसमें आपको पहले लोगों की राय लेनी चाहिए थी। मान्यवर यह नरौरा का ही मामला नहीं है, किसी और जगह भी आणविक केन्द्र खुल सकते हैं। धारा-2 की उपधारा-4 में दिया गया है "नरौरा में नाभिकीय ऊर्जा में शोध और विकास से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य परमाणु ऊर्जा केन्द्र भी है" मान्यवर, कहीं पर कोई भी इस आणविक बिजली घर प्रतिष्ठान से संबंधित अनुसंधान केन्द्र खुलेगा तो वहां पर यह अधिनियम

अपने आप लागू हो जाएगी। आप इस विधेयक को इतनी जल्दी न लाते, आप जनता की राय को भी जान लेते, आप जनता की राय को जानकर जब पुनः संशोधन बिधेयक लायेंगे, तो प्रदेश की जनता की ओर से उसका स्वागत करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, अभी माननीय बरार जी इस विधेयक पर बोल रहे थे उनके द्वारा कही गयी बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा । मैं चंद बिन्दुओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का सवाल है बहुत हद तक उससे शासन से मेरी सहमति हो सकती है वह यह कि इस तरह के ऊर्जा केन्द्र बनने चाहिये। उर्जा की आवश्यकता है इसमें कोई की बात नहीं है । यह मेरी मान्यता है कि व्यक्ति से राष्ट्र बड़ा है और यदि राष्ट्र के लिये आवश्यकता पड़ती है तो व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के प्रति समर्पित होना चाहिये । इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इस विधेयक के द्वारा शासन अपनी निरंकुश शक्ति का उपयोग करके अत्यन्त असंवैधानिक काम करना प्रारम्भ करेगा इसलिये मैं मानता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर देना चाहिये । मैंने जब इसके उद्देश्य और कारण पढ़े तो मेरे मन में वह बात पैदा हुयी कि अगर सरकार को ऐसे कार्य के लिये जरूरत है तो वह जमीन ले सकती है। जमीन को एक्वायर कर ले और एक्वायर करके सही तरीके से उसका मुआवजा देकर कहीं दूसरी जगह लोगों को बसा दे । भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-क की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके अन्त का भाग पढ़ रहा हूं उस पर निर्मित या उससे संलग्न ऐसे भवन या सन्निर्माण के अन्दर हो, अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधि संगत नहीं होगा जिसमें कि भूमि भवन या सन्निमार्ण के अर्जन से संबद्ध विधि द्वारा उस दर से प्रतिकर की देनगी के लिये उपबंध किया गया है जो उसके बाजार मूल्य से कम न हो। तो मेरा कहना है कि अगर आपको जमीन की आवश्यकता है तो आप एक्वायर कर लेते । हमें आपत्ति इस बात पर हो सकती थी अगर उसकी बाजार भाव पर प्रतिकर न दिया गया होता । जमीन सरकार के लेने पर आपत्ति नहीं है प्रतिकर देकर आप उनको कहीं और बसा दें । इसमें यह भी कहा है कि जो क्षेत्र नोटीफाइ किया गया है उसमें कोई व्यक्ति खेती भी नहीं कर सकेगा । मैं इसके अनुच्छेद 5 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति अपवर्जन क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिये जिसके अंतर्गत कृषि प्रयोजन भी है किसी भूमि का प्रयोग न करेगा खेती भी नहीं कर सकता है मकान बनाने की बात तो दूर है । माननीय बरार जी ने भवन के उपयोग के बारे में बताया है।

मान लीजिये कोई भवन बना है जिसमें मैं अपनी पत्नी, बच्चों के साथ रह रहा हूं । मेरे बेटे की शादी हो जाती है, बहू आ जाती है। अगर मैं सोचूं कि मेरा

बेटा बहू और मैं अलग-अलग सोऊं तो मैं फूस का एक छप्पर भी आड़ के लिये नहीं लगा सकता उसके लिये परमीशन लेनी पड़ेगी । इसी तरह से कोई खड़खड़ा है या ठेलिया रखा है जिसके ऊपर कोई रखकर चाट बेचता है और धूप आने लगे तो कोई उस पर तिरपाल डाल लेता है तो उसकी परमीशन लेनी पड़ेगी । कहीं पर जानवर बांधे जाते हैं। मेरा घर अगर गिर गया और मैं जानवर वाले घर में रहना चाहता हूं तो उसके लिये भी परमीशन लेनी पड़ेगी । इससे लोगों का एक्सप्लाइटेशन किया जायगा इसलिये मैंने प्रवर समिति में भेजने की राय दी है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आपने प्रबंध कमेटी बनाने की बात की है जिसमें आपने उस जिले के जिलाधिकारी को रखा है। नाभिकीय प्रतिष्ठापन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रखा है, मुख्य परिक्षेत्रीय अभियंता, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को रखा है और 4 सदस्य रखे हैं जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना, द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे, तो यह जो नामांकन किया गया है इसको देखकर शंका होती है। आपको पांचवें सदस्य के रूप में उस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक को भी इसमें रखना चाहिये था। जो अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव है, विधान सभा में आवाज उठाता है, वहां के रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी जो 5 साल के लिए ले करके आया है, उस व्यक्ति को कोई अपना सुझाव देने का अधिकार न हो, यह अत्यन्त आश्चर्यजनक बात है ।

हमारे निर्बल वर्ग के जो लोग होते हैं, उनकी शिकायत इसमें रहती है, चार में एक व्यक्ति अनुसूचित वर्ग का होगा ऐसा भी हो सकता है । नरोरा के आस-पास के जो रहने वाले लोग हैं, उनको छोड़ कर दिल्ली का ले लें, क्षेत्रीय विधायक वह रहने वाला किसी दूसरी जगह का तो रह सकता है, लेकिन जो भी 4 नामांकन किये जायंगे, उसमें एक अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति होगा और तीन अन्य व्यक्ति होंगे। प्रवर समिति में जाने का एक कारण यह भी है कि इसमें एक तो फीस की व्यवस्था है। यदि वह अनुमति के लिए अप्लाई करता है, तो यह निश्चय नहीं है कि उसमें कितना समय लगेगा। जिस प्रकार से हमें विकास प्राधिकरण में अनुमति के लिए परेशानियां उठानी पड़ती है, उसी प्रकार से उसमें भी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। उनको यदि वहां से हटाया जाता है, तो उन्हें पूरा मौआबिजा बाजार रेट पर दिया जाय। इसे प्रवर समिति में भेजने का केवल 30 दिन का मामला है, 30 दिन में कोई विलम्ब की बात नहीं है। अगर कोई मनी बिल होता, या कोई आर्डिनेन्स की अनुमति देनी होती, तो मैं अपनी बात पर पुनर्विचार करता। इसमें राज्य सरकार के तय करने की बात है, सम्भावित आशंकाओं को निर्मूल करने के लिए हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं, इसलिए हम इसे 30 दिन के लिए प्रवर समिति में भेजने के लिए कहते हैं कि किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का हित देख कर हम संशोधन कर दें, तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उपयोगी होगा।

श्री नरेन्द्र देव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 के समर्थन में बोलते हुए बहुत छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं सभी की आशंकाओं को सुन रहा था, तो मुझे यह संदेह हुआ कि इन्होंने शायद इसमें 3 उप-धारा (1) को नहीं पढ़ा, जो अनुज्ञा

देने या न देने की जिसमें शर्तें लिखी हुई हैं। इसमें स्पष्टतः लिख दिया गया है कि नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरण निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा :–

(1) भवन के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण की सम्भावना, कृषि से भिन्न प्रयोजन जिसके लिए भूमि का प्रयोग किया जाना हो या कोई अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया किये जाने की सम्भावना, यानि कृषि के लिए यदि खेती की बात जो ये कहते हैं, उसके लिए यह नहीं लागू है। बरार जी ने कहा, जिसके लिए भूमि का उपयोग किया जाना हो, या कोई अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया किये जाने की संभावना। दूसरा इसमें है कि जिससे नाभिकीय प्रतिष्ठापन के पर्यावरण में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो और जिसके परिणामस्वरूप वायु मण्डल में रेडियो धर्मिता का आकस्मिक मोचन हो। मान्यवर, मेरा सिर्फ बहुत संक्षेप में यह कहना है कि आज जब पूरे देश में उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के अधिक से अधिक उत्पादन के लक्ष्य की ओर हमारी सरकार बढ़ रही है। जब सरकार उसके आस-पास के रहने वाले लोगों के बारे में चिन्तित होकर विकास की इस प्रक्रिया में कोई विधेयक लाती है तो तरह-तरह की आशंकाएं प्रकट करके अगर कोई विरोध करना चाहता है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पढ़ें। इस विधेयक में अनुज्ञा देने से इंकार करने की जो शर्तें स्पष्ट कर दी गयी हैं उससे लोकहित सुरक्षित है और यह विधेयक पूरी तरीके से परिपक्व है। अतः इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे थे और इसके उद्देश्यों की महत्ता के बारे में जो बातें कहीं वह इसमें इस विधेयक में उसके ठीक प्रतिकूल बात है। यह विधेयक असंवैधानिक तो है ही साथ ही साथ यह जनतांत्रिक प्रणाली पर भी कुठाराघात करता है। मान्यवर, इसमें, जैसा माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा, संवैधानिक अड़चन यह आयेगी कि किसी की जमीन को, किसी के मकान को उसके प्रयोग से रोक देने का अधिकार वैसे आपको नहीं मिल जायेगा। वह आदमी अगर संवैधानिक तरीके से सुप्रीमकोर्ट या हाईकोर्ट में जायेगा, तो आपके लिए कठिनाई उत्पन्न होगी। इसका निदान इसमें ढूढ़ना चाहिए, जो इसमें उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, हमारे संविधान की धारा 19 है, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद है उसके तहत किसी व्यक्ति को रहने, उठने, बैठने का पूरा अधिकार है। उस पर आप पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। इस विधेयक के बन जाने से सरकार को यह पूरा अधिकार हो जायेगा कि वह नोटिस दे दें और खाली करा ले या इस प्रयोजन से जिस प्रयोजन से उसका मकान है। उसके लिए आप जो नोटिस जारी करेंगे उसका खर्चा भी उसी व्यक्ति से वसूल करेंगे। मान लीजिए आपने नोटिस दिया मकान को गिराने के लिए और टाइम से वह मकान नहीं गिराया गया तो उसका खर्चा भी उसी से वसूला जायेगा। दूसरी बात इसमें जो सबसे बड़ी होती है, जनतांत्रिक प्रणाली में आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अपना समन्वय होता है। इसमें जितने भी कानून आपके बने हैं, सबका संवैधानिक उपचार है लेकिन इसमें यह कर दिया है, इसमें जो आपने धारा 18 लगाई है। इसमें आपने कह दिया है "इस अधि-

नियम के प्रयोजनों के लिये अवधारित किये जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश या लिया गया विनिश्चय, इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित अपील या पुनरीक्षण के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा । दूसरा-किसी ऐसे आदेश या विनिश्चय पर किसी विधि न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।'' मान्यवर, प्राधिकरण ने अगर कोई निर्णय ले लिया और वह किसी व्यक्ति के प्रतिकूल जाता है तो उसके लिए किसी न्यायपालिका में, न्यायालय में जाने से पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया है। इसमें आपने भोपाल और रूस के तमाम उदाहरण दिये । अगर आपके यहां किसी प्रकार से कोई दुर्घटना हो जाय, आपके इन उर्जा केन्द्रों से तो उसको जिस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसको कोई मुआवजा देगें यह इसमें नही है केवल जुर्माना है। अगर सरकार की अच्छी नीयत होती तो इसमें प्राविधानित करना चाहिये था कि अगर परमाणु ऊर्जा केन्द्र से किसी प्रकार की दुर्घटना हुई और उससे वहां रहने वाले लोग प्रभावित हुए तो इतना रुपया मुआवजा दिया जायगा। आज यह प्राविधानित कर दिया गया होता तो भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ित लोग न्यायालयों में मुआवजे के रुपयों की मांग जो कर रहे हैं, इस विधेयक से उनको लाभ मिल जाता। यह नहीं किया है। मान्यवर, इसके बाद यह भी मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आपने यह व्यवस्था दे दी कि यह जो आपके प्राधिकरण के लोग होंगे, ये अगर म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया पड़ जाती है या नगर महापालिका पड़ जाती है तो उसके जो चेयरमैन के अधिकार हैं, इन्हीं में निहित हो जाएंगे। मान्यवर, यह पूर्णतया जनतंत्र विरोधी अधिनियम है और इसमें कोई जनतांत्रिक बात लागू नहीं की गयी है। इसमें प्राधिकरण का अधिकार उसके चेयरमैन के बिना चुने हुए ही हो जायेगा। सारा अधिकार उन्हीं के हाथों में चला जाता है। इसलिये मान्यवर, प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इसका घोर विरोध करता हूं । माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करता हूं कि इसको वापस ले लिया जाय। संवैधानिक दृष्टि से यह अपने आप में निरस्त हो जाना चाहिये, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में आपको विश्वास है कि न्यायालय चुनौती देने कोई नहीं जायगा, यह न्यायालय में जाने पर निरस्त हो जायगा। मैं अपनी यह बात बहुत संक्षेप में कह कर खण्डों पर भी बोलूंगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, अगर किसी दूसरे माननीय मंत्री ने इस बिल को पेश किया होता, जिन्हें कानून की जानकारी नहीं होती, तो मुझे आश्चर्य न होता । अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे, मुझे उनके भाषण पर कोई एतराज नहीं हुआ। मुझे तुलसीदास जी की चौपाई याद आ रही है ''फूलहिं फलहिं न बेंत यदपि सुधा बरसहि जलद'', लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी तो कानून के भी ज्ञाता हैं, वकालत कर चुके हैं और यह जानते हैं कि किसी की जमीन को अधिग्रहीत कर लेना, बिना मुआवजे के उसको डिस्पर्स कर देना फण्डामेन्टल राइट का इनफ्रेंजमेंट है, वह इस विधेयक के जरिये से होने जा रहा है और अगर इसको चैलेंज किया गया उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में तो एक समस्या होगी और सही बात तो यह है कि जिस मंशा से यह बिल लाया गया है, उसके प्रति किसी की भी असहमति नहीं है, हम सभी लोग चाहते हैं कि उस क्षेत्र का नागरिक जहां इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन स्थापित किये जायं वह पूरी तरह

से सुरक्षित रहे, लेकिन साथ ही मान्यवर यह भी देखना होगा कि वह कार्य संवैधानिक ढंग से हो । संवैधानिक पहलू से भी उसकी स्थापना आदि की तरफ देखा जाना चाहिये ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि आज इस बिल को पारित न कर दिया तो सरकार का काम रुक रहा है। इसमें कुछ खामियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है, अगर आप उचित समझें तो उन खामियों पर फिर से परीक्षण करा लें और उसके बाद इसको बैलेन्स्ड फार्म में लाकर पास कराएं ताकि इस को न्यायालय में चुनौती देने का कोई आधार न रह जाय, न ही चुनौती की आवश्यकता पड़े । इसको मा0 मंत्री जी को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । दूसरी आखिरी बात, यह जनतंत्र की बात करते हैं लेकिन उसकी मंशा से और आदर्शों से जब कोई कानून बनाते हैं तो हट जाते हैं इन्हें ब्यूरोक्रेसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए । कौन सी ऐसी बाध्यता है कि इसमें जो अध्यक्ष बना रहे हैं, उसमें अपने सांसद और विधायकों को जो उस क्षेत्र के हों, उसको क्यों नहीं रख देते हैं। जब यह मानते हैं कि इस तरह की कमेटी में जन-प्रतिनिधि होंगे, 4 नामांकित करेंगे, कह सकते हैं यह व्यवस्था कर देंगे, सांसद और विधायक निश्चित रूप से रहेंगे, फिर अध्यक्षता कलेक्टर करेगा तो जन- प्रतिनिधियों का अपमान होगा । इसलिये कुछ ज्यादा न कहकर इतना ही निवेदन करूंगा कि यह दो चीजें हैं जो हमको लगता है कि संवैधानिकता के आधार पर इस विधेयक को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है । उन त्रुटियों को कम कर दिया जाय और इसको जनतांत्रिक स्वरूप दे दिया जाय, इन दोनों बातों के लिए यह विधेयक प्रवर समिति को दे दिया जाय और यह संशोधित रूप में आ जाय या इस बिल को वापस लेकर दोबारा अच्छे फार्म में लायें । मान्यवर, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। जैसा कि कहा गया संभवतः इस प्रकार का यह पहला बिल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि टेक्नालाजी और विज्ञान के माध्यम से जब विकास है तो उसमें कुछ न कुछ पेन भी है, कुछ न कुछ तकलीफें भी हैं। लेकिन, विकास की गति होगी तो उस तकलीफ को झेलना भी आवश्यक है। किसी व्यक्ति ने बिल्कुल सही कहा है, मुझे याद आ गया, "डेट ला ओरिजिनेटर फराम प्रापर्टी एण्ड शैल नाउ मर्ज इन साइंस" । प्रापर्टी के द्वारा या उससे बाबस्ता ला की उत्पत्ति हुई और आज वह साइंस में शामिल हो जायेगा। अभी बहुत ही डिस्कस चल रहा है दुनिया में कि हम आउटर स्पेस को कैसे कन्ट्रोल करें और उसके कहते-कहते भी कुछ चीजें पैदा हुई हैं । 1957 में जब पहला सेटलाइट हुआ तो यह बात दुनिया में पैदा हुई कि अभी वह समस्या पैदा हो जायेगी कि हमको इस स्पेश को कंट्रोल किस तरह करना चाहिये और क्या अधिकार होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

ऐसे मौके पर आप कांग्रेस के लिये बहुत काम आते हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मैं सबके लिये काम आता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सबके लिये काम आते हैं कचेहरी में कि यहां भी।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मैं सब जगह सबके लिए काम आता हूं।

मान्यवर, बीच में थोड़ी टोका टोकी हो गयी। माननीय तिवारी जी ने यहां एक बात उठायी, इसी एक्ट में यह है कि "डेट दि स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स . . .

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, क्या अंग्रेजी वाला भी यहां प्रस्तुत है। अगर नहीं प्रस्तुत है तो अंग्रेजी का कैसे पढ़ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या अंग्रेजी में भी बिल मूल रूप में प्रस्तुत हुआ है ? अगर नहीं हुआ तो यह कैसे पढ़ रहे हैं ?

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, अंग्रेजी में बात कहकर, उसका तरजुमा उसकी रेन्डरिंग हिन्दी में करने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष–

बिल हिन्दी में है।

श्री लाल प्रताप सिंह–

तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था. . .

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, देखिये कितने सत्ता पक्ष के विधायक एक साथ लाबी से सदन में आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि यह कठघरे में बन्द किये गये थे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री इन्हें छुड़ाकर ला रहे हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं निवेदन कर रहा था कि इसी एक्ट में है सेक्शन 20 में, माननीय तिवारी जी का उस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। "डेट दि स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स टु कैरी आउट दि परपजेज आफ दिज एक्ट"। इसमें यह भी है कि कम्पनसेशन देने की विधि रूल्स द्वारा निर्धारित की जायेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय लाल प्रताप जी से मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिल साइलेन्ट है, रूल्स अभी कुछ है नहीं, कुछ कहें तो ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय लाल प्रताप जी इम्पलायड कंडीशन जोड़ दे रहे हैं। सेक्शन 20 में यह तो कहीं लिखा नहीं है कि मुआवजा दिया जायेगा।

श्री लाल प्रताप सिंह–

यह दोनों बातें अपनी जगह हैं। कम्पनसेशन नहीं दिया जायेगा, ऐसा तो सोचा ही नहीं जा सकता। मान्यवर, मैं तिवारी जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कोई

भी एटामिक इन्स्टालेशन लगेगा, तो उसका खतरा भी होगा। उसको एंटीसिपेट तो करना ही है। क्या कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं, इसके लिये विधेयक बनाने की आवश्यकता है। इसलिए इस तरह के विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी और बहुत ही उचित समय पर इस विधेयक को लाया गया है।

*श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी ने जो यहां पर उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (सामूहिक प्रतिष्ठान क्षेत्र) विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय जयदीप सिंह बरार का जो सुझाव है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाये, उसका समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि जो मेन मकसद है, वह हमारे 4.80 किलोमीटर तक उसको कवर करेंगे। मान्यवर, भोपाल गैस कांड का उदाहरण हमारे सामने है और जो वहां क्षति हुई थी, उस क्षति को पूरा करने के लिये यह विधेयक यहां पर लाये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वायु, जल प्रदूषण एक्ट, जो यहां पर वर्ष 1975 में लाया गया और मान्यवर, जब यह विधेयक यहां पर लाया गया तो आप देखें कि जल और वायु कितना प्रदूषित है। गंगा जैसी पवित्र नदी भी प्रदूषित हो गयी। मान्यवर, जो विधेयक यहां पर लाया जा रहा है, उसके माध्यम से सिर्फ किसानों की जमीन हड़पने की साजिश है। पहले जो विधेयक यहां पर लाया गया था, उसका तो यह लोग पालन नहीं कर सके और आज स्थिति यह है कि पूरी उत्तर प्रदेश की धरती प्रदूषित हो गयी। अगर आप विधेयक यहां पर ले आयें, और उसका अनुकरण न करें तो इस तरह काम नहीं चलने वाला है। केवल हां या न के आधार पर आप यहां कोई विधेयक पास करा लें और पब्लिक को कोई लाभ न हो और केवल शोषण की नीति अपनाई जाये, तो यह उचित नहीं है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी भी साइन्स के ज्ञाता हैं और मैं कहना चाहूंगा कि यह जरा अपने विवेक से काम लें और जो विधेयक इन्होंने पेश किया है, उसको वापस ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विरोध पर बल देता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि जब हम विधान सभा में बैठकर चर्चा करते हैं तो जैसा गांधी जी ने कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों के बारे में न सोचें, जो पहले से विकास का लाभ उठा रहे हैं बल्कि उनके बारे में सोचें जो अन्तिम व्यक्ति हैं जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो परेशानी की हालत में हैं। जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है। मान्यवर, जो समस्यायें पैदा होंगी, उनको मैं ही आपके सामने निवेदन कर चुका हूं और यह तो निश्चित है कि बहुमत के आधार पर सरकार को इसे पास करा लेना है चाहे हमारा संशोधन रखा जाय या नहीं रखा जाय, परन्तु यदि जनता की भावनाओं को आप हमें यहां पर व्यक्त नहीं करने देंगे तो फिर इस संशोधन से क्या लाभ होगा ? जो बातें यहां आईं, जो शंकायें यहां पर आईं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर माननीय मंत्री जी बाहर आकर हमसे इस संबंध में बात करें तो वह भी हमारी शंकाओं से सहमत होंगे। यहां पर तो केवल प्रेस्टिज की बात है कि हमने विधेयक रखा है, इसलिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसे पास होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह जनहित में लाया गया है रेडियो धर्मिता से लोगों की जान को बचाने के लिए इसे लाया गया है।

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अगर आप इस न्यूक्लियर प्रतिष्ठान को एक हजार करोड़ रुपए खर्च करके बनाने जा रहे हो, तो वहीं पर माननीय मंत्री जी को यह भी घोषणा करनी चाहिए थी कि जो 4.8 किलोमीटर के क्षेत्र में जो मकान आयेंगे, उसमें सरकार स्वयं खर्च करके ऐसे मकानों के डिजाईन बनायेगी जिससे रेडियों धार्मिता से उनका प्रोटेक्शन हो सके और आगे जहां भी इस प्रकार के संयंत्र लगाये जायेंगे तो वहां पर इसकी सुविधा दी जायेगी, इसमें जनता आपकी ही सहयोग देगी।

दूसरा यह कि इस रेडियो धर्मिता से अगर कहीं प्रभाव पड़ता है तो लोगों को निश्चित दर से प्रतिकर दिया जायेगा। यदि इसे माननीय मंत्री जी इसमें जोड़ देते तो हम इसका स्वागत करते। मान्यवर, जब मैं श्री लाल प्रताप सिंह जी का भाषण सुन रहा था तो वह आउटर स्पेस में चले गये, जब वह वहां से लौटकर आये तो उन्होंने सेक्शन-20 का हवाला दिया और कहा कि उसमें कम्पनसेशन प्रोवाइड किया गया है। अब मान्यवर, आप स्वयं ही सेक्शन-20 को देख लो। उसमे कम्पनशेसन का प्राविधान नहीं किया गया है। हम कोई संयंत्र को लगाने पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यदि हमारी बातों को जोड़ लिया जाय तो आगे इस प्रकार के संयंत्रों को स्थापित करने में इन्हीं को सहयोग मिलगा। अगर एक मजदूर छप्पर डालेगा तो उसे 5 हजार का जुर्माना होगा और यदि वही पर कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी कोई अनाधिकार काम करे तो उसे भी 5 हजार रुपए का जुर्माना होगा। यहां पर भी ये उसे बेनिफिट आफ डाउट दे रहे हैं। उसे यह साबित करना पड़ेगा कि उसको इसकी जानकारी नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि करोड़ पति को भी 5 हजार रुपये का जुर्माना और साधारण आदमी को भी 5 हजार रुपए का जुर्माना रखा गया है। इसलिए मैं इस विधेयक को किसी भी हालत में जनहित में मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि वह इस विधेयक का पुनः परीक्षण जनता की दृष्टि से कर लें, जो न्यूक्लियर फिजिसस्ट हैं, केवल उनकी राय न मानें, जनता की राय भी आप देखें। वास्तव में अगर चेरनोबिल व भोपाल का जो आपने हवाला दिया है, वहां पर 60 किलोमीटर व 100 किलोमीटर तक की दूरी में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो किस तरह से उसे इवैक्युएट किया जाता है, यदि इसे भी आप जोड़ दें तो हम इसका समर्थन करेंगे। इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2 चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आज इस विधेयक को यहां पर पास किया जाता है तो गरीब आदमी के प्रति कितनी बड़ी विसंगति हो जायेगी। जैसा कि श्री बरार जी ने कहा कि गरीब आदमी को भी 5 हजार रुपए का जुर्माना होगा और कम्पनी को भी 5 हजार रुपए जुर्माना होगा। मान्यवर, यही नहीं यदि कोई आदमी तम्बू वहां पर गाढ़ लेता है तो उसे इन्होंने भवन की संज्ञा दे दी है, अगर यदि वह वर्षा के कारण नष्ट हो जाता है और वह वहां से उठाकर ले जाना चाहता है तो उसे 5 हजार रुपए देने पड़ेंगे। अगर कोई ठेला गाड़ी वहां पर खड़ी होकर बच्चों को ले जाना चाहती है तो उसके लिए भी इसे परमीशन लेनी होगी। क्या स्थिति पैदा हुई है। ऐसा लगता है कि भांग खाकर

ड्राफ्टिंग की गयी है । लाल प्रताप सिंह जी हमेशा खड़े होते हैं लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आती है। अंग्रेजी वाले विधेयक की कापी में क्या लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं है । एक शब्द है "डेलीगेटेड लेजिस्लेशन" यानी उसी का विधायन होगा, जो शक्तियां डेलीगेट की जायेंगी। जब उसमें मुआवजा शब्द कहीं नहीं है, तो मुआवजा कहां से देंगे?

धारा-19 की बात की है, धारा 19 में लिखा है कि, "इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम, विधि, रूढ़ प्रथा या संविदा में दी गयी किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।" मुझे खुशी होती अगर लाल प्रताप सिंह जी कहते कि धारा 17 में जो सिविल और अन्य न्यायालयों को बार कर दिया है, जनता न्यायालय के दरवाजे पर भी नहीं जा सकती, अगर उसका विरोध करते तो बात समझ में आती । यही साजिश है सरकार की कि न्यायालय के दरवाजे बन्द हो जायं । ऐसा जनहित विरोधी विधेयक है, इसलिए किसी कीमत पर इसका समर्थन करने का सवाल नहीं पैदा होता है । कोई प्रलय नहीं होने जा रही है कि इतनी जल्दी हो । मेरा सुझाव है कि इसको प्रवर समिति में भेज दें । एक तरह से अपरोक्ष रूप से श्री लाल प्रताप सिंह ने इसका समर्थन किया है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय क्योंकि मेरा कहना है कि मुआवजे का प्राविधान नहीं है, उनका कहना है कि है । इसलिये प्रवर समिति में यह बात तय हो जायगी । इसके साथ ही मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री लाल प्रताप सिंह–

एक स्पष्टीकरण दे दूं! कोई प्रॉपर्टी जब आपकी एक्वायर होगी, तो कम्पन्सेशन मिलेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर मंत्री जी कह दें तो मैं मान लूंगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस विधेयक के बारे में कहना चाहूंगा कि बड़ा स्पष्ट विधेयक है। आज मुझे एक बात याद आ रही है, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी कह रहे थे कि लाल प्रताप सिंह जी सरकारी गवाह हैं इसीलिये हर विषय पर बल देते हैं। मैंने वकालत में देखा था कि कुछ सरकारी गवाह होते हैं कुछ सफाई पक्ष के गवाह होते हैं अदालत में। यहां मैंने देखा कि विपक्ष की तरफ से सफाई पक्ष के गवाह की भूमिका श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, माता प्रसाद पाण्डेय जी और जयदीप सिंह बरार जी बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। कहा जाता है कि शक की बीमारी का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था । मैं इनके शक का इलाज कैसे कर सकता हूं ?

कभी भी सरकार, जमीन जिसका हवाला उन्होंने दिया है, जब उसे अधिगृहीत करती है तो निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाता है। 1.6 कि0मी0 के अन्दर जो जमीन अधिगृहीत की जा रही है, उसका मुआवजा दिया जा रहा है। माननीय राजेन्द्र गुप्त जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि मुआवजे की बात कह देंगे तो वापस ले लूंगा। पहले स्पष्ट कर दें कि वापस ले रहे हैं या नहीं फिर मैं आगे बढ़ूं?

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया)

जैसी साफ नियत से इसको लेकर आये हैं वैसे ही हमारा इरादा भी नेक है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि कैसे हम रक्षा करें, यदि ऐसी स्थिति आ जाय कि कोई दुर्घटना हो जाय तो इसके लिये हमने 1.6 कि0मी0 का क्षेत्र प्रतिबन्धित किया है क्योंकि इतने ही क्षेत्र में दुर्घटना की सम्भावना अधिक रहती है और इसके बाद दुर्घटना की सम्भावना कम रहती है, उसी को इससे दूर किया जा रहा है। मान लीजिये कि 1.6 कि0मी0 के क्षेत्र के अन्दर कोई फसल खड़ी है और उसमें रेडियो धर्मिता की किरणें प्रवेश कर जाती हैं और उससे पूरी फसल प्रभावित हो जाती है और यदि किसी ने उसको खा लिया तो उसका तो बहुत नुकसान हो जायेगा। जो लोग जन कल्याणकारी बातें करते हैं उनको तो यह बात समझ में आनी चाहिये थी, पता नहीं वो लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं ? इसके विपणन से हजारों और लाखों मरेंगे. इसलिए हमने वहां उतने क्षेत्र में फसल उगाने के लिए इसको प्रतिबन्धित किया है।

दूसरी बात प्राधिकरण के बारे में कही गयी तो प्राधिकरण बने रहे हैं कि शहरों में आबादी ऊल जलूल तरीके से न बढ़े। एक मास्टर प्लान के द्वारा यह हो। इसलिये यह प्राधिकरण बने हुए हैं। विकास प्राधिकरण के द्वारा आपकी बातें सुनी जाती हैं, नक्शा पास करा कर मकान बनाये जाते हैं। हमने कहा कि मकान बनाते समय थोड़ी जगह रास्ते के रूप में छोड़ दी जाय तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया ? मान लीजिये कि यदि कभी उसी मकान में कोई दुर्घटना हो जाती है तो यदि रास्ता छोड़ दिया जायेगा तो लोगों के निकलने के लिए रास्ता अगर छूटा है तो इसमें आप हमारी मंशा पर शक कर रहे हैं।

अभी माननीय जयदीप सिंह बरार ने कहा कि इसमें राय ले लें। मैं पूछता हूं कि इसमें किसी की राय ले लें ? यहां जो लोग बैठे हुए हैं, वे विद्वान हो सकते हैं लेकिन नाभिकीय प्रतिष्ठान क्षेत्र के ज्ञाता नहीं हैं। इसमें आटोमिक वैज्ञानिक ही राय दे सकते हैं, जिस तरह से मद्रास राज्य में पहले से परमाणु ऊर्जा चल रही है और वहां भी 1.6 कि0 मी0 क्षेत्र को प्रतिबन्धित किया गया है, वही हम कर रहे हैं। इसमें हमारी राय से ज्यादा वैज्ञानिकों की राय महत्वपूर्ण है।

हां, यदि हमारे यहां कोई भवन बन रहा हो तो हम कह सकते हैं कि इसमें निश्चित रूप से राय ले ली जाय। लेकिन जिन्होंने इसकी प्रगति के लिये अपना जीवन ही अर्पण कर रखा है, हम उनकी ही राय मान रहे हैं। ऐसा करके हम किसी के अधिकार को छीन नहीं रहे हैं बल्कि इसको ऐसा करके नियमित कर रहे हैं कि यदि कहीं पर विसंक्रमित हो जाय तो कम से कम लोगों को खतरा हो। इसमें हम कौन सी गलत बात कर रहे हैं ?

इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि किसी गलत कदम के उठ जाने पर उस पर हम अपील कर सकते हैं कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट के यहां इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेगा। जबकि माननीय सदस्यगण राय दे रहे हैं कि इसमें हमारे विधायक और सांसद जाकर राय दें।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना

चाहता हूं कि क्या यह नीतिगत घोषणा कर रहे हैं कि जिनकी अध्यक्षता कलेक्टर करेगा इसमें संसद सदस्य और विधायक सदस्य नहीं होंगे । क्या नीति विषयक घोषणा है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विधायकों और सांसदों को कमेटी में न रखा जाय बल्कि उसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेगा, यह कितनी गलत बात है । क्या जिलों पर डी0 आर0 डी0 ए0 की जो प्रशासनिक बैठकें हुई हैं उसमें भी माननीय मंत्री जी यही राय दे रहे हैं? मैं यह जानना चाहता हूं। उसमें भी माननीय मंत्री जी की यही राय है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस समय आटोमिक युग की बात चल रही है और कहां से कहां चले गये । फिर प्रश्न यह उठता है कि हमने यह नहीं कहा है कि यह जो 4 गैर सरकारी प्रतिनिधि होंगे, जैसी आवश्यकता होगी वैसा करेंगे, हमने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है और दूसरी चीज है कि हमारा नियंत्रण होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

तिवारी जी की हर बात दूसरी होती है । कभी तीसरी आती ही नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं इनकी दूसरी बात कह रहा हूं । मान्यवर, हम यहां पर बैठे हैं, अगर लोक तंत्र में आस्था है, मान लीजिए कोई कानून में खामी रह जाती है तो उसको दूर कर लेंगे । क्या आपने तय कर लिया है कि इस विधान सभा के बाद कोई विधान सभा नहीं आयेगी? तो मेरा निवेदन है कि आप इसको पास करें जिससे जल्दी से जल्दी वहां पर कार्य प्रारम्भ हो जाये और हम इसको 1988 में परिचालित कर देना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने 1988 का लक्ष्य बना रखा है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के लिये यह पहला है, लेकिन प्रदेश के अन्य प्रान्तों में यह पहले से है और जो नीति वहां पर अपनाई गयी है, वही नीति हम भी अपना रहे हैं । मैं चाहूंगा कि इसमें वैज्ञानिकों ने जो राय दी है, उसको मानते हुये, आप इसको स्वीकार करें और जो जमीन ली जायेगी उसका मुआवजा दिया जायेगा, इसलिए इसके विरोध करने की कोई गुन्जाइश नहीं है और जो लोग विरोध कर रहे हैं, वह जो आटोमिक के माध्यम से प्रगति कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मंत्री जी यह नहीं कह सकते हैं, यह आरोप है । जो इसमें कतिपय धारायें हैं, उनका विरोध किया गया है वह आटोमिक पावर का विरोध बताते हैं, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

आरोप होगा तो निकलवा दिया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

हम लोगों ने तो अपने स्वागत भाषण में कहा था, इसके बारे में और इसका स्वागत किया था, लेकिन जो आरोप यह लगा रहे हैं, इसको निकलवा दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं । जो लोग देरी उत्पन्न करना चाहते हैं, उससे प्रदेश के विकास में बाधा आयेगी । एक बात और कही गयी कि कम्पनी से भी 5 हजार रुपया जुर्माना लिया जायेगा और एक गरीब आदमी से भी 5 हजार का जुर्माना लिया जायेगा, तो जब कोई इसके प्रतिबन्धों को तोड़ेगा तो जुर्माना होगा । अगर बड़ा आदमी 302 में फंस जाता है तो क्या उसके लिये दूसरी सजा होगी और गरीब आदमी फंस जाता है तो उसके लिये दूसरी सजा होगी? गलत काम अगर कोई करेगा तो निश्चित रूप से दण्ड दिया जायेगा । अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय राजेन्द्र गुप्त जी पर तो विश्वास है कि वे अपनी बात पर अड़े रहेंगे क्योंकि वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका आदर करता हूं, वे अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे लेकिन माननीय सदस्य (बरार साहब की ओर इशारा करते हुये) की बात पर विश्वास नहीं है क्योंकि वे आये हमारे साथ थे और वहां चले गये हैं . . . (व्यवधान)। उनकी बात पर एतबार नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

जनता हम पर एतबार करती है। उनको यह कहने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि वे फिर जनता के पास चुनाव के लिये जाने की हिम्मत नहीं रखते ।

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब, आप इसे वापस ले रहे हैं?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह अगर इस बात का प्राविधान कर दें कि बिसंक्रमित क्षेत्र जो है उसमें अगर सरकारी खर्चे पर मकान बनवा देंगे जिससे वहां के लोग खतरे और परेशानी से बच सकें, तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या आप 4.8 कि0 मी0 के अन्तर्गत भी मुआवजा देंगे? आपने कहा कि 1.6 के अन्दर मुआवजा देंगे । आपने प्राविधान नहीं रखा है कि 4.8 कि0 मी0 के अन्दर भी मुआवजा देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य हैं । उनसे कहना चाहता हूं कि 1.6 और 4.8 के बीच में न अधिग्रहीत कर रहे हैं न ले रहे हैं । जब ले नहीं रहे हैं, एक्वायर नहीं कर रहे हैं तो कम्पेन्शेसन का प्रश्न नहीं उठता । माननीय बरार साहब ने कहा कि 1.6 कि0मी0 के अन्दर आप मकान बनवा दें। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम नये मकान बनवाने के लिये नहीं कह रहे हैं । जिस तरह से मकान बने हैं वह बने रहें, भविष्य में किस तरह से बनें उसके लिए नियंत्रण सुझाया गया है । अगर कभी कोई दुर्घटना हो तो लोगों का नुकसान हो जाय, वे यही चाहते हैं । हम चाहते हैं कि लोगों का नुकसान न होने पाये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी, आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 को राय जानने के लिये 15 सितम्बर, 1988 तक परिचालित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(1) "भवन" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:–

(क) गृह, बहिर्गृह, अस्तबल, पशुशाला, पशुघर, शौचालय, गोदाम, सायवान, झोपड़ी, दीवाल, छतदार आहाता और कोई ऐसी अन्य संरचना, चाहे वह पूर्णतः या अंशतः पक्की चिनाई, ईंट, गारा, लकड़ी, धातु या किसी अन्य पदार्थ से बनी हो,

(ख) पहियों पर या बिना आधार के भूमि पर स्थित संरचना, और

(ग) मानव निवास के लिए प्रयुक्त या कोई वस्तु या माल रखने या संग्रह करने के लिये प्रयुक्त कोई तम्बू, बंदगाड़ी और कोई अन्य संरचना,

(2) किसी व्यक्ति को–

(एक) भवन का परिनिर्माण करता हुआ समझा जायगा यदि वह किसी भवन का निर्माण प्रथम बार करता है या किसी वर्तमान को गिराने के पश्चात् उसका पुनः निर्माण करता है,

(दो) किसी भवन का पुनः परिनिर्माण करता हुआ समझा जायगा यदि वह–

(क) किसी भवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या परिवर्द्धन करता है; या

(ख) किसी ऐसे भवन को निवास स्थान में संपरिवर्तित करता है जिसका प्रारम्भ में निर्माण उक्त प्रयोजन के लिये न किया गया हो; या

(ग) किसी ऐसे भवन को दो या अधिक निवास स्थानों में संपरिवर्तित करता है जिसका प्रारम्भ में निर्माण एकल निवास स्थान के रूप में किया गया हो; या

(घ) दो या अधिक निवास स्थानों को और अधिक ऐसे स्थानों में संपरिवर्तित करता है; या

(ङ) किसी भवन को जो प्रारम्भ में निवास स्थान के रूप में निर्मित हो, किसी कारखाने, कर्मशाला या गोदाम या अस्तबल, पशुशाला या पशुघर में संपरिवर्तित करता है; या

(च) कोई ऐसा परिवर्तन है जिसके किसी भवन के स्थायित्व या सुरक्षा पर या उसके जल-निकास, सफाई या स्वच्छता के संबंध में भवन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(छ) किसी भवन में कोई ऐसा परिवर्तन करता है जिस से उसकी ऊंचाई या आच्छादित क्षेत्र या उसकी धन क्षमता बढ़ या घट जाय या जिससे उसके किसी कमरे की धन क्षमता कम हो जाय;

(3) "अपवर्जन क्षेत्र" का तात्पर्य किसी नाभिकीय प्रतिष्ठापन के संबंध में, ऐसे नाभिकीय प्रतिष्ठापन की सीमा के किसी भाग से 1.6 किलोमीटर के भीतर ऐसे क्षेत्र से है जैसा राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे

(4) "नाभिकीय प्रतिष्ठापन" का तात्पर्य जिला बुलन्दशहर में नरोरा में परमाणु ऊर्जा केन्द्र से है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य स्थान, जहां पर नरोरा में नाभिकीय ऊर्जा में शोध और विकास से संबंधित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य परमाणु ऊर्जा केन्द्र भी है;

(5) "नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र" का तात्पर्य किसी नाभिकीय प्रतिष्ठापन के संबंध में अपवर्जन क्षेत्र और ऐसे नाभिकीय प्रतिष्ठापन के संबंध में विसंक्रमित क्षेत्र से है;

(6) "नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण से है;

(7) "विसंक्रमित क्षेत्र" का तात्पर्य नाभिकीय प्रतिष्ठापन के संबंध में ऐसे नाभिकीय प्रतिष्ठापन की सीमा के किसी भाग से 4.8 किलोमीटर के भीतर के ऐसे क्षेत्र से है, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे किन्तु इसके अन्तर्गत अपवर्जन क्षेत्र नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक के खण्ड 2 के (1) (क) खण्ड 2 के उपखण्ड के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"यदि किसी प्रकार से इसका प्रयोग मनुष्य द्वारा न हो रहा हो ।"

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी, आप इसे मानते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि (1) (क) खण्ड 2 के उपखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"यदि किसी प्रकार से इसका प्रयोग मनुष्य द्वारा न हो रहा हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण का गठन

3–(1) प्रत्येक नाभिकीय प्रतिष्ठापन के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र में भवनों के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण के और भूमि के उपयोग के नियंत्रण के के लिये एक नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण का गठन करेगी ।

(2) प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :–

(क) उस जिले का कलक्टर जिसमें नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थित हो– सदस्य–अध्यक्ष

(ख) नाभिकीय प्रतिष्ठापन का मुख्य
कार्यपालक अधिकारी सदस्य–सचिव

(ग) मुख्य परिक्षेत्रीय अभियन्ता, उत्तर प्रदेश परिषद्
सदस्य

(घ) चार सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

खण्ड 3

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, हमारा प्रस्ताव है कि खण्ड 3 के उपखण्ड 2 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"(ङ) उस क्षेत्र का विधायक एवं सांसद सदस्य"

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 4 आदमियों का नामिनेशन करेंगे। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि उसमें विधायक न हो पाये? जो मंत्री जी जुबान से कह रहे हैं उसे हम लिख कर करने को कर रहे हैं । उन्हें हमारी इस बात को मान लेना चाहिए बजाय इसके कि बाद में नामिनेट करें इसमें यह कर दें तो अभी से व्यवस्था हो जायेगी और इस अधिनियम के बनते ही उस क्षेत्र का विधायक और सांसद इस प्राधिकरण का स्वयमेव सदस्य हो जायेगा । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि जिस बात को वह बाद के विवेक के लिए छोड़ रहे हैं उसे कानून में जोड़ दें तो उससे कम से कम वहां का विधायक जो वहां का दुख दर्द जानता है प्राधिकरण में बैठेगा । तो यह जनहित ही की बात है । इसलिये आप मंत्री जी से कहें कि इसे वह स्वीकार करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जन विरोधी कदम मंत्री जी का है । प्राधिकरण में जन प्रतिनिधियों को जाने से रोक रहे हैं। अगर उसमें जनप्रतिनिधि जायेंगे तो उससे वहां का विकास ही होगा । चूंकि इसे वह नहीं मान रहे हैं । इनके इस जन विरोधी कदम के खिलाफ हम लोग सदन का त्याग करते हैं।

(श्री मैनेजर सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 के उपखण्ड 2 के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय ।

(ङ) उस क्षेत्र का विधायक एवं सांसद . . . सदस्य"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

इस खण्ड को पास करने से पहले यह तो लिखवा दें कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 4, 5 व 6

कतिपय अधिनियमों से छूट

4–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में तत्समय प्रवृत्त और सार्वजनिक स्वास्थ्य या स्वायत्त शासन से संबंधित किसी अधिनियमिति के उपबन्ध नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे या उस पर केवल ऐसी सीमा तक और ऐसे उपान्तरों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायं, लागू होंगे ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियां उपान्तरों या निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए लागू की जायें तो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण या उसके अध्यक्ष या सचिव को विशेषतः इस प्रकार लागू अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी नगर महापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया या जिला परिषद् या उसके अध्यक्ष या प्रेसीडेन्ट को या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को समनुदेशित किसी कर्त्तव्य के पालन या किसी शक्ति के प्रयोग का प्राधिकार ऐसे नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जैसा ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, दिया जा सकता है ।

कतिपय प्रयोजनों के सिवाय अपवर्जन क्षेत्र में भूमि आदि के प्रयोग का प्रतिषेध

5–राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति अपवर्जन क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए जिसके अंतर्गत कृषि प्रयोजन भी है, किसी भूमि का न प्रयोग करेगा, न करायेगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि में या उसके ऊपर या नीचे कोई कृषि, निर्माण, अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया करेगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के प्रयोग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करेगा :

परन्तु कोई स्थानीय प्राधिकारी नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना अपवर्जन क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिये जिसके अंतर्गत कृषि प्रयोजन भी है, किसी भूमि का न तो प्रयोग करेगा न करायेगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि में या उसके ऊपर या नीचे कोई कृषि, निर्माण, अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया करेगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के प्रयोग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करेगा :

परन्तु यह और कि किसी ऐसे भवन या भूमि का उस प्रयोजन के लिए और उस सीमा तक प्रयोग जिसके लिये और जहां तक उसका प्रयोग उस दिनांक को जब ऐसा क्षेत्र धारा 2 के खण्ड (3) के अधीन अपवर्जन क्षेत्र अधिसूचित किया जाय, किया जा रहा हो, नाभिकीय

प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर, जो विहित की जायं, जारी रखने की अनुज्ञा दी जा सकती है ।

बिना अनुज्ञा के भवन आदि के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण का प्रतिषेध

6—राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से भिन्न कोई व्यक्ति विसंक्रमित क्षेत्र के भीतर नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना और ऐसी अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों के सिवाय—

(क) किसी भूमि पर भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण नहीं करेगा; या

(ख) किसी कृषि भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा; या

(ग) किसी भूमि पर कोई अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया नहीं करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 6 तक इस विधेयक के अंग माने जायं,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 7

अनुज्ञा के लिये आवेदन-पत्र

7—(1) धारा 6 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा, उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे और उसके साथ ऐसा नक्शा होगा और ऐसी फीस होगी जैसी विहित की जाय ।

(2) आवेदक नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी कोई अग्रतर सूचना या नक्शा भी, जिसकी वह अपेक्षा करे, ऐसे समय के भीतर जैसा उसके द्वारा नियत किया जाय, देगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इसमें विरोध हम इसलिए अंकित कर रहे हैं कि इसमें (1) धारा 6 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र ऐसे पत्र में देने का प्राविधान किया गया है जिसमें ब्यौरा होगा और उसके साथ ऐसा नक्शा होगा और ऐसी फीस होगी जैसा कि विहित की जाय । तो उसके जब नियम बनेंगे क्या फीस होगी किस तरह उसका नक्शा होगा वह नहीं दिया है? फीस कितनी होगी एक रुपया होगी या चार रुपया होगी या एक हजार रुपया होगी इसका प्राविधान इसमें नहीं किया गया है। इन बातों का प्राविधान इसमें होना चाहिए था । सारी जमीन का नक्शा वह देगा उसमें यह परिवर्तन भी कर सकते हैं । तो इस प्रकार लोगों को कठिनाई इससे आयेगी । इसलिये हम इसका विरोध कर रहे हैं ।

खण्ड 7 (2) में दिया है कि आवेदक नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी कोई अग्रेतर सूचना या नक्शा भी, जिसकी वह अपेक्षा करें, ऐसे समय के भीतर जैसा उसके द्वारा नियत किया जाय देगा लिखा है । अगर कोई अपना नक्शा भी बना

कर देता है तो उससे कहेंगे कि इस प्रकार का नक्शा होना चाहिए और यह अपना नक्शा उस पर थोप देंगे। इससे लोगों को परेशानी ही होगी।

इसलिये हम इस खण्ड 7 का पूर्णरूप से विरोध कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 को इस विधेयक का अंग माना जाय,

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 को इस विधेयक का अंग माना जाय।

खण्ड 8 से 20 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

8–(1) धारा 7 के अधीन कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझे अनुज्ञा दे सकता है या अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकता है; अनुज्ञा देना

परन्तु अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायगा जब तक कि आवेदक को अपना अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया जाय।

(2) विशेषत: और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण किसी भवन के परिनिर्माण या पुन: परिनिर्माण के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देने में, निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के संबंध में शर्तें आरोपित कर सकता है, अर्थात् :–

(क) भवन के सामने अबाध पथ या रास्ता छोड़ना;

(ख) वायु के अबाध परिसंचारण और अग्नि की रोकथाम और सफाई करने की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए भवन के आसपास खुली जगह छोड़ना;

(ग) भवन का संवातन, कमरों का न्यूनतम घनक्षेत्र और मंजिलों की संख्या और ऊंचाई जो भवन में होगी;

(घ) नालियों, शौचालयों, मूत्रालयों और नलकूप या कूड़ा-करकट या गलीज के लिए अन्य पात्रों की व्यवस्था और स्थिति;

(ङ) नींव की सतह और चौड़ाई निम्नतम फर्श की सतह और संरचना की स्थिरता

(च) यदि भवन किसी सड़क से संसक्त हो तो पड़ोस के भवनों के साथ अग्रभाव की रेखा;

(छ) आग लगने की स्थिति में भवन से बाहर निकलने के साधन;

(ज) बाहरी और विभाजक दीवारों, कमरों, फर्शों,

भट्ठी और चिमनियों के निर्माण के लिये प्रायोग की जाने वाली सामग्री और उनके निर्माण की रीति;

(झ) उच्चतम मंजिल जिसमें मानव को निवास करना हो या जिस पर भोजन बनाया जाय, की छत की ऊंचाई और ढलान;

(ञ) कोई अन्य विषय जिस से भवन के संवातन और स्वच्छता पर प्रभाव पड़ता हो ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने में, नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् –

(क) भवन के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण की सम्भावना, कृषि से भिन्न प्रयोजन जिसके लिये भूमि का प्रयोग किया जाना हो या कोई अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया किये जाने की सम्भावना;

(एक) जिससे नाभिकीय प्रतिष्ठापन के पर्यावरण में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो और जिसके परिणाम स्वरूप वायुमण्डल में रेडियो धर्मिता का आकस्मिक मोचन हो; या

(दो) जिसके परिणाम स्वरूप नाभिकीय प्रतिष्ठापन के चारों ओर जनसंख्या में पारिणामिक वृद्धि हो; और

(ख) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जांय ।

(4) किसी भवन के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण के लिये उपधारा (1) के अधीन दी गयी अनुज्ञा में वह प्रयोजन विनिर्दिष्ट होगा जिसके लिये भवन का प्रयोग किया जाना हो ।

अनुज्ञा को रद्द या निलम्बित करने की शक्ति

9–(1) नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण धारा 8 के अधीन दी गई अनुज्ञा को किसी भी समय रद्द या निलम्बित कर सकता है, यदि––

(क) ऐसी अनुज्ञा कपट, दुर्व्यपदेशन या सारवान विशिष्टियों को छिपाकर प्राप्त की गई हो; या

(ख) अनुज्ञा-पत्र धारी ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों या ऐसे किन्हीं निबन्धनों या शर्तों का जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञा दी गयी थी, उल्लंघन किया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रद्द या निलम्बित करने के पूर्व, नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण अनुज्ञा पत्र धारी को अपना अभ्यावेदन करने का अवसर देगा ।

अनुज्ञा का व्यपगत होना

10—धारा 8 के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा उस दिनांक से, जब वह दी जाय, एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और यदि भवन का परिनिर्माण या पुन: परिनिर्माण या कृषि भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये प्रयोग या अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया जिसके लिए अनुज्ञा दी जाय, उक्त अवधि के भीतर प्रारम्भ न की जाय तो यह उसके पश्चात् तब तक प्रारम्भ नहीं की जायेगी जब तक कि नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण उक्त प्रयोजन के लिये दिए गये आवेदन-पत्र पर अवधि न बढ़ा दे।

शक्तियां

11—(1) जो कोई धारा 5 के उपबन्धनों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई विसंक्रमित क्षेत्र के भीतर, —

(क) बिना अनुज्ञा के, या

(ख) ऐसे किन्हीं निबन्धनों या शर्तों का जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञा दी गयी हो, अनुपालन किये बिना, या

(ग) अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिये जाने पर, या

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अनुज्ञा की विधिमान्यता समाप्त हो जाने के पश्चात् भवन का परिनिर्माण या पुन: परिनिर्माण आरम्भ करता है, जारी रखता है या पूरा करता है या किसी कृषि भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये करता है या कोई अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया करता है,

वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई विसंक्रमित क्षेत्र के भीतर—

(क) अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के परिनिर्मित या पुन: परिनिर्मित किसी भवन का प्रयोग करता है,

(ख) किसी कृषि भूमि का प्रयोग, उस प्रयोजन से जिसके लिए भूमि के प्रयोग की अनुज्ञा दी गयी थी, कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए करता है,

वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा उस अपराध प्रथम बार किये जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहे, एक सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

12–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा है और उसके कार्य संचालन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी रहा है और कम्पनी को उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए भी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, वहां कम्पनी के ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण :–इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) ''निदेशक'' का तात्पर्य, —

(एक) किसी फर्म के सम्बन्ध में, उस फर्म के भागीदार से है,

(दो) किसी सोसाइटी या व्यक्तियों के अन्य समुदाय के सम्बन्ध में, ऐसे व्यक्ति से है जिसे सोसाइटी या अन्य समुदाय के नियमों के अधीन, यथास्थिति, सोसाइटी या अन्य समुदाय का कार्य प्रबन्ध, सौंपा जाय ।

कार्य रोकने की शक्ति

13–(1) नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण किसी समय लिखित नोटिस द्वारा नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र में किसी भूमि के स्वामी, पट्टेदार या अध्यासी को—

(क) किसी प्रयोजन के लिये किसी भवन या भूमि के प्रयोग को रोकने, या

(ख) ऐसी भूमि पर किसी भवन के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण को रोकने, या

(ग) किसी भवन या उसके किसी भाग में ऐसे समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, परिवर्तन करने या उसे गिराने, या

(घ) कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किसी कृषि भूमि के प्रयोग को रोकने; या

(ङ) निर्माण, अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया को रोकने का निदेश दे सकता है यदि ऐसे प्राधिकरण की राय में भवन या भूमि का प्रयोग, भवन या उसके भाग का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण या कृषि से भिन्न प्रयोजन के के लिये किसी कृषि भूमि का प्रयोग या निर्माण, अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों या ऐसे निबन्धनों और शर्तों का जिनके अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा दी जाय, उल्लंघन करके किया गया है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न किया जाय तो नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण अपने खर्चे पर ऐसे निदेश को कार्यान्वित कर सकता है और उसकी धनराशि को व्यतिक्रमी से वसूल करा सकता है मानो वह भू-राजस्व का कोई बकाया हो।

14-(1) कोई व्यक्ति जो— अपील

(क) इस अधिनियम के अधीन नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण के किसी आदेश या विनिश्चय, या

(ख) धारा 13 के अधीन जारी किये गये किसी निदेश से व्यथित हो, आयुक्त को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, अपील कर सकता है :

परन्तु आयुक्त, स्वविवेक से, ऐसी किसी अपील को दाखिल करने के लिए एक मास से अनधिक का अतिरिक्त समय दे सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी के पास अपील समय से प्रस्तुत न कर सकने का पर्याप्त कारण था।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील प्राप्त होने पर, आयुक्त अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निस्तारण यथा संभव शीघ्र करेगा।

(3) आयुक्त उस आदेश या विनिश्चय या निदेश के जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, प्रवर्तन को अपील का निस्तारण होने तक स्थगित कर सकता है।

पुनरीक्षण

15–(1) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से, या इस निमित्त आवेदन किये जाने पर, ऐसी कार्यवाही की नियमितता या दिये गये किसी आदेश या विनिश्चय या जारी किये गये निदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे।

परन्तु जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपील की जा सकती है और कोई अपील न की जाय, वहां पुनरीक्षण के रूप में कोई आवेदन-पत्र उस व्यक्ति के अनुरोध पर, जो अपील कर सकता था, ग्रहण नहीं किया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के प्रतिकूल कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उसे अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

(3) राज्य सरकार किसी ऐसे आदेश, विनिश्चय या निदेश के प्रवर्तन को उसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग किये जाने तक स्थगित कर सकती है।

(4) इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये राज्य सरकार को प्रत्येक आवेदन-पत्र उस दिनांक से, जब ऐसा आदेश विनिश्चय या निदेश जिसके सम्बन्ध में आवेदन पत्र है, आवेदक को संसूचित किया गया था, दो मास के भीतर दिया जायगा :

परन्तु राज्य सरकार, स्वविवेक से, ऐसे किसी आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने के लिये एक मास से अनधिक का अतिरिक्त समय दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाय कि आवेदक के पास समय से आवेदन-पत्र प्रस्तुत न कर सकने का पर्याप्त कारण था।

(5) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को किसी प्राधिकारी या अधिकारी को, जो राज्य सरकार के विशेष सचिव के पद से निम्न श्रेणी का न हो, प्रत्यायोजित कर सकती।

प्रतिकर पर रोक

16–किसी व्यक्ति को—

(क) नाभिकीय वसिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञा देने से इन्कार करने, या

(ख) किसी ऐसी शर्त, जिसके अधीन रहते हुए, कोई ऐसी अनुज्ञा दी जाय, या

(ग) धारा 13 के अधीन जारी किये गये किसी निदेश, या

(घ) धारा 14 के अधीन आयुक्त द्वारा या धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश, या

(ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन,

के परिणामस्वरूप हुई किसी क्षति या हानि के लिये उस व्यक्ति द्वारा प्रतिकर का कोई दावा नहीं किया जायगा ।

सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन प्रश्नों का विनिश्चय करेंगे

17–किसी सिविल न्यायालय को, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने या उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में उल्लिखित किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विनिश्चय या कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो ।

अधिनियम संख्या 47 सन् 1963

इस अधिनियम के अधीन दिये गये आदेशों का अन्तिम होना

18–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अवधारित किये जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश या लिया गया विनिश्चय, इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित अपील या पुनरीक्षण के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा ।

(2) किसी ऐसे आदेश या विनिश्चय पर किसी विधि न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी ।

अधिनियम अन्य विधियों अधिभावी होना

19–(1) इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम, विधि, रूढ़, प्रथा या संविदा में दी गयी किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

(2) उपधारा (1) में यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे ।

नियम बनाने की शक्ति

20–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषत: और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) विहित किये जाने के लिए इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुमत समस्त विषय ;

(ख) नाभिकीय प्रतिष्ठान स्थानीय प्राधिकरण के कार्य संचालन के लिये नियम ;

(ग) अनुज्ञा के लिये आवेदन का प्रपत्र और सूचना या नक्शा जिसे या तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ या बाद में प्रस्तुत किया जायगा ;

(घ) ऐसे विषय जिन पर नाभिकीय प्रतिष्ठान स्थानीय प्राधिकरण को धारा 5 के परन्तुक के अधीन अनुज्ञा देते समय या धारा 8 के अधीन अनुज्ञा देते या देने से इन्कार करते समय विचार करना चाहिये ;

(ङ) समय जिसके भीतर और रीति जिसके अनुसार धारा 14 के अधीन अपील प्रस्तुत की जा सकती है ; और

(च) फीस जो इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आवेदन-पत्र प्रस्तुत की गई अपील या की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में ली जा सकती है।

उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988

उत्तर प्रदेश राज्य में किसी नाभिकीय प्रतिष्ठापन के आसपास भवनों के निर्माण और भूमि के उपयोग का नियंत्रण करने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) अधिनियम, 1988 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 से 20 तक, खांड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मुख्य मंत्री द्वारा सदन के बाहर की गयी कतिपय घोषणाओं के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कतिपय घोषणायें सदन के बाहर किये जाने के विषय में दिनांक 14 मार्च, 1988 को सदन के संज्ञान में लायी गयी औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं के संबंध में माननीय अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया है, जो इस प्रकार है:–

दिनांक 14 मार्च, 1988 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 300 के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के संबंध में 3 सूचनाएं प्राप्त हुई थी। पहली श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा की है, जो मा0 मुख्य मंत्री द्वारा "उत्तर प्रदेश समाज विद्यालय को 10 लाख रुपये की सहायता" सम्बन्धी घोषणा दिल्ली में किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी सदस्यगण विधान सभा की है, जो उत्तर प्रदेश में इण्डस्ट्रियल स्टेट की स्थापना तथा ऊसर भूमि सुधार सम्बन्धी सरकारी योजनाओं की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में है, और तीसरी सूचना सर्व श्री राजकिशोर सिंह, मित्रसेन यादव तथा रामचन्द्र बख्श सिंह सदस्यगण, विधान सभा की है, जो वित्तीय वर्ष में 400 इण्डस्ट्रियल स्टेट बनाय जाने" की घोषणा भी सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त तीनों सूचनाओं पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए उस समय मैंने सदन में कहा था कि इन तीनों मामलों में मा0 मुख्य मंत्री से जानकारी करके निर्णय दिया जायेगा। उपर्युक्त सभी सूचनाओं पर मा0 मुख्य मंत्री से विचार विमर्श किया गया। मा0 मुख्य मंत्री ने अपनी संदर्भित घोषणाओं की पुष्टि की, परन्तु उन्हें नीतिगत घोषणाओं की परिधि के बाहर बताया है।

मैं मुख्य मंत्री के विचार से सहमत हूं कि प्रश्नगत घोषणायें नीति सम्बन्धी घोषणा नहीं है। अतः इन तीनों सूचनाओं को औचित्य प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत आज कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं।

पहली सूचना कुंवर मानवेन्द्र सिंह सर्व श्री देवेन्द्र कुमार सिंह सूर्य प्रताप शाही, मयंकर सिंह, श्याम बिहारी सिंह किशन लाल की पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा

अपने पद का दुरुपयोग करके न्यायालय की अवमानना किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसी सूचना को श्री राम शरण दास ने भी दिया है। इस सूचना को मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

तीसरी सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के कारण हजारों नौजवानों को उनके प्रमाण पत्र न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसे मैं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं।

बाकी सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

आगरा जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी की लापरवाही के कारण 6 सीनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को विगत 6 माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

(संकठा प्रसाद शास्त्री द्वारा वक्तव्य को पढ़ने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय?

(वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

[प्रस्तुत सूचना में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि जनपद आगरा में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लापरवाही के कारण 6 सहायता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विगत 6 माह से वेतन भत्ता आदि नहीं मिला है और आगे न ही मिलने की सभावना है। इसका कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक वर्षवार वचनबद्ध वोय से कम धनराशि का बजट में प्राविधान कराया जाना बताया गया है।

उक्त के संबंध में जिला योजनान्तर्गत बजट प्राविधान कराये जाने की प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये यह स्पष्ट करना है कि विभागीय अधिकारी द्वारा योजना हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के व्यय का विवरण जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है और समितियों द्वारा संस्तुत जनपद की सीलिंग के अन्तर्गत योजना के परिव्यय के निर्धारण हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है। तदनुसार राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार ही आय-व्ययक में योजना के व्यय हेतु प्राविधान होता है। इस अनुमानित प्रस्ताव में कमी या वृद्धि होना स्वाभाविक है। अतः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी को इसके लिए दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है।

यहां यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि वर्ष 1987-88 में योजना पर व्यय हेतु धनराशि का प्राविधान आय-व्ययक में कराये जाने हेतु जनपदों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के पश्चात् 32 प्रतिशत अन्तरिम सहायता 25 दिन का बोनस तथा 13 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की वृद्धि के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 1987-88 में धनराशि का अप्रत्याशित रूप से कम पड़ जाना स्वाभाविक है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा जनपद के प्रश्नगत 6 मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक विद्यालयों को वर्ष 1984-85 में एक जुलाई, 1984 से अनुदान सूची पर लिया गया था। वर्ष 1984-85 से अब तक इन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती रही है। परन्तु वर्ष 1987-88 में वचनबद्ध व्यय से स्वीकृत धनराशि की अप्रत्याशित रूप से कमी पड़ जाने की सूचना इस जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपदों से भी प्राप्त हुयी है। इस परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा तत्परता से कार्यवाही करने के लिये शिक्षा निदेशक (बेसिक) से सूचना प्राप्त करने के साथ-साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी इस आशय के निर्देश जारी कर दिये गये कि विगत वर्षों में वचनबद्ध व्यय में आई कमी की सूचना शासन को शीघ्रता से उपलब्ध करा दें। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) के माध्यम से 28 जनपदों की सूचना प्राप्त हो सकी है जिसमें आगरा भी सम्मिलित है। जनपदों की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था का अथक प्रयास किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जनपद के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समय से वेतनादि का भुगतान नहीं हो सका, इसके लिये खेद है।]

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से तीन बातें जानना चाहता हूं। पहली बात जैसा कि वक्तव्य के पहले पैराग्राफ में लिखा है, उसके अनुसार मैं पूंछना चाहता हूं कि 6 माह से 6 सहायता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन भत्ता मिला है अथवा नहीं?

दूसरा प्रश्न मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1984 से 1988 तक वर्षवार वचनबद्ध व्यय कितना-कितना था और प्रदत्त व्यय कितना-कितना था और शासन द्वारा प्रदत्त व्यय कितना था, दोनों के अलग-अलग आंकड़े दे दें? तीसरा प्रश्न बाद में करेंगे।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, यह 84-85 में सहायता प्राप्त विद्यालयों का जो अनुरक्षण अनुदान स्वीकार किया गया था उसका कुल योग कितना था, इसकी सूचना तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन...

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इस पर मेरा घोर विरोध है। मैंने नियम 51 की अपनी जो सूचना दी थी, उसमें स्वयं लिखा है... "व्यवधान" आप मेरी बात सुनें। मंत्री जी कह रहे हैं कि जो उपरोक्त व्यय है उसके आंकड़े उनके पास नहीं हैं, किन्तु मैंने अपने नियम 51 की सूचना में वचनबद्ध और प्रदत्त दोनों व्ययों को आंकड़े दिए थे, इसलिए मैं यह आरोप लगाते हुए माननीय मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं, नोटिस दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप इसको लिखकर दे दीजिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय राणा जी ने जो नियम 51 की सूचना दी थी, उसमें यह कहा था कि 6 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सही है या नहीं?

जो दूसरी बात उन्होंने कहा है कि वहां के बी0एस0ए0 में 84-85, 85-86 व 86-87 में वचनबद्ध व्यय उतना नहीं मांगा था जितना चाहिए था, जिससे कम पैसा मिला और पैसा बकाया होता चला गया, इस पर प्रकाश डाल दें कि यह सही है या नहीं?

(इस समय 7 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए।)

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

यह वचनबद्ध जो है वह यह अभी तक योजनागत है, अभी आयोजनेतर नहीं हुआ है। 87-88 के बारे में इसमें हमारे वक्तव्य में ही है कि योजना पर व्यय हेतु धनराशि का प्राविधान आय-व्ययक में कराये जाने हेतु जनपदों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के पश्चात् 32 प्रतिशत अन्तरिम सहायता 25 दिन का बोनस तथा 13 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की वृद्धि हो गई। इसकी वजह से जितना पैसा स्वीकृत किया गया था, उसमें कुछ कमी हो गई। इसके लिए शासन से जिलाधिकारियों को कह दिया गया था कि जो कमी पड़ रही है, उसकी अन्य श्रोतों से प्रतिपूर्ति कर दें और फिर जितना अतिरिक्त व्यय है, उसे वह शासन से मांग लें, शासन विचार करके उसकी पूर्ति कर देगा। इस तरह यह विभिन्न जिलों के लिए और आगरा जिले के लिए भी लिखा गया था और वह कार्यवाही हो रही है। और अब बजट भी पास हो गया है, जो अवशेष वेतन है, मंहगाई भत्ते आदि है, उसके दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मंत्री जी के बयान से ऐसा लगता है कि केवल 87-88 में चूंकि बजट बढ़ गया, इसलिए पैसा कम पड़ गया और इस तरह बकाया हुआ। मैं मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 84-85 में भी जितना व्यय दिया जाना था उतना पैसा नहीं गया, इसलिए 84-85 में भी कुछ लोगों का बकाया रह गया? और वर्ष 85-86 और 86-87 में भी यही बात रही? तो वह बता दें कि इसमें वास्तविक स्थिति क्या है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

पहले से भी बकाया चल रहा था। 28 जिलों से इसके बारे में सूचना आई है और इसमें से 9 जिलों से जो बकाया के पैसे की मांग की गई थी, उसके भुगतान का आदेश कर दिया गया है। मैदानी क्षेत्र के जो जिलाधिकारी हैं उनसे व्यावर्तन के लिए कह दिया गया है। नौ जिलों के लिए आदेश कर दिए गये हैं, शेष जो मिले हैं उसमें रिपोर्ट मांगी गई है। 1984-85 से लेकर 1987-88 के जो बड़े-बड़े बकाये रहे हैं वह 28 जिलों के हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

आगरा का बतायें।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

आगरा का तीन हजार 1984-85 का है और कुल टोटल आगरा का 10 हजार 6सौ है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

1983-84-85-86-87 में टोटल कितना धन बकाया रहा यह बता दें। जितने अधिकारियों ने आपको सूचना नहीं दी उनके खिलाफ क्या आप कार्यवाही करेंगे।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, 1984-85 में इसके लिए योजनागत परिव्यय निर्धारित होता था जिसकी वजह से पूरा पैसा नहीं हो पाता था जितना पैसा कम पड़ता था उसमें जिलाधिकारी को आदेश है कि अन्य श्रोतों से खर्च कर लें और शासन से मांग लें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जहां जिलाधिकारी ने नहीं किया, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

कार्यवाही इसमें क्या करेंगे ?

श्री बदन सिंह–

आगामी वित्त वर्ष के लिए जो विवरण दिया जाता है वह विभागीय अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है यह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। फिर किस अधिकारी का दोष है? जितना पैसा मिलना चाहिए था वह नहीं मिला।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

इसमें दोषी होने का सवाल ही नहीं उठता है। योजना बनी है हर विभाग के लोग आय-व्ययक प्रस्तुत करते हैं। जिले से शासन को प्रस्ताव भेजे जाते हैं इसमें जैसे वित्तीय साधन होते हैं उसके अनुसार दिया जाता है।

कैप्टन बल्देव सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 28 जिलों का जो टोटल बकाया है, उसकी धनराशि कितनी है यह बता दें।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

28 जिलों के अध्यापकों की सूची मंगानी पड़ेगी।

श्री अधिष्ठाता–

अगर संस्था नहीं है तो कितना धन है, जो इन्होंने पूछा है वह बता दें ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

यह टोटल 1 करोड़, 17 लाख 4 हजार, 7 सौ रुपयों का है।

श्री कैप्टन बल्देव सिंह–

मान्यवर, अध्यापक 6 महीने से गुजारा कैसे कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

इसका उत्तर मंत्री जी क्या दे सकते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं जो गुजारा कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 32 प्रतिशत जो अंतरिम सहायता बढ़ी, 25 दिन का जो बोनस दिया गया और 12 दिन का जो मंहगाई भत्ता दिया गया इसको देने का निर्णय कब लिया गया और इसके आदेश शासन ने कब जारी किये और इसके लिए धन का प्राविधान कब किया गया।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, मैंने 87-88 का बताया। जो जिलों से प्रस्ताव आये थे उसके बाद यहां से बढ़ाया गया।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी मेरा सवाल नहीं समझे इसलिए दुबारा सवाल कर रहा हूं। आपने कहा कि जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया था कि जहां पर धन न हो वह दूसरी मदों से लेकर भुगतान कर दें और धन की मांग करें तो मांग यहां से पूरी कर दी जायगी। जिन जिलाधिकारियों ने दूसरी मदों से भुगतान किया और यहां से मांग की उनकी मांग को पूरा कर दिया गया लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिन जिलाधिकारियों ने दूसरी मदों से भुगतान किया और यहां से मांगे की उनकी मांग को पूरा कर दिया गया लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिन जिलाधिकारियों ने धन की मांग नहीं की और दूसरी मदों से भुगतान नहीं किया क्या आप इसमें उनका दोष नहीं मानते हैं क्या उन्होंने आदेशों की अवहेलना नहीं की जिसकी वजह से भुगतान नहीं हो सका?

श्री हुकुम सिंह–

जो सवाल आपने किया उसका जवाब मंत्री जी दे चुके हैं। जिलाधिकारियों से रिएप्रोप्रियेशन की बात की गयी थी। पेमेंट कर दें, उन्होंने नहीं कहा था।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि 28 जिलों में 1 करोड़ से अधिक धनराशि बकाया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस पैसे को कब तक दिला देंगे। 6 महीनों से वेतन न मिलने के कारण वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये होंगे। यह निश्चित रूप से यह बता दें कि यह पैसा कब तक दिला देंगे।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

बजट आपने पास कर दिया है। यह प्रयास किया जा रहा है कि उनका यह भुगतान जल्दी से जल्दी हो जाय।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, पहली बात मैं जानना चाहता हूं कि 32 प्रतिशत अंतरिम सहायता, 25 दिन का बोनस और 23 प्रतिशत तो महंगाई भत्ता है वह धनराशि कुल कितनी होगी।

श्री अधिष्ठाता–

इसका उत्तर वह दे चुके हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने एक तो यह कहा है कि वचन-बद्ध व्यय में और प्रदत्त व्यय मे कोई अन्तर नहीं है, बल्कि महंगाई भत्ता, बोनस और अन्तरिम सहायता बढ़ जाने से धनराशि में अप्रत्याशित रूप से कमी आ गयी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 32 प्रतिशत अन्तरिम सहायता 25 दिन का बोनस तथा 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि से कितनी धनराशि कम हुई और 87-88 में अध्यापकों के वेतन में कितने धन की कमी है। मेरा आरोप था कि वर्ष 1984-85 में, 85-86 में, 86-87 और 87-88 में वचनबद्ध व्यय से प्राप्त व्यय कम था, इसीलिए अध्यापकों के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है और इस तथ्य को इन्होंने स्वयं

स्वीकार किया है ये कहते हैं कि वर्ष 87-88 में वचनबद्ध व्यय से स्वीकृत धनराशि की अप्रत्याशित रूप से कमी आ गयी, तो यहां इन्होंने प्रदत्त व्यय की कमी को स्वीकार किया है, जो कि मैं अपने नियम 51 की सूचना के प्रपत्र में दे चुका हूं। ये अपने इस वक्तव्य में स्वयं स्वीकार करते हैं कि वर्ष 87-88 में वचनबद्ध व्यय से स्वीकृत धनराषि की अप्रत्याशित रूप से कमी पड़ जाने की सूचना इस जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपदों से भी प्राप्त हुई है इस प्रकार इन्होंने वचनबद्ध व्यय से प्रदत्त व्यय कम दे दिया, ये इस तथ्य को स्वयं स्वीकार करते हैं। वर्ष 87-88 में ही नहीं बल्कि यह नीचे के वर्षों का बहुत में प्रयोग करके फिर कहते हैं कि विगत वर्षों में वचनबद्ध व्यय में आई कमी की सूचना शासन को शीघ्रता से उपलब्ध करा दें। इस प्रकार ये वचनबद्ध व्यय से प्रदत्त व्यय की कमी को प्रकारान्तर से स्वीकार कर रहे हैं, पर स्पष्ट में इन्होंने इस तथ्य को छिपाया है। इसलिए मैं इनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं कि अन्तरिम सहायता, बोनस तथा महंगाई भत्ता की धनराशि कुल रकम कितनी बनती है। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, यह तो जोड़-घटाना, गणित की बात है, इसको ये खुद कर लें।

श्री विजय सिंह राणा–

इसकी कुल टोटल धनराशि पूछ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, यदि सूचना हो, तो बता दें।

(कोई उत्तर नहीं आया।)

जनपद पिथौरागढ़ के नरभक्षी शेरों एवं बाघों के आतंक के सम्बन्ध में वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट तथा पिथौरागढ़ रेंजों में गुलदारों का आतंक पिछले वर्ष 1987 से है। इन क्षेत्रों में वर्ष 1987 से अब तक नौ व्यक्तियों को गुलदारों द्वारा घायल किया गया तथा छः व्यक्तियों को मारा है। घायल किये गये व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या चार तथा पुरुषों की संख्या पांच है इसी प्रकार मारे गये व्यक्तियों में एक महिला तथा पांच बच्चे सम्मिलित हैं। माह मार्च 1988 में जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र में गुलदार द्वारा दिनांक 1-3-88, 10-3-88 व 19-3-88 को तीन बच्चों को मार दिया है। इस गुलदार को जीवित पकड़ने के लिये प्रभारी वनाधिकारी पिथौरागढ़ को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जहां तक गंगोलीहाट क्षेत्र में नरभक्षी शेर का आतंक का प्रश्न है दिनांक 15-3-88 को गंगोलीहाट के जाड़ापानी नामक स्थान के ग्राम बढ़गढ़ में श्रीमती मनुली देवी पत्नी श्री हयातसिंह उम्र 45 वर्ष को गुलदार द्वारा मारने की सूचना प्राप्त हुयी है। गंगोलीहाट में बाघ द्वारा एक व्यक्ति को व 15 बकरियों को मारने की घटना के

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गयी।

सम्बन्ध में जांच प्रभागीय वनाधिकारी पूर्वी अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा करायी जा रही है ।

शेर/गुलदार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत संरक्षित वन्य पशु है तथा इनके मारने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है परन्तु जहां यह मानव जीवन के लिये खतरनाक साबित हो जाते हैं, इन्हें मारने तथा पकड़ने की कार्यवाही की जाती है । जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट रेंज में दिनांक 20-10-87 को एक मानव भक्षी गुलदार को जीवित पकड़ा गया है जिसे अल्मोड़ा जू में भेज दिया गया है । उक्त जनपद के डीडीहाट क्षेत्र में इस समय क्रियाशील गुलदार को जीवित पकड़ने के लिये प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग को आदेश दे दिये गये हैं ।

दिनांक 15-3-88 को एक गुलदार पिथौरागढ़ शहर के समीप ग्राम हुड़ेती में एक मकान में घुस गया था । इस गुलदार को भगाने के प्रयास में दो व्यक्तियों को गुलदार ने घायल कर दिया और अन्ततः इस गुलदार को मार दिया गया है ।

गुलदार द्वारा मारे गये/घायल किये गये व्यक्तियों को वन विभाग द्वारा नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है ।]

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि गुलदार द्वारा मारे गये और घायल किये गये व्यक्तियों को वन विभाग द्वारा नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद पिथौरागढ़ में जो गुलदार द्वारा 9 व्यक्तियों को घायल किया गया है और 6 लोगों को मारा गया है, उन घायलों और मारे गये व्यक्तियों को मुआवजा कितना और कब-कब भुगतान किया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

मुआवजा अभी उन्हें नहीं दिया गया था, आज ही आदेश दिये गये हैं कि अविलम्ब उनको मुआवजा देने की कार्यवाही की जाय ।

*श्री कमल किशन पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब भी आदमखोरों का आतंक पर्वतीय क्षेत्रों में रहा है, तो समस्या काफी गम्भीर हुई है, मैं उनका ध्यान जिमकार्बेट की किताब मैनईटर्स आफ कुमायूं की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें यह स्पष्ट है कि आदमखोर प्रसिद्ध आदमखोर जैसे मैनईटिंग लैपर्ड आफ रुद्र प्रयाग चाउगढ़ टाइगर्स मोहान मैनईटर्स, जिन्हें मारने से पहले उन्होंने तीन-तीन, चार-चार सौ आदमियों को मारा था । जब आप 77 में थे, तो आपको याद होगा कि दो गड्डा मैनईटर की चर्चा इस सदन में हुई थी, जिसने गढ़वाल में आतंक फैला दिया था । पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष परिस्थितियों की वजह से एक बार आदमखोर लग जाय, तो बड़ी गम्भीर हो जाती है । इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह देखते हुए कि इस वक्त पिथौरागढ़ में 10 लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की हत्या हो चुकी है और वक्तव्य के अनुसार आदमखोर शेर एवं गुलदार वहां पर आतंक फैला रहे हैं, कोई विशेष नीति अपनाएंगे, ताकि फिर ऐसे आदमखोर न पनपें, जो 5-500, 6-600 लोगों को खा कर मारे या पकड़े जा सकें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय पाण्डे जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं स्वयं उससे सहमत हूं और वास्तव में यह बड़ी चिन्ता का विषय है और इसमें तादर्थ उपायों से काम नहीं चलने वाला है । यह नीतिगत मामला है और सोचने की आवश्यकता भी है । जहां एक ओर वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं वहीं जो प्राकृतिक शिकार है, वह भी कम होते जा रहे हैं और चीजे हैं । आदमी जाता है उसको मार देते हैं तो वहां पर जो शिकार मिलना चाहिए जब उनकी उपलब्धता नहीं रहेगी तो वास्तव में शेर आदमियों के ऊपर पालतू जानवरों के ऊपर हमला करेगा । इस पर छानबीन चल रही है कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाय । जहां पर मुझे जानकारी दी गयी कि स्टाफ की भी कमी है अगर स्टाफ उपलब्ध रहा होता तो इस पर कमी न आई होती । मान्यवर, इस पर विचार कर रहे हैं, इसमें जो भी उपाय होंगे, उसको किया जायेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि चूंकि स्टाफ की कमी है इसलिए समुचित उपचार नहीं किया जा सकता है और उस पर विचार चल रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इसके पहले पाण्डेय जी ने कहा, 77 में भी मामला उठ चुका है, करीब-करीब हर दूसरे साल मामला उठता रहता है । तो इन समस्याओं को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में वन विभाग में जहां भी स्टाफ की कमी है उसकी तुरन्त पूर्ति करने का कष्ट करेंगे ताकि ऐसी समस्या जब पैदा हो और पहले ही एक दो केसेज जैसे ही हों वैसे ही तुरन्त इस पर प्रभावी कदम उठाया जा सके और आगे न बढ़ने पाये ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह तो आदेश पहले से ही है कि जैसे ही शिकायत आती है उस पर तुरन्त ही गौर किया जाय । यहां पर भी आप सहमत होंगे कि जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई उसकी तुरन्त कार्यवाही की गयी है। अगर आप वक्तव्य को पढ़ लें और इसे तीन भागों में बांट लें, तो स्वतः स्पष्ट हो जायेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मेरा सवाल था जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा करने के बारे में । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि स्टाफ की कमी है तो जहां भी पर्वतीय क्षेत्र में वन विभाग में स्टाफ की कमी है, उसकी पूर्ति कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

इसके लिए प्रयास पहले से ही है । (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी कठिन से कठिन कार्य माननीय मुंशी जी को दे देते हैं तो क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि नरभक्षी बाघ को पकड़ने के लिए माननीय मुंशी जी को भेजा जाय ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बरार जी पहले से लगे हुए हैं उसके लिए ।

इलाहाबाद जनपद में हत्या और लूट का दौर चलने तथा श्री हरीश सिंह विष्ट एडवोकेट की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

[प्राप्त सूचनानुसार इलाहाबाद जनपद की शान्ति एवं व्यवस्था की स्थिति सन्तोषजनक है । आई0 टी0 आई0 इलाहाबाद में कार्यरत डा0 बासू घोष की दिनांक 7-2-88 को अत्यन्त रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मृत्यु की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है । दिनांक 27-2-88 को आई0 टी0 आई0 नैनी में कार्यरत सहायक तकनीकी टेक्नीशियन श्री जोगेन्द्र नाथ सिंह की अपहरण करके हत्या कर दी गई । इस अपराध की प्रथम सूचना में कोई भी अभियुक्त नामांकित नहीं है । इस संबंध में थाना सराय-इनायत पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना प्रचलित है । दिनांक 1/2-3-88 की रात्रि में श्री हरीश सिंह विष्ट एडवोकेट उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की हत्या रात्रि के 10.30 बजे घर लौटते समय साइकिल सवारों से टकराने पर आकस्मिक रूप से कर दी गई । इस अभियोग का एक अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुका है तथा एक अन्य अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गयी है ।

थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र में केवल एक लूट की घटना प्रकाश में आई है । दिनांक 25-2-88 को सरदार पटेल मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पम्प से बिना नम्बर के एक स्कूटर पर सवार तीन व्यक्तियों द्वारा बम और कट्टा दिखाकर रु0 9,550/-लूट लिया गया । इस घटना के संबंध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 392 भा0 द0 वि0 पंजीकृत करया गया है । इसी तिथि को जवाहर लाल नेहरु मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पम्प से तीन मोटर साइकिल सवारों एवं एक स्कूटर सवार द्वारा पेट्रोल भरवाकर बिना पैसा दिए भाग जाने की घटना प्रकाश में आई । इस घटना के संबंध में अभियोग अन्तर्गत धारा 406 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया है तथा उपरोक्त दोनों घटनाओं के लिए जिम्मेदार अभियुक्तगण श्री अजय कुमार मिश्र तथा श्री सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनके पास से 12 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किए गए ।

मार्च के प्रथम सप्ताह में पुलिस द्वारा आदिवासियों पर गोली चलाने आदि की घटना सत्य नहीं है : वास्तविकता यह है कि दिनांक 6-3-88 को थाना कोरांव का एक पुलिस दल एक अभियोग की विवेचना हेतु ग्राम बैठकवा गया हुआ था । विवे-

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चना हेतु गए हुए पुलिस दल पर अभियुक्तों द्वारा आक्रमण किया गया तथा उनकी राइफलों, बन्दूकें, रिवाल्वर, कारतूस, घड़ी, रुपये आदि लूट लिये गये । बाद में पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से लूटी गई वस्तुएं बरामद की गयी ।

पेट्रोल पम्प लूटे जाने की घटना के विरोध में नगर के पेट्रोल पम्प दो दिन बन्द रहे । इसी प्रकार वकीलों द्वारा भी जिनकी हड़ताल दिल्ली के वकीलों के हड़ताल के समर्थन में चल रही थी, ने भी श्री हरीश सिंह विष्ट की हत्या के उपरान्त हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को सम्मिलित करते हुए कार्य का बहिष्कार किया था । सम्प्रति उनकी हड़ताल समाप्त हो गई है । इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों में न तो किसी प्रकार का रोष है और न उनके द्वारा हड़ताल किए जाने की चेतावनी ही दी गयी है ।

उपरोक्त घटनाओं के सम्बन्ध में शासन/जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त तत्परता से प्रभावी कार्यवाही की गयी है । अतः जनमानस में रोष या आक्रोश व्याप्त नहीं है ।]

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इलाहाबाद जनपद की शान्ति व्यवस्था की स्थिति सन्तोषजनक है । 7-2-88 को आई0 टी0 आई0 इलाहाबाद में कार्यरत डा0 बासु की हत्या रहस्यमय परिस्थितियों में की गयी और दिनांक 27-2-88 को आई0 टी0 आई0 नैनी में कार्यरत सहायक तकनीकी टेक्निशियन श्री जोगिन्द्र नाथ सिंह की अपहरण करके हत्या कर दी गयी । यह माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में भी लिखा है कि हत्या और अपहरण किया गया लेकिन मुकदमा सराय इनायत थाने में धारा 302 और 201 में पंजीकृत किया जबकि अपहरण की धारा 363 है उसको नहीं दर्ज किया गया । इसी तरह से थाना सिविल लाइन्स में पेट्रोल पम्प लूटा गया, थाना जार्ज टाउन में भी उसी दिन पम्प लूटा गया और उसके दो दिन बाद थाना कीटगंज में पेट्रोल पम्प लूटा गया जिसका जिक्र यहां नहीं किया गया है । इसके बाद 1/2 की रात्रि में हरीश सिंह विष्ट, एडवोकेट हाईकोर्ट की हत्या और लूट की गयी । उनका सारा सामान लूट लिया गया और उनकी हत्या कर दी गयी । लेकिन उसमें भी माननीय मंत्री जी ने केवल हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और लूट का मुकदमा दर्ज नहीं किया ।

इसी प्रकार से 6 मार्च को थाना कोरांव में पुलिस वालों ने वहां के कुछ लोगों के साथ जुल्म किया और उन लोगों ने पुलिस वालों को पकड़ा लेकिन उन लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया गया । आप देखें कि मा0 मंत्रीजी ने स्वयं अपने उत्तर में लिखा है कि जहां हत्या और लूट हुई वहां पर केवल हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया । अपहरण और हत्या के मामले में केवल हत्या का मामला दर्ज किया गया, अपहरण का दर्ज नहीं किया गया इस प्रकार से स्वयं मा0 मंत्री जी ने मुकदमों को मिनिमाइज करने की चेष्टा की है । लगता है कि केवल सेक्रेटरी की रिपोर्ट यहां पर रख दी गयी है और उसका परीक्षण नहीं कराया गया । मैं जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने इन मुकदमों को मिनिमाइज करने की लिखित कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मुकदमों को मिनिमाइज करने की बात नहीं है । मिनिमाइज नहीं किया गया है । इतना जरूर कर सकता हूं कि इसको दिखवा लूंगा कि कहीं मिनिमाइज तो नहीं किया है । जिन बिन्दुओं को मा0 सदस्य ने उठाया है, उनको दिखवा लूंगा । इसके अलावा मान्यवर इसमें जो यह दिया है कि एतराज किया कि इतने समय में लूट की इतनी घटनाएं घटीं और हत्याएं हुईं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन महीनों के आंकड़े आप देखें, पिछले तीन वर्ष के और तीन माह के तो स्पष्ट हो जायगा कि इसमें कमी हुई है । मान्यवर, अगर आप आज्ञा दें और मुनासिब समझें तो मैं बता सकता हूं कि बढ़े नहीं हैं, कम्पेरेटिवली कम हुए हैं ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया कितना हास्यास्पद है । इलाहाबाद में पुलिस की रिपोर्ट आ गयी कि वहां पर ला एवं आर्डर की स्थिति बहुत सही है । मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, इसमें आप देखें कि सब बुद्धिजीवी लोग थे । एक डाक्टर था, एक इंजीनियर था और एक लैब टेक्नीशियन था । एक वकील था । अक्सर कहा जाता है कि हत्याएं आपसी रंजिश के कारण हुईं, लेकिन मान्यवर आप देखें कि आई0 टी0 आई0 के दो अधिकारियों की हत्या कर दी गयी और इनकी पुलिस इतनी निष्क्रिय थी कि मजबूर होकर हम लोगों सी0 बी0 आई0 की जांच के लिये मजबूर होना पड़ा । जितनी भी हत्याएं हुईं, पुलिस से कितनी ईमानदारी से अभियुक्तों को पकड़ा । आप देखें कि विवेचना करने कोरांव गये थे। वहां पर आप देखें कि आदिवासी और गरीब लोग रहते हैं। मा0 मंत्रीजी बतावें कि इलाहाबाद की पुलिस ने, मैं कहना चाहता हूं कि मा0 सदस्य ईश्वर शरण विद्यार्थी वहीं के हैं । वहां पर होली के दिन नशे की हालत में पुलिस वाले एक हरिजन और एक यादव को पीट रहे थे । उसके बाद मा0 सदस्य विद्यार्थी जी के छोटे भाई ने आपत्ति की तो उसको पीटा और थाने ले गये । विद्यार्थी जी गिड़गिड़ाते रहे लेकिन आज तक मा0 मंत्रीजी ने कोई कार्यवाही नहीं की । मैं यह पूछना चाहता हूं कि कोरांव में जो आदिवासियों के यहां विवेचना के लिये अधिकारी गये थे, वह किस प्रकार की विवेचना थी । यह बताने की कृपा करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, पहले तो मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि, आपके माध्यम से मा0 सदन को बताना चाहता हूं कि पहले जो दो मर्डर डा0 बासू घोष और टेक्नीशियन जोगेन्द्र नाथ सिंह के हुए थे । यह ब्लाइन्ड मर्डर थे, इसमें अपराधी ज्ञात नहीं हैं । तीसरी जो वकील साहब की हत्या हुई उसमें अभियुक्त पकड़ कर दण्ड किया जा चुका है और दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध 82/83 की कार्यवाही हुई । मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, यह कहना सत्य से परे है । जांच की मांग की गयी इसलिये दे दी । जांच हैण्ड ओवर कर दी गयी सी0 आई0 डी0 को, इसीलिये देर हो रही है । इसमें सिविल पुलिस का दोष नहीं है ।

मान्यवर, जहां तक दूसरे सम्मानित सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह जी के सवाल की बात है, पेट्रोल पम्प की जो लूट हुई, यह दोनों केस वर्क आउट हो गये हैं। दूसरी घटना भी पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल भराकर पैसे न देने से जो उत्पन्न हुई थी, संबंध में थी, दोनों घटनाओं के मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं। अब यह कहना कि तत्परता से कार्य नहीं हो रहा है, यह बात सही नहीं होगी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

पेट्रोल पम्प की घटना से दो दिन पेट्रोल पम्प वहां बन्द रहे। यह बताने का कष्ट करें कि लूट की रिपोर्ट कब लिखी गयी हड़ताल से पहले या हड़ताल के बाद से माननीय अनुग्रह नारायण जी ने बताया कि लूट को आपने 488 में लिखा। साथ ही साथ जबरदस्ती पेट्रोल भराने और पैसा न देने की घटना हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह 392 में दर्ज हुआ। उसके अलावा जहां संदेह है, उसको दिखलवाऊंगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह रिपोर्ट हड़ताल के पहले लिखी गयी या बाद में लिखी गयी इसको हम जानना चाह रहे हैं, इसका उत्तर नहीं आया। अगर सूचना न हो तो सूचना मंगवा लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्क आउट हो गये यह केस।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय अनुग्रह नारायण जी ने जो आरोप लगाया कि घटनाओं की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि रिपोर्ट कब लिखी गयी हड़ताल के पहले या हड़ताल के बाद में?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गृह मंत्री जी, माननीय वर्मा जी का प्रश्न है कि यह जो पेट्रोल पम्प की लूट की रिपोर्ट है यह हड़ताल के बाद लिखी गयी या हड़ताल के पहले।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इतनी साधारण सी बात माननीय मंत्री जी नहीं बता पा रहे हैं फाइल इधर उधर पलट रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

फाईल में देखना पड़ेगा कि कौन सी तारीख में हुई है। अभी बता रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य धैर्य बनाये रखें, माननीय मंत्री जी तिथि बता रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय सदस्य जरा अपने प्रश्न को फिर से दोहरा दें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं प्रश्न को स्पष्ट किये देता हूं । घटना किस तिथि की है रिपोर्ट किस तिथि को लिखी गयी और हड़ताल किस तिथि को हुई ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, घटना सरदार पटेल मार्ग पर स्थित पेट्रोल पम्प की 25-2-88 को घटी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप देखें किस तरह से इनके साथी माननीय मंत्री जी को समझा रहे हैं, गृह राज्य मंत्री जी को यह सब लोग मूर्ख समझ रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, इसको अब तो स्थगित कीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस वक्तव्य को स्थगित करता हूं ।

आज की कार्य सूची की मद संख्या 22, 23 व 24 को स्थगित किये जाने की सूचना

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा है कि मद संख्या 22, 23, 24 को स्थगित कर दिया जाये ।

(सदन की सहमति से मद संख्या 22, 23, 24 स्थगित की गयीं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं 11 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 35 मिनट पर सोमवार, दिनांक 11-4-1988 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
6 अप्रैल, 1988

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिय ता0 प्र0 सं0 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर)

रिक्तियों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	रिक्तियों की संख्या	रिक्तियां उपलब्ध होने की तिथि
1	2	3	4
1	मुख्य अभियंता (सिविल) स्तर-2	3	1-8-87
		3	17-8-87
		2	3-10-87
		2	28-11-87
		10	
2	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	1	27-6-87
		1	1-7-87
		1	1-8-87
		1	1-9-87
		1	1-1-88
		1	1-2-88
		2	11-1-88
		1	1-4-88
		9	
3	अधीक्षण अभियंता यान्त्रिक	1	12-9-84
		1	16-8-85
		1	1-11-85
		1	25-12-85
		1	1-6-86
		1	30-6-86
		1	1-8-86
		1	1-6-87
		1	1-7-87
		3	29-6-87
		1	31-8-87
		3	26-11-87
		16	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 54 का उत्तर पीछे पुष्ठ 23 पर)

विकास खण्ड नगरा में विद्युत रहित गांवों की सूची

क्रम सं0	गांव का नाम	क्रम सं0	गांव का नाम
1	सदीपुर	22	जमुआंव खामपुर
2	पर्षोत्तमपुर	23	अदलीसपुर
3	विहराहपुर	24	शंकरपुर मंझवा
4	चांदपुर	25	वमनौली टी जयपाल पांडेय
5	रामपुर हजिया	26	गजाधरपुर
6	कोंधा गालिवपुर एलियास मानपुर	27	सराय अर्क
7	धोधवा	28	ककरोसा पट्टी
8	हजिया रामपुर	29	त्रिलोकपुर
9	मेहरेंव	30	सिधौना
10	सोनवानी	31	झामपुर
11	चक पंडित	32	गौरा टी मनीयर
12	सरयां ताठ गोठवा	33	मुखलिसपुर
13	अधरी पट्टी	34	सिकरिया ताल भीमपुरा
14	रामपुर	35	बहारपुर
15	डोली	36	वारडीह
16	लेखवपुर	37	महाराजपुर
17	लेखबानपुर	38	निथूहवन
18	दुलेसर	39	सवापार
19	विलासपुर टी नरौरा	40	हैवतपुर
20	भुवंरा खूंट	41	वरनाम बसंतपुर
21	भरवद्मपुर	42	धरमपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड सीयर में विद्युत रहित गांवों की सूची

क्रम सं0	गांवों का नाम	क्रम सं0	गांवों का नाम
1	दियरा सीर सरकार	23	अहिरौली टी चेखन
2	चदनपट्टी निर्मपपुर	24	शंकर टी चेखन
3	कोरिया बैजनाथी	25	तिवारीपुर
4	गोपपुर गोनरी	26	मानपुर
5	गोपालपुर टी कटयां	27	सलेमपुर टी फरसाटार
6	इसमाईलपुर/उधरन	28	मसकोन
7	कटयां	29	भीखमपुर
8	ससनाडीह	30	गंगऊपुर
9	इनऊपुर	31	चक शेरखनी
10	अहिखपुर	32	कूपत
11	देवधरिया टी भीमपुरा	33	डिहवा टी फरसाटार
12	पहाड़पुर टी इन्दूपुर	34	भवहर
13	कान्धपुर	35	उस्मानपुर
14	सवदलपुर	36	होलपुर
15	भिट्टा गोपालपुर	37	तेन्दुआ पट्टी फरसायर
16	बुधईपुर	38	जमीन टेन्दुआ
17	रतनपुर टी किरिहरापुर	39	कुंवरपुर
18	हसनपुर कन्हैया लाल	40	भाटपुर
19	हरपुर	41	रामपुर टी देवकली
20	सोधनपुर	42	मेहेन्दुआ
21	गऊवोंझ	43	चकमेहर अली
22	कलवारी		

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

भुगतान का विवरण

क्र0 सं0	टुकड़ी	अनुबन्ध संख्या	मूंजा लगवाने का क्षेत्र वर्ग मीटर में	किया गया व्यय (रुपये में)
1	2	3	4	5
1	38.500 से 38.900	41/सअ–2/85–86	27185.66	21749.00
2	38.900 से 39.300	42/सअ–2/85–86	29078.55	23263.00
3	39.300 से 39.500 एवं 39.700 से 39.800	43/सअ–2/85–86	22567.22	18059.00

पी0 एस0 यू0 पी0–एल0 90 वि0 सभा (141)–1988–813 ।